



भारतीय खाद्य सुरक्षा और
मानक प्राधिकरण
FOOD SAFETY AND STANDARDS
AUTHORITY OF INDIA

Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2020-21

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India



डॉ. मनसुख मांडविया
Dr. Mansukh Mandaviya
माननीय केंद्रीय मंत्री
Hon'ble Union Minister
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare



डॉ. भारती प्रविण पवार
Dr. Bharati Pravin Pawar
माननीय राज्य मंत्री
Hon'ble Minister of State
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare

विषय सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	झलक	1
अध्याय 2	कर्तव्य, प्रशासनिक ढाँचा और मानव संसाधन	8
अध्याय 3	मानक और विनियम	18
अध्याय 4	खाद्य सुरक्षा अनुपालन	37
अध्याय 5	खाद्य परीक्षण और निगरानी	53
अध्याय 6	खाद्य आयात	68
अध्याय 7	खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण	74
अध्याय 8	सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन तथा ईट राइट इंडिया पहल	78
अध्याय 9	कोडेक्स	93
अध्याय 10	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	95
अध्याय 11	एफएसएसएआई में डिजिटलीकरण, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और ई-शासन	98
अध्याय 12	राजभाषा	106
अध्याय-13	आरटीआई मामले	108
अध्याय 14	वित्तीय विवरणियां, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	109

सारणी सूची

सारणी संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
सारणी 1	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रवर्तन मैट्रिक्स के संबंध में प्रगति	3
सारणी 2	खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्यों और कार्यों का विवरण	9
सारणी 3	खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से भिन्न अन्य सदस्यगण (धारा 5)	10
सारणी 4	धारा 5 (1) (क) के अंतर्गत 2020-21 के दौरान पदेन सदस्य	11
सारणी 5	एफएसएसएआई की पदवार संस्वीकृत संख्या	13
सारणी 6	2020-21 के दौरान अधिसूचित अंतिम विनियमों की सूची	27
सारणी 7	2020-21 वर्ष के दौरान अधिसूचित मसौदा विनियमों की सूची	30
सारणी 8	एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अधिसूचित प्रमुख विनियमों की सूची जो वर्तमान में लागू है	32
सारणी 9	वर्तमान में चल रहे अनुसंधान परियोजनाओं की सूची	34
सारणी 10	पूरी हो चुकी अनुसंधान परियोजनाएँ जिन्हें राष्ट्रीय संचालन समिति ने पुनरावलोकन कर अंतिम समाप्ति की सिफारिश के लिए प्रस्तुत किया है	34
सारणी 11	पूरे किए गए / बंद अनुसंधान परियोजनाओं की सूची	36
सारणी 12	केन्द्रीय/राज्य लाइसेंस जारी करने और पंजीकरण करने में हुई वर्षवार प्रगति	38
सारणी 13	एफएसएस अधिनियम 2006 के अंतर्गत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन तंत्र की प्रशासनिक संरचना (31.03.2021) की स्थिति के अनुसार	49
सारणी 14	वर्ष 2020-21 के दौरान विश्लेषित नमूनों, निर्धारित मानकों और मानदण्डों के अनुरूप नहीं पाए गए नमूनों और की गई कार्रवाई का राज्य-वार विवरण	51
सारणी 15	अधिसूचित प्राथमिक तथा रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का क्षेत्रवार विवरण	55
सारणी 16	देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या	66
सारणी 17	दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के खाद्य आयात निर्मुक्ति संबंधी आँकड़े	72
सारणी 18	एफएसएसएआई की वेबसाइटों/पोर्टलों और अन्य डिजिटल पहलों की सूची	104

आकृति सूची

आकृति	विवरण	पृष्ठ संख्या
आकृति 1	खाद्य प्राधिकरण का गठन, 2020–21	11
आकृति 2	खाद्य प्राधिकरण का संगठनात्मक ढाँचा	12
आकृति 3	विधिक एवं गैर सांविधिक निकायों के संदर्भ में एफ.एस.एस.ए.आई का वैज्ञानिक कार्य	18
आकृति 4	स्पैन-कॉम का उद्घाटन	25
आकृति 5	माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं माननीय राज्य मंत्री की उपस्थिति में एफ.एस.एस.ए.आई. एवं सी.एस.आई.आर. के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	26
आकृति 6	गत वर्षों में लाइसेंस और पंजीकरण की संख्या में परिलक्षित परिवर्तन को दर्शाने वाला रेखाचित्र	38
आकृति 7	एफएसडब्ल्यू वैन का आंतरिक दृश्य	59
आकृति 8	एफएसडब्ल्यू का बाह्य दृश्य	59
आकृति 9	ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की झलक	60
आकृति 10	एस.एम.एस. घटक	61
आकृति 11	शीर्ष 10 खाद्य श्रेणी, उत्पाद और उत्पत्ति के देश	70
आकृति 12	तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को ऑनलाइन परिचय प्रशिक्षण की कुछ झलकियाँ	76
आकृति 13	एफएसएसएआई में नव-नियुक्त कार्मिकों का पहला बैच	76
आकृति 14	एफएसएसएआई में नव-नियुक्त कार्मिकों का दूसरा बैच	77
आकृति 15	एफएसएसएआई में नव-नियुक्त कार्मिकों के प्रथम बैच के परिचय प्रशिक्षण का उद्घाटन	77

आकृति	विवरण	पृष्ठ संख्या
आकृति 16	चुनौतियों/प्रतियोगिताओं का आरंभ	87
आकृति 17	फूड फिएस्टा एवं पलावर्स शो की झलक	88
आकृति 18	इंडस फूड 2021 की झलक	89
आकृति 19	माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा संसाधन पुस्तकों का विमोचन	90
आकृति 20	सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता की मुख्य विशेषताएं	92

झलक

- 1.1 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (संक्षेप में एफ.एस.एस.ए.आई.), जिसे “खाद्य प्राधिकरण” के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना सितम्बर, 2008 में खाद्य सुरक्षा और मानक (एफ.एस.एस.) अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत प्रमुख रूप से मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य सामग्रियों के विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने के लिए की गई थी। इस संबंध में विस्तृत कार्यादेशों का उल्लेख खाद्य सुरक्षा और मानक (एफ.एस.एस.) अधिनियम, 2006 की धारा 16 में किया गया है। इस अधिनियम को खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 और छह प्रमुख विनियमों की अधिसूचना के द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2011 से प्रवर्तनात्मक बनाया गया था। तब से, एफ.एस.एस.ए.आई. ने इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपने कार्यादेशों को पूरा करने में काफी प्रगति की है।
- 1.2 आदर्श वाक्य “विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक” के अनुरूप, खाद्य प्राधिकरण ने निम्नलिखित दृष्टिकोण के माध्यम से अपने कार्यादेशों को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास किया है :
- वैश्विक मानदंडों के अनुरूप विनियमों, मानकों और दिशा-निर्देशों का निर्धारण;
 - अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण, निरीक्षण, संपरीक्षा और बेहतर प्रयोगशाला नेटवर्क के माध्यम से अनुपालन में सुगमता;
 - आयातित खाद्य उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयात का विनियमन;
 - विनियामक कर्मियों, प्रयोगशाला कर्मियों और इसके साथ-साथ खाद्य कारोबारियों और खाद्य प्रहस्तकों की क्षमता का निर्माण;
 - एकीकरण की सच्ची भावना से ईट राइट पहलों को बढ़ावा देना;
 - खाद्य सुरक्षा संस्कृति का निर्माण करने के लिए आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा और संप्रेषण) और बी.सी.सी. (व्यवहारगत परिवर्तन संप्रेषण) प्रविधियों का उपयोग;
 - प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अंगीकरण;
 - ज्ञान और बेहतर पद्धतियों के सृजन तथा आदान-प्रदान के लिए कार्यनीतिक स्वरूप की साझेदारी का विकास करना;
 - खाद्य मानकों से संबंधित कार्य और अन्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों के समन्वय को बढ़ावा देने के लिए कोडेक्स बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना और विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय करार करना।

उपर्युक्त वर्णित दृष्टिकोण के अनुरूप इस अध्याय में रिपोर्टाधीन वर्ष 2020-21 की एफ.एस.एस.ए.आई. के कार्यकलापों और उपलब्धियों की समीक्षा की प्रमुख बातें दर्शायी गई हैं। विवरण संबंधित अध्यायों में दिया गया है।

- 1.3 समीक्षाधीन वर्ष में खाद्य प्राधिकरण की चार बैठकें आयोजित हुई थीं और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। तथापि, एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और

(छ) के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों पर सदस्यों की नियुक्ति के अभाव में सदस्यों की कम संख्या से कार्य जारी रखा। तथापि, प्राधिकरण की बैठकों में विचार-विमर्श के आधार को व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए बैठक में विशेष आमंत्रितों को आमंत्रित किया गया था।

- 1.4 केंद्रीय सलाहकार समिति (सी.ए.सी.) बहुत से विषयों के संबंध में खाद्य प्राधिकरण को सलाह देती है और विभिन्न हितधारियों जैसे खाद्य उद्योग, उपभोक्ता संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और राज्यों के खाद्य प्राधिकरणों के साथ घनिष्ठ सहयोग सुनिश्चित करती है। वर्ष के दौरान सी.ए.सी. की चार बैठकें आयोजित हुईं और कई महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किया।
- 1.5 वैज्ञानिक समिति, जोकि प्राथमिक रूप से खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक सलाह प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, की वर्ष के दौरान तीन बैठकें (35वीं, 36वीं एवं 37 वीं) आयोजित हुईं और खाद्य प्राधिकरण को विभिन्न सिफारिशें कीं।
- 1.6 वर्ष के दौरान, 21 विषय-विशिष्ट वैज्ञानिक पैनल कार्यात्मक रहे। इन 21 वैज्ञानिक पैनलों की कुल 62 बैठकें आयोजित हुईं और मानकों के निरूपण तथा उनके अपने-अपने विषयों से संबंधित अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में सिफारिशें की।
- 1.7 विशिष्ट विषयों के संबंध में वैज्ञानिक समिति ने कई कार्य समूह प्रारंभ किए।
- 1.8 कोविड-19 महामारी को देखते हुए, वर्ष के दौरान खाद्य प्राधिकरण और इसके साथ-साथ अन्य सांविधिक और गैर-सांविधिक निकायों द्वारा आभासी स्वरूप की बैठकों का आयोजन किया।
- 1.9 विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए विनियमों के निरूपण, जिसमें नए मानक और विद्यमान मानकों में संशोधन करना सम्मिलित है, की दिशा में पर्याप्त प्रगति की गई। विनियमों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यकता होती है, आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, 30 अंतिम अधिसूचनाएं और 19 मसौदा अधिसूचनाएं जारी की गईं। अंतिम अधिसूचनाओं में तीन प्रमुख विनियम सम्मिलित हैं अर्थात्, खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020; खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020; और खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020।
- 1.10 अंतिम अधिसूचनाओं में खाद्य उत्पादों के नए/संशोधित मानकों से संबंधित कई संशोधन विनियम भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा, कुछ संशोधन कतिपय संघटकों/उत्पादों के प्रयोग के संबंध में प्रतिबंध लगाने के लिए किए गए हैं। "2022 तक ट्रांस-फैट मुक्त भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्रांस फैट की सीमा, जो सभी तेलों, वसा के भार के 2% से अधिक नहीं होगी और जो प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में विद्यमान तेल और वसा के भार का 2% से अधिक न होगी, में कमी करने से संबंधित संशोधन उन महत्वपूर्ण संशोधन विनियम में से हैं जिन्हें अंतिम रूप से वर्ष के दौरान अधिसूचित किया गया।
- 1.11 वर्ष के दौरान, एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा खाद्य सुरक्षा को लेकर व्याप्त चिंताओं के मामलों के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने और बेहतर समझ विकसित करने के लिए तीन मार्गदर्शी नोट जारी किए गए थे। विनियमों के कार्यक्षेत्र और उपबंधों को स्पष्ट करने के लिए कुछ विनियमों के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी जारी किए गए हैं।
- 1.12 एफ.एस.एस.ए.आई. के कार्यादेश और खाद्य सुरक्षा से संबंधित अन्य उभरते मामलों के लिए प्रासंगिक अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) परियोजनाओं के लिए सहायता योजना के अंतर्गत, एफ.एस.एस.ए.आई. ने अभी तक 21 संयुक्त परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है जिसमें से 6 को पूरा कर लिया गया है; दस अन्य परियोजनाओं की समीक्षा की गई और राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति द्वारा अंतिम रूप से उन्हें बंद करने की सिफारिश की है; और पांच परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।
- 1.13 एफ.एस.एस.ए.आई. में इस समय स्वीकृत पदों की संख्या 824 है। इन पदों में से अधिकतर पद 2018 में

ही स्वीकृत हुए थे। इन विभिन्न पदों के लिए भर्ती विनियम भी 01 अक्टूबर, 2018 में अधिसूचित किए गए थे। इसके बाद ही, भर्ती विनियमों के प्रावधानों के अनुसार इन स्वीकृत पदों पर नियमित आधार पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई सीधी भर्ती की प्रक्रिया, जिसमें 3 विज्ञापन अर्थात् डीआर 01/2019, डीआर 02/2019 और डीआर 03/2019 सम्मिलित हैं, के अंतिम परिणाम भर्ती प्रक्रिया के समाप्त होने पर वर्ष के दौरान घोषित किए गए और डीआर 02/2019 के अंतर्गत सम्मिलित 275 पदों में से चुने गए कुल 185 उम्मीदवारों ने पहले ही इस संगठन में अपने पद का कार्य भार संभाल लिया है जबकि अन्य सफल उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रियामें हैं। डीआर 2/2019 और डीआर 03/2019 के परिणामों के आधार पर कुछ अधिकारियों ने उच्च स्तरीय पदों का कार्यभार ग्रहण किया है। वर्ष के दौरान, एफ.एस.एस.ए.आई. में 37 अधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति पर भी कार्यभार ग्रहण किया है। परिणामस्वरूप, जनशक्ति में काफी अधिक वृद्धि हुई है और एफ.एस.एस.ए.आई. के काम में और अधिक दृढ़ता आएगी।

- 1.14** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र महत्वपूर्ण साझेदार हैं और प्रमुख रूप से एफएसएस अधिनियम, 2006 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रवर्तन के लिए स्थापित अपने प्रशासनिक संगठन को सुदृढ़ करने का कार्य जारी रखा। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कुल न्याय-निर्णय अधिकारियों की संख्या 725, अभिहित अधिकारियों की संख्या 660 और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संख्या 2,531 है।
- 1.15** इस संबंध में किए गए सतत उपायों के कारण, एफएसएस अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) को लाइसेंस प्रदान करने और पंजीकरण करने के कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (सीएलए) द्वारा कुल 84,970 केन्द्रीय लाइसेंस जारी किए गए थे जबकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा 17,07,190 लाइसेंस जारी किए गए और 74,65,125 पंजीकरण किए गए। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान केन्द्रीय लाइसेंस के संबंध में 45% की वृद्धि और राज्य लाइसेंस और पंजीकरण के संबंध में क्रमशः 31% और 21% की वृद्धि हुई।
- 1.16** एफएसएस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए खाद्य प्राधिकरण निरन्तर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों को सीएसी की बैठकों, विडियो सम्मेलन (वीसी) और राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठकों में सहभागिता के माध्यम से सहायता करता रहा है। वर्ष के दौरान, एफएसएसएआई द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विडियो सम्मेलन (वीसी) के 27 सत्र आयोजित किए।
- 1.17** एफ.एस.एस.अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की जाँच करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा कार्मिकों द्वारा नियमित निगरानी, मॉनिटरिंग, निरीक्षण और खाद्य उत्पादों के यादृच्छिक नमूने लेना जारी रखा गया। वर्ष 2020-21 में विश्लेषित खाद्य के नमूने, अनुरूप नहीं पाए गए नमूने और दोषी खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित सारणी 1 में दिया गया है:

सारणी 1 – वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रवर्तन मैट्रिक्स के संबंध में प्रगति

क्र. सं.	प्रवर्तन मैट्रिक्स	संख्या
1	विश्लेषित खाद्य नमूने	1,07,829
2	अनुरूप नहीं पाए गए कुल नमूने	28,347
	अनुरूप नहीं पाए गए नमूने – असुरक्षित	5,220
	अनुरूप नहीं पाए गए नमूने – घटिया	13,394
	अनुरूप नहीं पाए गए नमूने – लेबलिंग दोष/भ्रामक/विविध	9,733
3	प्रारंभ किए गए सिविल मामलों की संख्या	24,195

क्र. सं.	प्रवर्तन मैट्रिक्स	संख्या
4	सिविल मामलों की संख्या, जिनमें निर्णय किए गए	15,532
5	सिविल मामलों में लगाए गए जुर्माने की राशि (रुपये में)	49,92,23,333
6	प्रारंभ किए गए आपराधिक मामलों की संख्या	3,869
7	आपराधिक मामलों की संख्या, जिनमें निर्णय किए गए	520
8	आपराधिक मामलों में लगाए गए जुर्माने की राशि (रुपये में)	83,23,601
9	लगाए गए जुर्माने की कुल राशि (सिविल और आपराधिक) (रुपये में)	50,75,46,934

- 1.18** एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) के स्थान पर 1 नवंबर, 2020 से पूरे भारत में खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस) नामक एक अधिक दक्ष ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है और इसकी शुरुआत की है। इससे पूर्ण प्रणाली के कारण धीमी गति की शिकायतों का समाधान किया गया है और इसके द्वारा लाइसेंसिंग और पंजीकरण की व्यवस्था को युक्तियुक्त एवं आसान बनाया गया है। इसके अलावा, फोस्कोस को खाद्य सुरक्षा के लिए 'वन-स्टॉप कंप्लायंस पोर्टल' के रूप में परिकल्पित किया गया है। पहले ही भुगतान गेट-वे, फोस्कोरिस, लेखा-परीक्षा माड्यूल, ऑनलाइन विवरणियां फाइलिंग माड्यूल और स्वच्छता रेटिंग माड्यूल का एकीकरण किया गया है। इससे खाद्य कारोबारियों को आवेदन प्रस्तुत करने, भुगतान करने, वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने आदि में काफी मदद मिली है।
- 1.19** एफ.एस.एस.ए.आई. ने वास्तविक समय आधार पर निगरानी के लिए निरीक्षण और नमूने लेने, आंकड़ों का संग्रहण और आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए "नियमित निरीक्षण और सैम्पलिंग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अनुपालन" प्रणाली (फोस्कोरिस) नामक वैब आधारित मोबाइल एप विकसित किया है। राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे केवल फोस्कोरिस के माध्यम से निरीक्षण आयोजित करें। वर्ष के दौरान, फोस्कोरिस के माध्यम से खाद्य कारोबारों के 60,222 निरीक्षण किए गए। निरीक्षणों में पारदर्शिता लाने के लिए इस प्रणाली को फोस्कोस के साथ एकीकृत किया गया है।
- 1.20** खाद्य सुरक्षा के संबंध में राज्यों के निष्पादन के मापन के लिए, एफ.एस.एस.ए.आई. ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की शुरुआत की है और उन्हें बेहतर तरीके से निष्पादन करने के लिए प्रेरित किया है। यह सूचकांक पांच महत्वपूर्ण पैरामीटरों अर्थात्-मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े; अनुपालन; खाद्य परीक्षण अवसंरचना और निगरानी; प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन पर आधारित है। 07 जून, 2020 को द्वितीय विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचनाकांक 2019-20 में श्रेष्ठ रैंक प्राप्त करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिए गए।
- 1.21** समझौता ज्ञापन ढांचा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी को सुदृढ़ बनाने के लिए, एफएसएसएआई ने 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य प्रस्तावों का अनुमोदन किया और 64.66 करोड़ रुपये की राशि जारी की।
- 1.22** एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट स्वच्छता और साफ-सफाई के अनुपालन के संबंध में खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण का कार्यान्वयन करने के लिए 29 खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण अभिकरणों को मान्यता प्रदान की है। यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय लाइसेंस धारी खाद्य कारोबारी जो अभिज्ञात छः उच्च जोखिम वाले कारोबार की श्रेणियों/प्रकारों के अंतर्गत आते हैं उनकी खाद्य प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य ऑडिट की जाएगी। एफ.एस.एस.ए.आई. ने स्वच्छता और साफ-सफाई संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में 157 वधशालाओं और इसके साथ ही 396 मांस की दुकानों और 429 मिष्ठान्न की दुकानों की ऑडिट पूरी कर ली है। ऑडिट के दौरान अभिज्ञात कमियों से इन स्थानों पर एफएसएसएस अनुपालन में मदद मिलेगी।

- 1.23** खाद्य परीक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान कई उपाय किए गए। 39 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को, जिन्हें अधिनियम की धारा 98 के संक्रमण प्रावधान के अंतर्गत जारी रखा गया था और जिनके द्वारा एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, एफएसएस की परिधि से बाहर कर दिया गया है। इस अनिवार्य स्वरूप की कार्रवाई से इस प्रकार की प्रयोगशालाएं एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए पहल करने के लिए मजबूर हुई हैं। वर्ष के दौरान, 2 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं जिन्होंने एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त किया है और 4 अन्य प्रयोगशालाओं को प्राथमिक परीक्षण के लिए अधिसूचित किया गया। पीपीपी मोड के अंतर्गत चौन्नई पत्तन न्यास और जेएनपीटी, मुम्बई में एफएसएसएआई की दो और रेफरल प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए सफल पीपीपी भागीदारों को ठेके प्रदान किए गए हैं और इन रेफरल प्रयोगशालाओं के शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करने की आशा है। इस अवधि के दौरान, आरएफटी योजना, 2019 के अंतर्गत रेपिड टेस्टिंग किट्स/उपकरणों के अनुमोदन के लिए 54 आवेदनों की जांच की गई थी जिसमें से 33 का अंतिम रूप से अनुमोदन किया गया, एक को अनन्तिम रूप से अनुमोदित किया गया और शेष 20 को नामंजूर किया गया था।
- 1.24** “चलती-फिरती खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रावधान सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण” (सॉफ्टेल) के लिए 481.95 करोड़ रुपये (400.40 करोड़ गैर-आवर्ती और 81.55 करोड़ आवर्ती) के परिव्यय से तीन वर्षों के लिए 2016–17 में प्रारंभ की गई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत योजना की अवधि का आगे विस्तार करने के संबंध में भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने तक वर्ष के दौरान राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसएफओएल) के सुदृढ़ीकरण की दिशा में 1.00 करोड़ रुपये स्वीकृत/जारी किए गए। इससे, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 39 एसएफटीएल को कुल 313.98 करोड़ रुपये के अनुदान की मंजूरी/निर्मुक्ति से सुदृढ़ीकरण किया गया है। केन्द्रीय/रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं, पूणे का उन्नयन करने के लिए 4.12 करोड़ रुपये का अनुदान भी निर्मुक्त किया गया था जिससे रेफरल प्रयोगशालाओं के लिए कुल अनुमोदित अनुदान की राशि बढ़ कर 32.20 करोड़ रुपये हो गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान राज्यों को 2 और संशोधित चल खाद्य प्रयोगशाला (एफएसडब्ल्यू) का वितरण किया गया जिससे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दी गई एफएसडब्ल्यू की संख्या बढ़कर 90 हो गई है (32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 60 एफएसडब्ल्यू और 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 30 संशोधित एफएसडब्ल्यू)।
- 1.25** यह सुनिश्चित करने के लिए कि एकत्रित किए गए नमूने प्रयोगशालाओं तक बिना किसी क्षति के पहुंचे, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शीतल श्रृंखला सुविधाओं से युक्त नमूना प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) का प्रभावी नेटवर्क सृजित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नमूना एकत्र करने के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इनका वितरण और इनकी अधिष्ठापना पहले ही कर दी गई है जबकि अन्य 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इनकी अधिष्ठापना का कार्य किया जा रहा है।
- 1.26** वर्ष के दौरान, विश्लेषण से संबंधित कई मैनुयूल्स और पद्धतियों को अंतिम रूप दिया गया है।
- 1.27** एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य तेल, दुग्ध उत्पादों और मधु, जिनके संबंध में उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर बार-बार चिंता व्यक्त की जाती रही थी, की गुणवत्ता और सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए इनके सर्वेक्षण आयोजित किए। इन सर्वेक्षणों से उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए अपमिश्रण के हॉटस्पॉट की पहचान करने में मदद मिलेगी।
- 1.28** कोविड-19 महामारी के संदर्भ में, एफ.एस.एस.ए.आई ने बाधामुक्त खाद्य सेवाएं/आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। खाद्य वस्तुओं की आयात निकासी और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और कोलकाता स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं और एफ.एस.एस.ए.आई प्रत्यायित निजी प्रयोगशालाएं) को लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लाइसेंस/पंजीकरण, अर्ध वार्षिक/वार्षिक विवरणियों का प्रस्तुतीकरण आदि के मामले में खाद्य कारोबारियों द्वारा कई प्रकार की अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं को 31 दिसम्बर, 2020 तक आस्थगित रखा गया था।

- 1.29** भारत में आयातित खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना खाद्य प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। खाद्य प्राधिकरण अपने स्वयं के प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से पहले छह अवस्थानों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, तूतीकोरिन और कोच्चि पर प्रवेश के 22 स्थलों पर खाद्य आयात का विनियमन प्रत्यक्ष तौर पर कर रहा था। दिनांक 10 मार्च 2021 से इसने मुंद्रा, कांडला और कृष्णापट्टनम बंदरगाहों सहित 9 स्थानों पर प्रवेश के 22 अतिरिक्त स्थलों पर अपने प्राधिकृत अधिकारियों को तैनात करके खाद्य आयात का प्रत्यक्ष विनियमन करना प्रारंभ कर दिया है। वर्ष के दौरान, एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा 37,05,016 मीट्रिक टन (एमटी) वजन के कुल 52,932 आयातित खाद्य पदार्थों को हैंडल किया था। इनमें से 36,72,065 मीट्रिक टन वजन के 51,913 पदार्थों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।
- 1.30** लॉक डाउन की अवधि के दौरान देश में आयातित कच्चे तेल (खाद्य ग्रेड) और खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि जिस दिन खेप पहुंचे, वे उसी दिन दृश्य निरीक्षण करें और नमूने लें और संतोषजनक दृश्य निरीक्षण पर प्रयोगशालाओं से विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना अनंतिम एनओसी जारी करें। दालों की निकासी को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए गए थे।
- 1.31** एफ.एस.एस.ए.आई ने 01 मार्च, 2021 से 24 फसलों की आयातित खाद्य खेप के साथ गैर-जीएम-एवं-जीएम मुक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल गैर-जीएम खाद्य फसलों का ही आयात हो।
- 1.32** अच्छी स्वच्छता और निर्माण पद्धतियों के कार्य में नियोजित फूड हैंडलरों के प्रशिक्षण के लिए एफ.एस.एस.ए.आई का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका संचालन अब तक भौतिक रूप से किया जाता रहा था। कोविड 19 के कारण यह कार्यक्रम ऑनलाइन प्लेटफार्म पर प्रारंभ किया गया। एफ.एस.एस.ए.आई ने फोस्टेक के तहत कोविड-19 निवारक उपायों पर अप्रैल, 2020 में फूड हैंडलरों के लिए ऑनलाइन जागरूकता पाठ्यक्रम शुरू किया। इस संबंध में खाद्य संचालकों के लिए लगभग 2,600 प्रशिक्षण आयोजित किए गए और 78,452 से अधिक खाद्य संचालकों को प्रशिक्षित किया गया। फोस्टेक के अंतर्गत, अक्टूबर, 2020 में सभी 19 प्रशिक्षण मॉड्यूलों के लिए खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों के लिए ऑनलाइन मोड में नियमित प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। कोविड 19 से संबंधित उपायों पर जागरूकता पाठ्यक्रम को 19 नियमित प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया गया था। 2020-21 के दौरान, ऑनलाइन मोड के तहत 7,477 नियमित फोस्टेक प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे और 2,24,729 खाद्य संचालकों को प्रशिक्षित किया गया।
- 1.33** नियामक अधिकारियों अर्थात् खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और अभिहित अधिकारियों के लिए भी एफ.एस.एस.ए.आई ने अप्रैल-जून, 2020 के दौरान ऑनलाइन मोड के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित खाद्य सुरक्षा दिशानिर्देशों पर प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसमें 850 नियामक कर्मियों ने भाग लिया। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 116 नवनियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए नियमित प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी ऑनलाइन मोड में आयोजित किए गए। इसके अलावा, एफ.एस.एस.ए.आई में 160 नए भर्ती हुए अधिकारियों को भी दो सप्ताह का क्लासरूम प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद दो बैचों में एक सप्ताह का 'ऑन-द-जॉब' प्रशिक्षण दिया गया।
- 1.34** एफ.एस.एस.ए.आई ने लोगों को सुरक्षित खाद्य, स्वस्थ और संवहनीय आहार प्रदान करने के लिए ईट राइट इंडिया आंदोलन के तहत अपनी गतिविधियों को जारी रखा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्य लोगों और भू दोनों के लिए अच्छा हो, ईट राइट इंडिया के अंतर्गत नियामक, क्षमता निर्माण, सहयोगात्मक और सशक्तिकरण दृष्टिकोण का एक विवेकपूर्ण मिश्रण अपनाया जाता है। महत्वपूर्ण शुरुआतों में खाद्य सुदृढीकरण, स्वच्छता आकलन स्कीम, ईश को आनन्दमई अर्पण (भोग), ईट राइट होम, ईट राइट स्कूल, ईट राइट कैंपस, ईट राइट स्टेशन, स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब, स्वच्छ सब्जी एवं फल बाजार, पुनःप्रयोजन के लिए उपयोग किया गया कुकिंग ऑयल (रूको) आदि सम्मिलित हैं।
- 1.35** सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन (एसबीसी) से संबंधित एफ.एस.एस.ए.आई का दृष्टिकोण खाद्य सुरक्षा की

समान जिम्मेदारी साझा करने के लिए सभी हितधारकों के साथ विश्वास और सहयोग के एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण से सम्बद्ध है। इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ, एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य सुरक्षा और सही खाद्य के बारे में जन जागरूकता पैदा करने और लोगों को निर्णय लेने और खाद्य विकल्पों के संबंध में व्यवहार को संशोधित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए कई हितधारकों अर्थात् सरकार/निजी संस्थान, व्यावसायिक संघ, संगठन इत्यादि के साथ भागीदारी की है ताकि खाद्य रुचियों के संबंध में निर्णय लिए जा सकें और व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। वर्ष के दौरान, हितधारकों और उपभोक्ताओं को ईट राइट पहल, खाद्य सुरक्षा और एफएसएस अधिनियम, नियमों और विनियमों के आवश्यक तत्वों के बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां शुरू की गईं। ईट राइट शुरुआतों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई प्रतियोगिताएं और चुनौतियां आयोजित की गईं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित संचार के ऑनलाइन चैनलों के साथ-साथ घटनाओं/प्रदर्शनियों, मेलों और व्यापार मेलों आदि सहित ऑफलाइन माध्यमों का उपयोग करके विभिन्न लक्षित समूहों के बीच सूचना का प्रसार किया गया था। कई संसाधन पुस्तकें और संचार सामग्री लॉन्च की गई थीं। आम जनता के लिए आसान पहुंच के लिए ई-पुस्तकें वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई थीं।

- 1.36** वर्ष के दौरान, भारत ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए कोडेक्स कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के 43वें सत्र के साथ-साथ इसकी कार्यकारी समिति, अन्य समितियों, उप-समितियों और कार्य समूहों की बैठकों में भाग लिया। ये सभी बैठकें आभासी मोड में आयोजित की गईं। सीएसी के 43वें सत्र में कोडेक्स मानकों के अनुसार भारत द्वारा यथा प्रस्तावित चिली सॉस, आम की चटनी और वेयर पोटेटो के मानकों को अपनाया गया।
- 1.37** न्यूजीलैंड, यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण, और फ्रांस के साथ मौजूदा हस्ताक्षरित सहयोग समझौतों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों और अन्य देशों/अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकें आयोजित की गईं। इनमें से ज्यादातर बैठकें आभासी मोड में आयोजित की गईं।
- 1.38** यह मानते हुए कि व्यापक जनादेश वाले नियामक स्वरूप के और खाद्य प्राधिकरण जैसे अति महत्वपूर्ण निकाय के लिए प्रौद्योगिकी का अत्यधिक महत्व होता है, खाद्य प्राधिकरण अधिकाधिक रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का प्रयोग कर रहा है। एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य अनुज्ञापन और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) के स्थान पर अखिल भारत के स्तर पर फोस्कोस के नाम से एक नवीन अनुज्ञापन एवं पंजीकरण प्रणाली प्रारंभ की है। इसके अलावा, इसके कई महत्वाकांक्षी पोर्टल जैसे एफआईसीएस, फोस्टेक, प्रशिक्षण पोर्टल, इन्फोलनेट आदि को नई-नई विशेषताओं से सुदृढ़ बनाया गया। एफ.एस.एस.ए.आई के सभी प्रमुख कार्यों को आईटी प्रभाग द्वारा विकसित प्रणालियों और पोर्टलों के सहयोग से संपन्न किया जा रहा है।
- 1.39** एफ.एस.एस.ए.आई अपने कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जा रही है। वर्ष के दौरान चार कार्यशालाएं आयोजित की गईं और नए भर्ती किए गए अधिकारियों के साथ-साथ अन्य अधिकारियों को भी सरकारी कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हिन्दी के प्रयोग के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले प्रभाग को उनके प्रयासों के सम्मान में शील्ड प्रदान की गई। आयोजित किए गए हिंदी पखवाड़ा के दौरान नोटिंग और ड्राफ्टिंग, निबंध, वाद-विवाद और अनुवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। अधिकारियों/कर्मचारियों ने इनमें उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इन प्रतियोगिताओं के लिए सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

अध्याय-2

कर्तव्य, प्रशासनिक ढाँचा और मानव संसाधन


2.1 अधिनियम का अधिनियमन

- 2.1.1** खाद्य नियमों को एक ही विधान के अंतर्गत लाकर उनके समेकन का कार्य कुछ समय से विशेषकर केंद्र सरकार द्वारा तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री की वर्ष 2002 के बजट भाषण में अपनी मंशा जाहिर कर देने के बाद से चल रहा था। खाद्य सामग्रियों के विनियमन से संबंधित विभिन्न अधिनियमों और आदेशों के समेकन का कार्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को सौंपा गया था। खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005 को दिनांक 23 अगस्त, 2006 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्या 34) के रूप में अधिनियमित किया गया था। इसके पश्चात, यह अधिनियम 24 अगस्त, 2006 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था। इस संबंध में कई अधिसूचनाओं अर्थात् दिनांक 15 अक्टूबर, 2007, 28 मई, 2008, 18 नवंबर, 2008, 09 मार्च, 2009, 31 जुलाई, 2009, 29 जुलाई, 2010 और 18 अगस्त, 2010 के माध्यम से इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधान विभिन्न तारीखों को प्रवृत्त हुए।
- 2.1.2** भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत दिनांक 17 सितंबर, 2007 के मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना द्वारा "खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006" के विषय को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से स्थानांतरित करके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपा गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 के "खाद्य सुरक्षा तथा मानक (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2007 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 6 के खण्ड (ग) में उप-धारा (I) जो अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति से संबंधित है, में "स्वास्थ्य" के स्थान पर "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग" को प्रतिस्थापित किया गया था।
- 2.1.3** यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अध्यादेश, 2008 दिनांक 07 फरवरी, 2008 द्वारा संशोधित किया गया था जिसे धारा 3, 5 और 6 में संशोधन करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अधिनियम, 2008 दिनांक 28 मार्च, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
- 2.1.4** खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएस अधिनियम) के परिणामस्वरूप 5 सितंबर, 2008 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना हुई। इस निर्णय के परिणामस्वरूप मात्र अपमिश्रण निवारण के विपरीत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर भोजन सुनिश्चित करने की एक व्यापक समग्र पद्धति की और पूर्व में विखंडित की तुलना में एकीकृत खाद्य विनियामक पारिस्थितिकीय की दिशा में एक व्यापक परिवर्तन हुआ।

2.2 एफएसएसआई का अधिदेश

जैसाकि एफएसएस अधिनियम में परिकल्पित है, खाद्य प्राधिकरण का अधिदेश मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, उसके भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को और उससे संबन्धित मामलों को विनियमित करना है। खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य और कार्य अधिनियम की धारा 16 में निर्धारित है। इनका संक्षिप्त विवरण सारणी 2 में दर्शाया गया है:

सारणी 2 – खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्यों और कार्यों का विवरण

 निदेशों का निर्धारण	 विज्ञान आधारित	 क्षमताओं का सुदृढीकरण	 उपभोक्ताओं पर ध्यान केन्द्रित करना
<ul style="list-style-type: none"> खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए मानकों का निर्धारण। लेबलिंग और दावों के मानकों का निर्धारण। योजकों, प्रदूषकों, अवशिष्टों आदि के लिए सीमाओं का निर्धारण। नमूना लेने और विश्लेषण की पद्धति के लिए दिशानिर्देशों का विकास। आयातित खाद्य वस्तुओं के लिए उपयुक्त सीमा नियंत्रण का कार्यान्वयन। जोखिम का मूल्यांकन, प्रबंधन और संप्रेषण सहित जोखिम विश्लेषण करना। प्रयोगशाला प्रमाणन और अधिसूचना के लिए दिशानिर्देशों का विकास करना। प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के लिए दिशानिर्देशों का विकास। एफएसएस अधिनियम का प्रवर्तन और कार्यान्वयन का सर्वेक्षण करना। 	<ul style="list-style-type: none"> नीतियों के निरूपण के लिए वैज्ञानिक परामर्श और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। उपभोग और जोखिम सामना, जैविक जोखिमों की घटना और व्यापकता, प्रदूषक, द्रुत चेतावनी प्रणाली आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों में अग्रणी बनना। खाद्य सुरक्षा के लिए संकट प्रबंधन नयाचार का विकास। वैज्ञानिक सहयोग, सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान और वैश्विक दृष्टि से श्रेष्ठ पद्धतियों के कार्यान्वयन के लिए ढांचे का विकास। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक परामर्श और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। 	<ul style="list-style-type: none"> खाद्य सुरक्षा इकोसिस्टम के भीतर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खाद्य प्राधिकरणों के स्टॉफ, खाद्य कारोबारियों और अन्य हितधारियों की क्षमताओं के सुदृढीकरण के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। 	<ul style="list-style-type: none"> उपभोक्ताओं और सम्बद्ध हितधारियों को उपयुक्त, सरल, सामयिक सूचना उपलब्ध कराना। वैज्ञानिक समितियों और पैनलों की समितियों के बारे में सामयिक ढंग से संप्रेषण। वैज्ञानिक अध्ययनों के परिणामों का आदान-प्रदान करना। बैठकों की कार्यसूची के संबंध में खाद्य प्राधिकरण, परामर्श समिति, वैज्ञानिक समिति और पैनलों आदि के सदस्यों द्वारा हित संबंधी वार्षिक घोषणाओं का प्रकटन।

निदेशों का निर्धारण	विज्ञान आधारित	क्षमताओं का सुदृढीकरण	उपभोक्ताओं पर ध्यान केन्द्रित करना
<ul style="list-style-type: none"> खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित मामलों पर राज्य स्तरीय प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करना। 	<ul style="list-style-type: none"> जोखिम मूल्यांकन पद्धतियों का विकास। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास कार्य में योगदान। 		

2.3 खाद्य प्राधिकरण का गठन और वर्ष के दौरान इसकी बैठकें

2.3.1 एफ.एस.एस अधिनियम, 2006 की धारा 5 के अनुसार खाद्य प्राधिकरण का एक अध्यक्ष होगा और निम्नलिखित 22 सदस्य होंगे, जिनमें से एक—तिहाई महिलाएं होंगी, अर्थात्—

सारणी 3 – खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से भिन्न अन्य सदस्यगण (धारा 5)

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों से सदस्य	कृषि, वाणिज्य, उपभोक्ता मामले, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, विधायी मामले, लघु उद्योग कार्यों से सम्बद्ध केन्द्र सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम संयुक्त सचिव के स्तर के सात सदस्य जो पदेन सदस्य होंगे।
उपभोक्ता, किसानों और खुदरा विक्रेता संगठनों से प्रतिनिधित्व	किसानों और उपभोक्ता संगठनों से दो- दो प्रतिनिधि तथा खुदरा संगठनों से एक प्रतिनिधि
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व	प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट जोनों में से एक-एक बार प्रथम तीन वर्ष के चक्रानुक्रम से नियुक्त किए जाने वाले पांच सदस्यगण
खाद्य उद्योग और स्वतंत्र एसएमई और खाद्य प्रौद्योगिकीविदों अथवा वैज्ञानिकों से प्रतिनिधित्व	क) खाद्य उद्योग के दो प्रतिनिधि जिनमें से एक लघु उद्योग से संबद्ध हो, ख) तीन प्रख्यात प्रौद्योगिकीविद् अथवा वैज्ञानिक

2.3.2 इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, एफ.एस.एस.ए.आई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी खाद्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव हैं।

2.3.3 खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। प्राधिकरण का मुख्यालय एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 पर स्थित है।

2.3.4 वर्ष 2020-21 के दौरान खाद्य प्राधिकरण का गठन इस प्रकार था:

आकृति 1 – खाद्य प्राधिकरण का गठन, 2020-21



सारणी 4 – धारा 5 (1) (क) के अंतर्गत 2020-21 के दौरान पदेन सदस्य

क्रं. सं.	नाम	पदनाम	मंत्रालय
1.	डॉ. रीता वशिष्ठ	अतिरिक्त सचिव	विधायी विभाग, विधि व न्याय मंत्रालय
2.	डॉ. मंदीप कुमार भंडारी	संयुक्त सचिव	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
3.	श्री आतिश चन्द्रा	संयुक्त सचिव	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
4.	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	संयुक्त सचिव	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
5.	श्री अनुपम मिश्रा	संयुक्त सचिव	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
6.	सुश्री रीमा प्रकाश	संयुक्त सचिव	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
7.	श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा	संयुक्त सचिव	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

2.3.5 वर्ष 2020-21 के दौरान 29 मई, 2020 (30वीं), 20 अक्टूबर, 2020 (31वीं); 22 दिसम्बर, 2020 (32वीं) और 23 मार्च, 2021 (33वीं) को क्रमशः खाद्य प्राधिकरण की 4 बैठकें हुईं। कोविड-19 महामारी के कारण सभी 4 बैठकें विच्युल तरीके से हुई थी। चूंकि पिछले अथवा गत वर्षों में सदस्यों की कालावधि समाप्त होने के कारण 2020-21 के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 5

(1) (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) एवं (छ) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई, अतः खाद्य प्राधिकरण की यह बैठकें कम संख्या के साथ आयोजित की गईं। यद्यपि सभी 4 बैठकों में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई) एवं ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन (एआईएफपीए) से विशेष आमंत्रित थे। गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, दादर और नागर हवेली एवं दमन व दीव के खाद्य सुरक्षा आयुक्त भी प्राधिकरण की 32वीं एवं 33वीं बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित थे।

2.4 केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी)


2.4.1 एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 11 में केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की स्थापना का प्रावधान है तथा धारा 12 में सीएसी के कार्यों का वर्णन है। समिति का मुख्य अधिदेश प्राधिकरण के कार्यक्रम, कार्य का प्राथमिकीकरण, संभावी जोखिमों की पहचान और ज्ञान प्रबंधन के संबंध में परामर्श देना है। केन्द्रीय सलाहकार समिति खाद्य प्राधिकरण, राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों तथा खाद्य के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के मध्य निकट सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करती है।

2.4.2 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 11 के अंतर्गत दिनांक 5 जुलाई, 2019 की अधिसूचना के द्वारा केन्द्रीय सलाहकार समिति की 3 वर्ष के लिए पुनर्स्थापना की गई थी। वर्ष 2020-21 के दौरान सी.ए.सी. की चार बैठकें हुईं, जिसमें खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य अधिकारी, विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों के प्रतिनिधि व एफएसएसएआई के अधिकारियों ने हिस्सा लिया तथा खाद्य सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

2.5 खाद्य प्राधिकरण का संगठनात्मक ढाँचा

2.5.1 नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय के अलावा गाजियाबाद, मुंबई, कोलकाता व चैन्नई में प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। साथ ही, गुवाहाटी व कोच्चि में ब्रांच कार्यालय और कोच्चि, तूतीकोरिन, कृष्णापट्टनम एवं मुंद्रा में आयात कार्यालय भी है। इसके अलावा, खाद्य प्राधिकरण की गाजियाबाद एवं कोलकाता में दो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएँ व सोनोली और रक्सौल में इन प्रयोगशालाओं के विस्तार पटल भी है।

आकृति 2 – खाद्य प्राधिकरण का संगठनात्मक ढाँचा



2.5.2 वर्ष के दौरान, खाद्य प्राधिकरण ने दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद, चैन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, व कोलकाता में नए उप क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अटारी, कांडला एवं रक्सौल में आयात कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी। साथ ही प्राधिकरण ने मुंबई एवं चैन्नई में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएँ खोलने की भी स्वीकृति दी। ये कार्यालय/प्रयोगशालाएँ निकट भविष्य में परिचालित हो जाएंगे।

2.6 मुख्यालय में खाद्य प्राधिकरण के प्रभाग

मुख्यालय में खाद्य प्राधिकरण के निम्नलिखित प्रभाग हैं :-

- मानव संसाधन एवं वित्त विभाग
- सामान्य प्रशासन एवं नीति समन्वय प्रभाग (संसद, विधि, राजभाषा एवं सूचना का अधिकार शाखा भी सम्मिलित है)।
- सामाजिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन प्रभाग
- सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग
- विज्ञान एवं मानक प्रभाग - I
- विज्ञान एवं मानक प्रभाग - II
- गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग - I
- गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग - II
- विनियामक अनुपालन प्रभाग
- प्रयोगशाला प्रशिक्षण एवं निगरानी प्रभाग
- प्रशिक्षण प्रभाग
- व्यापार एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभाग

2.7 मानव संसाधन

एफ.एस.एस.ए.आई के पास विभिन्न स्तरों पर 824 पदों की स्वीकृत शक्ति है। एफ.एस.एस.ए.आई में सभी स्वीकृत पदों का विवरण सारणी 5 में नीचे दिया गया है।

सारणी 5 – एफएसएसएआई की पदवार संस्वीकृत संख्या

क्र. सं.	पदनाम	वेतन स्तर	स्वीकृत शक्ति
1.	अध्यक्ष	17	1
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	15	1
3.	कार्यकारी निदेशक	14	2
4.	सलाहकार	14	2

क्र. सं.	पदनाम	वेतन स्तर	स्वीकृत शक्ति
5.	निदेशक	13	16
6.	प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी	13	1
7.	मुख्य प्रबंधक	13	1
8.	संयुक्त निदेशक	12	32
9.	उप-निदेशक	11	44
10.	सहायक निदेशक	10	22
11.	सहायक निदेशक (तकनीकी)	10	60
12.	खाद्य विश्लेषक	10	10
13.	तकनीकी अधिकारी	7	255
14.	केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारी	7	74
15.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	10	1
16.	हिंदी अनुवादक	6	3
17.	प्रशासनिक अधिकारी	8	25
18.	सहायक	6	76
19.	कनिष्ठ सहायक (ग्रेड-1)	4	12
20.	वरिष्ठ निजी सचिव	8	7
21.	निजी सचिव	7	17
22.	निजी सहायक	6	39
23.	वरिष्ठ प्रबंधक (आई.टी.)	12	2
24.	प्रबंधक (आई.टी.)	11	2
25.	उप-प्रबंधक (आई.टी.)	10	4
26.	सहायक प्रबंधक (आई.टी.)	7	10
27.	(आई.टी.) सहायक	6	6
28.	वरिष्ठ प्रबंधक	12	2
29.	प्रबंधक	11	8
30.	उप-प्रबंधक	10	16
31.	सहायक प्रबंधक	7	8
32.	कनिष्ठ सहायक ग्रेड-II	2	12
33.	स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड)	2	3
34.	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)	1	50
	कुल	—	824

2.8 एफएसएसएआई में भर्ती की स्थिति

2.8.1 सीधी भर्ती – 1 अक्टूबर, 2018 को विभिन्न पदों के लिए भर्ती विनियम अधिसूचित किए गए थे तथा भर्ती विनियमों के प्रावधान के अनुसार भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। तदनुसार, विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या DR-01/2019 दिनांक 25 जनवरी, 2019 DR-02/2019 दिनांक 26 मार्च, 2019 एवं DR-03/2019 दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 के द्वारा आवेदन माँगे गए थे। इन विज्ञापनों की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न स्तर क्रमशः दस्तावेज़ जाँच/कम्प्युटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार (जैसा लागू हो) अनुप्रयुक्त की जा चुकी है। DR-02/2019 के अंतर्गत आने वाले 275 पदों के कुल 185 सफल प्रत्याशियों ने पहले ही अपना पदभार ग्रहण कर लिया है एवं बाकी सफल उम्मीदवार जल्द ही कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं। DR-01/2019 एवं DR-03/2019 के अंतर्गत आने वाले कुछ पदों के अंतिम परिणाम के आधार पर निदेशक पदों के लिए दो प्रत्याशी (वेतनमान-13), प्रमुख तकनीकी अधिकारी (वेतनमान-13) के लिए एक प्रत्याशी एवं खाद्य विश्लेषक (वेतनमान-10) पद के लिए 5 प्रत्याशियों ने सीधी भर्ती पर अपना पदभार ग्रहण किया है।

2.8.2 प्रतिनियुक्ति— दिनांक 03 जून, 2020, 28 सितम्बर, 2020 एवं 16 दिसम्बर, 2020 को दिए गए विज्ञापनों के द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर 73 पदों की भर्ती हेतु आवेदनों की माँग की गई थी। चयन के परिणामस्वरूप, 2020-21 के दौरान 37 अधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति आधार पर एफ.एस.एस.ए.आई में अपना पदभार ग्रहण किया है।

2.9 महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक शिकायत समिति

विशाखा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (1997) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के आधार पर एफ.एस.एस.ए.आई, में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना की गई है तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यह हर समय क्रियाशील एवं प्रभावी हो। वर्ष 2020-21 के दौरान इस समिति में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। हाँलाकि एक विचाराधीन मामले पर पत्राचार हुए थे जिस पर समिति ने तुरंत कार्यवाही की थी। कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न अधिनियम एवं लिंग संवेदीकरण पर प्रशिक्षण दिया गया है।

2.10 सतर्कता संबंधित मुद्दे

2.10.1 एफ.एस.एस.ए.आई की सतर्कता इकाई अपने मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निदान केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार करता है। अगर प्रथम दृष्टया किसी अधिकारी के कृत्य में अनियमितता का मामला बनता है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही कार्यवाही शुरू करने के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं। नियमानुसार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की भी सलाह ली जाती है। 2020-21 के दौरान 37 शिकायतों का निपटान हुआ।

2.10.2 27 अक्टूबर, 2020 से 2 नवंबर, 2020 तक एफ.एस.एस.एस.ए.आई के मुख्यालय व सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रयोगशालाओं में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस वर्ष

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय था –“सतर्क भारत, समृद्ध भारत”। 27 अक्टूबर, 2020 को इस अवसर पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी, पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा का निर्वाह करने के शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात सतर्कता पर कर्मचारियों का ज्ञान जाँचने के लिए एक लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 2 नवंबर, 2020 को एक कार्यशाला/संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें सप्ताह के विषय पर अपनी बात रखने के लिए एक बाहरी विशेषज्ञ को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को प्रमुख कार्यकारी अधिकारी द्वारा 2,000/- रुपये, 1,000/- रुपये, एवं 500/- रुपये के नगदी उपहार भी दिए गए।

2.11 एफ.एस.एस.ए.आई (डे केयर) केन्द्र

एफ.डी.ए. भवन एवं आस पड़ोस के अन्य सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए एफ.एस.एस.ए.आई मुख्यालय, एफ डी ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में बच्चों के लिए एफ.एस.एस.ए.आई डे-केयर केन्द्र – “नन्हें कदम” कार्य कर रहा है।

2.12 जिम

एफ.एस.एस.ए.आई मुख्यालय/सीडीएससीओ में कार्यरत कर्मचारी तथा आस-पास के फिटनेस प्रेमियों हेतु एफ.डी.ए. भवन प्रांगण में एक आधुनिक वातानुकूलित व्यायामशाला (जिम) चालू है।

2.13 चिकित्सा सुविधा

2.13.1 एफ.एस.एस.ए.आई मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा हेतु अल्पावधि के लिए एक चिकित्सा विशेषज्ञ सलाहकार (सप्ताह में दो बार, 2 घंटे के लिये) की नियुक्ति की गयी है। कर्मचारी इनसे मुफ्त चिकित्सीय सलाह ले पाते हैं। चिकित्सा सलाहकार द्वारा सुझाए गई कुछ मूल जरूरी दवाएँ भी कर्मचारियों को मुफ्त में दी जाती है।

2.13.2 एफ.डी.ए. भवन में कार्यरत कर्मचारियों के कोविड-19 परीक्षण के लिए रेपिड एन्टिजेन एवं आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट दोनों के संचालन हेतु कई कैंप आयोजित किए गए।

2.14 2020-21 के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई की जरूरतों के लिए अतिरिक्त स्थान प्राप्ति हेतु उठाए गए कदम

2.14.1 चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने सेन्ट्रल डाक्यूमेन्टेशन कॉम्प्लैक्स बिल्डिंग में दूसरे और तीसरे तल में 1306 वर्ग मीटर जगह एफ.एस.एस.ए.आई को 30 वर्षों की लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित की थी तथा इसके लिए चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट को 17,09,04,516/- रुपये की एक मुश्त राशि की भुगतान किया गया था। 17 अगस्त, 2020 को 29.01.2020 से 28.01.2050 की अवधि के लिए 30 वर्ष के लिए लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इस जगह का उपयोग पी.पी.पी ढंग से राष्ट्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए, जिसके लिए चयनित हिस्सेदार से अनुबंध कर लिया है, तथा दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय चैन्नई के कार्यालय के लिए होगा।


- 2.14.2** जे.एन.पी.टी टाउनशीप, नवीं मुम्बई में प्रशिक्षणकर्ताओं के छात्रावास में जे.एन.पी.टी ने 11,873 वर्गफीट की जगह (8,116 वर्ग फीट भूतल में तथा 3,757 वर्ग फीट प्रथम तल में) 30 वर्षों की लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित की थी। जे.एन.पी.टी को 2,52,95,102/- रुपये की एकमुश्त राशि देकर उस जगह पर कब्जा ले लिया गया है। 26 अगस्त 2020 को 29.01.2020 से 28.01.2050 की अवधि (30 वर्षों के लिए) लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस जगह का उपयोग पी.पी.पी ढंग से राष्ट्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए, जिसके लिए चयनित हिस्सेदार से अनुबंध कर लिया है, तथा पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय के आयात कार्यालय के लिए होगा। जे.एन.पी.टी द्वारा पूर्व आवंटित 2.500 वर्ग मीटर की जमीन वापिस कर दी गयी है।
- 2.14.3** एन.एफ.एल गाजियाबाद कॉम्प्लेक्स में लगभग 60,000 वर्ग फीट जगह के सृजन के लिए 46.26 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत से एक बहु-मंजिला इमारत (2 स्तरीय बेसमेंट +भूतल +2 मंजिल) का निर्माण किया जा रहा है। मैसर्स एन.बी.सी.सी इण्डिया लिमिटेड इस परियोजना के प्रबंध सलाहकार है। निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा मार्च, 2022 तक पूरी होने की संभावना है।
- 2.14.4** विभिन्न जगहों पर कार्यालय एवं प्रयोगशाला स्थल की लगातार बढ़ती हुई माँगों को पूरा करने हेतु एफ.एस.एस.ए.आई ने प्रथम तल, बी.एस.एन.एल, एरगड्डा, सी.एस.सी बिल्डिंग, हैदराबाद में 1,333 वर्गफीट क्षेत्र 60/- प्रति वर्ग फीट के हिसाब से 9 वर्षों के लिए लीज पर लिया है। 26 मार्च, 2021 को लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए।
- 2.14.5** उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद ने एल.पी.ए.आई, अटारी, कारगो टर्मिनल, पंजाब में 21.60 वर्ग मीटर क्षेत्र कार्यालय के लिए रु 938/- प्रति वर्ग मीटर प्रति महीने किराए पर लिया है।
- 2.14.6** एफ.एस.एस.ए.आई ने 25.25 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से 2425 वर्ग फीट का क्षेत्र मुंद्रा बंदरगाह, गुजरात में 3 वर्षों के लिए लिया है और एक नया आयात कार्यालय खोला है। 14 दिसंबर, 2023 तक के लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पर 15 दिसंबर, 2020 को हस्ताक्षर हुए।
- 2.14.7** एफ.एस.एस.ए.आई ने 25.25/- रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से 1,421 वर्ग फीट का क्षेत्र कृष्णापट्टनम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में 3 वर्षों के लिए लिया है और एक नया आयात कार्यालय खोला है। 14.01.2021 से 13.01.2024 की 3 वर्षों की अवधि के लिए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पर 12 जनवरी, 2021 को हस्ताक्षर हुए।
- 2.14.8** विशाखापट्टनम, बेंगलुरु एवं अहमदाबाद में अपना कार्यालय खोलने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने किराए पर जगह लेने की पहल की है।
- 2.14.9** नए कर्मचारियों की नियुक्ति के पश्चात् कर्मचारियों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एफडीए भवन से सटे हुए एम.एम.यू बिल्डिंग में लगभग 17,000 वर्ग फीट क्षेत्र आवंटित किया है। अगस्त, 2020 में इस जगह का अधिग्रहण कर लिया गया था। उस जगह का नवीनीकरण किया जा रहा है एवं जल्द ही इसे कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

मानक और विनियम

खाद्य प्राधिकरण में वैज्ञानिक ढांचे का अवलोकन

3.1 एफ.एस.एस.ए.आई के वैज्ञानिक ढाँचे में वैज्ञानिक समिति एवं वैज्ञानिक पैनल एफ.एस.एस.ए.आई की मुख्य वैज्ञानिक शाखाएँ हैं। ये दोनों निकाय आवश्यक वैज्ञानिक राय देते हैं तथा एक सुचारु पद्धति के माध्यम से मानकों के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। इन दो सांविधिक वैज्ञानिक संस्थाओं के अतिरिक्त खाद्य प्राधिकरण ने कुछ गैर-सांविधिक संस्थाओं की स्थापना भी की है जो वैज्ञानिक समिति एवं वैज्ञानिक पैनलों से संबद्ध होती हैं। विज्ञान संबंधित कार्य एवं उनसे जुड़ी शाखाओं का सम्पूर्ण ढाँचा रेखाचित्र के माध्यम से नीचे दर्शाया गया है:-

आकृति 3 – विधिक एवं गैर सांविधिक निकायों के संदर्भ में एफ.एस.एस.ए.आई का वैज्ञानिक कार्य



3.2 वैज्ञानिक समिति

3.2.1 एफएसएस अधिनियम की धारा 14 में वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्षों तथा छह स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञों, जो किसी भी वैज्ञानिक पैनलों से संबद्ध न हों, को शामिल करते हुए एक वैज्ञानिक समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति पर खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक मत प्रदान करने, वैज्ञानिक राय की संगतता सुनिश्चित करने तथा विशेष रूप से वैज्ञानिक पैनलों की कार्य प्रक्रियाओं को अपनाने और

कार्य पद्धतियों में सामंजस्य बैठाने हेतु सामान्य समन्वय का दायित्व होता है। वैज्ञानिक समिति एक से अधिक वैज्ञानिक पैनलों के दायरे में आने वाले बहु-क्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी राय देती है तथा ऐसे मुद्दों पर कार्यकारी समूहों का गठन करती है जो उन वैज्ञानिक पैनलों में से किसी पैनल के दायरे में नहीं आता है। वैज्ञानिक समिति अपने सदस्यों में से किसी एक का अध्यक्ष के रूप में चुनाव करती हैं।

3.2.2 वर्ष 2020–21 के दौरान वैज्ञानिक समिति की तीन बैठकें दिनांक 11 अगस्त, 2020 (35वीं बैठक), 25 नवम्बर, 2020 (36वीं) एवं 18 फरवरी, 2021 (37वीं) को हुई थी।

3.3 वैज्ञानिक पैनल

3.3.1 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 13 में विषय विशिष्ट वैज्ञानिक पैनलों को स्थापित करने का प्रावधान है जिसमें स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं। वैज्ञानिक पैनल जोखिम मूल्यांकन निकाय के रूप में कार्य करते हैं तथा अपनी सुविचारित वैज्ञानिक राय देते हैं।

3.3.2 खाद्य प्राधिकरण नए सदस्यों को जोड़कर अथवा विद्यमान सदस्यों को हटाकर अथवा पैनल के नाम में बदलाव कर, जैसा भी मामला हो, इन वैज्ञानिक पैनलों को पुनर्गठित करने के लिए सक्षम है। वैज्ञानिक पैनल अपने सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं।

3.3.3 वर्ष के दौरान कार्य कर रहे 21 विषय विशिष्ट वैज्ञानिक पैनलों की सूची निम्नलिखित है:-

- कार्यमूलक खाद्य, न्यूट्रास्युटिकल्स, आहार संबंधी उत्पाद और अन्य सदृश्य उत्पाद
- प्रतिचयन और विश्लेषण की पद्धती
- खाद्य सहयोज्य, सुवासकरी पदार्थ, प्रसंस्करण सहाय्य और खाद्य संपर्क सामग्री
- खाद्य शृंखला में संदूषण
- जैविक खतरा
- कीटनाशी अवशिष्ट
- लेबलिंग और दावे/विज्ञापन
- जीन परिवर्तित जीव एवं खाद्य पदार्थ
- मछली एवं मत्स्य उत्पाद
- पोषण एवं सुदृढीकरण
- मिठाई, मिष्ठान, मधुरक, चीनी और शहद
- जल (सुवासित जल सहित) एवं पेय पदार्थ (अल्कोहल रहित)
- तेल एवं वसा
- दुध एवं दुग्ध उत्पाद
- माँस एवं माँस उत्पाद (पोल्ट्री सहित)

- अनाज, दाल, फली व उनके उत्पाद (बेकरी सहित)
- फल एवं सब्जी एवं उनके उत्पाद (सुखे फल एवं मेवे समेत)
- एंटीबायोटिक अवशेष
- मसाले और पाक्य जड़ी बूटी
- पैकेजिंग
- अलकोहलीय पेय पदार्थ

3.3.4 वर्ष के दौरान ये वैज्ञानिक पैनल एक से अधिक अवसरों पर मिले तथा विचाराधीन मामलों पर चर्चा करने के लिए इनकी कुल 62 बैठकें हुईं।

3.4 विशेषज्ञ समिति

3.4.1 जैविक खाद्य विनियम के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जैविक खाद्य पर विशेषज्ञ समिति बनाई गई जिसने वर्ष के दौरान तीन बैठकें (6ठीं से 8 वीं) की।

3.4.2 खाद्य में सुरक्षा एवं प्रभाव संबन्धित डाटा उत्पन्न करने हेतु मानव हस्तक्षेप अध्ययनों के लिए खाद्य कारोबारियों को अनापत्ति/पूर्व नियामक निकासी जारी करने हेतु क्रियाविधि विकसित करने के लिए दिनांक 14 सितंबर, 2020 के द्वारा जारी किए गए आदेश से एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इसने क्रमशः दो बैठकें (पहली एवं दूसरी) 23 नवंबर, 2020 एवं 26 मार्च, 2021 को की।

3.5 कार्यकारी समूह

3.5.1 वैज्ञानिक समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एफ.एस.एस.ए.आई) द्वारा विधिवत अनुमोदन के बाद कार्यकारी समूह गठित करती है। इनका कार्य विशिष्ट मुद्दों या ऐसे मामलों को देखना होता है जो किसी भी वैज्ञानिक पैनल के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। अथवा, एक से अधिक वैज्ञानिक पैनलों के अंतर्गत आने वाले बहुक्षेत्रीय मुद्दों पर राय देने के लिए भी इनका गठन होता है। कार्यकारी समूहों को गठन करते समय वैज्ञानिक समिति संदर्भ की शर्तों (टीओआरएस) को निश्चित करता है और समय-सीमा का भी उल्लेख करता है, जिसके अंतर्गत उसे कार्य पूरा करना है। वैज्ञानिक समिति ऐसे कार्यकारी समूहों के कार्यों का समन्वय भी करता है। वैज्ञानिक पैनलों एवं वैज्ञानिक समितियों के सदस्यों में से ही कार्यकारी समूहों के सदस्य चुने जाते हैं परन्तु इनमें संबंधित बाहरी विशेषज्ञ भी हो सकते हैं जो किसी भी वैज्ञानिक पैनल और वैज्ञानिक समिति का हिस्सा नहीं है। हाँलाकि किसी भी कार्यकारी समूह में ऐसे बाहरी विशेषज्ञ समूह के कुल सदस्य के 50% से अधिक नहीं हो सकते। कार्यकारी समूह के अध्यक्ष की नियुक्ति वैज्ञानिक समिति द्वारा वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों में से ही की जाती है।

3.5.2 वर्तमान में निम्नलिखित कार्यकारी समूह कार्यरत हैं:-

- ❖ एफ.एस.एस.आर के अंतर्गत आने वाले विटामिन व मिनरल तथा अन्य पोषण संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने वाला कार्यकारी समूह। इसने एफ.एस.एस.आर में वर्णित विटामिन व मिनरल के मानकों पर विचार किया है।

- ❖ खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य सुदृढीकरण) विनियम 2018 के अंतर्गत प्राकृतिक और/या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त विटामिन और खनिज की सुरक्षा एवं प्रभावशीलता की समीक्षा हेतु कार्यकारी समूह। इसने वैज्ञानिक समिति द्वारा संस्तुत अमूल के प्रतिवेदन पर विचार किया।
- ❖ न्यूट्रास्युटिकल्स विनियम के अंतर्गत आने वाले संघटकों एवं उत्पादों के विश्लेषण की पद्धती पर कार्य कार्य करने वाला कार्यकारी समूह। इस का गठन खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियम, 2016 के अंतर्गत संघटकों/उत्पादों के विश्लेषण पद्धतियों के संदर्भ में उठने वाली चिंताओं पर विचार करने के लिए हुआ।
- ❖ प्रसंस्करण सहाय्य पर कार्यकारी समूह। इसका कार्य उद्योग द्वारा उपयोग किए जा रहे अथवा किए जाने की संभावना वाले प्रसंस्करण सहाय्य की पहचान करना और संस्तुति करना, अवशेष स्तर के बारे में सिफारिश करना, प्रसंस्करण सहाय्य के रूप में उपयोग होने वाले जीन परिवर्तित स्तोत्रों से प्राप्त किण्वक के बारे में संस्तुति करना है।
- ❖ खाद्य रंगों के जोखिम मूल्यांकन के लिए कार्यकारी समूह। इस का कार्य खाद्य रंगों का जोखिम विश्लेषण और शब्दावली, वर्तमान अनुमत सीमाएं, तथा खाद्य रंगों के मौजूदा मानकों की समीक्षा करना है।
- ❖ सज्जी खर के विनिर्माण की ऑनसाइट परीक्षा, संघटकों का जोखिम विश्लेषण, तथा प्रस्तावित मानक की सिफारिशों के साथ मोनोग्राफ को तैयार करने के लिए कार्यकारी समूह।
- ❖ कोशिका आधारित मांस (कलचर्ड मांस) के लिए संभावित विनियमिक मार्ग विकसित करने की दिशा में समझ के लिए कार्यकारी समूह।
- ❖ सभी खाद्य श्रेणी एवं उप श्रेणी में वसा, चीनी, नमक की सीमा की समीक्षा के लिए फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग कार्यकारी समूह।
- ❖ मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों में फोरमेलडीहाइड संबंधित समस्याओं के अध्ययन और समीक्षा हेतु कार्यकारी समूह।
- ❖ सुवासकरी पदार्थों के सुरक्षी संबंधी मामलों का अध्ययन व समीक्षा और सुवासकारी पदार्थों की एक पॉज़िटिव सूची की संस्तुति के लिए कार्यकारी समूह।
- ❖ खाद्य सम्पर्क एवं पैकेजिंग उत्पादों में 'प्लूरोलकाईल' एवं पोलीप्लूरोलकाइल उत्पादों (पीएफएएस) पर कार्यकारी समूह (इलेक्ट्रॉनिक डब्लू जी)। यह पीएफएएस पर उपलब्ध सभी वैज्ञानिक सूचनाएँ/डाटा संग्रह करेगा, तथा उन संग्रहित सूचनाओं पर एक पॉजीशन तैयार करेगा तथा पीएफएएस युक्त खाद्य सम्पर्क उत्पादों के प्रयोग के संबंध में सिफारिश करेगा।
- ❖ प्रसंस्करण सहाय्यो एवं खाद्य योजकों के मानकों के विकास के लिए कार्यकारी समूह।
- ❖ नेटस्कोफेन-एसपीजी के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावों पर प्राप्त की गई टिप्पणियों पर चर्चा करने हेतु कार्यकारी समूह

3.5.3 वर्ष 2020-21 के दौरान इनमें से कुछ कार्यकारी समूह ने अपने विषयों पर विचार करने के लिए एक से अधिक अवसरों पर बैठकें की जबकि इनमें से कुछ समूहों द्वारा अपना कार्य शुरू करना बाकी हैं।

3.6 गैर-विनिर्दिष्ट खाद्य / खाद्य सामग्रियों का अनुमोदन

3.6.1 खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर-विनिर्दिष्ट खाद्य और खाद्य संघटक के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017 खाद्य प्राधिकरण को किसी भी प्रकार के गैर-विनिर्दिष्ट खाद्य (मालिकाना खाद्य को छोड़ कर) व खाद्य संघटकों को अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम बनाता है। इसमें नूतन खाद्य, नए खाद्य योजक एवं नए प्रसंस्करण सहाय्य तथा सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, खमीर, कवक और शैवाल सहित या इनसे प्राप्त खाद्य सामग्रियों सम्मिलित हैं। इन विनियमों में आवेदनों (विचाराधीन उत्पाद के बारे में पूर्ण रूप से सभी वैज्ञानिक इनपुट जो आवेदक द्वारा दिया जाएगा) के मूल्यांकन हेतु एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना का प्रावधान है।

3.6.2 शुरू में एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई थी। तथापि, गैर-विनिर्दिष्ट खाद्य के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिनांक 14 दिसंबर, 2020 के आदेश से 3 विशेषज्ञ समितियों की स्थापना की गई। आवेदनों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समितियों ने लगातार बैठकें कीं। वर्ष 2020-21 के दौरान गैर-विनिर्दिष्ट खाद्य के 87 आवेदन प्राप्त हुए और 12 उत्पादों को अनुमोदन प्रदान किया।

3.7 दावों का अनुमोदन

3.7.1 खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावों) विनियम, 2018 को इसलिए अधिसूचित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावों और विज्ञापनों में अतिशयोक्ति नहीं है तथा उपभोक्ता हित को सुरक्षित रखने हेतु ऐसे दावों और विज्ञापनों के लिए खाद्य कारोबारों को जिम्मेदार बनाया जा सके। विनियम की विभिन्न अनुसूचियों के अंतर्गत ऐसे विशिष्ट दावों को सचीबद्ध किया गया है, जिनको खाद्य कारोबारी बिना खाद्य प्राधिकरण की पूर्वानुमति के कर सकते हैं। तथापी, गैर-मानक दावों के अनुमोदन के लिए विशेषज्ञ समिति ऐसे आवेदनों (तथा दिये गये वैज्ञानिक सबूतों की) की जाँच करता है जो स्वास्थ्य और/या पोषण लाभ से संबंधित गैर-मानक दावे की पूर्वानुमति की माँग करते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान स्वास्थ्य और/या पोषण लाभ से संबंधित गैर-मानक दावों की पूर्वानुमती हेतु 13 आवेदन प्राप्त हुए थे। उन आवेदनों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति ने दो बार बैठकें की।

3.8 वर्ष 2020-21 के दौरान प्रकाशित किए गए विनियम/संशोधन अधिसूचना/प्रारूप संशोधन अधिसूचनाएँ


3.8.1 वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित 3 अंतिम प्रमुख विनियम अधिसूचित किए गए :

- खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020
- खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020
- खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020

3.8.2 कुल मिलाकर उस अवधि के दौरान 30 अंतिम अधिसूचनाएँ और 19 प्रारूप अधिसूचनाएँ जारी की गईं। वर्ष के दौरान अधिसूचित अंतिम अधिसूचनाओं की सूची सारणी 6 में दी गई है। वर्ष के दौरान अधिसूचित प्रारूप अधिसूचनाओं की सूची सारणी 7 में दी गई है। अभी तक एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अधिसूचित प्रमुख विनियमों की पूरी सूची सारणी 8 में है।

3.9 खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण के वैज्ञानिक सहयोग के लिए नेटवर्क (नेटस्कोफेन)

3.9.1 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(3)(ई) खाद्य प्राधिकरण को प्राधिकरण के दायित्व के क्षेत्रों में वैज्ञानिक सहभागिता को तैयार करने और उसे प्रोत्साहित करने, सूचनाओं के आदान-प्रदान, संयुक्त परियोजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन, दक्षता एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान का अनुदेश देता है। इस आदेश के पालन हेतु एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य एवं पोषण की दिशा में कार्य कर रहे अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। यह नेटवर्क "खाद्य सुरक्षा एवं अनुप्रयुक्त पोषण के वैज्ञानिक सहयोग के लिए नेटवर्क (नेटस्कोफेन)" कहलाता है। इस नेटवर्क में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कार्य कर रहे आठ संस्थानों का समूह सम्मिलित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है:-



3.9.2 नेटस्कोफेन के मुख्य उद्देश्यों को नीचे संक्षेपित किया गया है -

- उपलब्ध ज्ञान को संग्रहीत करने के लिए एक वैज्ञानिक नेटवर्क तैयार करना एवं मानक विकास में उसका प्रयोग।
- हितधारकों को अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान से अवगत कराना।
- अनुसंधान अभिसरण के लिए एक पटल उपलब्ध करना ताकि दोहरापन से बचा जा सके।
- देश में जोखिम मूल्यांकन क्षमता का सृजन करना, विशेषकर जोखिमों/प्रकोप को रोकने के लिए।

3.9.3 नेटस्कोफेन समूहों के मुख्य कार्यक्षेत्र:-

- संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान की संभावना की पहचान, अनुदान हेतु अनुसंधान प्रस्तावों को तैयार/मूल्यांकन करना तथा खाद्य प्राधिकरण द्वारा अनुदानित परियोजनाओं का पुनरावलोकन करना।
- अनुसंधान कार्य करना एवं उसे सुगम बनाना, सहयोग से सर्वेक्षण तथा अन्य संबंधित कार्याकलाप करना तथा परीक्षण सुविधाओं, इन्स्ट्रुमैन्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों, अनुसंधान की कार्यप्रणाली, नमूना एकत्र करने की विधियाँ एवं परिक्षण प्रोटोकॉल को साझा करना।
- जोखिम मूल्यांकन कार्यकलापों के लिए खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर एक डाटा बेस एकत्रित करना एवं विकसित करना ताकि मानक विकास में आसानी हो सके।
- वृहत स्कैनिंग करके संबंधित क्षेत्रों में मौजूदा एवं उभरते हुए खाद्य सुरक्षा जोखिमों एवं मुद्दों के बारे में जानकारी/डाटा एकत्रित करना और विश्लेषण करना।

3.10 अनुसंधान परियोजनाएँ

- 3.10.1** एफ.एस.एस.ए.आई के अधिदेश के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान की मौजूदा योजना तथा खाद्य सुरक्षा के उभरते अन्य मुद्दों/खाद्य गुणवत्ता व सुरक्षा हेतु सर्वेक्षण को प्राधिकरण की 30वीं बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार अब नेटस्कोफेन ('खाद्य सुरक्षा एवं अनुप्रयुक्त पोषण के वैज्ञानिक सहयोग के लिए नेटवर्क) के साथ जोड़ दिया गया है। उक्त योजना की मूल्यांकन एवं जाँच की समिति भी नए प्रस्तावों एवं चालू अनुसंधान परियोजनाओं की समीक्षा के लिए प्रथम स्तर की नेटस्कोफेन समूह संचालन समिति द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई है जबकि राष्ट्रीय संचालन समिति (एन एस सी) ही नए प्रस्ताव व सर्वेक्षण को अनुमति देगा। एफएसकेएएन पोर्टल, जो नए प्रस्तावों तथा तत्काल में चल रहे परियोजनाओं की समीक्षा एवं निगरानी को जमा करने वाला ऑनलाइन तंत्र है, को भी नेटस्कोफेन वेबपेज के साथ जोड़ दिया गया है।
- 3.10.2** अभी तक एफ.एस.एस.ए.आई ने ईक्कीस संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को अनुदान दिया है, जिनमें से छः पूरे हो चुके हैं, राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) द्वारा दस संपूर्ण परियोजनाओं का पुनरावलोकन किया गया तथा अंतिम समापन के लिए उनकी सिफारिश की गई एवं विभिन्न स्तरों पर पाँच परियोजना जारी हैं।
- 3.10.3** चालू पाँच अनुसंधान परियोजनाओं की सूची सारणी 9 में दी गई है। पूरी की गई दस अनुसंधान परियोजनाएँ, जिन्हें राष्ट्रीय संचालन समिति ने दुबारा देख कर अंतिम समाप्ति की सिफारिश की है, की सूची सारणी 10 में है। छः पूर्ण/समाप्त अनुसंधान परियोजनाओं की सूची सारणी 11 में है।
- 3.10.4** नेटस्कोफेन के अंतर्गत आने वाले समूहों के क्रियाकलापों की समीक्षा व चालू अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति तथा नए परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति की दूसरी बैठक 19 एवं 20 जनवरी, 2021 को हुई थी।

3.11 स्पैन-कॉम का उद्घाटन

स्पैन-कॉम अपना नाम वैज्ञानिक पैनल (स्पैन) एवं समिति (कॉम) से ग्रहण करता है जो उन विशेषज्ञों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा जो वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनल एवं अन्य समिति से जुड़ते हैं क्योंकि वह एफ.एस.एस.ए.आई की कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया को नहीं जानते। यह दस्तावेज नए विशेषज्ञ सदस्यों को एफ.एस.एस.ए.आई कार्यकलापों की एक झँकी प्रदान करेगा ताकि वे अपनी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट हो जाएँ।



आकृति 4 – स्पैन-कॉम का उद्घाटन

3.12 एफ.एस.एस.ए.आई. और सी.एस.आई.आर. के बीच 07 अगस्त, 2020 को समझौता ज्ञापन

खाद्य एवं पोषण के संबंध में सहकार्य अनुसंधान तथा सूचना प्रसार हेतु एफ.एस.एस.ए.आई ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर 7 अगस्त, 2020 को हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अनुसंधान के क्षेत्र में विकसित जाने वाली प्रक्रियाओं तथा प्रौद्योगिकी की पहचान को सम्भव बनाएगा। इसके साथ ही भारतीय व्यवसायों द्वारा उपयोग और/या विनियामक अनुपालकों हेतु सीएसआईआर के पास उपलब्ध उन्नत प्रौद्योगिकी की पहचान भी करेगा। यह खाद्य उपभोग, जैविक खतरों की घटनाएँ, खाद्य में संदूषकों, उभरते हुए खतरों की पहचान, उन्हें खत्म करने की रणनीति तथा तीव्र चेतावनी प्रणाली को लाने के संबंध में डाटा भी संग्रह करेगा। ये दोनों संगठन पूरे देश में प्रयोगशाला नेटवर्क के गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने की दिशा में परस्पर कार्य करेंगे। इस कार्य का लक्ष्य खाद्य उत्पादों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता पर विश्वसनीय रिपोर्टिंग के लिए विधियों का विकास एवं मान्यता देना।



आकृति 5 – माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं माननीय राज्य मंत्री की उपस्थिति में एफ.एस.एस.ए.आई एवं सी एस आई आर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

3.13 मागदर्शी नोट

3.13.1 2020–21 के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर निम्नलिखित मार्गदर्शी नोट तैयार व अपलोड किए गए:

- विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य पर मार्गदर्शी नोट (एफएसएमपी)
- मांस एवं पोल्ट्री की सुरक्षा एवं गुणवत्ता पर मार्गदर्शी नोट
- बर्ड फ्लू प्रकोप के दौरान पोल्ट्री मांस एवं अंडों के सुरक्षित रख-रखाव, प्रोसेसिंग एवं उपभोग पर मार्गदर्शी नोट

3.13.2 अभी तक जारी किए गए सभी मार्गदर्शी नोट इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं—

<https://www.fssai.gov.in/cms/guidance-notes.php>

3.14 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वर्ष 2020–21 के दौरान नीचे दिए गए विनियमों पर अक्सर पूछे गए प्रश्न तैयार किए गए और एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर डाले गए—

- खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटीकल्स, विशेष आहारीय प्रयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन) विनियम, 2016
- जैविक खाद्य

- खाद्य उत्पादों पर विज्ञापन और दावे
- खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर-विनिर्दिष्ट खाद्य एवं खाद्य सामग्रियों का अनुमोदन) विनियम, 2017

3.15 खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अनुसार इनफोलनेट (InFOLNet) संस्करण 2 को कार्य में लाने हेतु खाद्य उत्पादों को उनके परीक्षण मापदंडों के अनुसार (मैपिंग) मानचित्रीकरण।

3.15.1 एफ.एस.एस.ए.आई ने इनफोलनेट (भारतीय खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्क) का संचालन किया है। मूलतः इनफोलनेट निगरानी रखने वाला एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क है, जिसका लक्ष्य प्रयोगशालाओं में आवंटित सैपल के सभी विवरण पर नज़र रखना तथा विभिन्न स्तरों पर नमूना परीक्षण की प्रक्रिया को एकीकृत करना व सैम्पलिंग और खाद्य सामग्रियों की परीक्षण पद्धतियों का सरलीकरण करना है।

3.15.2 इनफोलनेट संस्करण 2 के माध्यम से खाद्य सामग्रियों के परीक्षण के उद्देश्य से एफ.एस.एस.ए.आई अपने अधिदेश के तहत उनके विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार मैपिंग की। खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किए गए इस कार्य में गुणवत्ता एवं सुरक्षा मापदंडों का पूरा ख्याल रखा गया। यह डाटा सिस्टम में अपलोड कर दिया गया है तथा इनफोलनेट संस्करण 2 परिचालित कर दिया गया है।

सारणी 6 – 2020-21 के दौरान अधिसूचित अंतिम विनियमों की सूची

क्रम. सं.	अंतिम विनियमन	अधिसूचना की तिथि
1.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) प्रथम संशोधन विनियम, 2020 जो मांस, दुग्ध, फलों एवं सब्जियों के जीवाणुतत्व मानकों के संबंध में तथा पोल्ट्री (मुर्गी) मांस में सालमोनिला की आवश्यकता के बारे में है।	23.06.2020
2.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2020 जो डिब्बाबंद एवं रिटोर्ट पाउच मांस उत्पादों, विखंडित या पुर्नगठित मांस उत्पादों, क्योर किया हुआ या आचारीय, पका हुआ एवं स्मोक्ड मांस उत्पादों या दोनों, सूखे एवं जलरहित मांस उत्पादों, पूर्ण रूप से पके हुए या अधपके मांस उत्पादों, ताजे या ठंडे या शीतित खरगोश के मांस, मसालेदार मांस उत्पादों, खमीरयुक्त मांस उत्पादों से संबंधित है।	09.07.2020
3.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो गेहूँ चोकर व खमीर रहित सोयाबीन उत्पादों के संबंध में है।	09.07.2020
4.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) तृतीय संशोधन विनियम, 2020 जो चावल, चीआ बीज, गारी (कसावा उत्पाद), खाने योग्य कसावा आटा, भूना हुआ चना-सत्तु, रागी का आटा, बादाम की गिरि, नारियल दुध पाउडर (गैर-डेयरी), मिश्रित मसाला पाउडर, मसाला ओलियोरेसिन, तेजपत्ते, चक्र फूल और फोटास्टेनोल के मानकों से संबंधित है।	09.07.2020

क्रम. सं.	अंतिम विनियमन	अधिसूचना की तिथि
5.	खाद्य सुरक्षा एवं मानकों (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) प्रथम संशोधन विनियम, 2020 जो वेंडिंग मशीन द्वारा कृत्रिम मिठास वाले पेय पदार्थों की बिक्री के संबंध में है।	21.07.2020
6.	खाद्य सुरक्षा एवं मानकों (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) प्रथम संशोधन विनियम, 2020 जो तीव्र विश्लेषणात्मक खाद्य परीक्षण किट, उपकरण या पद्धति के संबंध में है।	21.07.2020
7.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) पाँचवाँ संशोधन विनियम, 2020 जो जमें हुए बीनस, जमी हुई फूलगोभी, जमें हुए मटर एवं जमें हुए पालक के मानकों के निर्धारण के संबंध में है।	23.07.2020
8.	खाद्य सुरक्षा एवं मानकों (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) प्रथम संशोधन विनियम, 2020 जो धातु संदूषकों, अपलाटॉक्सीन एवं माइकोटॉक्सीन की सीमा के संबंध में है।	07.08.2020
9.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) प्रथम संशोधन विनियम, 2020 जो खाद्य सेवा स्थापन में सूचना के प्रदर्श के संबंध में है।	21.08.2020
10.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) छठा संशोधन विनियम, 2020 जो कम लेक्टोज/लेक्टोज रहित दूध एवं डेयरी परमीएट पाउडर के नए मानक एवं मोजरेला चीज़ की परिभाषा के संबंध में है।	02.09.2020
11.	खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020।	04.09.2020
12.	परिशिष्ट ए एवं विनियम 3.1 में संशोधन हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) सातवाँ संशोधन विनियम, 2020।	16.09.2020
13.	खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन एवं दावे) प्रथम संशोधन विनियम 2020 जो खाने योग्य खाद्य वनस्पति तेलों के दावों के संबंध में है।	09.10.2020
14.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) आठवाँ संशोधन विनियम 2020 जो अतिरिक्त सहयोज्य (सोरबीटेन मोनोसिटियरेट) के प्रावधान और मसालों के लिए जीवाणुत्व के बारे में है।	09.10.2020
15.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) नौवाँ संशोधन विनियम, 2020 जो प्रसंस्करण सहाय्य के संबंध में परिशिष्ट 'सी' की प्रविष्टि के संबंध में है।	09.10.2020
16.	खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो विनियम व अधिसूचना में उल्लेखित दो प्रयोगशाला समूहों में गैर-अनुरूपता को समाप्त करने एवं खाद्य नमूनों के लिए जाँच शुल्क से संबंधित धारा के संबंध में है।	15.10.2020

क्रम. सं.	अंतिम विनियमन	अधिसूचना की तिथि
17.	खाद्य सुरक्षा और मानकों (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 2020 जो कुछ खाद्य उत्पादों के लिए आवश्यक एगमार्क प्रमाणपत्र हटाने के संबंध में है।	20.10.2020
18.	खाद्य सुरक्षा एवं मानका (आयात) पहला संशोधन विनियम, 2020	20.10.2020
19.	खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) तीसरा संशोधन विनियम, 2020 जो अप्रयुक्त/ताजे खाद्य तेल/वसा में कुल ध्रुवीय यौगिकों की सीमा के संबंध में है।	26.10.2020
20.	खाद्य सुरक्षा और मानकों (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020	17.11.2020
21.	खाद्य सुरक्षा ओर मानकों (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020	04.12.2020
22.	खाद्य सुरक्षा ओर मानकों (खाद्य सुदृढीकरण) पहला संशोधन विनियम, 2020	18.12.2020
23.	खाद्य सुरक्षा ओर मानकों (अल्कोहलीय पेय) पहला संशोधन विनियम, 2020	18.12.2020
24.	खाद्य सुरक्षा ओर मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) दसवां संशोधन विनियम, 2020 जो निम्न के बारे में है: i. बेलियर टेस्ट हटाना ii. ट्रांस फेट में कमी iii. तना युक्त चेरियाँ iv. संसाधित फलों का रस v. संसाधित सब्जियों का रस vi. काजू की गिरि vii. कलरिंग फूड्स viii. 2.5.1 मे दी गई परिभाषा ix. जानवरों के आवरण x. जमे हुए अंडे के उत्पाद xi. अंडे का पाउडर xii. तरल अंडा उत्पाद xiii. आचारीय अंडे xiv. पेस्चराइज्ड मत्स्य सॉसेज xv. पेस्चराइज्ड केकड़े का मांस xvi. मछली संसाधित अपशिष्ट से निकली हुई जिलेटिन xvii. बेकिंग पाउडर xviii. सिंघाड़े का आटा xix. फलों एवं सब्जियों में टी.एस.एस की मात्रा	29.12.2020
25.	खाद्य सुरक्षा और मानकों (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) प्रथम संशोधन विनियम, 2021 जो चने/दालों में खेसारी दाल की आकस्मिक मौजूदगी से संबंधित है।	12.01.2021

क्रम. सं.	अंतिम विनियमन	अधिसूचना की तिथि
26.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) प्रथम संशोधन विनियम, 2021 जो वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल या कार्यकारी समूह की बैठक में कोरम में बदलाव तथा संबंधित वैज्ञानिक पैनल या वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष के परामर्श से एजेंडा तैयार करने से संबंधित है।	13.01.2021
27.	खाद्य सुरक्षा और मानकों (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैट की सीमाओं से संबंधित है।	02.02.2021
28.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) पहले संशोधन विनियम, 2021 जो विनियम 2.3— फल एवं सब्जी उत्पादों के प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है – (क) 2.3.6 के अंतर्गत “संसाधित फलों के रस” में मोंक फल के मानक की प्रविष्टि (ii) विनियम 2.4—अनाज एवं अनाज उत्पादों में संशोधन: (1) बिस्कुट (2) ब्रेड एवं ब्रेड समान उत्पाद (3) ज्वार (सोरगम अनाज) (4) मैदा (परिष्कृत गेहूँ का आटा) (5) सेमोलिना (सूजी या रवा) (6) नाश्ता अनाज (7) बाजरे का आटा (8) ज्वार का आटा (iii) विनियम 2.8 –शहद समेत सभी मीठे घटकों का संशोधन (क) शर्करा (सुकरालोज) (iv) विनियम 2.9—नमक, मसाले, मसाले और संबंधित उत्पादों में संशोधन (क) जीरा (साबूत एवं पाउडर) (ख) लौह सुदृढ़ सामान्य नमक (ग) सूखे हुए थाइम (अ) विनियम 2.14 एवं 2.15—ग्लूटेन रहित खाद्य एवं विशेषकर ऐसे संसाधित खाद्य जो ग्लूटेन का स्तर घटाकर 20–100 एम/केजी करें से संबंधित संशोधन (क) ग्लूटेन रहित एवं निम्न ग्लूटेन उत्पाद मानक का पुनरावलोकन (vi) अध्याय 3 में संशोधन : खाद्य में मिलाए गए घटकों	04.03.2021
29.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) तीसरा संशोधन विनियम, 2021 –सरसों तेल में सम्मिश्रण पर प्रतिबंध हेतु।	08.03.2021
30.	एफ.एस.एस (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) द्वितीय संशोधन विनियम, 2021 जो शिया बटर एवं बीर्नियो टेलो के मानकों के संबंध में है।	18.03.2021

सारणी 7 – 2020–21 वर्ष के दौरान अधिसूचित मसौदा विनियमों की सूची

क्रम सं.	मसौदा विनियम	को अधिसूचित
1.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2020 जो डेयरी एनालॉग के नए मानकों तथा घी व अन्य दुग्ध वसा उत्पादों के मानकों में परिवर्तन से संबंधित है।	21.07.2020
2.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2020 जो चने/दालों में खेसारी दाल की आकस्मिक मौजूदगी से संबंधित है।	23.07.2020
3.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2020 जो शिया बटर एवं बोर्नियो टेलो/इलिपि बटर के मानकों से संबंधित है।	27.07.2020

क्रम सं.	मसौदा विनियम	को अधिसूचित
4.	खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2020 जो कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा व जीवाणुनाशक एवं आविषों की सहन सीमा से संबंधित है।	20.08.2020
5.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2020 जो वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल या कार्यकारी समूह की बैठक में कोरम में बदलाव तथा संबंधित वैज्ञानिक पैनल या वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष के परामर्श से एजेंडा तैयार करने से संबंधित है।	27.08.2020
6.	खाद्य सुरक्षा एवं मानकों (विक्रय पर प्रतिशोध एवं निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2020 जो गैर-खाद्य बर्फ में 10 पीपीएम तक के इण्डिगों क्रेमाइन या ब्रिलियंट ब्लू मिलाने के प्रस्ताव से संबंधित	27.08.2020
7.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2020 जो सोय सॉस, अखरोट की गिरि, अंगूर बीज का तेल, आयातीत निष्काषित तेल को परिष्कार होने से बचाना, काली मिर्च, सूख सेज, खमीरयुक्त खोय उत्पाद, ओट उत्पादों इत्यादि से संबंधित है।	27.08.2020
8.	खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) संशोधन विनियम, 2020	27.08.2020
9.	खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2020 जो ऐसे खाद्य जिनमें मधुरक अनुमत हो के पैकेज पर लेबल घोषणाओं के पुनरीक्षण संबंधित में है।	16.09.2020
10.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2020 जो कच्चे खाद्य तेल, विभिन्न स्रोत खाद्य वनस्पति तेल, सूखी सब्जियाँ, प्रोटीन से भरपूर आटा, मल्टीग्रेन आटा, मिश्रित बाजरे का आटा के मानकों व शहद के संशोधित मानकों, पशुचारे की जरूरतें, सुखी मीठी तुलसी, हेम्प बीज, ठंडी चाय में खाद्य सहयोज्यों का उपयोग, खाद्य अनाज के लिए सूक्ष्मजैविक मानकों इत्यादि से संबंधित है।	26.10.2020
11.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) संशोधन विनियम 2020,	29.10.2020
12.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य दृढीकरण) संशोधन विनियम, 2020 जो सुदृढीकृत दुग्ध पाउडर के मानकों से संबंधित है।	10.11.2020
13.	खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) संशोधन विनियम, 2020 जो विदेशी खाद्य विनिर्माण सुविधाओं के निरीक्षण एवं पंजीकरण की प्रविष्टि से संबंधित है।	10.11.2020

क्रम सं.	मसौदा विनियम	को अधिसूचित
14.	खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2020 जो विभिन्न स्रोत खाद्य वनस्पति तेल की लेबलिंग के संबंध में है।	10.11.2020
15.	खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2020 जो सरसों तेल में सम्मिश्रण पर प्रतिबंध के संबंधित में है।	10.11.2020
16.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2020।	17.11.2020
17.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य दृढीकरण) संशोधन विनियम, 2020 जो भारत में खाद्य तेल एवं दुध के दृढीकरण को आवश्यक बनाने हेतु है।	04.12.2020
18.	खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2021 जो पानी के लिए अपारदर्शी पैकेजिंग सामग्री के उपयोग के संबंध में है।	18.01.2020
19.	खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) संशोधन विनियम, 2021 जो शत प्रतिशत निर्यातों के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन या बंद उपयोग के लिए आयातीत खाद्य के सैपलिंग के संबंध में है।	04.03.2020

सारणी 8 एफ.एस.एस.आई द्वारा अधिसूचित प्रमुख विनियमों की सूची जो वर्तमान में लागू है

क्रम सं.	वर्तमान में लागू प्रमुख विनियम
I	खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम
1.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन एवं पंजीकरण) विनियम, 2011.
2.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011.
3.	खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011.
4.	खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011.
5.	खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011.
6.	खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011.
7.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियमावली, 2016.
8.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया) विनियम, 2017.
9.	खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017.

क्रम सं	वर्तमान में लागू प्रमुख विनियम
10.	खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर-विनिर्दिष्ट खाद्य और खाद्य संघटकों के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017.
11.	खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) विनियम, 2017.
12.	खाद्य सुरक्षा और मानक (अलकोहलीय पेय) विनियम, 2018.
13.	खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) विनियम, 2018.
14.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018.
15.	खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018.
16.	खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018.
17.	खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018.
18.	खाद्य सुरक्षा और मानक (अधिशेष खाद्य पुनः प्राप्ति और वितरण) विनियम, 2019.
19.	खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020.
20.	खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020.
21.	खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020.
II	कार्यों का निर्वाह विनियम
1.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (बैठकों में कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2010.
2.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार के लिए संव्यवहार के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2010
3.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) विनियम, 2016
III	प्रशासनिक विनियम
1.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2013.
2.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (भर्ती और नियुक्ति) विनियम, 2018.
IV	नियम
1.	खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011
2.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2008.

सारणी 9 – वर्तमान में चल रहे अनुसंधान परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना शीर्षक	संगठन का नाम	स्वीकृत बजट रुपय (लाख में) एवं अवधि
1.	खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन के लिए मत्स्य खाद्य प्रमाणीकरण के लिए आविक उपकरण एवं मानक प्रोटोकॉल का विकास।	आईसीएआर-केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि	29.12 02 वर्ष
2.	अंगूरों के साधारण संसाधित उत्पादों का पोषण संबंधी गुण एवं सुरक्षा मूल्यांकन।	आईसीएआर-राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुणे	30.74 02 वर्ष
3.	संसाधित मांस में कार्सिनोजेनिक एवं म्युटाजेनिक यौगिकों का आंकलन।	राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	50.00 02 वर्ष
4.	भारतीय तट के समानान्तर फीनफीस एवं सेलफीस प्रजातियों में भारी धातु की निगरानी करना तथा उसे दूर करने के संभावित उपाय।	आईसीएआर-केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि	50.00 02 वर्ष
5.	चॉकलेट एवं कोको उत्पाद में भारी धातुओं के उपस्थित डाटा के लिए अल्पावधी अध्ययन।	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उधमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफटम, सोनीपत	36.97 40 दिन

सारणी 10 – पूरी हो चुकी अनुसंधान परियोजनाएँ जिन्हें राष्ट्रीय संचालन समिति ने पुनरावलोकन कर अंतिम समाप्ति की सिफारिश के लिए प्रस्तुत किया है

क्रम सं.	परियोजना शीर्षक	संगठन का नाम	स्वीकृत बजट रुपय (लाख में)
1.	भारत के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में ऊष्मा प्रेरित खाद्य विषैले पदार्थ- एकरायलमाइड का पाया जाना, इसे कम करने की कार्यनीति और स्वास्थ्य जोखिम।	आईसीएआर-राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (नीस्ट)	27.68
2.	सोयाबीन में कुनिट्ज किप्सिन इनहिबिटर एवं फाईटिक एसिड: व्यावसायिक किस्मों का आकलन और प्रोफाइलिंग, भारत में जर्मप्लाज्म एवं सोय आधारित उत्पादों की संभावना पूर्ण किस्में।	आईसीएआर-भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर	37.80

क्रम सं.	परियोजना शीर्षक	संगठन का नाम	स्वीकृत बजट रुपय (लाख में)
3.	खाद्य उद्योग में खट्टे फलों के संभावित अनुप्रयोग के लिए उनके कार्यात्मक घटक एवं ऑक्सीकरण रोधी (एंटीऑक्सीडेंट) का विश्लेषण।	आईसीएआर-केन्द्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, नागपुर	35.84
4.	तलते समय वनस्पति तेलों की गुणवत्ता का आकलन और बार बार तलने के लिए तेलों के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देश तैयार करना।	आईसीएआर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	22.92
5.	रासायनिक संरचना में परिवर्तन और कृत्रिम पकाने वाले रसायनों के अवशेषों की पहचान के लिए विभिन्न कृत्रिम फल पकाने वाले रसायनों के साथ कृत्रिम रूप से पके फलों का तुलनात्मक अध्ययन।	आईसीएआर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	26.16
6.	मांस में खराब गुणवत्ता वाले मांस के अपमिश्रण की जाँच के लिए प्रजातियों की पहचान।	आईसीएआर-राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	40.50
7.	विभिन्न क्षेत्रों में खाने योग्य वनस्पति तेल में कीटनाशक अवशेष व धातु संदूषकों पर डाटा तैयार करना।	आईसीएआर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	29.12
8.	ट्राइग्लिसराइड व फैटी एसिड संरचना और लघु घटक आधारित मिश्रित, इंटेरेस्टेफाइड तथा अपमिश्रित तेलों में तेलों की पहचान एवं परिमाण हेतु नवीन पद्धतियों का विकास	लिपिड विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र, आईसीएसआर भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिक संस्थान, हैदराबाद	26.16
9.	बाजार में उपलब्ध विभिन्न हर्बल उत्पादों के लिए संदूषण और प्रतिस्थापनिकत उत्पाद की पहचान के लिए डीएनए बार कोडिंग अनुप्रयोग	सीएसआईआर-उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, असम	50.00
10.	गाय के दूध के अलावा गोजातीय दूध में दूध वसा की शुद्धता के निर्धारण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (ISO) 17678:2010 में दिए गए जी. सी। (GC) जाँच विधि की मान्यता एवं मानकीकरण करना।	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	31.64

सारणी 11 – पूरे किए गए/बंद अनुसंधान परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना शीर्षक	संगठन का नाम	बजट में स्वीकृत होने वाले रूपय (लाख में) एवं अवधि
1.	मानव स्वास्थ्य पर खेसारी दाल के संपूर्ण प्रभाव का आकलन	राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद	03.50
2.	बकरियों में प्रायोगिक लेथरीज्म	राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद	45.21
3.	भारत में संसाधित एवं असंसाधित खाद्य के उपभोग का आकलन	राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद	01.73
4.	मत्स्य और मात्स्यिकी परियोजनाओं में कीटनाशक और एण्टीबायोटिक अवशिष्ट एमआरएल के निर्धारण के लिए ढाँचा तैयार करना	आईसीएआर— केन्द्रीय मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी संस्थान, कोच्चि	0.1.30
5.	ताजे/पैक किए हुए/बोतल बंद कोमल नारियल पानी में रसायनिक संदूषणों का आकलन	फूड एंड ड्रूग टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेन्टर, राष्ट्रीय पोषण संस्थान (आई.सी.एम.आर.), हैदराबाद	14.09
6.	सब्जियों में धातुओं के संदूषकों (लोह, सीसा, तांबा, कैडमियम, क्रोमियम, मैगनीज, निकल और जस्ता) पाये जाने पर आधारभूत डाटा तैयार करने के लिए अध्ययन।	सहयोगी परियोजना :- (i) निर्यात निरीक्षण एजेन्सी, नई दिल्ली (ii) पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर, मोहाली (iii) निर्यात निरीक्षण एजेन्सी (ईआईए)— कोलकाता प्रयोगशाला (iv) ईआईए—मुम्बई प्रयोगशाला (v) ईआईए—चैन्नई प्रयोगशाला (vi) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, राईचुर	99.00

खाद्य सुरक्षा अनुपालन


4.1 लाइसेंसिंग/पंजीकरण



- 4.1.1** देश में सभी खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अंतर्गत किसी भी खाद्य पदार्थ के कारोबार को आरंभ करने या जारी रखने के लिए पंजीकृत कराना होता है अथवा लाइसेंस लेना होता है। खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस प्रदान करने अथवा उनका पंजीकरण करने के लिए प्रक्रिया का विनियमन खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। केंद्रीय लाइसेंस, राज्य लाइसेंस और पंजीकरण के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं या पंजीकरण किए जाते हैं। केंद्रीय या राज्य लाइसेंस के मामले में, किसी स्थान विशेष जिसके लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है, पर विभिन्न प्रकार के खाद्य कारोबारों के लिए विशिष्ट लाइसेंस संख्या दी जाती है। खाद्य कारोबारियों द्वारा खाद्य उत्पादों का क्रय या विक्रय केवल लाइसेंसशुदा/पंजीकृत विक्रेताओं से ही करना अपेक्षित होता है और उनका रिकार्ड रखना होता है।
- 4.1.2** केंद्रीय अथवा राज्य लाइसेंस/पंजीकरण के लिए पात्रता संबंधी मानदंड एफ.एस.एस.आई.वैब लिंक <https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/KindofBusinessEligibility.pdf> पर उपलब्ध हैं।
- 4.1.3** इस संबंध में किए गए टोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकरण और लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले एफबीओ की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2021 तक, केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों (सीएलए) द्वारा खाद्य कारोबारियों को 84,970 केंद्रीय लाइसेंस जारी किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 45% अधिक है। इसी प्रकार, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा 17,07,190 लाइसेंस और 74,65,125 पंजीकरण जारी किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में राज्य लाइसेंस में लगभग 31% और पंजीकरण में 21% की वृद्धि को दर्शाता है। केंद्र/राज्य लाइसेंस जारी करने और पंजीकरण में हुई वर्ष-वार प्रगति सारणी 12 में दी गई है।

सारणी 12 – केन्द्रीय/राज्य लाइसेंस जारी करने और पंजीकरण करने में हुई वर्षवार प्रगति

वर्ष	केन्द्रीय लाइसेंस	राज्य लाइसेंस	पंजीकरण
2013–2014	14,610	4,66,057	20,73,405
2014–2015	19,250	5,52,113	23,78,082
2015–2016	24,917	7,08,664	27,64,600
2016–2017	30,413	7,92,780	30,39,762
2017–2018	37,405	7,83,832	31,90,371
2018–2019	46,851	10,44,992	47,97,997
2019–2020	58,538	12,99,887	61,46,239
2020–2021	84,970	17,07,190	74,65,125

आकृति 6 – गत वर्षों में लाइसेंस और पंजीकरण की संख्या में परिलक्षित परिवर्तन को दर्शाने वाला रेखाचित्र





4.1.4 खाद्य सुरक्षा मित्र योजना के तहत डिजिटल मित्र योजना का उद्देश्य कम लागत पर मानकीकृत डोर-स्टेप सेवाओं की पेशकश करके एफएसएसआई पंजीकरण/लाइसेंस के लिए अपना आवेदन दाखिल करने में खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) की सहायता करने वाले सुविधाकर्ताओं का एक पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना है। प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए पंजीकृत 12,640 व्यक्तियों में से 31 मार्च, 2021 तक 761 डिजिटल मित्र ने सफलतापूर्वक प्रक्रिया पूरी की और प्रमाणित किए गए।

4.2 फोस्कोस

4.2.1 2012 में शुरू की गई, खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस), एफबीओ को लाइसेंस प्रदान करने और पंजीकरण के लिए प्रमुख सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में से एक थी और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालन में थी। इसके अलावा, भारतीय रेलवे के सभी 16 क्षेत्रों में एफएलआरएस प्रणाली शुरू की गयी थी। एफबीओ और नियामक कर्मचारियों से प्राप्त इनपुट और फीडबैक के आधार पर, लाइसेंसिंग और पंजीकरण से संबंधित विनियमों और आईटी प्लेटफॉर्म दोनों में कई अंतरालों की पहचान की गई थी। प्राप्त फीडबैक व खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना व्यापार करने में आसानी के संबंध में सरकार के जोर को ध्यान में रखते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानकों (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में व्यापक बदलाव प्रस्तावित किए गए थे और एफएसएस (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2011 का मसौदा 17 नवंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया और हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां को समेकित किया गया है। इसके साथ-साथ, एफएलआरएस ऑनलाइन प्रणाली के स्थान पर 01 नवंबर, 2020 से पूरे देश में नए रूप में खाद्य सुरक्षा और अनुपालन ऑनलाइन प्रणाली (फोस्कोस) प्रारंभ की गई है।

4.2.2 फोस्कोस उन्नत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ क्लाउड आधारित सर्वर पर कार्य करता है और मौजूदा एफएलआरएस पोर्टल के धीमेपन की प्राप्त शिकायतों का हल करता है। फोस्कोस में अनिवार्य रूप से एफएलआरएस के समान प्रवाह होता है, ताकि उपयोगकर्ताओं को फोस्कोस का उपयोग करने में सुविधा हो। प्रमुख परिवर्तन निर्माताओं के लिए लाइसेंस देने की पद्धति है जो अब मानकीकृत उत्पाद सूची पर आधारित होगी। कारोबारों के प्रकारों के संदर्भ में अनिवार्य दस्तावेजों को युक्तिसंगत बनाया गया है और दस्तावेज आधारित कई घोषणाओं को ऑनलाइन घोषणा के रूप में बदला गया है जिससे खाद्य कारोबारियों के लिए कारोबार करना आसान होगा। फोस्कोस की परिकल्पना खाद्य सुरक्षा के लिए वन-स्टॉप 'अनुपालन पोर्टल' के रूप में की गई है और भविष्य में, कार्यात्मक जरूरतों के लिए और अधिक मॉड्यूल एकीकृत कर इसका और अधिक विकास किया जाएगा। कुछ मॉड्यूल जैसे ऑडिट मॉड्यूल, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग मॉड्यूल, स्वच्छता रेटिंग आदि को पहले ही फोस्कोस के साथ एकीकृत किया जा चुका है। फोस्कोरिस ऐप 2.0 के नए संस्करण को भी फोस्कोस के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया गया है जिससे निरीक्षणों में दक्षता और पारदर्शिता लायी गई है।

4.3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन तंत्र की प्रशासनिक संरचना

4.3.1 एफएसएस अधिनियम, 2006 के अध्याय VII में अधिनियम के प्रवर्तन से संबंधित प्रावधान हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें खाद्य सुरक्षा आयुक्त के संस्थागत माध्यम से अपने-अपने क्षेत्राधिकार

में एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रवर्तन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अधीन टीम में अभिहित अधिकारी (डीओ) और खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) शामिल हैं। प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त कर दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त (एफएससी) अपने अंतर्गत अभिहित अधिकारी और एफएसओ के माध्यम से अपने राज्य/संघ शासित प्रदेश में लाइसेंसिंग/पंजीकरण और प्रवर्तन का कार्य करते हैं। न्यायनिर्णयन तंत्र में विशेष न्यायालयों और साधारण दीवानी न्यायालयों के अलावा न्यायनिर्णायक अधिकारी (एओ) और अपीलीय न्यायाधिकरण शामिल हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन तंत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण सारणी 13 में दिया गया है।

4.4 एफएसएस अधिनियम का प्रवर्तन

4.4.1 एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन का कार्य मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का है। खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, प्रबोधन, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूने लेने का कार्य संबंधित राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकारियों द्वारा किया जाता है ताकि यह जांचा जा सके कि खाद्य उत्पादों के संबंध में निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जा रहा है। ऐसे मामलों में जहां खाद्य नमूने अनुपालन के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, एफएसएस अधिनियम, 2006 के अध्याय IX के तहत दंडात्मक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाई होती है। वर्ष 2020-21 के दौरान विश्लेषित किए गए नमूनों, निर्धारित मानकों और मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए नमूनों और की गई दंडात्मक कार्यवाई का विवरण सारणी 14 में दिया गया है।

4.4.2 खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण करने और नमूने लेने में पारदर्शिता लाने के लिए, एफ.एस.एस. ए.आई.ने 'नियमित निरीक्षण करने और नमूने लेने की प्रणाली' (फोस्कोरिस) नामक वेब आधारित मोबाइल ऐप विकसित करके डिजिटल निरीक्षण की शुरुआत की है। इसका उपयोग मोबाइल फोन, टैबलेट और डेस्कटॉप जैसे हाथ से संचालित होने वाले साधनों के साथ किया जा सकता है। मैनुअल निरीक्षण का स्थान फोस्कोरिस द्वारा लिया गया है और यह न केवल निरीक्षण के लिए बल्कि वास्तविक समय के आधार पर निगरानी, डेटा संग्रह और डेटा विश्लेषण के लिए एक सशक्त उपकरण के रूप में कार्य करता है। फोस्कोरिस वरिष्ठ अधिकारियों को निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के विवरण, उनकी भौगोलिक स्थिति, निरीक्षण किए जा रहे खाद्य परिसर आदि का विवरण देखने में सक्षम बनाता है। निरीक्षण अधिकारी चित्र खींचने और सिस्टम में इसे अपलोड करने में सक्षम होते हैं। सभी राज्य अधिकारियों को केवल फोस्कोरिस ऐप के माध्यम से निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। फोस्कोरिस ऐप के बिना किए गए किसी भी निरीक्षण को निरीक्षण पूरा होने के 48 घंटों के भीतर सिस्टम में फीड करना होता है। यह किए गए निरीक्षणों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण में मदद करेगा और आने वाले समय में जोखिम आधारित निरीक्षण शेड्यूलिंग की नींव रखेगा।

4.4.3 वर्ष 2020-21 के दौरान, फोस्कोरिस के माध्यम से खाद्य कारोबारों के 60,222 निरीक्षण किए गए जोकि फोस्कोरिस आधार पर किए गए गत वर्ष के निरीक्षणों से लगभग 11 गुना अधिक हैं।

- 4.4.4** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इंटरफेस में सुधार करने के लिए, एफ.एस.एस.ए.आई. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सत्र आयोजित कर रहा है। आम तौर पर, एक समय में एक राज्य /केंद्र शासित प्रदेश के साथ साप्ताहिक आधार पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस सत्र आयोजित किया जाता है। इन बातचीत में राज्य विशिष्ट मुद्दों और इन मुद्दों के व्यावहारिक समाधानों पर चर्चा की जाती है। वर्ष 2020-21 के दौरान, एफ.एस.एस.ए.आई. ने विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 27 वीडियो कॉन्फ्रेंस सत्र आयोजित किए।
- 4.4.5** एफ.एस.एस.ए.आई. ने राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठकों में सहभागिता द्वारा और उच्च स्तरीय दौरे के माध्यम से राज्यों के साथ अधिकाधिक रूप से पारस्परिक विचार-विमर्श को बढ़ावा दिया है ताकि खाद्य सुरक्षा मामलों पर विचार-विमर्श हो सके और खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिक तंत्र में सुधार करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. की विभिन्न शुरुआतों के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके।
- 4.4.6** वर्ष 2020-21 के दौरान, केन्द्रीय सलाहकार समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं जिनमें एफ.एस.एस.ए.आई. के अधिकारियों के अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों व अन्य अधिकारियों ने और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया।
- 4.4.7** निगरानी करना नियामक अनुपालन का एक अभिन्न अंग है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियमित रूप से निगरानी गतिविधियों का संचालन करते हैं और अपनी निगरानी योजनाओं के अनुसार गहन निगरानी अभियान चलाते हैं। एफ.एस.एस.ए.आई. ने भौगोलिक स्थिति, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, त्योहारों या विशिष्ट अवसरों के दौरान सक्रिय/विशिष्ट निगरानी अभियान, खाद्य वस्तुओं आदि से संबंधित जोखिम की अधिकता जैसे कुछ कारकों को ध्यान में रखते हुए, अपनी वार्षिक निगरानी योजना तैयार करने के लिए लचीलेपन के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, एक वार्षिक निगरानी योजना साझा की है। अपने-अपने क्षेत्रों में की गई गतिविधियों के आधार पर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समय-समय पर एफएसएसएआई को निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इस योजना और निगरानी रिपोर्टों का बाद में विभिन्न केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकों, वीडियो सम्मेलनों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के साथ अन्य बैठकों में विवेचन किया गया है।

4.5 कोविड-19 से संबंधित उपाय

- 4.5.1** लॉक डाउन अवधि के दौरान निर्बाध खाद्य सेवाएं/आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और लाजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य कारोबारियों की सुविधा के लिए, एफ.एस.एस.ए.आई. ने दोहराया और स्पष्ट किया कि आयात निकासी और एफ.एस.एस.ए.आई. की अधिसूचित प्रयोगशालाओं (सार्वजनिक और निजी दोनों प्रयोगशालाओं सहित) द्वारा खाद्य पदार्थों की परीक्षण सेवाएं आवश्यक सेवाएं हैं।
- 4.5.2** इसके अलावा, निर्माताओं से भिन्न, एफबीओज़ को अस्थायी रूप से ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान पर सृजन होने वाले 17-अंकीय आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) वाले आवेदन के आधार

पर अपने कारोबार को संचालित करने की अनुमति दी गई थी। ऐसे एफबीओ, जिनकी एफ.एस.एस. ए.आई. लाइसेंस/पंजीकरण की समय सीमा समाप्त हो रही थी, को बिना किसी विलंब शुल्क के अपने मौजूदा लाइसेंस/पंजीकरण के साथ अपने खाद्य कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। सांविधिक अर्धवार्षिक/वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के संबंध में अनुपालन को भी आस्थगित रखा गया। उच्च जोखिम वाले खाद्य उत्पादों आदि के मामले को छोड़कर कोई भी नियमित निरीक्षण नहीं किया गया। जहां संभव हो सका, निरीक्षण ई-निरीक्षण द्वारा किया गया। खाद्य कारोबारियों को दी गई कई प्रकार की राहत की अवधि 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई थी।

4.6 प्रयोग किए गए खाना बनाने के तेल (यूसीओ) के एकत्रण के लिए दिशा-निर्देश


पुनः प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए खाना पकाने के तेल (आरयूसीओ) की पहल एक ऐसी पहल है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस्तेमाल किए गए अस्वास्थ्यकर खाना पकाने के तेल की खपत खाद्य मूल्य श्रृंखला में फिर से प्रवेश नहीं कर पाए और यह बायो-डीजल में परिवर्तित किया जाता है। एफ.एस.एस.ए.आई. ने बायोडीजल निर्माताओं द्वारा खाद्य कारोबारियों से प्रयुक्त कुकिंग ऑयल (यूसीओ) के संग्रह के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) से अपनी अधिकृत संग्रह एजेंसियों के माध्यम से प्रयुक्त खाना पकाने के तेल (यूसीओ) के संग्रह के लिए बायोडीजल निर्माताओं के नामांकन के लिए नियम और शर्तों का उल्लेख है। वर्ष 2020-21 के दौरान, देश भर में 14 और बायोडीजल निर्माताओं को खाद्य कारोबारियों से इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल (यूसीओ) के संग्रह के लिए नामांकित किया गया था, जिससे 31 मार्च, 2021 तक नामांकित बायोडीजल विनिर्माताओं की कुल संख्या बढ़ कर 29 हो गई।

4.7 खाद्य सुरक्षा स्मार्ट जैकेट

देश भर के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए उनकी पेशेवर पहचान के रूप में एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) के सहयोग से खाद्य सुरक्षा स्मार्ट जैकेट की परिकल्पना व डिजाइन किया गया। इससे देश में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की दृश्यता बनाए रखने के अलावा, खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ी हुई दक्षता, व्यावसायिकता और पारदर्शिता आएगी। खाद्य सुरक्षा स्मार्ट जैकेट में प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आरएफआईडी टैग, कैमरा, क्यूआर कोड का प्रावधान है। 31 मार्च, 2021 तक, एफएसओ (प्रत्येक एफएसओ के लिए 2) को प्रदान करने के लिए 12 राज्यों को 3,160 स्मार्ट जैकेट की आपूर्ति के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा विक्रेताओं को कहा गया।

4.8 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एसएफएसआई)

4.8.1 एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों के आधार पर राज्यों के निष्पादन का पता लगाने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक विकसित किया है। सूचकांक एक गतिशील मात्रात्मक और गुणात्मक बेंचमार्किंग मॉडल है जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए एक उद्देश्यपरक ढांचा प्रदान करता है। यह सूचकांक पांच महत्वपूर्ण मानकों पर किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निष्पादन पर आधारित है अर्थात: मानव संसाधन और संस्थागत डेटा; अनुपालन; खाद्य परीक्षण अवसंरचना और निगरानी; प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; और उपभोक्ता सशक्तिकरण। इन मापदंडों का वेटेज पैटर्न निम्नानुसार है:



4.8.2 एफ.एस.एस.ए.आई.ने दूसरे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून, 2020 को द्वितीय राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019–20 जारी किया। वर्ष 2019–20 के लिए, बड़े राज्यों में, गुजरात शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य था, उसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र थे। छोटे राज्यों में गोवा पहले और उसके बाद मणिपुर और मेघालय का स्थान था। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह ने शीर्ष स्थान हासिल किया। यह सूचकांक एफ.एस.एस.ए.आई. के वेब लिंक <https://fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Report-State-Food-Safety-Index-08-06-2020.pdf> पर दिया गया है।

4.9 देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच समझौता ज्ञापन

एफ.एस.एस.ए.आई. ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करके देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ बनाया जा सके जिससे वे प्रवर्तन और अनुपालन के लिए आवश्यक अवसंरचना हांसिल कर सकें, परीक्षण उपकरणों से प्रयोगशालाओं को सुसज्जित कर सकें और विशेष शिविरों, निरीक्षणों, जागरूकता अभियानों आदि के संचालन के लिए संसाधन जुटा सके। समझौता ज्ञापन के ढांचे के तहत, अनुमोदित कार्य-योजना प्रस्ताव के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कार्य योजना प्रस्ताव को, जिनके अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जिनके लिए तकनीकी और वित्तीय, दोनों, सहायता अपेक्षित है, अंतिम रूप दिया गया और 64.66 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

4.10 एफएसएमएस अनुपालन के लिए तृतीय पक्ष संपरीक्षण (थर्ड पार्टी आडिट)

- 4.10.1** खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 44 के द्वारा खाद्य प्राधिकरण को खाद्य सुरक्षा संपरीक्षा करने और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के अनुपालन की जाँच करने के लिए किसी संगठन या एजेंसी को मान्यता देने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। एफएसएमएस अधिनियम की धारा 16 (2) (ग) खाद्य प्राधिकरण को खाद्य कारोबारों में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) के प्रमाणीकरण में नियोजित प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन से संबंधित तंत्र और दिशानिर्देश निर्दिष्ट करने के लिए विनियम बनाने की शक्तियां देती हैं। तदनुसार, एफ.एस.एस.ए.आई. ने 28 अगस्त, 2018 को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 अधिसूचित किया था और संपरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के तहत 31 मार्च, 2021 तक 29 खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण अभिकरणों को मान्यता दी है।
- 4.10.2** एफएसएमएस (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम 2018 के भाग III, खण्ड 8(1) के अनुसरण में, केंद्रीय लाइसेंसधारी और उच्च जोखिम वाली छह श्रेणियों/व्यवसायों अर्थात् (i) डेयरी उत्पाद और सादृश्य, खाद्य श्रेणी 2.0 के उत्पाद को छोड़कर; (ii) पोल्ट्री सहित मांस और मांस उत्पाद; (iii) मछली और मछली उत्पाद, जिसमें मोलस्क, क्रस्टेशियंस और इचिनोडर्म शामिल हैं; (iv) अंडे और अंडा उत्पाद; (v) विशेष पोषण संबंधी उपयोगों के लिए अभिप्रेत खाद्य पदार्थ (जैसे कि शिशु पोषण आदि के लिए खाद्य); और (vi) तैयार खाद्य (कैटरिंग) के लिए दिनांक 13 अगस्त, 2019 के आदेश के तहत खाद्य प्राधिकरण द्वारा संपरीक्षण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एफबीओ के परिसरों के अनिवार्य संपरीक्षण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई थी।
- 4.10.3** स्वच्छ और सुरक्षित मांस की आपूर्ति सुनिश्चित करने में बूचड़खानों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा मान्यताप्राप्त एजेंसी मैसर्स आरआईआर सर्टिफिकेशन प्रा. लिमिटेड के माध्यम से एफ.एस.एस.ए.आई. सभी केंद्र और राज्य के लाइसेंसशुदा बूचड़खानों (लगभग 300 एफबीओ) की खाद्य संपरीक्षण परीक्षा कर रहा है। 31 मार्च, 2021 तक, 157 बूचड़खानों में ऑडिट पूरा किया गया था और इन बूचड़खानों की ऑडिट रिपोर्ट राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा की गई है। इससे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इन बूचड़खानों के कामकाज के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त करने और इन प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने में मदद मिलेगी।
- 4.10.4** मिष्ठान्न (हलवाई/मिठाई) की दुकानों, मांस की दुकानों आदि के संबंध में स्वच्छता और स्वच्छता के संबंध में काफी अधिक मामले सामने आते हैं। इसे देखते हुए, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से यह अनुरोध किया गया था कि वे एक शहर नामित करें जहां प्राधिकरण राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार मिष्ठान्न/ मांस की 20/50 दुकानों को संपरीक्षा करेगा। यह भी कहा गया था कि प्राधिकरण की गई संपरीक्षा की लागत की प्रतिपूर्ति करेगा। मिष्ठान्न/मांस की दुकानों के स्वामियों द्वारा कराए जाने वाली संपरीक्षण परीक्षा से खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची IV के तहत निर्धारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों के अनुपालन का पता लगाने में मदद करेगी। संपरीक्षा में पहचानी गई कमियों से इन दुकानों को अपनी स्वच्छता प्रथाओं में सुधार करने और आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध

कराने में मदद मिलेगी। ऑडिट स्कोर के आधार पर एजेंसियां इन दुकानों को स्वच्छता (हाइजीन) रेटिंग भी देती हैं। 31 मार्च, 2021 तक 396 मांस और 429 मिष्ठान्न की दुकानों का ऑडिट किया गया था।

4.11 स्वच्छता आकलन (हाइजीन रेटिंग) योजना

4.11.1 स्वच्छता आकलन योजना के तहत, खाद्य प्रतिष्ठानों को उनकी स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा अनुपालन के लिए 1–5 (स्माइली प्रतीकों में) के पैमाने पर रेटिंग दी जाती है। यह योजना खाद्य कारोबार को स्वच्छता और स्वच्छता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उपभोक्ताओं को सूचित खाद्य विकल्प चुनने का विकल्प देता है। यह योजना वर्तमान में खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों (जैसे रेस्तरां, कैफे, और अन्य खाने के स्थान); मिठाई की दुकानें; बेकरी; और मांस की दुकानों पर लागू है।

4.11.2 एफएसएस (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-IV में दिये गए स्वच्छता और साफ-सफाई के मानकों के आधार पर, जिन्हें खाद्य कारोबार को अपनाना होता है, व्यापक जांचसूची बनाई गई है। इस जांचसूची के आधार पर खाद्य व्यवसाय का स्वच्छता आकलन किया जाता है और स्वच्छता आकलन ऑडिट एजेंसी द्वारा एक रेटिंग प्रदान की जाती है। इस रेटिंग के आधार पर एक प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है जिसे परिसर में उपभोक्ताओं के लिए प्रदर्शित किया जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को यह पहचानने में मदद मिलती है कि वह स्थान स्वच्छ है या नहीं। 3 स्टार और उससे अधिक की रेटिंग को 'अच्छी रेटिंग' माना जाता है।

4.11.3 एफ.एस.एस.ए.आई. ने स्वच्छता रेटिंग ऑडिट करने के लिए 29 तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसियों और 12 से अधिक अन्य एजेंसियों को मान्यता दी है। देश भर में 200 से अधिक प्रशिक्षित हाइजीन रेटिंग ऑडिटर हाइजीन रेटिंग ऑडिट कर रहे हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) ने देश में हाइजीन रेटिंग ऑडिट करने वाली हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों को मान्यता देने के लिए एक योजना विकसित की है जो और प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करेगी।

4.11.4 वर्ष 2020–21 में स्वच्छता रेटिंग योजना के लिए 2,995 खाद्य प्रतिष्ठानों को नामांकित किया गया था जिसमें से 1,790 ने सफलतापूर्वक स्वच्छता रेटिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लिया था।

4.12 शिकायत निवारण प्रणाली – "खाद्य सुरक्षा कनेक्ट"

4.12.1 एफ.एस.एस.ए.आई. का एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है, जिसका नाम 'फूड सेपटी कनेक्ट' है, जहां उपभोक्ता खाद्य पदार्थों से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल <https://foscos-fssai-gov-in/consumergrievance> पर उपलब्ध है। एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा विभिन्न अन्य चैनलों (हेल्प डेस्क, ईमेल, ट्विटर, फेसबुक, आईएनजीआरएम – राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल, पीएमओपीजी, पोस्ट आदि) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों/एफबीओ को भी एफएसएसएआई द्वारा एक एकल पोर्टल यानी फूड सेपटी कनेक्ट पोर्टल में समेकित किया जाता है। प्रत्येक दर्ज की गई शिकायत/चिंता के खिलाफ एक अद्वितीय कोड सृजित होता है, उनके जोखिमों के अनुसार प्राथमिकता प्रदान कर संबंधित राज्य के अभिहित अधिकारियों और एफबीओ

को एफएसएस अधिनियम 2006, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए अप्रेषित किया जाता है। चिंताओं के उचित निपटान की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ तिमाही रिपोर्ट, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदर्शन समीक्षा और आवधिक केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकों के माध्यम से चिंताओं के निपटान के मामले को उठाया जाता है।

4.12.2 वर्ष 2020–21 के दौरान, 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' उपभोक्ता शिकायत पोर्टल पर 3,182 शिकायतें पंजीकृत की गई थीं और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों भेजा गया।

4.12.3 उपभोक्ताओं, खाद्य कारोबारियों और अन्य हितधारियों द्वारा की गई पूछताछ का उत्तर देने के लिए, एफ.एस.एस.आई. की एक समर्पित हैल्पलाइन (टोल फ्री संख्या 1800112100) है। वर्ष 2020–21 में हैल्पडेस्क पर 2,95,679 कॉल का उत्तर दिया गया।

4.13 कारोबार करना सरल बनाने की दिशा में वर्ष के दौरान की गई पहल

4.13.1 भौतिक रूप से वार्षिक विवरणी के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को समाप्त करना –

विनिर्माण और आयात के कारोबार में लगे खाद्य कारोबारियों को वार्षिक विवरणियां भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती थी, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण तक ये विवरणियां पहुंच नहीं पाती थीं या विलम्ब से प्राप्त होती थीं। नियत तारीख पर वार्षिक विवरणी/अर्धवार्षिक विवरणी प्राप्त न होने पर जुर्माना लगाया जाता था, भले ही एफबीओ द्वारा इसे पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया हो और इसे स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा भेजा गया हो। इसे ध्यान में रखते हुए, एफ.एस.एस.आई. ने ऑनलाइन प्रस्तुत करने का प्रावधान करके वार्षिक विवरणी/अर्धवार्षिक विवरणी के भौतिक प्रस्तुतिकरण को समाप्त कर दिया है।

4.13.2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन/ पंजीकरण शुल्क भुगतान मोड का संचालन –

यह देखा गया कि खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) को राज्य खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के लिए भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केवल ट्रेजरी चालान के माध्यम से शुल्क स्वीकार कर रहे थे, जिसके लिए एफबीओ को ट्रेजरी चालान स्वीकार करने वाली विभिन्न बैंक शाखाओं में जाना पड़ता था। एफबीओ के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, एफएसएसआई ने एक केंद्रीय पूल खाता खोला, जिसमें राज्य लाइसेंस और राज्य पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले एफबीओ केंद्रीय खाते में अपना शुल्क ऑनलाइन जमा करने में सक्षम हुए। इससे यह राशि संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा प्रदान किए गए खाते में नियमित आधार (T+1) पर हस्तांतरित हो जाती है।

4.13.3 द्वितीय भुगतान गेटवे का एकीकरण

वर्तमान में फोस्कोस में केवल एक पेमेंट गेटवे यानी रेजरपे भुगतान गेटवे राष्ट्रीय स्तर पर लागू है। अक्टूबर 2020 से, पेमेंट गेटवे न्यूनतम मुद्दों के साथ काम कर रहा है। भुगतान प्रणाली में अतिरिक्त और उपयोगकर्ता को विकल्प प्रदान करने के लिए, द्वितीय भुगतान गेटवे के एकीकरण का प्रस्ताव किया गया है। पेयूबिज भुगतान गेटवे को दूसरे भुगतान गेटवे के रूप में पहचाना गया

है जो पहले से ही एफएसएसएआई से सम्बद्ध है और केन्द्रीय लाइसेंस शुल्क के संग्रह के लिए एफएलआरएस और फोस्कोस के साथ एकीकृत है। अब, इसे रेजरपे के समान पद्धति के अनुसार एकीकृत किया जाएगा जहां राज्य लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित धन को एफएसएसएआई के बैंक आफ बड़ौदा खाते में केन्द्रीय रूप से जमा किया जाएगा और फिर संबंधित राज्यों के खाते में टी+1 आधार पर जमा किया जाएगा।

4.13.4 दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में राज्य विशिष्ट भुगतान गेटवे की समाप्ति

एकाधिक भुगतान गेटवे से न केवल राष्ट्रीय प्रणाली में कई कोडों के प्रबंधन की समस्या उत्पन्न होती है बल्कि व्यक्तिगत भुगतान गेटवे की आवश्यकता के अनुसार भुगतान अद्यतन करने के लिए कई भुगतान गेटवे के साथ संचार करने और अनुसूचकों को लागू करने से प्रणाली में व्यवस्था नहीं रह पाती। किसी भी परिवर्तन को लागू करना मुश्किल हो जाता है और त्रुटियों की संभावना बनी रहती है। इन राज्यों से राज्य-विशिष्ट भुगतान गेटवे को समाप्त करने के लिए अपनी सहमति देने और राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए गए समान भुगतान गेटवे को अपनाने के लिए अनुरोध किया गया है।

4.13.5 फोस्कोस/फोस्कोरिस ऐप के माध्यम से निरीक्षणों की अनिवार्यता –

सभी राज्य अधिकारियों को केवल फोस्कोरिस ऐप के माध्यम से निरीक्षण करने की सलाह दी गई है। फोस्कोरिस ऐप के बिना किए गए किसी भी निरीक्षण को निरीक्षण पूरा होने के 48 घंटों के भीतर सिस्टम में फीड कर दिया जाएगा। इससे किए गए निरीक्षणों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण में मदद मिलेगी और आने वाले समय में यह जोखिम आधारित निरीक्षण शेड्यूलिंग के आधार के रूप में कार्य करेगा।

4.13.6 प्रवर्तन अभिकरणों के लिए कस्टोमाइज्ड रिपोर्टों की उपलब्धता

फोस्कोस के लांच किए जाने के साथ ही, प्राधिकारियों को एक व्यापक सर्च टूल प्रदान किया गया है जिसके माध्यम से वे किसी भी स्तर पर आवेदनों की स्थिति, जारी लाइसेंस और पंजीकरण के संबंध में सर्च कर सकते हैं। साथ ही, प्रवर्तन गतिविधियों को शुरू करने के लिए समाप्त हो चुके लाइसेंस और पंजीकरण डेटाबेस तक भी उनकी पहुंच आसान हो गयी है।

4.13.7 फोस्कोस पर संपरीक्षण रिपोर्टों की उपलब्धता

एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष संपरीक्षण अभिकरणों द्वारा किए गए ऑडिट की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम (एएमएस) विकसित किया गया है। इन ऑडिट रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई (यदि कोई हो) के लिए प्रवर्तन अधिकारियों को उपलब्ध कराने के लिए एएमएस को फोस्कोस के साथ एकीकृत किया गया है। सभी ऑडिट अभिकरणों को जनवरी 2021 के अंत तक पोर्टल में 2019-20 और 2020-21 में किए गए ऑडिट की रिपोर्ट फीड करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार, अब से तृतीय पक्ष संपरीक्षण अभिकरणों की ऑडिट रिपोर्ट एफबीओ और रेगुलेटर को फोस्कोस इंटरफेस के माध्यम से तुरंत उपलब्ध होगी।

4.13.8 लाइसेंस/पंजीकरण के नवीकरण के लिए टाइम विंडो

पूर्व में, खाद्य कारोबारियों को नवीकरण की तारीख से पहले अपने लाइसेंस/पंजीकरण का नवीकरण कराने के लिए 120 दिन प्रदान किए जाते थे। यह अवधि अब बढ़ाकर 180 दिन की गई है।

4.14 की जा रही शुरुआतें

- (क) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में व्यापक संशोधन प्रक्रियाधीन है। इस संशोधन विनियम का मसौदा 17 नवंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को समेकित किया गया है। इन संशोधन विनियमों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिये जाने और अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है।
- (ख) खाद्य कारोबारों द्वारा अनुपालन को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए फोस्कोस में और अधिक कार्यों को जोड़ना।
- (ग) एफएसएमएस के साथ संपरीक्षण और अनुपालन की जांच के लिए प्रत्यायन और प्रमाणन अभिकरणों के व्यापक नेटवर्क की स्थापना करना।
- (घ) लाइसेंस प्रदान करे और पंजीकरण के लिए कार्यों में वृद्धि।
- (ङ) नमूने लेने, निरीक्षण करने और प्रवर्तन गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करना।

सारणी 13 – एफएसएस अधिनियम 2006 के अंतर्गत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन तंत्र की प्रशासनिक संरचना (31.03.2021) की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य का नाम	एफएससी	एओ की संख्या	डीओ की संख्या		एफएसओ की संख्या		अपीलीय ट्रिब्यूनल
				पूर्णकालिक	अंशकालिक	पूर्णकालिक	अंशकालिक	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	3	3	0	14	0	हां
2	आंध्र प्रदेश	1	13	13	0	44	4	हां
3	अरुणाचल प्रदेश	1	25	1	24	3	0	हां
4	असम	1	33	0	4	32	0	हां
5	बिहार	1	38	0	14	14	0	नहीं
6	चंडीगढ़	1	1	1	0	5	0	हां
7	छत्तीसगढ़	1	27	0	28	57	0	हां
8	दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव	1	3	3	0	3	0	हां
9	दिल्ली	1	11	8	0	15	0	हां
10	गोवा	1	2	2	0	20	0	हां

क्रं. सं.	राज्य का नाम	एफएससी	एओ की संख्या	डीओ की संख्या		एफएसओ की संख्या		अपीलीय ट्रिब्यूनल
				पूर्णकालिक	अंशकालिक	पूर्णकालिक	अंशकालिक	
11	गुजरात	1	33	24	14	192	0	हां
12	हरियाणा	1	22	6	0	15	0	हां
13	हिमाचल प्रदेश	1	11	12	0	16	0	हां
14	जम्मू और कश्मीर	1	20	20	0	63	0	हां
15	झारखण्ड	1	24	45	0	21	0	नहीं
16	कर्नाटक	1	30	23	13	44	186	नहीं
17	केरल	1	27	14	0	127	0	हां
18	लद्दाख	1	2	1	0	1	0	नहीं
19	लक्षद्वीप	1	1	0	0	0	13	नहीं
20	मध्य प्रदेश	1	52	0	51	160	0	हां
21	महाराष्ट्र	1	7	50	0	215	0	हां
22	मणिपुर	1	16	11	0	22	0	हां
23	मेघालय	1	11	3	8	8	3	हां
24	मिजोरम	1	8	0	3	2	7	नहीं
25	नागालैंड	1	11	3	0	7	0	नहीं
26	ओडिशा	1	36	3	34	30	0	हां
27	पुदुचेरी	1	2	1	0	2	0	हां
28	पंजाब	1	25	11	11	51	0	हां
29	राजस्थान	1	40	0	34	0	58	हां
30	सिक्किम	1	4	3	0	4	0	नहीं
31	तमिलनाडु	1	37	32	0	271	0	हां
32	तेलंगाना	1	31	8	0	37	0	हां
33	त्रिपुरा	1	8	0	9	3	0	हां
34	उत्तराखंड	1	13	11	0	29	0	हां
35	उत्तर प्रदेश	1	75	73	0	574	0	हां
36	पश्चिम बंगाल	1	23	28	0	160	0	हां
	योग		725	413	247	2261	271	

टिप्पणी : एफएससी = खाद्य सुरक्षा आयुक्त, एओ = न्याय-निर्णय अधिकारी, डीओ = अभिहित अधिकारी, एफएसओ = खाद्य सुरक्षा अधिकारी

सारणी 14-वर्ष 2020-21 के दौरान विश्लेषित नमूनों, निर्धारित मानकों और मानदण्डों के अनुरूप नहीं पाए गए नमूनों और की गई कार्रवाई का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विश्लेषित नमूनों की संख्या	अनुरूप नहीं पाए गए नमूनों की कुल संख्या	गैर-अनुरूप नमूनों का विवरण			सिविल मामले			आपराधिक मामले		
				असुरक्षित/घटिया	लेबलिंग दोष/भ्रामक/विविध	प्रारंभ किए गए मामलों की संख्या	निर्णित मामलों की संख्या	प्राप्त जुर्माने की राशि (₹)	प्रारंभ किए गए मामलों की संख्या	निर्णित मामलों की संख्या	प्राप्त जुर्माने की राशि (₹)	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	700	0	0	0	0	16	16	321500	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	2329	383	45	168	170	223	291	2173000	31	8	75000
3	अरुणाचल प्रदेश	169	15	1	4	10	1	15	173000	1	0	0
4	असम	672	109	19	77	13	39	11	682000	2		0
5	बिहार	1224	144	66	26	52	100	55	615000	12	0	0
6	चंडीगढ़	292	32	6	18	8	42	54	740000	15	0	0
7	छत्तीसगढ़	834	165	32	92	41	246	163	3844000	28	0	0
8	दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव	75	1	0	1	0	11	11	38500	0	0	0
9	दिल्ली	1509	214	46	49	119	243	30	1294000	66	58	1470000
10	गोवा	329	31	8	22	1	1	2	1742000	0	0	0
11	गुजरात	13284	1056	71	688	297	899	543	40041000	41	11	30001
12	हरियाणा	2596	696	97	363	236	651	481	5040028	103	1	500
13	हिमाचल प्रदेश	1568	420	17	99	304	204	34	1068025	14	5	0
14	जम्मू और कश्मीर	4094	871	48	443	380	1554	330	4595800	32	2	0
15	झारखण्ड	581	216	97	43	76	204	54	1350200	65	0	0
16	कर्नाटक	5217	319	77	101	141	151	21	168200	47	4	61100
17	केरल	6971	1020	543	216	261	422	445	5914800	274	7	55000
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	18	18	174100	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	10886	2162	92	1124	946	2228	1896	84565980	126	29	1150000
21	महाराष्ट्र	4733	874	227	527	120	911	307	9213800	795	80	26000
22	मणिपुर	235	19	17	1	1	4	5	240000	0	0	0
23	मेघालय	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	23	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विश्लेषित नमूनों की संख्या	अनुरूप नहीं पाए गए नमूनों की कुल संख्या	गैर-अनुरूप नमूनों का विवरण			सिविल मामले			आपराधिक मामले		
				असुरक्षित/घटिया	लेबलिंग दोष/भ्रामक/विविध	प्राप्त किए गए मामलों की संख्या	निर्णित मामलों की संख्या	प्राप्त जुर्माने की राशि (₹)	प्राप्त किए गए मामलों की संख्या	निर्णित मामलों की संख्या	प्राप्त जुर्माने की राशि (₹)	
25	नागालैंड	60	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडीशा	1037	272	53	164	55	131	96	679500	33	0	0
27	पुदुचेरी	5	1	1	0	0	22	20	142000	0	0	0
28	पंजाब	6721	873	77	582	214	966	972	15220500	64	7	103000
29	राजस्थान	7343	2054	339	1100	615	584	337	6963600	56	0	0
30	सिक्किम	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	10766	3443	1221	651	1571	1463	1368	16273500	557	235	4769500
32	तेलंगाना	894	98	16	47	35	44	22	205000	14		
33	त्रिपुरा	17	6	1	4	1	0	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	20613	12479	1921	6513	4045	12514	7810	291410300	1486	72	483500
35	उत्तराखंड	905	255	9	239	7	285	118	4101000	6	0	0
36	पश्चिम बंगाल	1067	116	73	30	13	18	7	233000	1	1	100000
योग		107829	28347	5220	13394	9733	24195	15532	499223333	3869	520	8323601
										कुल जुर्माना –		507546934

खाद्य परीक्षण और निगरानी

5.1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की अधिसूचना

5.1.1 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43 के अनुसार एफएसएसआई द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए खाद्य प्रयोगशालाओं में खाद्य परीक्षण के लिए एक पारिस्थितिकी प्रणाली (ईको सिस्टम) को प्रोत्साहित करना अपेक्षित है। खाद्य विनियमन तंत्र के अभिन्न अंग के रूप में खाद्य परीक्षण पारितंत्र को निम्नलिखित मुख्य कार्य करने होते हैं:

- खाद्य पदार्थों/खाद्य वस्तुओं (देशी और आयातित दोनों) का निर्धारित गुणता तथा सुरक्षा संबंधी निर्धारित मानदंडों के प्रति अनुरूपता का विश्लेषण और परीक्षण करना तथा खाद्य विधियों/विनियमों के अनुपालन में सहायता करना।
- बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों की निर्धारित मानदंडों के प्रति अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए बाजार पर निगरानी गतिविधियों में सहायता करना।
- जोखिम आकलन ढाँचे का अंग बनना, जिसमें खाद्य संबंधी घटनाओं का आकलन भी शामिल है, तथा खाद्य मानकों अथवा मार्गदर्शी प्रलेखों के निर्धारण में सहायता करना।
- परीक्षण पद्धतियों के सुमेलन, उनके विकास अथवा वैधीकरण नेटवर्क का अभिन्न अंग बनना।
- खाद्य परीक्षण तथा खाद्य मानकों के बारे में जागरूकता पैदा करना, विशेषकर उपभोक्ताओं में।

विनियामक, उपभोक्ता तथा खाद्य कारोबारी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का उपयोग खाद्य विधियों का हर स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए कर सकते हैं।

5.1.2 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के अनुसार खाद्य प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्य विश्लेषकों द्वारा नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन से राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड अथवा अन्य किसी प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित खाद्य प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान संस्थाओं को अधिसूचित कर सकती है।

5.1.3 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के अनुसार खाद्य प्राधिकरण अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने किसी नियम और विनियम द्वारा रेफरल खाद्य प्रयोगशाला को सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिए रेफरल खाद्य प्रयोगशालाएँ स्थापित करेगी अथवा अधिसूचना के माध्यम से उन्हें मान्यता प्रदान करेगी।

5.1.4 उक्त अधिनियम की धारा 43 के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नवंबर, 2018 में खाद्य

सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018 अधिसूचित किए हैं। इन विनियमों में प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना के लिए सभी प्रक्रियात्मक अपेक्षाएँ हैं, यथा प्रयोगशालाओं का प्रकार, उनकी मान्यता तथा अधिसूचना के मानदंड, नवीकरण, ऑडिट और जाँच, प्रयोगशालाओं के कर्तव्य, निलंबन, अवमान्यन, ऑडिट इत्यादि।

- 5.1.5** कारोबार में सरलता लाने; पारदर्शिता लाने; तथा खाद्य प्रयोगशालाओं की गतिविधियों की पुनरीक्षा और मानिटरी एक ही प्लेटफॉर्म पर करने की प्रणाली के माध्यम से देश में खाद्य परीक्षण की गुणता में सुधार लाने के उद्देश्य से खाद्य प्राधिकरण अब प्रयोगशाला प्रत्यायित करने/उन्हें मान्यता देने/अनुमोदित करने के राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) की एकीकृत कार्रवाई के तहत ही खाद्य प्रयोगशालाओं को मान्यता दे रही है। निर्यात निरीक्षण परिषद् (ईआईसी), कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपिडा), चाय बोर्ड, भारतीय तिलहन तथा फसल निर्यात संवर्धन परिषद् (आईओपीईपीसी) आदि इस एकीकृत प्रणाली के अन्य विनियामक हैं।
- 5.1.6** राज्यों की खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ (एसएफटीएल) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 98 के संक्रमण उपबंध के तहत 10 से अधिक वर्षों से एनएबीएल प्रत्यायन के बिना कार्य कर रही थीं, यद्यपि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खाद्य प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल प्रत्यायन एक प्रमुख मानदंड है। तथापि, बार-बार के अनुरोध के बाद भी जब एनएबीएल प्रत्यायन लेने के लिए कुछ राज्य प्रयोगशालयों द्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई, तो ऐसी प्रयोगशालाओं को बंद करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 31 दिसंबर, 2020 से 39 एसएफटीएल को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 98 की परिधि से बाहर कर दिया गया है। उन्हें एनएबीएल प्रत्यायन लेने के बाद पुनः मान्यता दे दी जाएगी। राज्यों की जिन गैर-प्रत्यायित प्रयोगशालाओं ने एनएबीएल प्रत्यायन लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी, उनका प्रत्यायन अधिनियम की धारा 98 के तहत मान्य बनाए रखा गया है।
- 5.1.7** वर्ष 2020-21 के दौरान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत धारा 98 के अंतर्गत चल रही 2 एसएफटीएल अर्थात् राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, गुवाहाटी तथा राज्य केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर ने एनएबीएल प्रत्यायन ले लिया है। अतः उन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत अधिसूचित कर दिया गया है। इसी प्रकार निम्नलिखित 4 नई प्रयोगशालाओं को भी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत खाद्य नमूनों के प्राथमिक परीक्षण हेतु खाद्य प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है –

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम और स्थान
1.	विमटा लैब्स लिमिटेड, नोएडा
2.	यूरेका एनालाइटिकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कुंडली, हरियाणा
3.	प्रोकोम लैबोरेटरी, वाशी, मुंबई
4.	फूड रिसर्च एंड एनालाइसिस (सीएफआर), एनआईएफटीईएम, कुंडली, हरियाणा

- 5.1.8** इस के अतिरिक्त, खाद्य अनुसंधान और विश्लेषण केंद्र (सीएफआरए), एनआईएफटीईएम, कुंडली, हरियाणा को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के अंतर्गत रेफरल प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया।
- 5.1.9** खाद्य प्राधिकरण के पास यथा 31 मार्च, 2021 को 231 प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है, जिनमें से 212 प्रयोगशालाएँ प्राथमिक परीक्षण के लिए हैं जिन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के अंतर्गत मान्यता दी हुई है और अधिसूचित किया हुआ है। शेष 19 प्रयोगशालाएँ अपील (रेफरल) प्रयोगशालाएँ हैं जिन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के अंतर्गत मान्यता दी हुई है और अधिसूचित किया हुआ है। एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा मान्यता-प्रदत्त तथा अधिसूचित प्रयोगशालाओं का क्षेत्रवार विवरण सारणी 15 में दिया गया है:

सारणी 15 – अधिसूचित प्राथमिक तथा रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का क्षेत्रवार विवरण

क्र.सं.	प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ [खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत]	संख्या
1	राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	17
2	केंद्रीय सरकार की संस्थाओं/स्वायत्तशासी निकायों की प्रयोगशालाएँ	25
3	निजी प्रयोगशालाएँ	151
4	राज्य सरकार की संक्रमण कालीन प्रयोगशालाएँ	19
	कुल प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	212
	रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ [खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के तहत]	
1	केंद्रीय सरकार की संस्थाओं/स्वायत्तशासी निकायों की प्रयोगशालाएँ	17
2	खाद्य प्राधिकरण की अपनी प्रयोगशालाएँ	02
	कुल रेफरल प्रयोगशालाएँ	19

(*खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 98 के अंतर्गत संक्रमणकालीन एसएफटीएल)

- 5.1.10** खाद्य प्राधिकरण द्वारा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की अधिसूचना प्रयोगशालाओं के स्वैच्छिक आवेदन पर आधारित होती है और यह सदा जारी रहने वाला कार्य है। तथापि, खाद्य प्राधिकरण का उन राज्यों की निजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिसूचित होने हेतु प्रवृत्त करने का प्रस्ताव है, जहाँ फिलहाल कोई प्रयोगशाला नहीं है। साथ ही उन राज्यों में राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं अथवा अधिसूचित प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने का भी विचार है, जहाँ उनकी संख्या कम है। एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं, राज्य/सार्वजनिक खाद्य प्रयोगशालाओं, रेफरल प्रयोगशालाओं का राज्यवार विवरण सारणी 16 में दिया गया है।

5.2 खाद्य प्राधिकरण के सीधे नियंत्रण वाली खाद्य प्रयोगशालाएँ

- 5.2.1** कुल 19 रेफरल प्रयोगशालाओं में से 2 प्रयोगशालाएँ अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद (एनएफएल-जी) तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला-कोलकाता (एनएफएल-के) खाद्य प्राधिकरण के सीधे

नियंत्रण में हैं। एनएफएल-जी सरकारी-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मोड में अधुनातन आदर्श खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में विकसित की गई हैं। इसी प्रकार एनएफएल-के का भी नवीकरण किया जा रहा है और उसे अधुनातन आदर्श खाद्य प्रयोगशाला के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है।

5.2.2 एफ.एस.एस.ए.आई पीपीपी मोड में दो अन्य राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएँ (एनएफएल) आरंभ कर रही हैं – एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी), मुंबई में और दूसरी चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट (सीपीटी), चैन्नई में। इस हेतु निविदा प्रकाशित की गई थी तथा उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद एनएफएल, जेएनपीटी को स्थापित करने और उसका क्रियान्वयन करने का कार्य मेसर्स विमटा लैब्स लिमिटेड, हैदराबाद को दिया गया तथा एनएफएल, सीपीटी का काम मेसर्स नैशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को सौंपा गया। ये पीपीपी सहभागी जल्दी ही अपनी-अपनी जगह एनएफएल स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।

5.3 राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला

5.3.1 खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018 के विनियम 3 के अनुसार खाद्य प्राधिकरण किसी अधिसूचित खाद्य प्रयोगशाला अथवा रेफरल खाद्य प्रयोगशाला को परीक्षण पद्धतियों के विकास, वैधीकरण, दक्षता परीक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दे सकती है।

5.3.2 एफ.एस.एस.ए.आई ने विनियमों में विहित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए 8 अगस्त, 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं की अधिसूचना और मान्यता) विनियम, 2018 के विनियम 3 के तहत 12 अधिसूचित खाद्य प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला (एनआरएल) के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त दो अधिसूचित खाद्य प्रयोगशालाओं को सभी एनआरएल के लिए सहायी सुविधा के रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 8 अगस्त, 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए सहायी राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला (एएनआरएल) के रूप में मान्यता प्रदान की है। इन सभी 14 एनआरएल/एएनआरएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इन प्रयोगशालाओं को एनआरएल तथा एएनआरएल हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों की हैंडबुक, जिसमें पृष्ठभूमि, दायित्व, वित्तीय विनियम इत्यादि हैं तथा जो समझौता ज्ञापन का अंग हैं, भी उपलब्ध कराई गई। विभिन्न गतिविधियों हेतु प्रत्येक एनआरएल के लिए 25 लाख रुपये तथा एएनआरएल के लिए 10 लाख रुपये चिह्नित किए गए हैं। वर्ष के दौरान कुल अनुदान की 40% राशि अर्थात् 11 एनआरएल (जीएमओ विश्लेषण के लिए 1 एनआरएल अर्थात् ईआईए-कोच्चि को छोड़कर, क्योंकि एफ.एस.एस.ए.आई जीएमओ विनियमों का इंतजार कर रही है) के लिए प्रत्येक को 10 लाख रुपये तथा प्रत्येक एएनआरएल के लिए 4 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

5.4 चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के उपबंध सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना

5.4.1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2016 को “चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के उपबंध सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना” अनुमोदित की गई थी, जिसके लिए 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान

क्रियान्वयन हेतु 481.95 करोड़ रुपये (400.40 करोड़ रुपये अनावर्ती तथा 81.55 करोड़ रुपये आवर्ती) का परिव्यय मंजूर किया गया। सरकार को योजना के और आगे विस्तार का प्रस्ताव भेजा गया था। तथापि, सरकार के औपचारिक अनुमोदन के लंबित रहते राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं/रेफरल प्रयोगशालाओं के सशक्तीकरण के लिए कुछ निधियाँ जारी की गईं। योजना के मुख्य तत्व निम्नानुसार हैं:

- (i) राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण;
- (ii) रेफरल प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण;
- (iii) राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए उपबंध; और
- (iv) प्रयोगशाला कार्मिकों का क्षमता-निर्माण संबंधित विवरण अगले पैराग्राफों में दिया गया है।

5.4.2 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण

5.4.2.1 योजना के इस घटक के तहत लगभग 45 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रति एसएफटीएल 12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सशक्त किया जाना है बशर्ते कि राज्य/संघशासित क्षेत्रों की सरकारें इसके लिए तैयार हों। इस लागत में तीन उच्च प्रौद्योगिकी के उपस्कर (एचईई) अर्थात् जीसी-एमएसएमएस, आईसीपीएमएस और एलसी-एमएसएमएस लगाने के लिए भौतिक अवसंरचना के निर्माण/नवीकरण के लिए 50 लाख रुपये, एचईई की खरीद के लिए 8.50 करोड़ रुपये (जिसमें 7 वर्ष के लिए जनशक्ति तथा 5 वर्ष के लिए सर्वसमावेशी एएमसी शामिल है), उपभोज्य तथा आपात स्थितियों के लिए 60.0 लाख रुपये तथा सूक्ष्मजैविक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 3.00 करोड़ रुपये की लागत शामिल है। पूर्वोत्तर राज्य में नई प्रयोगशाला की स्थापना की अनुमानित लागत 3 करोड़ रुपये है।

5.4.2.2 वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड के कारण एसएफटीएल को सशक्त करने के लिए केवल 1.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा सकी। इससे अभी तक 29 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की 39 एसएफटीएल के सशक्तीकरण के लिए कुल 313.98 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

5.4.3 रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण

5.4.3.1 योजना के इस घटक से खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों (एफएसएसआर) के अनुसार रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को उच्च प्रौद्योगिकी वाली परीक्षण सुविधाओं से सशक्त बनाना है। एफएसएसआर के अनुसार मौजूदा तथा अपेक्षित परीक्षण सुविधाओं में अंतर को पाटने के लिए प्रत्येक रेफरल प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए कुछ बड़े उपकरणों के लिए 3.0 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की आवश्यकता है।

5.4.3.2 2020-21 के दौरान एक और रेफरल प्रयोगशाला अर्थात् केंद्रीय/रेफरल खाद्य प्रयोगशाला, पुणे को उन्नयन के लिए चुना गया। इस हेतु उच्च प्रौद्योगिकी के कुछ उपकरण की खरीद के लिए 4.12 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। इससे अभी तक उच्च प्रौद्योगिकी के उपस्कर खरीदने के लिए कुल 11 रेफरल प्रयोगशालाओं को कुल 32.20 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की जा चुकी है, जिसमें से र 27.66 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

5.4.4 चल खाद्य प्रयोगशालाओं के लिए उपबंध

5.4.4.1 योजना के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्य परीक्षण सुविधाओं की कमी को दूर करने तथा उपभोक्ताओं की आधारभूत परीक्षण आवश्यकताओं संबंधी सेवा देने के लिए देश के राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को लगभग 60 चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ (एमएफटीएल), जिन्हें चल खाद्य सुरक्षा (एफएसडब्ल्यू) कहा जाता है (प्रति 20 जिले में एक, एक राज्य/ संघशासित क्षेत्र में न्यूनतम 1), उपलब्ध कराई जानी थीं। ये चल प्रयोगशालाएँ संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्र अथवा उसकी एजेंसियों/एनजीओ इत्यादि द्वारा चलाई जाती हैं। एक एमएफटीएल व उसकी पुनर्सज्जा तथा प्रयोगशाला उपकरणों की लागत जीएसटी सहित लगभग 38.5 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों को पेट्रोल, तेल और स्नेहकों तथा उपभोज्य सामग्रियों के लिए 5 लाख रुपये/वर्ष का आवर्ती अनुदान भी दिया जा रहा है।

5.4.4.2 एफएसडब्ल्यू का उपयोग इन कामों के लिए किया जाता है— (i) निगरानी तथा राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों, बड़े सार्वजनिक समारोहों, स्कूलों और उपभोक्ता संगठनों में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना; (ii) दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त नमूनों को पास की खाद्य प्रयोगशाला तक पहुँचाना; (iii) उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा नियमों तथा स्वच्छता रीतियों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में शिक्षित करना; (iv) खाने की आम चीजों, जैसे घी, दूध, खोया, मिठाई, खाद्य तेल और नमकीनों, मसालों, तैयार खाद्य पदार्थों इत्यादि में गैर-अनुमत खाद्य रंगों के अपमिश्रण के गुणतात्मक परीक्षण के लिए स्वस्थाने परीक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराना। प्रत्येक एफएसडब्ल्यू में 7 विभिन्न खाद्य श्रेणियों के 54 मानदंडों का गुणतात्मक परीक्षण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यों की इच्छानुसार प्रत्येक एफएसडब्ल्यू में साधारण सूक्ष्मजैविक परीक्षण करने की सुविधा भी है।

5.4.4.3 योजना की शुरुआत से अब तक 32 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए 60 एफएसडब्ल्यू स्वीकृत और वितरित की जा चुकी हैं। लगभग सभी एफएसडब्ल्यू को राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा अवधि के दौरान चालू कर दिया गया है।

5.4.5 अधिक सुविधाओं वाली परिवर्तित चल खाद्य सुरक्षा

5.4.5.1 विजन प्रलेख के अनुसार खाद्य परीक्षण, जागरूकता सृजन तथा क्षमता-निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के लिए परिवर्तित एफएसडब्ल्यू नाम से नई एफएसडब्ल्यू तैयार की गई है। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को जीएसटी को छोड़कर ₹ 37 लाख (अनुमानित) लागत वाली पूर्ण रूप से तैयार परिवर्तित एफएसडब्ल्यू (उपस्कर, कुछ हस्तचालित युक्तियों/रैपिड किटों तथा सूक्ष्मजैविक परीक्षण सुविधा सहित) उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रचालन व्यय के रूप में 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की आवर्ती राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है।

5.4.5.2 अवधि के दौरान राज्यों को 2 और परिवर्तित एफएसडब्ल्यू उपलब्ध कराई गईं, जिससे उन्हें उपलब्ध कराई गई परिवर्तित एफएसडब्ल्यू की कुल संख्या 30 हो गई है। ये परिवर्तित एफएसडब्ल्यू अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब और राजस्थान को उपलब्ध कराई गईं।

आकृति 7 – एफएसडब्ल्यू वैन का आंतरिक दृश्य



आकृति 8 – एफएसडब्ल्यू का बाह्य दृश्य



5.4.6 खाद्य परीक्षण के लिए क्षमता-निर्माण


5.4.6.1 क्षमता-निर्माण देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के ईकोसिस्टम के सशक्तीकरण तथा उन्नयन का अनिवार्य घटक है। इस गतिविधि का परम ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि सभी राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ एनएबीएल प्रत्यायन लें तथा वे देश में श्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में से एक बनें। सभी अधिसूचित प्रयोगशालाएँ, राज्य खाद्य प्रयोगशालाएँ तथा रेफरल प्रयोगशालाएँ इस कार्यक्रम में भाग ले सकती हैं।

5.4.6.2 कोविड-19 महामारी से शिक्षण की नई विधियाँ विकसित हो गई हैं। 2020-21 के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा विभिन्न लक्षित समूहों के लिए तीन प्रशिक्षण केंद्रों यथा फूड सेपटी सोल्यूशन सेंटर (एफएससी) व सेंटर फॉर माइक्रोबायोलोजिकल एनालाइसिस ट्रेनिंग (सी-एमएटी), एनएफएल गाजियाबाद और इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑन फूड सेपटी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन (आईटीसी-एफएसएन), मुंबई के सहयोग से कुल 410 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 67,285 व्यक्तियों ने भाग लिया। इनमें सरकारी/निजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के कार्मिक, भूटान फूड रेगुलेटरी अथोरिटी के अधिकारी, विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य कारोबारी, उत्पादन तथा निर्यात उद्योग के कार्मिक, छात्र, उपभोक्ता, रसोइये, अनुसंधान सहयोगी, एपिडा कार्मिक इत्यादि शामिल थे।

5.4.6.3 इन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य ध्येय प्रयोगशाला में संभावित रासायनिक और सूक्ष्मजैविक खतरों के बारे में ज्ञान और जानकारी देना था। प्रशिक्षण के विषयों में आम सूक्ष्मजैविक प्रयोगशाला उपस्करों की हैंडलिंग और अंशशोधन, मानक पद्धति वैधीकरण और गुणता नियंत्रण प्रक्रियाएँ, संदर्भ और संसाधन, सुरक्षा डैटा शीटें (एसडीएस), वैयक्तिक संरक्षी उपस्कर, धुआँ हुड, रासायनिक स्पिल रिस्पोंस, रासायनिक अपशिष्ट निपटान, ज्वलनशील द्रव, तथा संपीडित गैसों, प्रयोगशाला सुरक्षा प्रबंधन के बारे में अतिरिक्त जानकारी, एलसी-एमएस/एमएस का प्रयोग करते हुए न्यूट्रास्युटिकल्स और आहारिक पूरकों में विटामिनो का विश्लेषण तथा आईसीपी-एमएस (लेश तत्व विश्लेषण) में सीधे

प्रशिक्षण शामिल थे। तकनीकी विषयों के साथ साथ इसमें सामान्य विषय यथा खाद्य सहयोज्यों की सुरक्षा और उनका विनियमन, आयातित खाद्यों में लेबलों की जाँच, कोविड-19 के संबंध में भ्रम-निवारण, घर में खाद्य सुरक्षा, इन्फोल्नेट के बारे में प्रशिक्षण, पीसीक्यूआई प्रशिक्षण, ईट राइट चैलेंज भी शामिल थे।

आकृति 9 – ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की झलक



5.5 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में जिला स्तर पर नमूना प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन

5.5.1 एफ.एस.एस.ए.आई देश के सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की कोल्ड चेन सुविधाओं के साथ नमूना प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) का प्रभावी नेटवर्क बना रही है। इस योजना के तहत जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा मशीनरी को नमूना संग्रहण युक्तियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। एसएमएस के निम्नलिखित घटक हैं –

- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए सुवाह्य चिल बॉक्स तथा बैकपैक शैली के प्रतिचयन बैग। इन बक्सों/बैगों से उन नाशवान नमूनों के उचित संग्रहण तथा भंडारण में सहायता मिलेगी, जिन्हें परिवहन के दौरान निम्न तापमान की आवश्यकता होती है तथा नमूने को सुरक्षित रखना जरूरी होता है।
- अभिनामित अधिकारियों अथवा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रयोग के लिए वाहन-आरूढ़ योग्य कोल्ड चेन दक्ष बक्से। इन बक्सों से क्षेत्रों से लिए गए नमूने प्रयोगशाला अथवा खाद्य सुरक्षा मशीनरी को यथाशीघ्र पहुँचाने में मदद मिलेगी।

- अभिनामित अधिकारियों द्वारा विनियामक खाद्य नमूनों के काउंटर-पार्ट रखने के लिए पर्याप्त क्षमता (लगभग 1500 लीटर) के बड़े डीप फ्रीजर तथा आम भंडारण कैबिनेट।

5.5.2 यथा दिनांक 31 मार्च, 2021 तक राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की इस योजना के क्रियान्वयन की तैयारी व प्राप्त मांगों के अनुसार एसएमएस घटक 22 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को वितरित और संस्थापित किए गए। ये राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तमिल नाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। अन्य आठ (08) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, लद्दाख, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तराखंड को भी एसएमएस के घटक मिल गए हैं और वे उन्हें संस्थापित करा रहे हैं।

आकृति 10 – एसएमएस घटक



कॉम्पैक्ट कैबिनेट चिल्लर, फ्रीजर एम्बिएंट

वाहन आरोपित फ्रीजर यूनिट

सुवाह्य चिल बॉक्स

बैक पैक

5.6 प्रतिचयन और विश्लेषण मैनुअल/पद्धतियाँ

प्रतिचयन और विश्लेषण पद्धति वैज्ञानिक पैनल तथा वैज्ञानिक समिति की अनुशंसाओं के आधार पर खाद्य प्राधिकरण ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित विश्लेषण पद्धति मैनुअल और पद्धतियों का अनुमोदन किया :

- संशोधित खाद्य विश्लेषण पद्धति मैनुअल – कवकविष
- संशोधित खाद्य विश्लेषण पद्धति मैनुअल – तेल और वसा
- संशोधित खाद्य विश्लेषण पद्धति मैनुअल – मसाले, जड़ी-बूटियाँ और कंडिमेंट
- एलसी-एमएस/एमएस द्वारा शहद में 2-एसिटिलफयूरान- 3-ग्लुकोपायरैनोसाइड (एएफजीपी)/ 3-O- α -D-ग्लुकोसिल आइसोमाल्टोल ज्ञात करने की पद्धति।
- शहद में तात्विक विश्लेषण (ईए)/द्रव क्रोमैटोग्राफी(एलसी)-इलेक्ट्रो रेसियो मास स्पेक्ट्रोमीटरी (ईए/एलसी-आईआरएमएस) द्वारा $\Delta\delta^{13}C_{\text{fru\&glu}}$, $\Delta\delta^{13}C_{\text{max}}$ और बाहरी ओलिगोसैक्कराइड प्राक्कलन की पद्धति।

- vi) खाद्य में दृढ़ीकृत तत्व (पाइरिडोक्सिन, फोलिक अम्ल व जिंक) के विश्लेषण की पद्धति।
- vii) बच्चों के लिए फॉर्मूला-पूरकों के विश्लेषण की पद्धति।
- viii) शहद में कुल पराग तथा पादप तत्वों की गणना की पद्धति।
- ix) चाय में लौह चूर्ण ज्ञात करने की पद्धति।

5.7 निगरानी गतिविधियाँ

5.7.1 खाद्य तेल सर्वे (बूस्ट-सेफ)-2020

5.7.1.1 प्रायः ऐसी रिपोर्टें आती रहती हैं कि देश में खाद्य तेलों का अपमिश्रण करके बेचा जा रहा है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने देश में वनस्पति तेलों की गुणता का आकलन करने तथा अपमिश्रण के खास स्थानों का पता लगाने के लिए 25 से 27 अगस्त, 2020 तक अखिल भारतीय खाद्य तेल गुणता सर्वे करवाया था।

5.7.1.2 यह सर्वेक्षण 16 प्रकार के तेलों के लिए विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में एक साथ किया गया जिसमें जिला स्तर के क्षेत्र शामिल थे। नमूने राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए। मेट्रो शहरों से लगभग 50 नमूने लिए गए। अन्य क्षेत्रों से 6 से 8 नमूने लिए गए। देश के 27 राज्यों और 5 संघशासित क्षेत्रों के 584 जिलों से कुल 4,461 नमूने लिए गए। इन नमूनों का विश्लेषण एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा मान्यता-प्रदत्त 43 प्रयोगशालाओं ने 161 मानदंडों के लिए परीक्षण किया गया।

5.7.1.3 खाद्य तेल सर्वे-2020 के मुख्य परिणाम-

- विश्लेषित 4,461 नमूनों में से 1371 नमूने (लगभग 30%) एक या अधिक मानदंडों में विफल पाये गए। जिन ऊपर के 5 राज्यों में अधिकतम नमूने विफल हुए, वे उत्तर प्रदेश (289), तमिल नाडु (174), तेलंगाना (115), छत्तीसगढ़ (88) और कर्नाटक (84) हैं।
- जो मुख्य 5 तेल विफल हुए, वे सरसों का तेल (379), सोयाबीन तेल (168), सम्मिश्र तेल (134), मूँगफली का तेल (132) तथा पॉम ऑयल (118) हैं।
- यह भी पाया गया कि अधिकांश तेलों में अधिकतम नमूने (राज्य-निरपेक्ष) रासायनिक परीक्षणों में विफल हुए, उसके बाद वसीय अम्ल प्रोफाइलों तथा गलत लेबलों में विफल हुए।

5.7.1.4 परिणाम और चर्चा

- लिए गए नमूनों में से लगभग 30 प्रतिशत नमूने 161 मानदंडों में से एक या अधिक में विफल हुए। उत्तर प्रदेश में लगभग 50% अर्थात् 533 में से 289 नमूने विफल हुए। विश्लेषित 16 विभिन्न खाद्य तेलों में से अलसी के तेल (जिसके केवल 2 नमूने लिए गए) को छोड़कर

लगभग सभी अधिकांश मानदंडों में विफल हो गए। सरसों के स्थानीय ब्रांड अधिकतम विफल हुए, जो चिंताजनक है।

- इसके अतिरिक्त इस तेल सर्वेक्षण में प्रमुख ब्रांड भी कुछ मानदंडों में विफल हुए।

5.7.2 दुग्ध उत्पाद सर्वे-2020

5.7.2.1 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने देश के विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में त्योहारों के अवसर पर बेचे जाने वाले दुग्ध उत्पादों की गुणता और सुरक्षा का आकलन करने तथा अपमिश्रण के खास स्थानों का पता लगाने के लिए दिनांक 12-13 नवंबर, 2020 को अखिल भारतीय दुग्ध उत्पाद सर्वेक्षण-2020 करवाया था।

5.7.2.2 प्रतिचयन और विश्लेषण का क्षेत्र

यह सर्वे देश के विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में जिला स्तर पर एक साथ कराया गया था। सर्वे में खोया, पनीर, छेना, पनीर/छेना-आधारित मिठाई और खोया-आधारित मिठाई का सर्वे किया गया। दुग्ध उत्पादों के नमूने राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए। 27 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के 535 जिलों से कुल 2,807 नमूने लिए गए। नमूनों का विश्लेषण खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 के अनुसार रासायनिक, जैविक तथा सुरक्षा मानदंडों (भारी धातु, संदूषक और पेस्टीसाइड अवशिष्ट) के लिए नैशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एनसीएमएल) द्वारा किया गया।

5.7.2.3 दुग्ध उत्पाद सर्वेक्षण-2020 के मुख्य परिणाम

- परीक्षित नमूनों में से 56% एफएसएसआर, 2011 की अपेक्षाओं के अनुरूप थे।
- मणिपुर में 91% स्तर पर सर्वाधिक अनुपालन पाया गया। उसके बाद हिमाचल और मेघालय दोनों में 78% अनुपालन पाया गया। गोआ और दमन और दीव का अनुपालन 30% स्तर पर पाया गया। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 0% स्तर पर न्यूनतम अनुपालन हुआ (अर्थात् कोई भी नमूना पास नहीं हुआ)।
- सूक्ष्मजैविक मानदंडों में स्वच्छता संबंधी मानदंडों में अधिकतम असफलता (93%) पाई गई, जिनमें एरोबिक प्लेट काउंट, खमीर और मवक, कोलिफॉर्म, ई. कोली, और एस. ओरियस हैं।
- रासायनिक मानदंडों में अपमिश्रक सबसे बड़ी चिंता का विषय हैं। अपालनकर्ता नमूनों में से 57% में अपमिश्रक पाए गए। तथापि, अपमिश्रकों की किस्म इस सर्वेक्षण के विषय-क्षेत्र से बाहर थी।

5.7.2.4 परिणाम और चर्चा

- अधिकांश मामलों में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची IV तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग)

विनियम, 2011 में विहित स्वच्छता और साफ-सफाई संबंधी सामान्य अपेक्षाओं का पैकेजबंद उत्पादों के संबंध में अनुपालन में कमी देखने में आई तथा उनका खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। दुग्ध उत्पादों में एफलाटोक्सिन एम1 के लिए कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दूध के लिए इसकी अधिकतम सीमा 0.5 पीपीबी है, दुग्ध-आधारित उत्पादों के लिए इसकी सीमा निर्धारित करना विचारणीय है।

- मौजूदा सर्वेक्षण में छेना, पनीर, और खोया के लगभग 16% नमूनों में एफलाटोक्सिन की मात्रा 0.5 पीपीबी से अधिक पाई गई।
- जिन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में अपालन के मामले अधिक हैं, उनमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से सख्त मॉनिटरिंग की जाए।

5.7.3 शहद सर्वेक्षण 2021

5.7.3.1 शहद मधुमक्खियों द्वारा पादप मकरंद अथवा जीवित पौधों के स्रावों अथवा पौधों के जीवित भागों पर पादप-चूषी कीटों के स्रावों द्वारा तैयार किया गया प्राकृतिक मीठा पदार्थ होता है, जिसे मधु-मक्खियाँ इकट्ठा करके उसे अपने विशिष्ट पदार्थ से मिलाकर शहद के छत्ते में जमा कर देती हैं। फिर उसे सूखने तथा पकने के लिए छोड़ देती हैं।

5.7.3.2 तथापि शहद का गोल्डन सिरप/इन्वर्ट शूगर/राइस सिरप से अपमिश्रण चिंता का विषय है। इस मुद्दे से निपटने तथा इस संबंध में विश्लेषणात्मक डेटा प्राप्त करने के लिए एफ.एस.एस.आई ने शहद पर एक सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया। निर्णय लिया गया कि बाजार से नमूने लिए जाएँ तथा केंद्रीय मधु-मक्खी पालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (सीबीआरटीआई), पुणे से शुद्ध शहद के नमूने लिए जाएँ।

5.7.3.3 प्रतिचयन और विश्लेषण का क्षेत्र

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने शहद सर्वेक्षण करने के लिए कॉफ-एनडीडीबी को अनुमोदन प्रदान किया था, जिसने बाजार में उपलब्ध शहद के साथ-साथ शुद्ध शहद के विश्लेषणात्मक डेटा प्राप्त करने के लिए यह सर्वेक्षण देश भर में 11 जनवरी, 2021 को किया।
- इस सर्वेक्षण में शहद के कुल 675 नमूने लिए गए, जिनमें भारत के 4 क्षेत्रों से 150-150 नमूने (कुल 600 नमूने) लिए गए तथा एकपुष्पी, बहुपुष्पी और सम्मिश्र शुद्ध शहद के 25-25 नमूने (कुल 25×3=75 नमूने) लिए गए।
- आर्सेनिक (आईसीपी-एमएस) एवं टीएमआर विश्लेषण सहित नमूनों का परीक्षण एफ.एस.एस.आर, 2011 में निर्धारित गुणता तथा सुरक्षात्मक मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है। इस में मुख्य ध्यान एसएमआर, एससीआईआरए, पराग कण माप, डायस्टेस गतिविधि, प्रोलीन मात्रा, व फ्रूक्टोस-ग्लूकोस अनुपात पर होगा।

5.7.3.4 लिए गए नमूनों का विश्लेषण अभी किया जा रहा है।

5.8 द्रुत विश्लेषण खाद्य परीक्षण (आरएएफटी) किट/उपस्कर/पद्धति

- 5.8.1** खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) प्रथम संशोधन विनियम, 2020 के विनियम 2.4 के अनुसार एफ.एस.एस.ए.आई को द्रुत विश्लेषण खाद्य परीक्षण किट, उपस्कर अथवा पद्धति का अनुमोदन करने का अधिदेश है। इसका प्रयोजन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफएसओ) अथवा चल परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा स्वस्थाने क्षेत्र परीक्षण करना अथवा खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण में तेजी लाना और लागत घटाना है। द्रुत खाद्य परीक्षण किट/उपस्कर/पद्धति से खाद्य का तत्क्षण “तीव्रतर, बेहतर, सस्ता” परीक्षण सुनिश्चित होता है। द्रुत खाद्य परीक्षण किट/उपस्कर/पद्धति पारंपरिक पद्धतियों की तुलना में साइज की दृष्टि से बेहतर, परीक्षण के लिए लिये गए समय की दृष्टि से तीव्रतर तथा लागत प्रभाविता की दृष्टि से सस्ता है। एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अनुमोदित द्रुत खाद्य परीक्षण किट/उपस्कर का उपयोग केवल स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए किया जाएगा। द्रुत खाद्य परीक्षण किट/उपस्कर/पद्धति के अनुमोदन की प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश भी तैयार हैं।
- 5.8.2** एफ.एस.एस.ए.आई ने आर.एफ.ए.टी. स्कीम के अंतर्गत द्रुत खाद्य परीक्षण किट/उपस्कर/पद्धति के अनुमोदन के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अनुशंसाओं के अंगीकरण/क्रियान्वयन से पहले उनकी अभिपुष्टि प्रतिचयन और विश्लेषण पद्धति वैज्ञानिक पैनल द्वारा तथा अनुमोदन सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।
- 5.8.3** अवधि के दौरान 54 आवेदनों की समीक्षा की गई, जिनमें से 33 का अंततः अनुमोदन किया गया, एक का अनंतिम अनुमोदन किया गया तथा शेष 20 को अस्वीकृत किया गया। 2019 में राफ्ट योजना की शुरुआत के बाद कुल 124 आवेदनों की समीक्षा की जा चुकी हैं, जिनमें से 65 को अंतिम अनुमोदन दिया गया, 11 को अनंतिम अनुमोदन दिया गया तथा शेष 48 को अस्वीकृत किया गया। राफ्ट योजना से संबंधित पूरी सूचना एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट के लिंक <https://fssai.gov.in/cms/raft.php> पर उपलब्ध है।

5.9 खाद्य सुरक्षा मैजिक बॉक्स

- 5.9.1** एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य सुरक्षा मैजिक बॉक्स (एफएसएमबी) तैयार किया है, जो एक ‘स्वयं करें’ खाद्य सुरक्षा परीक्षण किट है तथा जिसका ध्येय स्कूली बच्चों के लिए शैक्षिक साधन बनना है। इस पहल से छात्र खाद्य के बारे में साधारण तथा मस्ती भरे प्रयोगों में लगेंगे, उनमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी तथा उनकी रचनात्मक प्रतिभा निखरेगी। यह छोटा, सुवाह्य बॉक्स है, जिसमें कुछ रसायन, कुछ छोटे-छोटे उपकरण तथा सुरक्षा गैजेट हैं। इसमें एक मार्गदर्शिका भी है, जिसमें विभिन्न खाद्य उत्पादों का परीक्षण बहुत सरल तरीके से बताया गया है। इससे दूध में पानी, यूरिया, अपमार्जक, मांड, साबुन का चूरा; मसालों और कंडिमेंट्स में मांड तथा कृत्रिम रंग; बीवरेजों में खनिज अम्ल; शर्करा और शहद में अपमिश्रण इत्यादि ज्ञात किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर 100 अति सरल परीक्षण, जिनमें ऐंद्रिक परीक्षण भी शामिल हैं, किए जा सकते हैं। इनसे स्कूलों की प्रयोगशालाओं में आसानी से उपलब्ध सामग्रियों से वैज्ञानिक अभ्यास हो जाते हैं। अवधि के दौरान देश भर से ईट राइट चैलेंज के माध्यम से चुने गए स्कूलों को कुल 618 बक्से वितरित किए गए।

सारणी 16 – देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य / संघशासित क्षेत्र	एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ			एफएसएस अधिनियम की धारा 98 के तहत राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	दिनांक 31.12.2020 से धारा 98 की परिधि से बाहर की गई राज्य खाद्य प्रयोगशालाएँ	एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के तहत अधिसूचित रेफरल प्रयोगशालाएँ
		सरकारी		निजी			
		राज्य	अन्य संस्थाएँ				
1	अंडेमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—
2	आंध्र प्रदेश	—	1	5	—	1	1
3	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
4	असम	1	—	—	—	—	—
5	बिहार	—	—	—	—	1	—
6	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
7	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	1	—
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	—	—	1	—	—	—
9	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	—	20	—	—	—
10	गोआ	—	—	1	—	1	—
11	गुजरात	4	—	10	—	1	1
12	हरियाणा	—	1	15	—	2	1
13	हिमाचल प्रदेश	—	—	1	—	1	—
14	जम्मू और कश्मीर	—	1	—	1	1	—
15	झारखंड	—	—	1	—	1	—
16	कर्नाटक	—	—	13	—	5	2
17	केरल	3	6	7	—	—	2

क्रम सं.	राज्य / संघशासित क्षेत्र	एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ			एफएसएस अधिनियम की धारा 98 के तहत राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	दिनांक 31.12.2020 से धारा 98 की परिधि से बाहर की गई राज्य खाद्य प्रयोगशालाएँ	एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के तहत अधिसूचित रेफरल प्रयोगशालाएँ
		सरकारी		निजी			
		राज्य	अन्य संस्थाएँ				
18	लद्दाख	—	—	—	—	—	—
19	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
20	मध्य प्रदेश	—	—	8	1	—	—
21	महाराष्ट्र	2	3	25	2	13	3
22	मणिपुर	—	—	—	—	1	—
23	मेघालय	—	—	—	1	—	—
24	मिजोरम	—	—	—	—	—	—
25	नागालैंड	—	—	—	1	—	—
26	ओडिशा	—	—	1	1	—	—
27	पुदुचेरी	—	—	—	—	1	—
28	पंजाब	—	1	2	1	—	1
29	राजस्थान	1	1	5	7	—	—
30	सिक्किम	—	—	—	—	1	—
31	तमिल नाडु	—	1	17	1	6	2
32	तेलंगाना	1	—	9	—	—	3
33	त्रिपुरा	—	1	—	—	1	—
34	उत्तर प्रदेश	3	4	5	2	1	2
35	उत्तराखंड	—	—	1	1	—	—
36	पश्चिम बंगाल	1	5	4	—	—	1
	योग	17	25	151	19	39	19

खाद्य आयात

6.1 खाद्य आयात संक्षेप में

- 6.1.1** खाद्य उत्पादों का आयात खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 के तहत विहित खाद्य प्राधिकरण के अधिदेशों में से एक है। अधिनियम में यह स्पष्ट कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारत में ऐसे खाद्य उत्पाद का आयात नहीं करेगा, जिससे अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों का उल्लंघन होता हो, उदाहरणार्थ कोई असुरक्षित अथवा गलत ब्रांड वाला अथवा घटिया खाद्य अथवा बाहरी सामग्रियों से युक्त खाद्य, तथा साथ ही जिसके आयात के लिए लाइसेंस न लिया गया हो। इसमें यह भी उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का संख्यांक 22) के तहत किसी खाद्य वस्तु के आयात पर प्रतिषेध, प्रतिबंध अथवा उसे अन्यथा विनियमित करते समय इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के तहत खाद्य प्राधिकरण द्वारा विहित मानकों का अनुपालन करेगी।
- 6.1.2** भारत में आयातित खाद्य उत्पाद के विनियमन के संबंध में खाद्य प्राधिकरण ने दिनांक 9 मार्च, 2017 को खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 अधिसूचित किए थे, जिनमें खाद्य आयात के लिए विस्तृत विवरण दिए गए हैं। इस प्रकार खाद्य आयात की प्रक्रिया को आसानी से समझने योग्य बना दिया गया है। एफ.एस.एस.ए.आई के अपने प्राधिकृत अधिकारी 9 स्थानों अर्थात् चैन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, कोच्चि, टुटिकोरिन, मुंद्रा, कांडला और कृष्णापट्टनम् पर मौजूद हैं, जो प्रवेश के 44 स्थानों का कार्य संभालते हैं। एफ.एस.एस.ए.आई की ऑनलाइन खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (एफआईसीएस) स्विफ्ट (सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैंसिलिटेटिंग ट्रेड) के अंतर्गत सीमा शुल्क के आइस-गेट (इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रानिक कॉमर्स/इलेक्ट्रानिक डैटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे) से जुड़ी है। खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 में जोखिम के आधार पर चुनिंदा खाद्य वस्तुओं के नमूने लेने का उपबंध है। जोखिम का यह आकलन कई घटकों के आधार पर किया जाता है। एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य उत्पादों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के मानदंड निश्चित किए हुए हैं।
- 6.1.3** सीमा शुल्क ने कतिपय मानदंडों, यथा खाद्य वस्तुओं की जोखिम श्रेणी, आयातकों का अनुपालन इतिहास तथा उत्पत्ति के देश के आधार पर एफ.एस.एस.ए.आई के परामर्श से आइसगेट के माध्यम से आरएमएस को पहले ही लागू कर दिया है। एक ही देश तथा एक ही आयातक से उच्च जोखिम की खाद्य वस्तुओं के आयात की स्थिति में प्रथम 5 वाणिज्यिक खेपों का 100% प्रतिचयन तथा परीक्षण किया जाता है। सभी नमूने एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए जाने पर अगली 20 खेपों में से 25% प्रतिचयन और परीक्षण किया जाता है। सभी नमूने अनुरूप पाए जाने पर बाद की सभी खेपों में से 5% नमूने लिए जाते हैं। किसी भी चरण पर

नमूने अनुरूप न पाये जाने पर आयातक का पूरा इतिहास शून्य हो जाता है तथा खेपों का 100% प्रतिचयन और परीक्षण किया जाता है।



- 6.1.4** उत्पत्ति के एक ही देश और एक ही आयातक से अल्प जोखिम की खाद्य वस्तुओं के आयात की स्थिति में प्रथम 5 वाणिज्यिक खेपों का 100 प्रतिचयन और परीक्षण किया जाता है। सभी नमूने एफएसएस विनियमों में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पाए जाने पर बाद की सभी खेपों में से 5% नमूने लिए जाते हैं। किसी भी चरण पर नमूने अनुरूप न पाये जाने पर आयातक का पूरा इतिहास शून्य हो जाता है तथा खेपों का 100% प्रतिचयन और परीक्षण किया जाता है।
- 6.1.5** एफ.एस.एस.ए.आई की खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (फिक्स) पेपररहित है, जिसके तहत आयातित खाद्य वस्तुओं के आयात के स्थान पर पहुँचने पर तथा संबंधित सीमा शुल्क अधिकारियों से जाँच के आदेश प्राप्त होने के बाद खाद्य आयातक/सीएचए सीमा शुल्क द्वारा विहित समेकित घोषणा फॉर्म भर कर प्रस्तुत करता है तथा वह फॉर्म फिक्स को अग्रेषित कर दिया जाता है। फिक्स पर आयातक द्वारा अनिवार्य प्रलेख (संघटकों की सूची, लेबल की नमूना प्रति, अंत्य उपयोग घोषणा, बिल ऑफ एंट्री, उत्पत्ति के देश संबंधी प्रमाण-पत्र, एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस) तथा अन्य प्रलेख भी ऑनलाइन ही जमा कराने होते हैं। आयातक/सीएचए द्वारा प्रस्तुत सभी प्रलेखों की प्राधिकृत अधिकारी (ए.ओ.) द्वारा जाँच की जाती है तथा आयातित खाद्य वस्तुओं की खाद्य सुरक्षा और मानक संबंधी विभिन्न विनियमों में विहित तथा स्थापित सुरक्षा और गुणता संबंधी मानदंडों के प्रति अनुरूपता की जाँच करने के लिए चाक्षुष निरीक्षण, प्रतिचयन तथा परीक्षण किया जाता है। नमूने के मानदंडों के अनुरूप पाए जाने पर 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' जारी हो जाता है अन्यथा अपालन रिपोर्ट जारी होती है, जिसे सीमा शुल्क को ऑनलाइन भेज दिया जाता है।
- 6.1.6** आयातित खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने आयातित खाद्य वस्तुओं के प्रवेश के 22 अतिरिक्त स्थानों (हवाई अड्डों/पत्तनों/ आईसीडी/एसईजेड/एलसीएस) पर दिनांक 10 मार्च, 2021 से एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में घोषित कर दिया है। इनमें मुद्रा, कांडला और कृष्णापट्टनम् भी शामिल हैं, जिनका प्रबंधन पहले सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जाता था। एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों की इन हवाई अड्डों/पत्तनों/ आईसीडी/एसईजेड/एलसीएस पर प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में अधिसूचना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 47(5) के साथ पठित धारा 25 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के विनियम 13(1) के तहत की गई है।
- 6.1.7** कोविड-19 महामारी के परिदृश्य में खाद्य सेवा/आपूर्ति अबाधित रूप से सुनिश्चित कराने तथा लॉकडाउन के दौरान व्यापार में आसानी के लिए कतिपय उपाय किए हैं, जिनमें आयातित कच्चे तेल (खाद्य ग्रेड) तथा खाद्यान्नों की खेपों के लिए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (पी-एनओसी) जारी करना शामिल है।

6.2 खाद्य आयात व्यापार सार


- 6.2.1** खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (फिक्स) में उपलब्ध 2020-21 के डेटा के अनुसार भारत में आयातित की जा रही मुख्य खाद्य श्रेणियाँ पशु अथवा वनस्पति वसाएँ और तेल; तैयार खाद्य वसा; खाद्य सब्जियाँ; खाद्य फल और गिरियाँ; नींबू प्रजाति के फलों अथवा मेलन के छिलके; तिलहन तथा

तेलोत्पादी फल, विविध अनाज, बीज और फल, कॉफी, चाय, मेट और मसाले; डेयरी उत्पाद; पक्षियों के अंडे; प्राकृतिक शहद; पशु मूल के खाद्य उत्पाद; सब्जियों, फलों, गिरियों अथवा पौधों के अन्य भागों की विनिर्मितियाँ; बीवरेज, सिरका और स्पिट; शर्करा और शर्करा मिष्टान्न; मछली और क्रस्टासियन, झींगा और अन्य जलीय कशेरुकी इत्यादि हैं। भारत को खाद्य वस्तुओं का निर्यात करने वाले मुख्य देश इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, यूक्रेन, कनाडा, अर्जेंटाइना, तंजानिया, यूएसए, मोजंबिक और इरान हैं।

आकृति 11 – शीर्ष 10 खाद्य श्रेणी, उत्पाद और उत्पत्ति के देश



उत्पत्ति के शीर्ष 10 देश (मात्रा-वार)



6.2.2 एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान लिये गए नमूनों की संख्या तथा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का विवरण सारणी 17 में दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई ने कुल 37,05,016 मीट्रिक टन की 52,932 आयातित खाद्य वस्तुओं को हेंडल किया। जहाँ तक एनओसी का संबंध है, 36,72,065 मीट्रिक टन की 51,913 खाद्य वस्तुओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

6.3 खाद्य आयात – व्यापार को निर्बाध बनाने के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान लिये गए महत्वपूर्ण निर्णय

- क. खाद्य सेवा/आपूर्ति निर्बाध सुनिश्चित कराने तथा लॉकडाउन के दौरान व्यापार को आसान बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत दिनांक 3 और 16 अप्रैल, 2020 को निर्देश जारी किए गए थे, जो 30 मई, 2020 तक वैध थे। ये निर्देश आयातित कच्चे तेल (खाद्य ग्रेड) की खेपों तथा खाद्यान्नों के लिए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (पी-एनओसी) जारी करने के बारे में थे। इनमें प्राधिकृत अधिकारियों को कहा गया था कि वे खेप का चाक्षुष निरीक्षण उसके आने के दिन ही करें तथा निरीक्षण संतोषजनक होने पर नमूने लेकर प्रयोगशाला से विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना अस्थायी एनओसी जारी कर दें।
- ख. देश में दालों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने दिनांक 9 नवंबर, 2020 के अपने आदेश द्वारा सूचित किया कि दालों के आयातक एफ.एस.एस.ए.आई के फिक्स पोर्टल पर बिल ऑफ एंट्री अग्रिम रूप में फाइल कर दें तथा प्राधिकृत अधिकारियों को कहा गया कि वे आयातित दालों की खेपों की खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रक्रिया बिना विलम्ब प्राथमिकता के आधार पर पूरी करें।
- ग. शहद की गुणता सुनिश्चित करने तथा उसके उत्पादन में आयातित गोल्डन सिरप/इन्वर्ट शूगर सिरप/राइस सिरप के दुरुपयोग को रोकने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने दिनांक 20 मई, 2020 को सभी आयातकों/भारत में उक्त उत्पाद के आयातक खाद्य कारोबारियों को निर्देश

जारी किए कि वे निर्मुक्ति से पहले जाँच के समय प्राधिकृत अधिकारियों को उत्पादक तथा अंत्य आपूर्ति प्राप्तकर्ता संबंधी आवश्यक कागजात प्रस्तुत करें। आगे, प्राधिकृत अधिकारियों को कहा गया कि वे केवल आवश्यक कागजात प्राप्त होने के बाद तथा एफ.एस.एस.ए.आई की अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति के बाद ही उक्त उत्पादों की निर्मुक्ति जारी करें तथा यह भी कि वे उक्त उत्पादों की आयातित खेपों की निर्मुक्ति के विवरण संबंधित केंद्रीय अभिनामित अधिकारी को दें।

- घ. दिनांक 20 अप्रैल, 2020 तथा 28 अक्तूबर, 2020 के आदेश द्वारा विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य अर्थात् उपापचय के जन्मजात दोषों तथा अल्प एलर्जी अवस्थाओं के खाद्य का आयात दिनांक 01 मई, 2021 तक अथवा उनके मानक अधिसूचित होने तक, जो भी पहले हो, अनुमत किया गया। ऐसे आयात केवल दिल्ली और मुंबई पत्तनों के माध्यम से ही अनुमत किए गए।
- ङ. दिनांक 21 अगस्त, 2020 तथा 03 दिसंबर, 2020 के आदेश द्वारा एफ.एस.एस.ए.आई ने 01 मार्च, 2021 से 24 फसलों की आयातित खाद्य खेपों के साथ गैर-जीएम-सह-जीएम मुक्त प्रमाण-पत्र साथ लगाना अनिवार्य कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में केवल गैर-जीएम खाद्य फसलों का ही आयात हो।
- च. भारत में सुरक्षित खाद्य का आयात सुनिश्चित कराने के प्रयोजन से प्रवेश के स्थानों पर सशक्त विनियमात्मक ढाँचा बनाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य आयात के प्रवेश के 22 स्थानों (हवाई अड्डों/पत्तनों/आईसीडी/एसईजेड/एलसीएस) पर अपने अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया। यह स्थान पहले सीमा शुल्क के अधिकारियों की देख-रेख में थे। यह मुंद्रा, कांडला और कृष्णापट्टनम् में दिनांक 10 मार्च, 2021 से एफ.एस.एस.ए.आई के नए आयात कार्यालय खोलने के परिणामस्वरूप हो सका।

सारणी 17 – दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के खाद्य आयात निर्मुक्ति संबंधी आँकड़े

पत्तन	आयातित खाद्य वस्तुओं की संख्या	कुल मात्रा (एमटी*)	जारी किए गए एनओसी की संख्या	जारी किए गए एनओसी से संबंधित मात्रा (एमटी*)
चैन्नई	7,860	11,00,204	7,748	10,98,237
कोच्चि बंदरगाह और हवाई अड्डा	2,038	32,733	1,927	31,451
दिल्ली	5,279	41,079	5,162	40,431
दिल्ली एनसीआर	45	1,219	44	1,215
कांडला*	30	13,768	30	13,768
कोलकाता	1,933	7,19,916	1,903	7,01,669

पत्तन	आयातित खाद्य वस्तुओं की संख्या	कुल मात्रा (एमटी*)	जारी किए गए एनओसी की संख्या	जारी किए गए एनओसी से संबंधित मात्रा (एमटी*)
कोलकाता हवाई अड्डा	107	160	102	160
कृष्णापट्टनम्*	27	57,024	26	57,006
मुंबई एअर कार्गो	2,097	989	2,058	982
मुंबई बंदरगाह	14	9,577	14	9,577
मुंबई- जेएनपीटी न्हावा सेवा	31,784	14,38,605	31,216	14,29,009
मुंद्रा*	360	10,765	355	10,694
टुटिकोरिन	1,358	2,78,976	1,328	2,77,865
योग	52,932	37,05,016	51,913	36,72,065

तारांकित (*) स्थानों के आँकड़े दिनांक 10.03.2021 से 31.03.2021 तक की अवधि के हैं।

खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण

7.1 खाद्य हैंडलर्स का प्रशिक्षण – खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक)

7.1.1 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(3)(ज) के तहत एफ.एस.एस.ए.आई को उन व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा और मानकीकरण में उनके अपने यहाँ अथवा बाहर प्रशिक्षण देने का अधिदेश है, जो खाद्य कारोबारी हैं अथवा जो खाद्य कारोबारी अथवा कर्मचारी अथवा अन्य रूप में खाद्य कारोबार में आना चाहते हैं। इस अधिदेश के अनुसार एफ.एस.एस.ए.आई ने देश में खाद्य हैंडलर्स को प्रशिक्षण देने के लिए दिनांक 17 मई, 2017 को 'खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन' कार्यक्रम आरंभ किया। यह खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची IV पर आधारित अच्छी स्वच्छता और उत्पादन रीतियों पर वृहद् स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका ध्येय क्षमता-निर्माण के माध्यम से खाद्य कारोबारियों में स्व-अनुपालन की संस्कृति पनपाना है। इस कार्यक्रम को तेजी से अपनाया गया तथा मार्च, 2020 तक लगभग तीन लाख खाद्य हैंडलर्स को प्रशिक्षण दे दिया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबंधन प्रशिक्षण सहयोगियों द्वारा किया जाता है तथा इनमें व्याख्यान प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा दिए जाते हैं। 200 से अधिक प्रशिक्षण सहयोगी तथा 2,100 प्रशिक्षक फोस्टैक ईकोसिस्टम के अंग हैं। खाद्य हैंडलर्स को भौतिक प्रशिक्षण दिया गया तथा खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ उनके संपर्क से उन्हें खाद्य सुरक्षा विनियमों के अनुपालन में सहायता मिली। मार्च, 2020 में कोविड महामारी के फैलने के कारण भौतिक प्रशिक्षण रुक जाने से पूरा फोस्टैक ईकोसिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया।

7.1.2 कोविड-19 महामारी फैलने के बाद एफ.एस.एस.ए.आई ने निम्नलिखित दो मुख्य कदम उठाए:

क) फोस्टैक कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल, 2020 में कोविड-19 के निवारक उपायों पर खाद्य हैंडलर्स के लिए विशेष ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किया। विशेषज्ञों ने खाद्य हैंडलर्स को उनके कारोबार की किस्म के निरपेक्ष स्वैच्छिक रूप से प्रशिक्षण देने की सहमति दी। स्ट्रीट खाद्य विक्रेताओं के लिए विशेष कक्षाएँ ली गईं। लगभग 2,600 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 78,000 खाद्य हैंडलर्स को कोविड के निवारक उपायों पर प्रशिक्षण दिया गया।

ख) लॉकडाउन अवधि के दौरान आरंभ में खाद्य हैंडलर्स को फोस्टैक कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक प्रशिक्षण देना बंद करना पड़ा था। अक्टूबर, 2020 में नियमित 19 प्रशिक्षण माड्यूलों पर ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रशिक्षण आरंभ किए गए। कोविड-19 के निवारक उपायों

पर जागरूकता कार्यक्रम को इन 19 प्रशिक्षण माड्यूलों के साथ मिला दिया गया। वर्ष के दौरान 7,477 नियमित फोस्टैक प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनमें 2,24,729 खाद्य हैंडलर्स को प्रशिक्षण दिया गया। कुल मिलाकर मई, 2017 में फोस्टैक कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर 31 मार्च, 2021 की अवधि तक एफ.एस.एस.ए.आई ने 20,160 फोस्टैक प्रशिक्षण आयोजित किए, जिनमें 5 लाख से अधिक खाद्य हैंडलर्स को प्रशिक्षण दिया गया।

7.2 विनियामक स्टॉफ प्रशिक्षण

7.2.1 खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के अध्याय 2 के खंड 2.1.2 तथा 2.1.3 में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तथा अभिनामित अधिकारियों के प्रशिक्षण संबंधी उपबंध हैं। इस अधिदेश के मद्देनजर एफ.एस.एस.ए.आई ने वर्ष 2016 में इन अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण नीति तैयार की, जिसके अनुसार उन्हें परिचय प्रशिक्षण के साथ-साथ पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। इस नीति में एफ.एस.एस.ए.आई के नव-नियुक्त कार्मिक भी शामिल हैं।


7.2.2 उपर्युक्त प्रशिक्षण नीति में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 2020-21 के दौरान कई प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनके विवरण निम्नानुसार हैं:

अप्रैल-जून, 2020 – 17 राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों यथा आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली के 850 से अधिक विनियामक कार्मिकों अर्थात् खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, अभिहित अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 दिशा-निर्देशों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया।

जुलाई, 2020 – पश्चिम बंगाल (18), ओडिशा (12), पंजाब (18) और हरियाणा (3) के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 से 11 जुलाई, 2020 तक छह-दिवसीय ऑनलाइन परिचय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल 51 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

नवंबर-दिसंबर, 2020 – आंध्र प्रदेश (26), सिक्किम (4) तथा पश्चिम बंगाल (2) के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए दिनांक 23 नवंबर, 2020 से 02 दिसंबर, 2020 तक आठ-दिवसीय ऑनलाइन परिचय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल 32 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

जनवरी, 2021 – तेलंगाना (28) और हिमाचल प्रदेश (5) के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए दिनांक 11 जनवरी, 2021 से 20 जनवरी 2021 तक आठ-दिवसीय ऑनलाइन परिचय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल 33 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।



आकृति 12 – तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को ऑनलाइन परिचय प्रशिक्षण की कुछ झलकियाँ

7.3 एफ.एस.एस.ए.आई के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

एफ.एस.एस.ए.आई के पूरे देश में 160 नव-नियुक्त कार्मिकों को दो बैचों में प्रशिक्षण दिया गया। दोनों बैचों के लिए दो सप्ताह का कक्षा-प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान (एनआईएचएफडब्ल्यू) में प्रदान किया गया। 80 प्रशिक्षार्थियों के पहले बैच को प्रशिक्षण दिनांक 02 फरवरी, 2021 से 12 फरवरी, 2021 तक तथा 80 प्रशिक्षार्थियों के ही दूसरे बैच को प्रशिक्षण दिनांक 16 फरवरी, 2021 से 26 फरवरी, 2021 तक दिया गया। इस कक्षा-प्रशिक्षण के बाद दोनों बैचों को एक-एक सप्ताह का क्षेत्र दौरा/ अंतःकार्य प्रशिक्षण दिया गया।



आकृति 13 – एफएसएसएआई में नव-नियुक्त कार्मिकों का पहला बैच



आकृति 14 – एफएसएसएआई में नव-नियुक्त कार्मिकों का दूसरा बैच



आकृति 15 – एफएसएसएआई में नव-नियुक्त कार्मिकों के प्रथम बैच के परिचय प्रशिक्षण का उद्घाटन

सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन तथा ईट राइट इंडिया पहल

- 8.1** भारत में खाद्यजनित बीमारियों, अल्प पोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, मोटापे की बढ़ती समस्या तथा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग इत्यादि गैर संचारी रोगों की बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में सुरक्षित खाद्य और स्वास्थ्यकर आहार बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके परिपेक्ष में तथा जीवन के हर क्षेत्र अर्थात् घर, स्कूल, कार्य-स्थल, धार्मिक स्थल अथवा भोजनालय में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता तथा स्वास्थ्यकर आहार के प्रति नागरिकों में सामाजिक तथा व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने 2016-17 में एसएनएफ (सुरक्षित और पोषक आहार) योजना आरंभ की थी। इस पहल में तेजी लाकर देश में स्वास्थ्यकर आहार का वातावरण बनाने तथा सही पोषण से बेहतर स्वास्थ्य लाने के प्रति लोगों को शिक्षित करने के लिए एसएनएफ परियोजना को 'ईट राइट इंडिया' अभियान में बदल दिया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा तथा पोषण से संबंधित विनियमात्मक तथा गैर-विनियमात्मक दोनों प्रकार की विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं। मुख्य हितधारकों तथा नागरिकों को शामिल करते हुए यह अभियान 10 जुलाई, 2018 को शुरू किया गया। यह अभियान जन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के सरकार के तीन मुख्य कार्यक्रमों अर्थात् स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत और पोषण अभियान के अनुरूप है। ईट राइट इंडिया के तीन स्तंभ हैं अर्थात् सुरक्षित खाएँ, स्वास्थ्यकर खाएँ और सही खाएँ।
- 8.2** ईट राइट इंडिया की विभिन्न पहलों में अभिसरण और सहमति बनाने; मॉनिटरिंग तथा प्रभाव के आकलन; प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने तथा ईट राइट इंडिया पहल के तहत आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने एक अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति गठित की है। पहली बैठक दिनांक 15 जनवरी, 2021 को हुई। कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए मंत्रालयों/सम्बद्ध विभागों के साथ अलग-अलग कई अंतर-मंत्रालयी बैठकें भी की गईं। इन बैठकों का प्रयोजन अभिसरण के क्षेत्रों की पहचान करना, ध्येयों की प्राप्ति के बारे में नए विचार इकट्ठे करना तथा अपेक्षित कार्रवाई के बारे में निर्णय लेना है।
- 8.3** सुरक्षित खाद्य तथा स्वास्थ्यकर आहार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान उठाए गए कुछ विनियामक कदम निम्नानुसार हैं:
- प्रयुक्त कूकिंग तेल के हानिकार प्रभावों से बचने के लिए कूकिंग तेल में कुल पोलर कंपाउंडों की अधिकतम सीमा 25% निर्धारित करने वाले विनियमों की अधिसूचना।
 - लेबलिंग और प्रदर्शन संबंधी विनियमों की अधिसूचना, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य तथा विशिष्ट लेबलिंग अपेक्षाएँ दी गई हैं, यथा संघटकों की सूची, पोषण सूचना, ऊर्जा, कुल वसा, ट्रांस-फैट, कुल शर्करा और लवण तथा अनुशंसित आहार मान (आरडीए) में उनका योगदान इत्यादि शामिल हैं।

- iii) 2022 तक 'ट्रांस-फैट मुक्त भारत' के ध्येय को प्राप्त करने के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2022 तक तेलों और वसाओं में ट्रांस-फैट की सीमा भारतानुसार 2% से अनधिक तथा खाद्य उत्पादों में मौजूद तेल और वसा भारतानुसार 2% से अनधिक रखने संबंधी विनियमों की अधिसूचना।
- iv) स्कूलों में तथा उनके आस-पास सुरक्षित खाद्य और स्वास्थ्यकर आहार सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020 की अधिसूचना।

8.4 2020-21 के दौरान ईट राइट इंडिया की कुछ पहलों के संबंध में प्रगति

ईट राइट इंडिया पहल के अंतर्गत सुरक्षित, स्वास्थ्यकर तथा सही आहार संबंधी कई महत्वपूर्ण पहलों में पर्याप्त प्रगति हुई, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

8.4.1 स्वच्छता आकलन

स्वच्छता आकलन (हाइजीन रेटिंग) योजना का ध्येय खाद्य कारोबार में खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार लाना तथा बाहर खाना खाते समय उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में सहायता करना है। इस योजना को खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों (होटलों, रेस्टोरेंटों, कैफे इत्यादि), बेकरियों, मिठाई की दुकानों तथा मांस की खुदरा दुकानों में लागू किया जा रहा है। विनियमात्मक अपेक्षाओं का पालन करने के बाद 'स्वच्छता आकलन' योजना में शामिल होने वाले खाद्य कारोबारी अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं, जिसकी बाद में स्वच्छता आकलन ऑडिट एजेंसियों द्वारा जाँच की जाएगी। खाद्य प्राधिकरण ने 29 तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसियों व 12 अन्य एजेंसियों को स्वच्छता आकलन ऑडिट के लिए मान्यता दी है। इस समय देश में स्वच्छता आकलन ऑडिट करने वाले 200 से अधिक प्रशिक्षित स्वच्छता आकलन ऑडिटर हैं। आगे, भारत गुणता परिषद् ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्वच्छता आकलन ऑडिट एजेंसियों को मान्यता देने की योजना बनाई है। वर्ष 2020-21 के दौरान स्वच्छता आकलन योजना के लिए 2,995 खाद्य प्रतिष्ठानों ने नाम दिया, जिनमें से 1,790 ने सफलतापूर्वक प्रक्रिया को पूरा किया।

8.4.2 भोग (ईश को स्वच्छ आनंदमई अर्पण)

'भोग' धार्मिक स्थलों को अपने परिसर के खाद्य हैंडलर्स तथा आस-पास के क्षेत्रों में विक्रेताओं को सही खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छता के बारे में शिक्षित करके श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य तथा कल्याण का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करने की एक पहल है। इस पहल के अंतर्गत जिन धार्मिक स्थानों पर प्रसाद तैयार/हैंडल किए जाते हैं, उनकी पहचान करके उनका ऑडिट किया जाता है तथा उनके खाद्य हैंडलर्स को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी चरण सफलतापूर्वक पूरा करने पर पहचाने गए धार्मिक स्थल को मान्यता दे दी जाती है/प्रमाणित कर दिया जाता है। वर्ष के दौरान 9 स्थानों अर्थात् श्रीदिगंबर जैन सिद्धि क्षेत्र कुंडलगिरि मंदिर, दामोह और श्रीओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, खंडवा (मध्य प्रदेश); तारा देवी मंदिर (हिमाचल प्रदेश); अरुलमिगु पापनाशांतर मंदिर, पापनाशम्; मेलमरुवतुर स्वयंभू अरुलमिगु आदिप्रशक्ति सिद्धार पीठम्, काँचीपुरम् और अरुलमिगु कल्याण वेंकटरमन् स्वामी मंदिर, करूर (तमिल नाडु); स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर (नई दिल्ली);

श्री महावीर स्थान न्यास समिति, पटना (बिहार); और संकट मोचन मंदिर, लंका, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) को प्रमाणित किया गया। 31 मार्च, 2021 तक कुल 39 धार्मिक स्थानों का प्रमाणित किया जा चुका है।

8.4.3 'स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब'

'स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब' का ध्येय विद्यमान और स्थापित होने वाले स्ट्रीट फूड इकाईयों को उन्नत बनाना तथा स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता को फूड कोर्ट एवं स्थापित होटलों व रेस्त्रां के स्तर तक लाकर उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वच्छ स्थानीय भोजन का आनंद देना है। 'स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब' लोकप्रिय स्ट्रीट फूड को बेचने वाले विक्रेताओं/ दुकानों/ स्टॉलों का एक ऐसा केंद्र है जिनमें से 80 प्रतिशत या इससे अधिक दुकानों पर स्थानीय और क्षेत्रीय भोजन मिलता है और यह हब मूलभूत सफाई और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कमियों को पहचानने के लिए हब का प्रारंभिक ऑडिट किया जाता है तथा विक्रेताओं को मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देकर कमियों को दूर कर उनमें सुधार किया जाता है। सत्यापन के लिए अंतिम ऑडिट किया जाता है तथा उसके बाद उनका नेमी निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है। वर्ष के दौरान 5 अन्य हबों को स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब के रूप में प्रमाणित किया गया तथा यथा दिनांक 31 मार्च, 2021 तक 25 स्ट्रीट फूड हबों को 'स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब' के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है व 22 अन्य स्ट्रीट फूड हब प्रक्रियाधीन हैं।

8.4.4 स्वच्छ और ताजा फल और सब्जी मंडी

8.4.4.1 इस पहल का प्रयोजन देश में समूहगत दृष्टिकोण के माध्यम से ताजा फलों और सब्जियों की असंगठित मंडियों में सुरक्षा तथा स्वच्छता के मुद्दों को हल करना है ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित फल और सब्जियाँ मिल सकें। 'स्वच्छ तथा ताजा फल और सब्जी मंडी' का योजनागत विस्तृत प्रलेख तैयार कर लिया गया है और राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों को कार्यान्वयन के लिए भेजा गया है। एफ.एस.एस.ए.आई ने फलों और सब्जियों के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शी नोट भी जारी किए हैं:

- 'एथिलीन गैस से फलों की कृत्रिम पकाई – सुरक्षित फल राइपनर' पर मार्गदर्शी नोट संख्या 04/2018.
- "फलों तथा सब्जियों पर स्टिकर" के बारे में मार्गदर्शी नोट संख्या 05/2018
- "पेस्टीसाइड : खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, सावधानियाँ तथा सुरक्षा उपाय" पर मार्गदर्शी नोट संख्या 13/2020

8.4.4.2 यह नई पहल है। दिल्ली की 5 फल और सब्जी मंडियों, उत्तराखंड की 1 मंडी तथा गोआ की 1 मंडी का प्रमाणन-पूर्व का अंतिम ऑडिट लंबित है।

8.4.5 ईट राइट कैंपस

'ईट राइट कैंपस' पहल का ध्येय स्कूलों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, कार्य-स्थलों, अस्पतालों, चाय बागानों इत्यादि के कैंपसों में सुरक्षित, स्वास्थ्यकर तथा सही भोजन को बढ़ावा देना है। चार

विभिन्न मानदंडों के आधार पर बेंचमार्क बनाए गए हैं, जिनके अनुसार कैम्पसों का आकलन किया जाता है तथा उन्हें 'ईट राइट कैम्पस' के रूप में प्रमाणित किया जाता है। इन मानदंडों में खाद्य सुरक्षा उपाय, स्वास्थ्यकर तथा पर्यावरणीय दृष्टि से सही खाद्य का उपबंध सुनिश्चित कराना और सही खाद्य के चयन के लिए कैम्पसों में व्यक्तियों में जागरूकता पैदा करना शामिल है। 2020-21 के दौरान 53 कैम्पसों को 'ईट राइट कैम्पस' के रूप में प्रमाणित किया गया। इनमें ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर, गोआ; आईटीसी लिमिटेड, फूड्स डिविजन, रंजनगाँव फैक्टरी, मुंबई; अपोलो होस्पिटल्स, तमिल नाडु; विप्रो लिमिटेड, कर्नाटक; आईआईटी गांधी नगर, गुजरात; जवाहर नवोदय विद्यालय, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। पहली बार आंगनवाड़ी केंद्रों तथा जेलों के नए कैम्पसों को ईट राइट कैम्पस के रूप में प्रमाणित किया गया।

8.4.6 ईट राइट स्कूल (ईआरएस)

8.4.6.1 ईट राइट स्कूल कार्यक्रम का ध्येय खाद्य सुरक्षा, पोषण और स्वच्छता के बारे में स्कूली बच्चों में तथा उनके माध्यम से समुदाय में जागरूकता पैदा करना है। खान-पान की आदतें जीवन के शुरुआत में पनपती हैं। स्कूल के पाठ्य तथा पाठ्येतर कार्यक्रमों में खाद्य तथा पोषण को पर्याप्त रूप से शामिल करना अनिवार्य है। ईआरएस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 53,043 स्कूलों को पंजीकृत किया जा चुका है।

8.4.6.2 स्कूलों में सुरक्षित खाद्य और स्वास्थ्यकर आहार सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020 अधिसूचित किया गया। विनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

- स्कूल परिसर में सुरक्षित खाद्य तथा स्वास्थ्यकर आहार सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्राधिकारियों की जिम्मेदारी,
- स्कूल परिसर में तथा उसके आस-पास सुरक्षित और स्वास्थ्यकर आहार को बढ़ावा देना,
- स्कूल परिसर में अथवा उसके चारों ओर 50 मीटर के दायरे में स्कूली बच्चों के लिए अधिक शर्करा, वसा व लवण वाले खाद्य का विपणन और विज्ञापन पर रोक,
- मॉनिटरी और निगरानी।

8.4.7 ईट राइट स्टेशन

8.4.7.1 'ईट राइट स्टेशन' पहल का ध्येय यात्रियों, आगंतुकों तथा रेलवे कार्मिकों को सुरक्षित और स्वास्थ्यकर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। मानदंडों को पूरा करने वाले रेलवे स्टेशनों को प्लेक और/अथवा श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र के माध्यम से 'ईट राइट स्टेशन' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

8.4.7.2 यह पहल जुलाई, 2019 में आरंभ की गई थी तथा संबंधित रेलवे प्राधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के बाद 2019-20 में 3 स्टेशनों को प्रमाणित किया गया था। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को पहले

रेलवे स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन, मुंबई और आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, दिल्ली को प्रमाणित किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन को भी प्रमाणित किया गया।

8.4.8 ईट राइट टूल किट

8.4.8.1 एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा तैयार की गई ईट राइट टूल किट एक आसानी से इस्तेमाल होने वाला व्यापक पैकेज है, जिसमें सुरक्षित, स्वास्थ्यकर तथा सही खान-पान के अहम संदेशों को समझाने के लिए सरल प्रशिक्षण मैनुअल तथा इंटरएक्टिव टूल (इन्फोटेन्मेंट वीडियो, एक्टिविटी कार्ड फ्लायर, पोस्टर, खेल इत्यादि) हैं जिनका प्रयोग जमीनी स्तर के स्वास्थ्यकर्मी और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है।

8.4.8.2 ईट राइट टूल किट पर 'आशा' प्रशिक्षण सुचारु रूप से चलाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य प्रशिक्षकों (प्रशिक्षक का प्रशिक्षण) का दल बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी को देखते हुए निम्नलिखित के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- (i) राष्ट्रीय प्रशिक्षक – एफ.एस.एस.ए.आई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) तथा वाल्युएंटरी हेल्थ एसोशिएशन ऑफ इंडिया (वीएचएआई) के कुल छह राष्ट्र-स्तरीय संसाधन कार्मिकों ने अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के 38 राष्ट्रीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण दो बैचों में जून और जुलाई, 2020 में ऑनलाइन दिए गए।
- (ii) राज्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय प्रशिक्षकों द्वारा एफ.एस.एस.ए.आई, एनएचएसआरसी और वीएचएआई के राष्ट्र स्तरीय संसाधन कार्मिकों की सहायता से दिया गया और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यों के सहयोग से आयोजित किए गए। 31 मार्च, 2021 तक राज्य प्रशिक्षकों के 09 ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 252 राज्य प्रशिक्षकों तथा 45 राज्य पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

8.4.9 खाद्य सुदृढीकरण

8.4.9.1 फूड फोर्टिफिकेशन रेसोर्स सेंटर (एफएफआरसी) अपनी शुरुआत से ही देश के खुले बाजार के साथ-साथ सरकारी सुरक्षा नेट कार्यक्रमों में खाद्य सुदृढीकरण को वृहद् स्तर पर बढ़ावा देने के सतत प्रयास कर रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एफ.एफ.आर.सी ने ऑनलाइन वेबिनार, कार्यशालाएँ तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

8.4.9.2 आपूर्तिकर्ताओं के मध्य सुदृढीकरण को बढ़ावा देने के लिए दूध, तेल, चावल, मैदा और दुहरे सुदृढीकृत नमक (डीएफएस) पर राष्ट्रस्तरीय वेबिनार आयोजित किए गए, जिनमें उद्योग, विकास सहयोगियों तथा सरकार के विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। चावल के सुदृढीकरण में तेजी लाने के लिए राज्य स्तर के कई वेबिनार किए गए। मणिपुर के लिए डेयरियों हेतु एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला की गई।

8.4.9.3 मांग की दिशा में, उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने हेतु, भारत की निम्नलिखित अग्रणी पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित कराए गए:

- आउटलुक पत्रिका (Fortifying Food, Fortifying India)
- इंडिया टुडे (सुदृढीकरण पर लेख तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी का साक्षात्कार)
- गृह लक्ष्मी
- द अवेयर कंज्यूमर (<http://www.theawareconsumer.in/magazines/>) (दिसंबर, 2020 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी का साक्षात्कार; जनवरी और फरवरी, 2021 – सुदृढीकरण पर पूरे पृष्ठ का विज्ञापन)
- डायनैमाइट न्यूज पर अंग्रेजी और हिंदी में एक माह तक डिजिटल विज्ञापन
- चैनल जी जेस्ट के 'द ग्रांड ट्रंक रसोई विद चेफ हरपाल सिंह सोखी' शो में सुदृढीकृत पदार्थों के उपयोग से तैयार रसोई तथा उनके लाभों पर शोकेस

8.4.9.4 चावल के सुदृढीकरण पर सभी क्षेत्रीय भाषाओं में लघु फिल्में बनवाई गईं तथा उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उन्हें राज्यों को तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को भेजा गया। आईसीडीएस योजना के अंतर्गत सुदृढीकृत चावल के सेवन पर समुदाय का फीडबैक लेने के लिए मध्य प्रदेश के तीन जिलों में आईसी गतिविधियों की गईं। दुहरे सुदृढीकृत नमक (डीएफएस) पर लघु फिल्में भी बनाई गईं तथा भ्रातियों के निवारण और उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने हेतु साझा की गईं।

8.4.9.5 मांग और आपूर्ति को समान बनाने के लिए, नेफेड और केंद्रीय भंडार के साथ उनके खुदरा स्टोरों में फोर्टिफाइड आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित की गईं। उनके बिक्री कर्मचारियों के साथ कई प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं ताकि वे फोर्टिफाइड आहारों को बढ़ावा दे सकें और उपभोक्ताओं को उनके स्वास्थ्य लाभों के बारे में सूचित कर सकें। चावल सुदृढीकरण से संबंधित पोस्टर और डैंगलर बनाए गए और उचित मूल्य वाली दुकानों पर प्रदर्शित करने के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को इनकी आपूर्ति की गई।

8.4.9.6 पक्षसमर्थक के तौर पर, एफएसएसएआई ने असम और मिजोरम का राजकीय दौरा किया जहां प्रतिनिधिमंडल ने मिजोरम के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। इसके अलावा, सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों में सुदृढीकृत आहार को अपनाने के लिए मेघालय राज्य के साथ एक वेबिनार भी आयोजित किया गया था।

8.4.9.7 दिल्ली राज्य के आंगनबाडी केन्द्रों में खाद्य सुदृढीकरण के कार्यान्वयन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया गया।

सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां

8.5 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) को देश भर में सुरक्षित और स्वास्थ्यकर भोजन सुनिश्चित करने का अधिदेश है। अधिनियम की धारा 16 (छ) एफएसएसआई को यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी कदम उठाने का आदेश देती है जिनसे जनता, उपभोक्ताओं, इच्छुक पार्टियों और पंचायतों के सभी स्तरों को उचित तरीकों और साधनों के माध्यम से तेजी से, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ और व्यापक जानकारी प्राप्त हो। वर्ष के दौरान, ईट राइट पहल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आईईसी गतिविधियां शुरू की गईं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित ऑनलाइन मोड और आयोजनों/प्रदर्शनियों सहित ऑफलाइन माध्यम दोनों का उपयोग करके संचार के विभिन्न माध्यमों से कोविड-19 के चलते हितधारकों को सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्यकर आहार संबंधी सुविधा प्रदान की और इस संबंध में शिक्षित किया।

8.6 'सेंटर फॉर फूड, प्लैनेट एंड हेल्थ'

एफएसएसआई ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनए) के सहयोग से एलबीएसएनए, मसूरी में 'सेंटर फॉर फूड, प्लैनेट एंड हेल्थ' (सीएफपीएफ) की स्थापना की है। इसका उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को समग्र रूप से सोचने तथा कार्य करने में सक्षम बनाना है और ऐसी खाद्य संबंधी नीतियों और कार्यों को बढ़ावा देना जो लोगों एवं प्लैनेट दोनों के लिए स्वास्थ्यकर हों। 95वें फाउंडेशन कोर्स की कोर्स टीम और सेंटर फॉर फूड, प्लैनेट एंड हेल्थ ने 16 दिसंबर, 2020 को भारत के शीर्ष पोषण विशेषज्ञों में से एक, सुश्री रुजुता दिवेकर द्वारा अतिथि वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने 95वें फाउंडेशन कोर्स के 428 अधिकारी प्रशिक्षुओं के बीच 'ईट राइट इंडिया' अभियान, हमारे दैनिक जीवन में उचित पोषण के महत्व व भोजन जो लोगों एवं प्लैनेट दोनों के लिए स्वास्थ्यप्रद हो पर नीतियों और कार्यों को बढ़ावा देने पर बात की और जागृत किया।

8.7 खाद्य सुरक्षा और पोषण में पेशेवरों के साथ संयोजन (नेटप्रोफेन)

नेटप्रोफेन खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों का एक नेटवर्क है। वर्तमान में, निम्नलिखित सात संघों के सदस्य इस नेटवर्क का हिस्सा हैं – एसोसिएशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्स (एओएसी) इंडिया चैप्टर; एसोसिएशन ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट-इंडिया (एएफएसटी (आई)); इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन (आईडीए); इंडियन फेडरेशन ऑफ कलिनरी एसोसिएशन (आईएफसीए); इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए); इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन (आईपीएचए); तथा न्यूट्रीशन सोसाइटी ऑफ इंडिया (एनएसआई)। इस नेटवर्क की सदस्यता व्यक्तिगत स्तर पर, जैसे छात्रों, खाद्य आलोचकों आदि को भी प्रदान की गई जो इन संस्थाओं के सदस्य नहीं हैं पर नेटवर्क में सम्मिलित होना चाहते हैं। वह लोग राजदूत के रूप में ईट राइट इंडिया अभियान का समर्थन कर सकते हैं। वर्ष के दौरान, ईट राइट इंडिया के विषय पर कई गतिविधियाँ और मासिक चुनौतियाँ आयोजित की गईं। कम से कम 10 नए चैप्टर शुरू किए गए और वर्तमान में 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 30 सिटी चैप्टर कार्य कर रहे हैं।

- पहला समाचार पत्र जारी किया गया जिसमें अब तक विभिन्न चैप्टरों द्वारा संचालित सभी गतिविधियों के लिए एक अंतर्दृष्टि प्रदान की गई और अन्य चैप्टरों के लिए गतिविधियों के

आसानी से उपलब्ध टेम्पलेट्स के माध्यम से सीखने का अनुभव प्रदान किया गया, जिसे उनके क्षेत्र में दोहराया जा सकता है।

- एक समान संदेश भेजने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए सभी चैप्टरों के माध्यम से एक मासिक विषय को बढ़ावा दिया गया था जैसे कि मानसून के दौरान खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुदृढीकरण, एचएफएसएस को कम करना, ट्रांस वसा को समाप्त करना।
- महीने की शुरुआत में विभिन्न गतिविधियों के लिए एक टेम्पलेट परिचालित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चैप्टर को मान्यता दी गई थी। इन गतिविधियों में सुनिश्चित किया गया कि सभी हितधारकों और विशेष रूप से चैप्टर के छात्र राजदूतों की भागीदारी सुनिश्चित की।

8.8 ईट राइट इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयोजित चुनौतियाँ/प्रतियोगिताएँ

- 8.8.1** एफएसएसएआई ने सुरक्षित और स्वास्थ्यकर भोजन के बारे में उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए कई ऑनलाइन चुनौतियों/प्रतियोगियों का भी आयोजन किया। इनका विवरण निम्न प्रकार है:
- 8.8.2** एफएसएसएआई ने फूड सिस्टम विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया और रॉकफेलर फाउंडेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा खाद्य प्रणाली विज्ञान पुरस्कार के लिए एफएसएसएआई को अपनी ईट राइट इंडिया पहल और विज्ञान 2050 के लिए 110 देशों से 1,300 से अधिक आवेदकों के पूल के बीच शीर्ष दस फाइनलिस्टों में चुना गया। इस पहल का उद्देश्य भारत में एक ऐसा भविष्य सुनिश्चित करना है जहां हर किसी को अपने स्वास्थ्य में सुधार और कल्याण के लिए बहु-विषयक 'खाद्य प्रणाली दृष्टिकोण' के माध्यम से सुरक्षित और सतत खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें।
- 8.8.3** ईट राइट चैलेंज (ईआरसी)- इस चुनौती की कल्पना ईट राइट इंडिया के तहत विभिन्न पहलों को अपनाने और बढ़ाने और विनियमों और प्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के बीच एक प्रतियोगिता के रूप में की गई है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रेरित करना और दूसरों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। ईट राइट चैलेंज में कुल 186 शहरों/जिलों को नामांकित किया गया था। प्रत्येक जिले/शहर को रुपये 5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) का अनुदान भी प्रदान किया गया है।
- 8.8.4** ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज II (ईआरसी II)- इस चैलेंज का उद्देश्य विद्यालयों में सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर भोजन के वातावरण के निर्माण के लिए छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा का लाभ उठाना और बचपन से ही उन्हें स्वस्थ आहार की आदतों को विकसित करने के लिए संलग्न करना, उत्साहित करना और सक्षम बनाना है। ईआरसी II 16 अक्टूबर, 2020 से 20 जनवरी, 2021 तक पोस्टर और फोटोग्राफी की प्रतियोगिता थी। इस चैलेंज में कुल 4,987 स्कूलों ने भाग लिया।

- 8.8.5** आहार में नमक, चीनी और वसा को कम करने के लिए 21 दिन की चुनौती— आम जनता को प्रेरित करने के लिए 21 दिवसीय चुनौती सीरीज आयोजित की गई, जिसमें प्रत्येक दिन नमक, चीनी और वसा को कम करने के आसान और त्वरित सुझाव साझा किए गए।
- 8.8.6** घर की रसोई—स्वास्थ्यकर पकाने की विधि प्रतियोगिता— 'ईट राइट कैंपस' बनने के प्रयास के रूप में एफएसएसएआई ने कर्मचारियों को भोजन संबंधी स्वास्थ्यकर आदतों को विकसित करने के लिए शामिल और प्रोत्साहित किया। विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर, 2020 को 'घर की रसोई: स्वादिष्ट भी, स्वास्थ्यकर भी' नामक स्वास्थ्यकर पकाने की विधि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। विजेता व्यंजनों को एफएसएसएआई द्वारा डिजाइन की गई पुस्तक में चित्रित किया गया।
- 8.8.7** कम नमक डालकर पकाने की राष्ट्रीय चुनौती— स्वास्थ्यकर भोजन बनाने की दिशा में एक कदम— अधिक नमक के सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, कम नमक का उपयोग करके आम तौर पर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के महत्व और तरीकों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, 27 जनवरी से 15 फरवरी, 2021 तक "नेशनल लो सॉल्ट कुकिंग चैलेंज" का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया। भारत के छह क्षेत्रों में से एक किसी क्षेत्र विशिष्ट भोजन के स्वाद और सुवास से समझौता किए बिना कम नमक का उपयोग करके संपूर्ण पौष्टिक भोजन तैयार करने के लिए पोषण और पाक संबंधी समुदाय की टीमों से चुनौती आमंत्रित की गई। 200 से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न क्षेत्रों से 4 या 2 व्यक्तियों की टीम बनाकर भाग लिया। शीर्ष पांच विजेताओं/टीमों को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
- 8.8.8** प्लांट प्रोटीन युक्त नाश्ता पकाने की विधि प्रतियोगिता— यह प्रतियोगिता मार्च, 2021 में प्रोटीन दिवस के अवसर पर भारतीय नागरिकों के बीच नवाचार और स्वास्थ्यकर खाना पकाने को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी जिससे कि वे अपने दिन की शुरुआत स्वास्थ्यकर नाश्ते से करें। यह प्रतियोगिता सभी समुदायों के खाना पकाने के शौकीन सभी लोगों के लिए थी। सर्वश्रेष्ठ 60 प्रविष्टियों का प्लांट प्रोटीन रिच रेसिपी बुक में नाम छापा जाएगा और उन्हें 1000/- रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
- 8.8.9** खाद्य इतिहास प्रतियोगिता— भारतीय पाक कला 5000 साल पुरानी समयरेखा से जुड़ी हुई है। हालांकि भारतीय पाक कला समय के साथ और विदेशी शासकों और यात्रियों द्वारा देश में लाए गए अलग-अलग प्रभावों के कारण महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है। ऐसे विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हैं। उसी का दस्तावेजीकरण करने के लिए, एफएसएसएआई द्वारा इस वर्ष ऑनलाइन खाद्य इतिहास प्रतियोगिता का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया था। सर्वश्रेष्ठ 50 प्रविष्टियों को 1000/- रुपये प्रत्येक के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

Eat Right Challenge
An annual Challenge for cities and districts to adopt and implement Eat Right initiatives.

Expected Outcomes

- To strengthen food safety through the food regulatory environment.
- To provide for safe and healthier food options by enabling the supply side.
- To engage with citizens for adoption and demanding healthier diets.

Registration open from 1st - 31st of July, 2020 on www.fssai.gov.in/EatRightChallenge/home

#EatRightIndia #EatRightChallenge

Plant Protein Rich Breakfast

Recipe Competition
Share innovative and tasty regional breakfast recipes using plant protein and win exciting prizes.

60 Best Entries will be awarded a cash prize of Rs. 1000 each

Submit your recipe by **31st March, 2021**
at: <https://bit.ly/3dC67rR>

EAT RIGHT Creativity Challenge
POSTER / PHOTOGRAPHY ONLINE COMPETITION
16 October to 16 December 2020

Theme: 'Eat Safe, Eat Healthy' and 'Food safety during COVID 19'

Categories:
1) Eat Right Poster Competition
2) Eat Right Photography Competition

1) Poster- Competition to be held in 2 levels, level 1: class 3-5 level 2: class 6-8
2) Photography Level- Class 9-12

How to participate:
School will conduct the competition and will upload their best 3 entries per level for poster and best 5 photographs on the website fssai.gov.in/CreativityChallenge by 16th December, 2020.

Rewards and recognition:
Win cash rewards worth Rs. 10,000 400+ cash prizes and participation certificate for all

For more details & Registration visit:
fssai.gov.in/CreativityChallenge creativity-challenge@fssai.gov.in
011-25217402

NATIONAL Low Salt COOKING CHALLENGE

STARTS ON 27th JAN!

HURRY UP!

Eat Right Quiz

Extended till **31st January 2021**

Play the Quiz & Win Cash Prize*

TAKE THE QUIZ

Participate on www.quiz.mygov.in

आकृति 16 – चुनौतियों/प्रतियोगिताओं का आरंभ

8.9 कार्यक्रम/ ट्रेड शो/ प्रदर्शनी

- 8.9.1** विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस- वर्ष 2020 की थीम, "खाद्य सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है" के अनुरूप, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 07 जून, 2020 को वर्चुअल रूप से मनाया गया। यह आपूर्ति शृंखला से जुड़े उन सभी को समर्पित था जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान सभी के लिए सुरक्षित भोजन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की। इस अवसर पर, एक मार्गदर्शन नोट 'कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी के दौरान खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा दिशानिर्देश'; नागरिकों के लिए "कोविड-19 के दौरान सही खाएं" पर ई-हैंडबुक व राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की रैंकिंग मुख्य अतिथि डॉ हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा जारी की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे।
- 8.9.2** विश्व खाद्य दिवस- 16 अक्टूबर, 2020 को विश्व खाद्य दिवस वर्चुअल रूप से मनाया गया। डॉ हर्षवर्धन, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने "ग्रो, नरिश, सस्टेन- टुगेदर" विषय पर कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने इस अवसर पर स्कूलों के लिए "ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज", स्मार्ट सिटी मिशन और द फूड फाउंडेशन, यूके के साथ साझेदारी में एफएसएसएआई द्वारा "ईट स्मार्ट सिटी" (चुनौती) और कई किताबें / दिशानिर्देश भी प्रक्षेपित किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे।
- 8.9.3** फूड फिएस्टा एवं फ्लावर्स शो- एफएसएसएआई ने 20-21 फरवरी, 2021 को नई मोती बाग, नई दिल्ली में एक फ्यूजन और फूड फिएस्टा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सुरक्षा और स्वच्छता प्रथाओं को मुख्यधारा में रखते हुए स्वास्थ्यकर व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आदि को कम करने के लिए +F चिन्ह वाले फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उपयोग पर जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया था। विजेताओं को फोर्टिफाइड फूड हैम्पर्स दिए गए।



आकृति 17 - फूड फिएस्टा एवं फ्लावर्स शो की झलक

8.9.4 इंडस फूड 2021— एफएसएसआई ने इंडस फूड 2021 में भाग लिया। इसका आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (टीपीसीआई) द्वारा 20–21 मार्च, 2021 को इंडिया एक्सपोज़िशन मार्ट, ग्रेटर नोएडा में किया गया था। देश में खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस), खाद्य आयात स्वीकृति प्रणाली (फिक्स), खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक), खाद्य परीक्षण और अन्य कार्यक्रमों जैसे विभिन्न ऑनलाइन प्लैटफॉर्म का प्रदर्शन किया गया।



आकृति 18 – इंडस फूड 2021 की झलक

8.10 संसाधन पुस्तकों और संचार सामग्री का विकास

वर्ष के दौरान, विभिन्न संसाधन सामग्री का विमोचन किया गया यथा 'ईट राइट इंडिया हैंडबुक' जो ईट राइट इंडिया (ईआरआई) पहलों को अपनाने और बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक व्यापक गाइड है; खाद्य व्यवसायों के लिए 'स्कूल कैंटीन/मैस को सुरक्षित रूप से फिर से खोलने के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता दिशानिर्देश'; 'क्या आप सही खाते हैं?' एक ई-पुस्तक जो आम जनता के लिए भोजन और पोषण और ईट राइट पहलों पर तकनीकी अवधारणाओं का सरल पारंपरिक शैली में अनुवाद करती है; देश भर में कार्यस्थलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, जेलों, अस्पतालों आदि जैसे ईट राइट कैंपस के लिए 'ऑरेंज बुक'; 'दैनिक सिफारिशें और खाद्य सुदृढीकरण' राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक पुस्तिका; 'कोरोना वायरस महामारी के दौरान खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा दिशानिर्देश' जो खाद्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी/खाद्य संचालक के लिए दिशानिर्देशों का वर्णन करने वाला एक मार्गदर्शन दस्तावेज है ; शिक्षकों के लिए 'खाद्य सुरक्षा गाइडबुक'।

आम जनता को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए इन ई-बुक्स को वेबसाइट पर डाला गया।



आकृति 19 – माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा संसाधन पुस्तकों का विमोचन

8.11 MyGov, सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों के माध्यम से जागरूकता

8.11.1 सोशल मीडिया आउटरीच— एफएसएसएआई ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोविड सावधानी संदेशों, खाद्य सुरक्षा और खाने की स्वास्थ्यकर आदतों और अन्य नियमित अपडेट सहित अपनी जन जागरूकता सामग्री का व्यापक रूप से उपयोग किया। नागरिकों से जुड़ने के लिए प्रतिदिन की पोस्ट के अलावा स्थानीय व मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए एक विशेष ऑनलाइन सीरीज, 'रेसिपी रविवार' का आयोजन किया गया।

8.11.2 कोविड जागरूकता सीरीज— एफएसएसएआई अपने सोशल मीडिया का व्यापक रूप से उपयोग कर रहा है ताकि समुदायों को कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व समय में उचित कार्रवाई के साथ

मार्गदर्शन करने में मदद मिल सके। खाद्य सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वच्छता रीतियों, खाने की स्वास्थ्यकर आदतों, सामाजिक दूरी और नागरिकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल करते हुए एफएसएसएआई के आधिकारिक हैंडल से हिंदी और अंग्रेजी में दो पोस्ट मार्च 2020 की शुरुआत से 5 महीने की अवधि के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर डाले गए। ये ट्वीट/पोस्टर <https://fssai-gov-in/cms@coronavirus-php> पर उपलब्ध हैं।

- 8.11.3** MyGov के सहयोग से जागरूकता वीडियो— कोविड के समय में सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए युक्तियों और सावधानियों पर MyGov प्लैटफॉर्म के माध्यम से जन जागरूकता के लिए सेलिब्रिटी समर्थित 30 सेकंड या 60 सेकंड के लघु वीडियो बनाए गए।
- 8.11.4** इसके अलावा, एफएसएसएआई द्वारा विभिन्न जागरूकता विषयों जैसे कि भोजन में मिलावट की जांच के लिए सरल टिप्स; सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए खाद्य सुदृढीकरण के लाभ; ट्रांस फैट पर जागरूकता; स्कूली बच्चों के लिए मिलावट परीक्षण आदि पर भी जन जागरूकता के लिए वीडियो बनाए गए। इन वीडियो को व्यापक पहुंच के लिए व्हाट्सएप सहित विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया जाता है।
- 8.11.5** टीवी के माध्यम से जागरूकता— ईट राइट इंडिया पर विभिन्न स्कॉल संदेश और खाद्य व्यवसायों के अनुज्ञापन/रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं को डीडी न्यूज, डीडी किसान और डीडी क्षेत्रीय केंद्रों पर प्रसारित किया गया। उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए दूरदर्शन पर श्री राजकुमार राव (अभिनेता) अभिनीत 60 सेकंड का एक वीडियो अभियान 'आज से थोड़ा कम' भी जारी किया गया।
- 8.11.6** चुनिंदा लेख— विभिन्न ऑनलाइन पत्रिकाओं में कुल 28 लेख प्रदर्शित किए गए।
- 8.11.7** MyGov पर ऑनलाइन ईट राइट क्विज— "ईट राइट क्विज" एफएसएसएआई द्वारा खाद्य सुरक्षा, पोषण, खाने की स्वास्थ्यकर आदतों और सतत खाद्य रीतियों के बारे में देश भर के लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक पहल है। इस गतिविधि का उद्देश्य नागरिकों को अपने भोजन की आदतों में सुधार करने के लिए संलग्न करना, उत्साहित करना और सक्षम बनाना है और परिणामस्वरूप परस्पर सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से उनके स्वास्थ्य में सुधार और उनका कल्याण करना है। क्विज 1 दिसंबर, 2020–31 जनवरी, 2021 तक आयोजित हुआ। शीर्ष 100 प्रतिभागियों को 1000/- रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्विज में कुल 86,988 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 8.11.8** स्वास्थ्य और कल्याणसंबंधी ऑनलाइन जागरूकता सीरीज— एफएसएसएआई मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए "ईट राइट, ईट सस्टेनेबली" (सही खाओ, सतत रूप से खाओ) पर व्याख्यान की एक सीरीज आयोजित की गई। इसमें जागरूकता सीरीज के हिस्से के रूप में विवेकपूर्ण तरीके से खाने, उपवास रखने और सही पोषण के महत्व पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑस्ट्रिया में सेंटर फॉर मॉडर्न मेयर मेडिसिन, VIVAMAYR (वीवामेयर) के संस्थापक, प्रो. डॉ. हैराल्ड स्टोसियर; श्री संग्राम सिंह, ओलंपिक विजेता और प्रेरक वक्ता और फिटनेस विशेषज्ञ; डॉ शिखा शर्मा, पोषण विशेषज्ञ की वार्ता सम्मिलित थी।

FSSAI PRESENTS

#Recipe Ravivaar

Relish and Revamp Your Meals Using Fresh Local and Seasonal Fruits & Vegetables Produced in India.
STAY TUNED FOR DELICIOUS RECIPES, TIPS AND MORE.

Follow Us: @fssaiindia @fssai @fssai_safefood FoodSafetyIndia

EAT LOCAL SEASONAL

This February, learn about locally available seasonal fruits and vegetables and their benefits!

Stay Tuned!
EVERY MONDAY, WEDNESDAY AND FRIDAY

Eat Right To Stay Fit For Life

#HealthyAtHome #StayAtHome #HealthForAll #SwasthaBharat

आकृति 20 – सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता की मुख्य विशेषताएं

कोडेक्स

9.1 कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन (सीएसी) संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ) की संयुक्त अंतर-सरकारी संस्था है, जिसके 189 सदस्य {188 सदस्य देश और एक सदस्य संगठन (ई.यू)} हैं। कोडेक्स उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और उचित व्यापार रीतियाँ सुनिश्चित करने के लिए सुमेलित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक बनाने के लिए 1963 से कार्यरत है। भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन का 1964 से सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निर्धारण की प्रक्रिया में अपना योगदान देता रहा है। भारत कोडेक्स की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेता है और उन्हें आयोजित तथा सह-आयोजित करने में सहयोग करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण के समय भारत के मुद्दे भी ध्यान में रखे जाएँ।

9.2 वर्ष के दौरान एफएसएसएआई भारत के राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु (एनसीसीपी) के रूप में कार्यरत रहा और इसने अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए कोडेक्स कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया जो खाद्य उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुरक्षा और सही रीतियों को सुनिश्चित करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन और उसके सहायक निकायों की बैठकें वर्चुअल रूप से और लगभग एक वर्ष के अंतराल के बाद हुईं। वर्ष 2020-2021 की अवधि के दौरान निम्नलिखित कोडेक्स संबंधी गतिविधियाँ हुईं:

9.3 कोडेक्स बैठकों में भागीदारी

9.3.1 भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल 2020-मार्च 2021 की अवधि के दौरान आयोजित निम्नलिखित वर्चुअल बैठकों में भाग लिया, जहाँ प्रतिनिधिमंडलों ने सुनिश्चित किया कि भारत के मुद्दों को बड़े पैमाने पर संबोधित किया जाए।

क. कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन का 43वां सत्र (सीएसी 43)।

ख. सीएसी की कार्यकारी समिति का 79वां और 80वां सत्र (सीसीईएक्सईसी)।

ग. सामान्य सिद्धांतों पर कोडेक्स समिति का 32वां सत्र (सीसीजीपी 32)।

घ. कोडेक्स और महामारी पर सीसीईएक्सईसी की उप समिति।

ङ. प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों पर कोडेक्स समिति (सीसीपीएफवी 29) का 29वां सत्र-पत्राचार द्वारा कार्य करना।

भारत की अध्यक्षता में यथा प्रस्तावित चिली सॉस, मँगो चटनी और वेयर पोटैटो के मानकों को सीएसी 43 द्वारा स्वीकृत कोडेक्स मानकों के रूप में अंगीकृत किया गया।

9.4 उप-समिति और कार्यशालाओं सहित कार्य समूह

9.4.1 भारत ने मुख्य कोडेक्स सत्रों के अलावा निम्नलिखित बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया, इनपुट प्रदान किया और भारत के मुद्दों और हितों को उचित रूप से प्रस्तुत किया:

- क. "कोडेक्स और महामारी" पर सीसीईएक्सईसी उप-समिति।
- ख. विज्ञान की भूमिका से संबंधित सिद्धांत के स्टेटमेंट्स के अनुप्रयोग पर सीसीईएक्सईसी उप-समिति।
- ग. प्रवेशी और निवर्तमान क्षेत्रीय समन्वयक कार्यशाला-भारत ने एशिया के लिए एफएओ/डब्ल्यूएचओ कोऑर्डिनेटिंग कमेटी (सीसीएसआईए) के लिए पूर्व क्षेत्रीय समन्वयक के तौर पर भाग लिया।
- घ. 2021 में होने वाली मुख्य कोडेक्स बैठकों के अनुरूप कार्य समूह की बैठकें।
- ङ. सीसीजीपी (सीसीजीपी 32) के 32वें सत्र के संबंध में सीसीएसआईए-यूएस संगोष्ठी।

9.5 राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु, भारत (एनसीसीपी) के कामकाज के लिए संशोधित दिशानिर्देश

9.5.1 एनसीसीपी के लिए कार्य दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में एफएसएसआई के वैधानिक और गैर-सांविधिक निकायों के विलय और व्यापक स्तर पर हितधारकों के समावेश के साथ कोडेक्स समन्वय समूहों की स्थापना सम्मिलित हैं।

9.6 खाद्य सुरक्षा आपात प्रतिक्रिया प्रणाली

वर्ष के दौरान, खाद्य सुरक्षा आपात प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए एक रूपरेखा विकसित की गई, जिसका उद्देश्य समय पर और समन्वित प्रतिक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संभावित या पुष्ट जोखिम का प्रबंधन करना है। इस तरह की प्रणाली खाद्य अधिकारियों को केवल व्यक्तिगत घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय रोकथाम और तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है, और इसलिए इसका अधिक दीर्घकालिक सातत्य है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

10.1 एफएसएस अधिनियम, 2006 के अनुरूप, खाद्य प्राधिकरण को अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग में सुधार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने का अधिदेश है। खाद्य प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मानकों पर किए गए कार्य के समन्वय को भी बढ़ावा देगा और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों और घरेलू खाद्य मानकों के बीच अनुरूपता को बढ़ावा देगा। इस गतिविधि के भाग के रूप में एफएसएसएआई वर्ष 2020-2021 के दौरान निम्नलिखित का हिस्सा रहा है।

10.2 मौजूदा हस्ताक्षरित सहयोग समझौतों के तहत हुई खाद्य गतिविधियों पर कार्य का समन्वय

क. न्यूजीलैंड

10.2.1 मिनिस्ट्री फॉर प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ (एमपीआई) और एफएसएसएआई के बीच खाद्य सुरक्षा सहयोग व्यवस्था (एफएससीए) को लागू करने के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए 11 अगस्त, 2020 को भारत में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त और अध्यक्ष, एफएसएसएआई के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी।

10.2.2 अनुवर्ती कार्रवाई:

क. प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के साथ सहयोग समझौते के तहत गतिविधियों को अंतिम रूप देने के लिए 10 सितंबर, 2020 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ एक प्रारंभिक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। इन चर्चाओं में प्रवेश के बंदरगाह पर निरीक्षण/त्वरित सीमा स्वीकृति प्रक्रिया, संबंधित राष्ट्रीय खाद्य नियंत्रण प्रणाली (एनएफसीएस) पर फोकस की पहचान, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण को पारस्परिक स्वीकृति, जैविक उत्पादों के लिए आपसी मान्यता समझौता और भैंस के मांस और ट्रॉपिकल फलों जैसे उत्पादों में व्यापार की समस्याओं से संबंधित मामले शामिल थे।

ख. इसके बाद, न्यूजीलैंड पक्ष के साथ पहली परामर्श मंच की बैठक सितंबर, 2020 में आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा चयनित विशिष्ट क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी। व्यापक क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण, जैविक प्रमाणीकरण, गैर-जीएम आश्वासन आदि से संबंधित चर्चा की गई।

ग. न्यूजीलैंड पक्ष के साथ दूसरी परामर्श मंच की बैठक 25 फरवरी, 2021 को आयोजित की गई। चर्चा के विषयों में प्रवेश के बंदरगाह, निरीक्षण और त्वरित सीमा स्वीकृति प्रक्रिया पर कार्यान्वयन प्रावधान पर हस्ताक्षर करने के लिए अगले कदम, एफएसएसएआई की बीआईएस मार्क प्रमाणन योजना अपेक्षाओं की समीक्षा पर अद्यतन, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणन पर सहयोग,

गैर-जीएम आश्वासनों के लिए भारत की प्रस्तावित आवश्यकताओं पर अद्यतन और दुग्ध गुणवत्ता परीक्षण पर विदेशी विनिर्माण परिसर प्रयोगशाला सहयोग का पंजीकरण सम्मिलित थे।

घ. एच.ई.ब्रेंट रैपसन, कार्यवाहक उच्चायुक्त, न्यूजीलैंड और सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष, एफएसएसएआई के बीच एफएसएसएआई और एमपीआई, न्यूजीलैंड के बीच समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में गैर-जीएमओ प्रमाणपत्र के मामले पर और भविष्य की गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए 3 फरवरी, 2021 को वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी।

10.2.3 यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ईएफएसए)

ईएफएसए के साथ समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में 25 सितंबर, 2020 को "डेटा संग्रह और जोखिम आकलन क्षमता निर्माण पर ईएफएसए-एफएसएसएआई चर्चा" आयोजित की गई, जिसमें एफएसएसएआई के वरिष्ठ अधिकारियों एवं ईएफएसए और यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग के भारत के दूतावास से प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

10.2.4 फ्रांस

इस वर्ष के लिए एएनएससीएस (खाद्य, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी फ्रांसीसी एजेंसी) के साथ समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में सहयोग के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए 2 मार्च 2021 को भारत में फ्रांस के दूतावास के कृषि मामलों के काउंसलर और निदेशक (व्यापार और आई सी), एफएसएसएआई के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी।

10.3 व्यापार भागीदारों के साथ बैठकों के माध्यम से व्यापार सुविधा

- i. सीईओ, एफएसएसएआई ने 25 अगस्त, 2020 को यूएसएफडीए के साथ वर्चुअल बैठक में भाग लिया, जिसमें यूएसएफडीए और एफएसएसएआई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावनाओं, प्रशिक्षण के अवसरों और यूएसए के आयात अलर्ट सिस्टम पर ज्ञान साझा करने और प्रेडिक्ट सिस्टम के विस्तृत विश्लेषण के बारे में चर्चा की गई।
- ii. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने 11 नवंबर 2020 को आयोजित "खाद्य सुरक्षा पर बांग्लादेश खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (बीएफएसए)- विश्व बैंक समूह (डब्ल्यूबीजी) का वर्चुअल कार्यक्रम: खाद्य सुरक्षा में सुधार, कोविडयुग में सबको समान मौके देना" में अपने इनपुट दिये।
- iii. एफएसएसएआई के अधिकारियों और पोलैंड के द्वितीय सचिव, श्री टॉमस जांकज़क ने 2 दिसंबर, 2020 को आयोजित वर्चुअल बैठक में आयातित खाद्य खेपों के साथ गैर-जीएम सह जीएम-मुक्त प्रमाणपत्रों की आवश्यकताओं पर चर्चा की।
- iv. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने 9 दिसंबर, 2020 को वेब पर आयोजित भारत और यूरोपीय संघ के बीच 11वीं जेडब्ल्यूजी में भाग लिया, जिसमें पिछली बैठक यानी 10 वीं भारत-यूरोपीय संघ जेडब्ल्यूजी बैठक के कार्य बिंदुओं, यूरोपीय संघ के नीतिगत विकास ("फार्म से फोर्क तक" रणनीति-वर्तमान स्थिति), खाद्य के लिए गैर जीएम-सह-जीएम मुक्त प्रमाणीकरण की आवश्यकता की समीक्षा की गई।

- v. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित मुद्दे पर 18 दिसंबर, 2020 को भारत और डेनमार्क के बीच पर तीसरी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक में खाद्य सुरक्षा के विषय पर योगदान दिया।
- vi. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने 12 जनवरी, 2021 को आयोजित खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन पर डब्ल्यूएचओ सूचना सत्र में भाग लिया और सत्र में प्रतिभागियों को एफएसएसएआई की ईट राइट पहलों के बारे में सूचित किया।
- vii. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने 13 जनवरी, 2021 को भूटान के अधिकारियों के साथ चौथे वर्चुअल सम्मेलन में योगदान दिया, जिसमें माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की भूटान यात्रा से उत्पन्न होने वाले कार्य बिंदुओं पर चर्चा की गई।
- viii. 2 फरवरी, 2021 को ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के काउन्सलर डॉ. यूक लोर्क के साथ एफएसएसएआई के अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया निर्यात प्रमाणन, जीएम मुक्त प्रमाणन खाद्य आयात, विदेशी खाद्य निर्माण (रजिस्ट्रीकरण/निरीक्षणों) में बदलाव पर चर्चा की गई।
- ix. 11 फरवरी, 2021 को द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चिली के दूतावास के राजदूत श्री जुआन रोलांडो अंगुलो मोनसाल्वे और सीईओ, एफएसएसएआई के बीच एक बैठक हुई।
- x. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए 16-17 फरवरी, 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 13 वीं बैठक में भाग लिया।
- xi. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने 27 फरवरी, 2021 को यूएसएफडीए के साथ वर्चुअल बैठक में झींगा पर एफएसएसएआई-अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियामिकी भागीदारी पर चर्चा की।
- xii. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने 01 मार्च, 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित "खाद्य एजेंसियों के प्रमुखों की दूसरी फोरम बैठक" में भाग लिया।
- xiii. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आगामी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और सहयोग के बारे में चर्चा करने के लिए 02 मार्च, 2021 को भारत-जर्मनी के बीच कृषि पर 7वीं संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) की बैठक में भाग लिया।
- xiv. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों पर 10 मार्च, 2021 को आयोजित वीसी के माध्यम से भारत-रूस सामरिक आर्थिक संवाद (आईआरएसईडी) के तहत कृषि और कृषि-प्रसंस्करण पर समन्वय समिति की बैठक में योगदान दिया।
- xv. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने 25 मार्च, 2021 को कृषि पर 9वीं भारत-फ्रांस जेडब्ल्यूजी वर्चुअल बैठक में भाग लिया, ताकि एजेंस फ्रांसिकेस डी डेवलपमेंट के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की जा सके। इस बैठक में जैविक उत्पादों; भारत में आयातित फ्रांसीसी उत्पादों का पुनः प्रमाणन; 24 आयातित उत्पादों के लिए गैर-जीएम प्रमाणन; रूपांतरित उत्पादों के लिए पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र; और विदेशी खाद्य निर्माण सुविधाओं के रजिस्ट्रीकरण और निरीक्षण के संबंध में 16 नवंबर, 2020 को अधिसूचित मसौदा एफएसएस (आयात) संशोधन विनियम पर भी चर्चा की गई।

एफएसएसएआई में डिजिटलीकरण, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और ई-शासन

11.1 एफएसएसएआई के आईटी प्रभाग की भूमिका और जिम्मेदारियां

11.1.1 बीते कई वर्षों के दौरान एफएसएसएआई प्रौद्योगिकी का लाभ लेता रहा है ताकि साझेदारी और अभिसरण के माध्यम से तेजी से कार्य करते हुए खाद्य सुरक्षा और पोषण को एक साथ संबद्ध कर और उपभोक्ता सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए कई प्रकार के सुधार हो सके। संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के बदलते प्रतिमानों के साथ, एफएसएसएआई का तीन साल पुराना सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रभाग विभिन्न हितधारकों और एफएसएसएआई के सभी प्रभागों को ढांचागत समर्थन, हार्डवेयर समर्थन और सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन/पोर्टल समर्थन के विकास से संबंधित सभी प्रकार की आईसीटी सहायता प्रदान करने के लिए अपनी विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

11.1.2 आईटी प्रभाग का मुख्य कार्य आईटी के बुनियादी ढांचे का विकास, परिनियोजन और समर्थन करना है जो एफएसएसएआई के सभी प्रभागों के आंतरिक कर्मचारियों, भागीदार संगठनों, खाद्य व्यवसायों, उपभोक्ताओं और प्राधिकरण के अन्य हितधारकों के लिए आसानी से पहुँच सुनिश्चित करता है। वर्तमान में स्थापित आईटी डिवीजन एफएसएसएआई में स्थित है जिसमें लगभग 36 कर्मी हैं, जिनमें परियोजना समन्वयक, विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न प्रकार के कौशल वाले डोमेन विशेषज्ञ आदि शामिल हैं।

11.2 एफएसएसएआई में आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का सुदृढीकरण

11.2.1 नई दिल्ली मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों में आईटी के बुनियादी ढांचे को काफी सुदृढ किया गया है:

- सभी कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बैंडविड्थ बढ़ा दी गई है और आज की तारीख में यह पीजीसीएल के माध्यम से दिल्ली में एफएसएसएआई मुख्यालय में 300 एमबीपीएस, ई-ऑफिस के लिए समर्पित एनआईसी के माध्यम से 100 एमबीपीएस और अन्य सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 12 एमबीपीएस है। एनआईसी डाटा सेंटर में, एफएलआरएस (अब फोसकोस) के लिए छह सर्वर हैं जिनमें कुल आवंटित संसाधन हैं: 292 कोर सीपीयू, 224 जीबी रैम और 20.252 टीबी एचडीडी।
- क्लाउड अंगीकरण: विभिन्न वेबसाइट, माइक्रो-साइट्स और अन्य एप्लिकेशन पोर्टल अब बीएसएनएल क्लाउड से चल रहे हैं। एफएसएसएआई ने इंटरनेट पर अपने सभी नए अनुप्रयोगों को होस्ट करने के लिए "क्लाउड फर्स्ट" रणनीति अपनाई है जिससे आवश्यक समय और लागत को कम करने में मदद मिली है।

- (क) बीएसएनएल क्लाउड में, एफआईसीएस के लिए, कुल आवंटित संसाधन के साथ अब तीन वीएम हैं जिनमें कुल आवंटित संसाधन हैं: 14 वीसीपीयू; 40 जीबी रैम; 2240जीबी एचडीडी। इसके अलावा, अन्य सभी 40+ वेबसाइटों/पोर्टल (11VMs) के लिए बीएसएनएल क्लाउड की सेवाएं ली हैं जिनमें कुल आवंटित संसाधन हैं: 16 वीसीपीयू; 28 जीबी रैम 1040 जीबी एचडीडी।
- (ख) एनआईसी की राष्ट्रीय क्लाउड सेवाएँ 'मेघराज' में पहले से खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (एफओएससीओएस) एप्लिकेशन होस्ट किया गया है। 'मेघराज' उचित आपदा रिकवरी प्रकार्यों के साथ एक विश्वसनीय, कम लागत वाला और मजबूत बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। इसमें आठ वीएम हैं जिनमें कुल आवंटित संसाधन हैं: 112 वीसीपीयू; 224 जीबी रैम और 3620 जीबी एचडीडी।
- (iii) एफएसएसएआई मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय अब वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा से लैस हैं और आवश्यकता अनुसार आंतरिक रूप से और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर समन्वय के साथ-साथ यात्रा और अन्य लागत में कटौती होती है।

11.2.2 इससे सभी एप्लिकेशन में गति, सुरक्षा, अधिक उपलब्धता, कम लागत, मापनीयता और लचीलापन सुनिश्चित करते हुए अत्यन्त सुरक्षित क्लाउड आर्किटेक्चर का अंगीकरण किया जा सकेगा।

11.3 सिस्टम/सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन/पोर्टल

11.3.1 एफएसएसएआई में डिजिटलीकरण की संपूर्णता-अवधारणा से कृत्य तक पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न नए एप्लिकेशन पारितंत्र, नए डेटा पारितंत्र का निर्माण हुआ है जो उपभोक्ताओं द्वारा अपने मॉडल के अनुकूलन के लिए पारितंत्र बनाने के लिए नए उत्पादों, सेवाओं, चैनलों और पोर्टलों को प्रेरित करेगा। प्रमुख डिजिटल पहलों में निम्नलिखित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों, पोर्टलों और माइक्रो-साइटों की शुरुआत शामिल है –

- क. खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस)
 - ख. खाद्य आयात स्वीकृति प्रणाली (फिक्स)
 - ग. भारतीय खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्क (इन्फोल्नेट)
 - घ. खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक)
 - ङ. नियमित निरीक्षण और नमूनाकरण प्रणाली (फोस्कोरिस) एप के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अनुपालन
 - च. ईट राइट इंडिया और अन्य माइक्रो-साइट्स डिजिटलीकरण पहलें
- उपर्युक्त प्रमुख अनुप्रयोगों को बनाए रखने के अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान शुरु किए गए कई नए कार्यों का निम्न रूप से संक्षेप में वर्णन किया गया है।

11.4 क. खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस)

(क) मौजूदा खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) (जो 2011 से चलन में है) के

स्थान पर 1 नवंबर, 2020 से नई खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोसकोस) पूरे भारत में चालू है। फोसकोस (पूर्व में एफएलआरएस) ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्लैटफॉर्म के प्रमुख सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन्स में से एक है जो एफएसएसएआई की लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली की सुविधा प्रदान करता है और इसका देश के रेलवे के सभी 16 क्षेत्रों सहित पूरे भारत में परिचालन हो रहा है। फोसकोस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और यह सुचारू रूप से चल रहा है। यह <https://foscos.fssai.gov.in/> पर उपलब्ध है। इसे सरल, तेज और व्यापक बनाने के प्रयोजन से इसमें अतिरिक्त प्रकार्य हैं ताकि एफबीओ आसानी से खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके। फोसकोस की प्रणाली संरचना अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है और सूक्ष्मसेवाओं का उपयोग करती है जो इसे कई स्वतंत्र सहयोगी घटकों में विभाजित करती हैं।

(ख) वर्ष 2020-2021 में पूर्ण किए गए फोसकोस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं –

1. फोसकोस एप्लिकेशन ने संपूर्ण भारत में रेजरपे पेमेंट गेटवे अपना लिया है और लाइसेंस शुल्क केंद्रीय रूप से एकत्र करके राज्यों के बैंक खाते के विवरण में डाल दिया जाता है।
2. एफएलआरएस प्रणाली से सक्रिय लाइसेंस और पंजीकरण डाटा का स्थानांतरण।
3. फोसकोस में फोर्टिफिकेशन एप्लिकेशन मॉड्यूल।
4. व्यवसाय के प्रकार (केओबी) के अनुसार दस्तावेज़ सूची का निर्माण।
5. पूरे भारत में रेलवे एफबीओज़ के लिए फोसकोस का शुभारंभ।
6. फोसकोस के साथ ऑडिट प्रबंधन प्रणाली और स्वच्छता रेटिंग प्रणाली का अनुकलन।
7. निरीक्षण करने के लिए विभिन्न नए प्रकार्यों के साथ फोस्कोरिस ऐप का शुभारंभ।
8. निरीक्षण को छोड़कर सभी चरणों के लिए लाइसेंस और पंजीकरण स्वतः जारी करना और स्वतः अस्वीकृत करना।
9. पश्चिम बंगाल राज्य के लिए एक्सिस बिलडेस्क निधि भुगतान अनुकलन।
10. मध्य प्रदेश राज्य के लिए एमपी ऑनलाइन भुगतान अनुकलन।
11. दिल्ली राज्य के साथ ई-चालान और एसबीआई ई-पे भुगतान का अनुकलन।
12. एफएलआरएस से फोसकोस में स्थानान्तरण प्रक्रिया दिसंबर 2020 के महीने में पूरी हुई।
13. अखिल भारतीय केंद्र/राज्य/पंजीकरण के लिए पेयूबिज़ कार्यान्वयन।
14. फोसकोस में नए जिलों के मानचित्रण का कार्यअनवरत प्रक्रिया के रूप में किया जा रहा है।
15. रेजरपे और पेयूबिज़ में स्वतः धनवापसी और स्वतः मिलाप।

ख. खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (फिक्स)

(क) खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (फिक्स) भारत में आयातित खाद्य की निर्मुक्ति की प्रक्रिया के लिए एकीकृत वेब आधारित प्रणाली है और यह सीमा शुल्क विभाग की आइसगेट प्रणाली के

साथ भी एकीकृत है। खाद्य आयात अलर्ट प्रणाली (एफआईएस) को भी फिक्स में अंतर्निहित किया गया है, जो <https://fics.fssai.gov.in/> पर उपलब्ध है, जिससे कस्टम अधिकारियों को बंदरगाहों पर खाद्य अस्वीकृत करने में सहायता मिलती है।

(ख) वर्ष 2020–2021 में पूर्ण किए गए फिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्न प्रकार हैं:

1. फिक्स-फोस्कोस अनुकूलन: फोस्कोस द्वारा एक एपीआई विकसित किया गया है और इसका फिक्स में एफएसएसएआई लाइसेंस (आयातक) के विवरण को प्रमाणित और कैचर करने के लिए फिक्स द्वारा उपयोग किया जाता है।
2. अनंतिम एनओसी के लिए संदेश विनिमय: पूर्वतः नाशवान और पहले से पैक खुदरा वस्तुओं के लिए अनंतिम एनओसी हेतु कोई संदेश विनिमय नहीं था। बंदरगाहों पर पीएनओसी की भौतिक प्रति जारी करके स्वीकृति प्रदान की जा रही थी। अब दिनांक 1 जनवरी, 2021 से एफएसएसएआई और सीमाशुल्क विभाग के बीच स्वचालित संदेश सेवा शुरू हो गई है।
3. रिपोर्टिंग सर्वर: उत्पादन सर्वर से ट्रैफिक लोड को कम करने के लिए खोज और रिपोर्टिंग के उद्देश्य से एफएसएसएआई बंदरगाहों को एक अलग रिपोर्टिंग सर्वर प्रदान किया गया है। इसका लिंक संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध है।
4. प्रशिक्षण सर्वर: ऐपलिकेशन प्रोसेस फ्लो के बारे में जागरूक करने के लिए हितधारकों को एक अलग प्रशिक्षण सर्वर प्रदान किया गया है।
5. नए बंदरगाह और प्रवेश स्थल: फिक्स में 2 नए बंदरगाह (मुंद्रा और कृष्णापट्टनम्) और 22 नए प्रवेश स्थल जोड़ दिए गए हैं। ये सभी दिनांक 10 मार्च, 2021 से परिचालित हैं।
6. सिंगल विंडो बिल ऑफ एंट्री काउंट: निदेशक (आयात) लॉगिन में सिंगल विंडो के माध्यम से संख्या और बिल ऑफ एंट्री की स्थिति जानने के लिए प्रावधान किया गया है।
7. एओ स्पष्टीकरण प्रावधान: तकनीकी अधिकारी द्वारा जाँच के बाद प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र/अनुवर्ती जाँच कर सकता है।
8. अंतिमित उपयोग घोषणा: दस्तावेज को अपलोड करने का प्रावधान अक्षम कर दिया गया है और अंतिमित उपयोग हेतु सूचना को कैचर करने के लिए नई फील्ड शुरू की गई हैं।

(ग) वर्तमान में किए जा रहे कार्य:

1. एसईजेड एकीकरण
2. डीजीएफटी एकीकरण
3. डैशबोर्ड का अनुकूलन

ग. भारतीय खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्क (इन्फोल्नेट)

भारतीय खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्क (इन्फोल्नेट) किसी भी प्रकार का खाद्य नमूना परीक्षण करने वाली सभी प्रयोगशालाओं का एकीकरण करने के लिए आईटी समाधान है। यह प्रणाली राज्यों को निगरानी गतिविधियों की योजना बनाने और निष्पादन करने में सहायता करती है। वर्ष 2020–21

में इन्फोल्नेट में जोड़े गए कुछ नए फीचर निम्नलिखित हैं:

1. जाँच रिपोर्ट पर डिजिटल हस्ताक्षर का प्रावधान किया गया।
2. मानकों के अनुसार उत्पाद बनाम मापदंड डेटाबेस अपडेट किया गया।
3. प्रयोगशाला उपकरणों की सूची शामिल की गई।
4. परीक्षण के नमूनों का डाटा विश्लेषण।
5. प्रयोगशाला के लिए अपनी प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
6. एफएसएसएआई प्रयोगशाला एडमिन लॉगिन में विभिन्न प्रयोगशालाओं को गतिशील आधार पर सूचीबद्ध करना और प्रयोगशाला को सक्षम/अक्षम बनाने का प्रावधान किया गया।
7. उत्पाद सर्वेक्षण फीचर
8. इन्फोल्नेट के साथ तृतीय पक्ष लिम्स एकीकरण।

घ खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक) प्रशिक्षण पोर्टल

फोस्टैक खाद्य मूल्य श्रृंखला के सभी खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन पोर्टल है। प्रशिक्षण और प्रमाणन एफएसएसएआई का मुख्य प्रकार्य बन गया है। ऑनलाइन संसाधनों के अलावा, इसमें तीन प्रकार के प्रशिक्षण मॉड्यूल हैं यानी मूल, उन्नत और विशिष्ट।

वर्ष 2020–2021 में फोस्टैक प्रशिक्षण पोर्टल पर पूर्ण किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं:

1. कोविड रजिस्ट्रीकरण लिंक।
2. कोविड कोर्स तैयार किए गए।
3. कोविड कोर्स के अनुसार डैशबोर्ड में परिवर्तन।
4. आकलन की स्थिति अपडेट कर दी गई: एबसेंट फील्ड का समावेशन।
5. प्रशिक्षु रजिस्ट्रेशन: कई जाँचों के बाद फॉर्म अपडेट किया गया।
6. प्रशिक्षण कैलेंडर के स्वतः अनुमोदन के लिए न्यूनतम समय और बैठने की अधिकतम व्यवस्था का मैट्रिक्स तैयार किया गया।
7. पीपीटी, पीडीएफ और टेक्स्ट दस्तावेजों की अध्ययन सामग्री के ऑनलाइन मॉड्यूल की लिंक्स बनाई गई।
8. प्रशिक्षकों और आकलनकर्ता की उपलब्धता की जाँच की गई।
9. प्रशिक्षण के लिंक्स सहित प्रशिक्षण कैलेंडर का ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किए गए।
10. आकलन की तिथि और समय एवं समाप्ति तिथि और समय की जाँच की गई।
11. नए कोविड कोर्स के लिए सभी वर्तमान प्रशिक्षकों की मैपिंग की गई।
12. टीपी मॉड्यूल से प्रशिक्षु रजिस्ट्रीकरण नए फॉर्म की अपेक्षानुसार अपडेट किया गया।

ड स्वच्छता रेटिंग पोर्टल

वर्ष के दौरान किए गए कार्य निम्नलिखित हैं:

1. फोस्कोस में स्वच्छता रेटिंग की व्यवस्था की गई।
2. फोस्कोस के अनुसार डीओ/एफएसओ/आयुक्त के सभी मॉड्यूल अपडेट किए गए।
3. एफबीओ की आईडी के लाइसेंस नंबर अपडेट कर दिए गए हैं।
4. नए फोस्कोस के अनुसार 6 एपीआईएस तैयार किए गए।
5. एफएसएसएआई द्वारा एपीआई तैयार किया गया जो कृत स्वच्छता रेटिंग के अनुरूप फोस्कोस में परिलक्षित होता है।

च. संपरीक्षा प्रबंधन प्रणाली

वर्ष के दौरान किए गए कार्य निम्नलिखित हैं

1. पूरी परियोजना निर्धारित अवधि में लाइव हो गई।
2. संपरीक्षक/अभिकरण का मॉड्यूल फोस्कोस मॉड्यूल के अनुरूप किया गया।
3. लाइसेंस का विवरण फोस्कोस की अपेक्षाओं के अनुसार बनाया गया।
4. एफएसएसएआई द्वारा एपीआई बनाया गया जो कृत एएमएस संपरीक्षा के अनुरूप फोस्कोस में परिलक्षित होता है।

11.5 MyGov प्लैटफॉर्म के साथ सहकार्य

एफएसएसएआई ने MyGov प्लैटफॉर्म, जिसकी व्यापक पहुंच है, के माध्यम से खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और अन्य पहलों की पहुंच बढ़ाने के लिए MyGov टीम के साथ सहकार्य किया। ईट राइट इंडिया कार्यक्रम के तहत, MyGov प्लैटफॉर्म पर स्वास्थ्यकर भोजन, सुरक्षित भोजन, उपभोक्ता सशक्तीकरण, खाद्य विनियामक पारितंत्र आदि जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाला एक ऑनलाइन ईट राइट क्विज अभियान शुरू किया गया अर्थात् <https://quiz.mygov.in/quiz/eatright-quiz>। ईट राइट क्विज कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद एक और अभियान 'एक्सपर्ट स्पीक्स' शुरू किया गया, जिसमें MyGov प्लैटफॉर्म पर विशेषज्ञों द्वारा सही खाने पर एक छोटी अवधि की वीडियो टिप उपलब्ध कराई जाती है।

11.6 समाज में पहुँच/डिजिटल कनेक्ट

11.6.1 पहले की तरह, अंतिमित-उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंचने के लिए कई नए संचार माध्यम शुरू किए गए हैं, जो उपभोक्ता और एफएसएसएआई के बीच एक सीधी कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। अब एफएसएसएआई चार सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म – फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पर्याप्त रूप से उपलब्ध है।

11.6.2 एफएसएसएआई के पास टोल-फ्री हेल्पलाइन डेस्क भी है जिसके हेल्पलाइन नंबर को कनेक्ट माध्यमों की सहायता से संचारित किया गया है। उपर्युक्त कई चैनलों से आने वाली सभी शिकायतों/प्रश्नों को वेब पोर्टल/मोबाइल ऐप्प-खाद्य सुरक्षा कनेक्ट पर स्वतः पुनः प्रेषित किया जा रहा है।

- 11.6.3** ईट राइट इंडिया से संबंधित एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य समन्वित बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्यकर आहार को बढ़ावा देकर लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना है। सभी स्वतंत्र ईट राइट पहल पोर्टलों को एफएसएसएआई के इस एकीकृत पोर्टल के अंतर्गत लाया जाएगा।
- 11.6.4** डिजिटल मित्र के लिए प्रशिक्षकों की ऑनलाइन परीक्षा का प्रावधान करने का कार्य प्रगति पर है।
- 11.6.5** वेबसाइट डिजाइन में नवीनतम रुझानों को देखते हुए एफएसएसएआई की एकीकृत वेबसाइट नए रूप में डिजाइन और विकसित की गई है। इसमें सूचना को अधिक सुविधाजनक तरीके से संरचित किया गया है ताकि नागरिक प्रभावी तरीके से डाटा प्राप्त कर सकें। एफएसएसएआई की सभी ऐपलिकेशन और पहले <https://fssai.gov.in> पर उपलब्ध इस एकीकृत वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध हैं।
- 11.6.6** एफएसओ के लिए तैयार किए गए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि वे खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुदृढीकरण) विनियम को अच्छी तरह से समझ सकें जिससे सुदृढीकृत उत्पादों की गुणता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वेबसाइट <https://ffrc.fssai.gov.in/training/> पर उपलब्ध है।

सारणी 18 – एफएसएसएआई की वेबसाइटों/पोर्टलों और अन्य डिजिटल पहलों की सूची

क्र. स.	नाम	URL
1	एफएसएसएआई की मुख्य एकीकृत वेबसाइट (द्वि भाषी)	https://fssai.gov.in
2	खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस)	https://foscos.fssai.gov.in/
3	खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (फिक्स)	https://fics.fssai.gov.in
4	खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक)	https://fostac.fssai.gov.in
5	खाद्य फोर्टिफिकेशन संसाधन केंद्र (एफएफआरसी)	https://ffrc.fssai.gov.in
6	भारतीय खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्क (इन्फोनेट)	https://infolnet.fssai.gov.in/
7	खाद्य उत्पाद पहचान सत्यापन प्रणाली (एफपीआईवीएस)	https://fssai.gov.in/fpivs
8	फूड कल्चर	https://fssai.gov.in/foodculture
9	आईएफएस क्विक एक्सेस	https://fssai.gov.in/IFSquickaccess
10	स्वच्छता रेटिंग	https://eatrightindia.gov.in/hygieneRating
11	खाद्य सुरक्षा ज्ञान समावेश नेटवर्क (एफएसकेएएन)	https://fssai.gov.in/fskan
12	एफएसएसएआई इंटर्नशिप पोर्टल	https://fssai.gov.in/internship
13	एफएसएसएआई भर्ती पोर्टल	https://fssai.gov.in/recruitment
14	एफएसएसएआई प्रशिक्षक पोर्टल	https://fssai.gov.in/trainers
15	एफएसएसएआई वैज्ञानिक पैनल पोर्टल	https://fssai.gov.in/scientificpanels
16	डाइट4लाइफ	https://diet4life.fssai.gov.in

क्र. स.	नाम	URL
17	द्रुत परीक्षण के माध्यम से मिलावट का पता लगाना: डार्ट	https://fssai.gov.in/dart
18	नियमित निरीक्षण और नमूनाकरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अनुपालन (फोस्कोरिस)	https://foodregulatory.fssai.gov.in/foscoris
19	खाद्य विनियामक पोर्टल	https://foodregulatory.fssai.gov.in/
20	जैविक भारत: जैविक इंटीग्रेटी डाटाबेस	https://jaivikbharat.fssai.gov.in/
21	सेव फूड शेयर फूड पोर्टल	https://sharefood.fssai.gov.in/
22	एफएसएसएआई ई-टिप्पणी पोर्टल	https://fssai.gov.in/comments
23	ईट राइट अभियान	https://fssai.gov.in/EatRightMovement
24	प्रयुक्त खाद्य तेल का पुनःप्रयोग (आरयूसीओ)	https://fssai.gov.in/ruco/
25	बारंबार पूछे गए प्रश्नों पर परामर्श (एफएक्यूएस)	https://fssai.gov.in/faqs
26	एफएसएसएआई ईट राइट इंडिया पहल वेबसाइट	https://eatrightindia.gov.in/ व प्रत्येक पहल के लिए अलग लघु पोर्टल
27	खाद्य और पोषण से संबंधित पेशेवरों का नेटवर्क (नेटप्रोफैन)	https://fssai.gov.in/NetProFaN
28	राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एसएफएसआई)	https://fssai.gov.in/sfsi
29	प्राधिकृत कस्टम अधिकारियों का खाद्य आयात निर्मुक्ति पर प्रशिक्षण	https://fssai.gov.in/fictac
30	संपरीक्षा प्रबंधन प्रणाली	https://fssai.gov.in/AMS/
31	खाद्य सुरक्षा कनेक्ट	https://foscos.fssai.gov.in/consumergrievance/
32	एफएसएसएआई कोविड पोर्टल	https://fssai.gov.in/fscovidportal/
33	खाद्य विश्लेषक परीक्षा पोर्टल	https://fssai.gov.in/cms/fae&jae.php

11.7 भविष्य में किए जाने वाले कार्य: एफएसएसएआई ने कई नई पहलें शुरू की हैं

1. नई खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस) को विभिन्न नई विशेषताओं के साथ लॉन्च किया गया है और इस एप्लिकेशन में कुछ नयी विशेषताएँ शीघ्र आएंगी।
2. नई खाद्य आयात स्वीकृति प्रणाली (फिक्स) ऐप्लिकेशन बनाई जाएगी और उसे नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा।
3. इन्फोलनेट 2.0 विभिन्न नई विशेषताओं के साथ लॉन्च किया गया। इसके अतिरिक्त और भी नयी विशेषताएँ आने वाली हैं। निगरानी पोर्टल तैयार किया जाएगा और लिम्स के साथ इन्फोलनेट का समेकन किया जाएगा।
4. आधार प्रमाणीकरण को फोस्कोस और फिक्स में समेकित किया जाएगा।
5. पैन, आधार, सीआईएन और जीएसटीएन के साथ समेकन किया जाएगा।
6. प्रयोगशाला की मान्यता के लिए पोर्टल तैयार किया जाना है।

राजभाषा

- 12.1** भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अपने सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी इसी प्रतिबद्धता को निभाने में खाद्य प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसरण में राजभाषा का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- 12.2 वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति**
- (i) प्राधिकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। सभी प्रभागाध्यक्ष इस समिति के सदस्य हैं।
 - (ii) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। वर्ष के दौरान इन बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया गया और निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती रही।
 - (iii) प्राधिकरण में हिंदी जानने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मूल रूप से हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। वर्ष के दौरान इस प्रकार की 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में प्राधिकरण में नव-नियुक्त कर्मचारियों और अधिकारियों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए हिंदी में सरकारी कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया।
 - (iv) प्राधिकरण में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए हिंदी के प्रयोग प्रयोग से संबंधित प्रत्येक तिमाही में तैयार की गई तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में गई और यह रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी गई।
 - (v) राजभाषा अनुदेशों के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 14-29 सितम्बर, 2020 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े का शुभारंभ 14 सितम्बर को हिंदी दिवस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक समारोह के आयोजन से हुई। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया:
 1. टिप्पण और आलेखन
 2. निबंध
 3. वाद-विवाद
 4. अनुवाद

उपर्युक्त प्रतियोगिताओं के लिए प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार और सांत्वना पुरस्कार के रूप में क्रमशः 4000/-रुपये, 2500/-रुपये, 1500/-रुपये और 750/- रुपये की राशि रखी गई थी। इसके अलावा वर्ष के दौरान सर्वाधिक कार्य करने वाले अनुभागों को सम्मानित करने के लिए रखी गई शील्ड योजना के अंतर्गत प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन प्रभाग को यह शील्ड प्रदान की गई। इसके अलावा, तकनीकी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आइडियार्थॉन1-फूड फार थाट के अंतर्गत में सर्वश्रेष्ठ हिंदी प्रविष्टि को 5000/- रुपयेकी नकद राशि से पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में अध्यक्ष महोदय ने सभी विजेताओं को नकद राशि और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया।

- (vi) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यालय सहायिका का प्रकाशन किया गया है।
- (vii) वर्ष के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में खाद्य प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया गया।
- (viii) सभी प्रभागों और अनुभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों से परस्पर संपर्क अभियान जारी रखा गया।

12.3 अनुवाद कार्य

सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन कराने के लिए प्राधिकरण के महत्वपूर्ण दस्तावेज का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना जारी रहा।

आरटीआई मामले

वित्तीय वर्ष 2020-21 (01.04.2020-31.03.2021)

1	वर्ष के दौरान आरटीआई आवेदनों से निपटने का संक्षिप्त विवरण	आदि शेष	धारा 6(3) के तहत अन्य लोक प्राधिकारियों से अंतरण के रूप में प्राप्त आवेदनों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन (अन्य लोक प्राधिकारियों को अंतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के तहत अन्य लोक प्राधिकारियों को अंतरित मामले	मामले जिनमें अनुरोध/अपील को अस्वीकार किया गया	मामले जिनमें अनुरोध/अपील को स्वीकार किया गया							
	आवेदन	117	290	1150	184	8	1236							
	प्रथम अपील	07	0	133	0	0	98							
2	अनुशासनिक मामले	उन मामलों की संख्या जिनमें किसी अधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई हो					एक							
3	सीएपीआईओ/ सीपीआईओ/एए के रूप में अभिनामित अधिकारियों की संख्या	अभिनामित सीएपीआईओ की कुल संख्या		अभिनामित सीपीआईओ की कुल संख्या		अभिनामित एए की कुल संख्या								
		शून्य		27		27								
4	उन अवसरों की संख्या जिनमें आवेदन को अस्वीकार करने के लिए विभिन्न उपबंध लागू किए गए आर.टी.आई अधिनियम, 2005 की संबंधित धाराएँ													
	धारा 8 (1)										धाराएँ			
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	9	11	24	अन्य
	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5	धारा 7(1) के तहत (रुपयों में) एकत्र किया गया पंजीकरण शुल्क			धारा 7(3) के तहत (रुपयों में) एकत्र किया गया अतिरिक्त शुल्क			धारा 20(1) के तहत सीआईसी द्वारा यथानिर्देशित (रुपयों में) रीकवर की गई दंड की राशि							
	2380 रुपये			2024 रुपये			0							
6.	यदि लोक प्राधिकारियों ने नागरिकों द्वारा आवेदित सूचना के परिणामस्वरूप अपने नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन किया है, तो कृपया उन परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण दें (अधिकतम 500 वर्ण) – शून्य													
7.	ब्लॉक V (अनिवार्य घोषणाओं संबंधी विवरण)													
क	क्या धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत अनिवार्य घोषणा लोक प्राधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है?			यदि (क) का उत्तर 'नहीं' हो तो क्या प्रसार का अन्य कोई माध्यम है? नीचे विवरण दें			यदि (क) का उत्तर 'हाँ' हो तो उस वेबसाइट का विवरण/यू.आर.एल बताएँ, जहाँ यह घोषणा उपलब्ध है							
	हाँ			नहीं			https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/RTI-Information-Section-22-01-2020.pdf							
ख	धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत अनिवार्य घोषणा को अपडेट करने की पिछली तिथि										22.01.2020			
ग	क्या अनिवार्य घोषणा को डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं 0 1/6/20011-R, दिनांक 15.05.2013 के अनुसार तृतीय पक्ष द्वारा ऑडिट किया गया?										यदि (ग) का उत्तर 'हाँ' है- वेबपेज का विवरण/यूआरएल प्रदान करें, जहाँ लेखापरीक्षा रिपोर्ट पोस्ट की गई है।			
	जी नहीं										-			



वित्तीय विवरणियाँ

वित्तीय वर्ष 2020–21

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

विषय-सूची

1.	तुलन पत्र	113
2.	आय-व्यय लेखा	114
3.	उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों की अनुसूचियां	115
4.	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	133
5.	अनुसूची 26-महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां, अनुसूची 27- आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणी	135
6.	अनुबंध 1	139
7.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	147

दिनांक 31-03-2021 को तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

कोर्पस/पूँजीगत निधि और देयताएं	अनूसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
कोर्पस/पूँजीगत निधि	1	6,67,66,83,748	4,80,37,34,124
आरक्षित और अधिशेष	2	-	2,34,65,151
उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधि	3	-	-
जमानती ऋण और उधारी	4	-	-
गैर-जमानती ऋण और उधारी	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	75,45,45,201	59,95,13,590
योग		7,43,12,28,949	5,42,67,12,865
परिसंपत्तियाँ			
अचल परिसंपत्तियाँ	8	23,07,31,708	24,54,63,809
निवेश – उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधि से	9	-	-
निवेश – अन्य	10	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	7,20,04,97,241	5,18,12,49,056
विविध व्यय		-	-
(बट्टे खाते न डाली गई अथवा समायोजित सीमा तक)		-	-
योग		7,43,12,28,949	5,42,67,12,865

सहायक निदेशक (वित्त)

निदेशक (वित्त)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 10.11.2021

दिनांक 31-03-2021 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
सेवाओं से आय	12	46,61,86,539	56,38,76,750
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी	13	1,75,11,59,341	2,74,19,93,501
अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी	13.1	-	16,97,272
शुल्क/अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निधियों को अंतरित उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियों में निवेश से आय)	15	1,688	-
रायल्टी, प्रकाशनों इत्यादि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	31,83,96,692	28,06,61,979
अन्य आय	18	2,96,21,910	9,54,41,639
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / (कमी) और चालू कार्य	19	-	-
योग (क)		2,56,53,66,169	3,68,36,71,141
व्यय			
स्थापना व्यय	20	24,40,97,021	19,80,40,480
प्रशासनिक इत्यादि व्यय	21	78,84,47,721	51,83,33,117
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	22	7,17,99,928	5,90,10,343
अनुदानों/सब्सिडियों इत्यादि पर व्यय	23	4,64,595	1,10,34,55,278
मूल्यहास	24	3,59,56,198	3,24,09,141
ब्याज	25	9,76,41,290	-
योग (ख)		1,23,84,06,753	1,91,12,48,359
व्यय की तुलना में आय का अधिशेष (क-ख)		1,32,69,59,416	1,77,24,22,782
स्पेशल रिजर्व को अंतरित		-	-
सामान्य रिजर्व को/से अंतरित		-	-
अधिशेष/(घाटे) के रूप में कोर्पस/पूँजीगत निधि को ले जाई गई शेष राशि		1,32,69,59,416	1,77,24,22,782
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	26		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	27		

सहायक निदेशक (वित्त)

निदेशक (वित्त)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 10.11.2021

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रूपयों में)

अनुसूची 1- कोर्पस/पूँजीगत निधि	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	4,80,37,34,124	3,03,13,11,342
जोड़ें: कोर्पस/पूँजीगत निधि को अंशदान		
जोड़ें/(घटाएं): आय तथा व्यय लेखा से अंतरित निवल आय (व्यय) का शेष		
आय और व्यय लेखा	1,32,69,59,416	1,77,24,22,782
जोड़ें: पूँजीनिधि का पूँजीकरण	52,25,25,057	-
जोड़ें: बंदोबस्ती निधि से हस्तांतरित राशि	2,34,65,151	-
वर्ष के अंत में - शेष	6,67,66,83,748	4,80,37,34,124

अनुसूची 2 - आरक्षित एवं अधिशेष:	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. पूँजीगत रिजर्व:		
पिछले लेखा के अनुसार		-
वर्ष के दौरान योग		-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां		-
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व:		
पिछले लेखा के अनुसार		-
वर्ष के दौरान योग	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
3. विशेष रिजर्व:		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान योग	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
4. वर्ष के दौरान योजित आदि शेष:		
आईसीआईसीआई बैंक 2194 (एसबीवाई)		98,444
आईसीआईसीआई बैंक 2456 (सीएससी)	-	2,33,66,707
	-	-
योग	-	2,34,65,151

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 3 : उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियां	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	अचल परिसंपत्ति निधि	अचल परिसंपत्ति निधि
क) निधियों का आदि शेष	-	-
ख) निधियों में योग		
i. दान/अनुदान	-	-
ii. निधियों के खाते से किए गए निवेश से आय	-	-
iii. अन्य जमा (कृपया बताएं)		
क) पूंजीगत व्यय योजना	-	-
ख) पूंजीगत व्यय – गैर-योजना	-	-
ग) उपहार में मिली पूंजी	-	-
घ) जीपीएफ में स्टाफ का अंशदान	-	-
ड) जीपीएफ खाते में जमा ब्याज	-	-
च) अग्रिम की वापसी	-	-
iv. संचित रिजर्व	-	-
v. समग्र निधि को अंतरण	-	-
योग (ख)	-	-
योग (क+ख)	-	-
ग) निधियों के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय		
i. पूंजीगत व्यय	-	-
– अचल परिसंपत्तियां	-	-
– अन्य	-	-
– अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण	-	-
– वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	-
कुल	-	-
ii. राजस्व व्यय		
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-
– किराया	-	-
– अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-
– स्टाफ को अग्रिम	-	-
– स्टाफ तथा कलाकारों को अंतिम भुगतान	-	-
– अदावे वाले शेष को अंतरित	-	-
– स्टाफ दवारा अंतिम निकासी	-	-
कुल	-	-
योग (ग)	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	-	-

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 4 – जमानती ऋण और उधारी		
1. केंद्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थान		
क) मियादी ऋण	-	-
ख) उपार्जित और देय ब्याज	-	-
4. बैंक		
क) मियादी ऋण	-	-
– उपार्जित और देय ब्याज	-	-
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	-	-
– उपार्जित और देय ब्याज	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबैंचर और बॉन्ड	-	-
7. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
योग	-	-

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 5- गैर-जमानती ऋण और उधारी		
1. केंद्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
4. बैंक		
क) मियादी ऋण		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबैंचर और बॉन्ड		
7. फिक्स्ड डिपॉजिट		
8. अन्य (उल्लेख करें)		
कुल	-	-

अनुसूची-6 आस्थगित ऋण देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क) पूंजीगत उपस्करों और अन्य परिसंपत्तियों के रेहन से प्राप्त स्वीकरण	-	-
ख) अन्य	-	-
योग	-	-

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची- 7 – वर्तमान देनदारियां और प्रावधान		
क. वर्तमान देनदारियां		
1. स्वीकृतियाँ	-	-
2. विविध देनदारियां		
क) वस्तुओं/सेवाओं के लिए (अनुसूची-7.1 के अनुसार)	11,04,58,635	8,63,98,188
ख) अन्य (अनुसूची-7.2 के अनुसार)	-	-
3. बयाना राशि जमा	11,39,910	6,60,910
4. निम्नलिखित पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज :		
क) जमानती ऋण/उधारियां		
ख) गैर-जमानती ऋण/उधारियां		
5. वैधानिक देयताएं:		
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य (अगले वित्तीय वर्ष में देय माह के शुल्क एवं कर)	49,68,601	70,39,731
6. अन्य वर्तमान देयताएं:		
क) वेतन से कटौतियां	63,98,284	8,06,131
ख) पुराने चेक	26,14,074	22,99,199
ग) प्राप्त जमानत राशि	1,78,95,914	1,79,95,914
घ) एफआरएसएल के पुराने लंबित भुगतान	-	(7,095)
ड) बैंक द्वारा गलत क्रेडिट	7,05,000	-
च) देय जीएसटी रिजर्व प्रभार और रिलीफ फंड	4,249	96,669
ह) कर अधीक्षक गुवाहाटी	832	
7. राज्य लाइसेंस और पंजीकरण निधि		
क) बीओबी में 39 वर्च्युल खाते	52,71,31,186	8,26,34,267
ख) सीएससी से प्राप्तियां	2,44,58,428	9,68,50,700
ग) मनोनीत अधिकारी	-	
8. वर्ष के अन्त में अनुदान का अव्ययित शेष:		
क) वर्ष के अन्त में अनुदान का अव्ययित शेष	5,87,70,088	30,47,38,976
	-	
योग क)	75,45,45,201	59,95,13,590

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		-
2. ग्रेच्युटी	-	-
3. अधिवर्षिता/पेंशन	-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	-	-
5. व्यापार वारंटिया/दावे	-	-
6. अन्य (बताएं)	-	-
क) रेंट रेट और कर व्यय	-	-
ख) कार्यालय व्यय	-	-
ग) आपूर्ति और सामग्री व्यय	-	-
घ) यात्रा व्यय	-	-
ई) टीडीएस देय	-	-
च) राहत कोष	-	-
छ) सस्पेंस	-	-
योग (ख)	-	-
योग (क+ख)	75,45,45,201	59,95,13,590

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 7.1 – वस्तुओं/सेवाओं के लिए विविध देनदारियां		
1 छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान (वापस प्राप्त चेक)	-	4,85,456
2 वैज्ञानिक पैनलों के सदस्यों के दावे	-	2,21,394
3 प्रत्यायित प्राइवेट प्रयोगशालाओं के दावे	10,19,53,111	8,42,65,215
4 आरब्रो फॉर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	2,19,233	2,19,233
5 एशियन साइंटिफिक इंडस्ट्रीज (दिल्ली)	2,56,409	2,56,409
6 आहरण एवं वितरण अधिकारी	-	11,800
7 निर्यात निरीक्षण एजेंसी कोच्चि	-	27,104
8 आईसीएआर यूनिट, सीआईएफटी, कोच्चि	-	977
9 कोलकाता विश्वविद्यालय	-	1,40,600
10 लाल बहादुर शास्त्री	-	7,70,000
11 135 शहर और जिला	35,00,000	-
12 सीएससी राज्य निधि	44,88,500	-
13 गुरुसंस कम्प्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	35,382	-
14 ऑनलाइन ईट राइट प्रश्नोत्तरी	5,000	-
15 पुनरुद्धार	1,000	-
योग	11,04,58,635	8,63,98,188

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 7.2 – अन्य के लिए विविध देनदारियाँ		
1 देय ब्याज व्यय	-	-
योग	-	-

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 9 – उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियों से निवेश	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबैंचर तथा बॉन्ड	-	-
5. सब्सिडियरियां तथा संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
योग	-	-

10 अनुसूची – निवेश – अन्य	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबैंचर तथा बॉन्ड	-	-
5. सब्सिडियरियां तथा संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
योग	-	-

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 11 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क. वर्तमान परिसंपत्तियां:		
1. वस्तु सूची		
क) स्टोर तथा स्पेयर्स	-	-
ख) खुले औजार	-	-
ग) व्यापार में स्टॉक		
चालू कार्य – उत्तरी क्षेत्र (सीएचईबी)	45,90,000	45,90,000
2. विविध लेनदारियां		
क) छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण	-	-
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)	90,884	90,884
4. बैंक शेष		
क) अनुसूचित बैंकों में:		
– जमा खातों में	3,83,17,67,463	3,05,77,85,586
– क्षेत्रीय कार्यालयों के बचत खातों में	11,05,15,311	10,17,61,853
– मुख्यालय तथा अन्य के बचत खातों में	1,13,24,47,826	1,03,38,37,935
– मियादी जमा राशियों से टीडीएस की कटौतियां	5,89,65,759	4,16,43,304
– टीडीएस कटौती (एफडी के अलावा) पर	14,98,088	-
– सेविंग्स बैंक खाता (एसबीवाई)	2,24,21,523	1,33,48,731
– सेविंग्स बैंक खाता (सीएससी)	1,13,868	16,14,650
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में:		
– चालू खातों में	-	-
– जमा खातों में	-	-
– बचत खातों में	-	-
5. डाकघर – बचत खाता	-	-
कुल (क)	5,16,24,10,723	4,25,46,72,943

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 11 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम आदि (जारी)	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
ख) ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ	-	-
ख) इसी तरह के क्रिया-कलापों/उद्देश्यों में रत अन्य इकाइयाँ	-	-
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
2. नकद या अन्य रूप में या प्राप्त की जाने वाली कीमत के लिए वसूली योग्य अग्रिम या अन्य राशियां		
क) पूंजीगत खाते में	-	-
ख) पूर्व भुगतान	-	-
ग) अन्य	-	-
- प्रतिभूति राशियां	3,04,65,650	3,04,65,650
- केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (60% हिस्सेदारी)	11,01,18,779	9,33,83,062
- निर्यात निरीक्षण परिषद् (मुंबई)	-	11,76,473
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिया गया अग्रिम (अनुलग्नक-I)	1,12,97,25,051	-
- वित्तीय वर्ष 2019-2020 में दिया गया अग्रिम (अनुलग्नक-I)	31,66,21,924	42,40,03,023
- वित्तीय वर्ष 2018-2019 में दिया गया अग्रिम (अनुलग्नक-I)	2,04,61,897	2,11,32,015
- वित्तीय वर्ष 2017-2018 में दिया गया अग्रिम (अनुलग्नक-I)	1,12,17,691	1,17,68,020
- वित्तीय वर्ष 2016-2017 में दिया गया अग्रिम (अनुलग्नक-I)	43,03,223	56,20,186
- वित्तीय वर्ष 2015-2016 में दिया गया अग्रिम (अनुलग्नक-I)	62,85,658	62,85,658
- वित्तीय वर्ष 2014-2015 में दिया गया अग्रिम (अनुलग्नक-I)	4,45,931	4,45,931
- वित्तीय वर्ष 2013-2014 में दिया गया अग्रिम (अनुलग्नक-I)	96,575	96,575
- वित्तीय वर्ष 2008-2009 से 2012-2013 तक दिया गया अग्रिम (अनुलग्नक-I)	1,40,57,916	1,40,57,916
- अग्रिम किराया चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट	15,34,02,084	15,87,30,084
- अग्रिम किराया जेएनपीटी पोर्ट ट्रस्ट	2,27,88,466	2,50,90,122
- अग्रिम आय कर (अपील)	2,26,97,685	2,26,97,685
3. उपार्जित आय		
क) उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियों में किए गए निवेश से		
ख) निवेशों से - एफडी	2,59,505	86,55,738
ग) ऋण तथा अग्रिम से		
घ) अन्य		
4. समायोजनीय जीएसटी	19,51,38,484	10,29,67,975
योग (ख)	2,03,80,86,519	92,65,76,113
योग (क+ख)	7,20,04,97,241	5,18,12,49,056

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 12 – विक्रय/सेवाओं से आय		
1) विक्रय से आय		
क) तैयार माल की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) रद्दी की बिक्री	-	-
2) सेवाओं से आय		
क) लाइसेंस शुल्क		
i) लाइसेंस शुल्क	31,64,73,377	39,33,06,366
ii) लाइसेंस शुल्क (वार्षिक विवरणी)	3,15,65,760	5,87,73,237
iii) दंड (वार्षिक विवरणी)	17,46,100	-
iv) पूर्व-मुद्रित पैकेजिंग सामग्री शुल्क	5,04,000	4,93,500
ख) नमूना परीक्षण शुल्क	33,37,268	1,33,02,597
ग) उत्पाद अनुमोदन शुल्क	36,50,000	56,00,000
घ) आयात शुल्क चाक्षुष निरीक्षण इत्यादि	-	
i) चाक्षुष निरीक्षण शुल्क	9,50,96,033	7,80,86,046
ii) प्रथम पुनरीक्षा शुल्क	1,37,16,001	1,36,30,004
iii) द्वितीय पुनरीक्षा शुल्क	70,000	6,85,000
ई) आवेदन प्रसंस्करण शुल्क	28,000	-
योग	46,61,86,539	56,38,76,750

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 13- अनुदान/सब्सिडियाँ		
1) केंद्रीय सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)	1,73,92,00,000	3,01,22,00,000
2) राज्य सरकार		
3) सरकारी एजेंसियां		
4) संस्थाएं/कल्याण निकाय		
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य :		
जोड़ें: वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित शेष	7,04,80,274	3,45,32,477
घटाएं: मंत्रालय को वापस की गई अनुदान राशि	-	-
घटाएं: वर्ष के अंत में अनुदान का अव्ययित शेष	(5,85,20,933)	(30,47,38,976)
घटाएं: वर्ष के दौरान पूंजीकृत अनुदान	-	-
योग	1,75,11,59,341	2,74,19,93,501

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 13.1 - अन्य एजेंसियों से अनुदान/सब्सिडियां		
1) डब्ल्यूएचओ ज्वाइंट कोडेक्स ट्रस्ट फंड 2 परियोजना	-	4,55,010
2) एफएओ यूनाइटेड नैशनस	-	12,42,262
कुल	-	16,97,272

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची – 14 शुल्क/चंदा		
1) प्रवेश शुल्क	-	-
2) वार्षिक शुल्क/चंदा		
3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क		
4) परामर्श शुल्क		
5) आरटीआई शुल्क	-	
कुल	-	-

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 15 – निवेशों से आय		
1) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों से	-	-
ख) अन्य बांडों/डिबेंचरों से	-	-
2) अन्य:		
– दंडात्मक ब्याज प्राप्ति	1,688	
– निवेश से ब्याज	-	-
योग	1,688	-
उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियों को अंतरित	1,688	-

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1 रॉयल्टी से आय	-	-
2 प्रकाशन से आय	-	-
3 अन्य (उल्लेख करें)	-	-
योग	-	-

अनुसूची 17 – उपार्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1 मियादी जमाओं पर		
क) अनुसूचित बैंकों में		
I आईसीआईसीआई बैंक	1,48,53,684	63,894
II एयू स्माल फाइनेंस बैंक	10,03,00,656	18,79,92,681
III इंडसइंड बैंक	7,72,22,670	3,84,492
IV आईसीआईसीआई बैंक	7,27,930	4,44,952
V सीएससी बैंक खाता	-	28,86,974
VI इक्विटास बैंक	84,30,144	-
VII यूनियन बैंक	3,20,40,883	-
IX बैंक आफ बड़ौदा	2,11,16,326	-
ख) ऑटोस्वीप से उपार्जित	4,42,63,375	4,66,19,136
ग) संस्थानों में		-
घ) अन्य		-
2 बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंको में	82,35,558	4,22,69,850
ख) अनुसूचित बैंकों के साथ (आरओ)	1,12,05,466	
ग) गैर-अनुसूचित बैंको में		-
घ) डाकघर बचत खातों में		-
ड) अन्य: मंत्रालय को वापस किया गया ब्याज		-
3 ऋणों पर:		
क) कर्मचारियों/स्टॉफ को		-
ख) अन्य को		-
योग	31,83,96,692	28,06,61,979

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 18 – अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1 परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) अपनी परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदान में या निशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	-	-
2 विविध आय		
– सीधी भर्ती शुल्क/खाद्य विश्लेषक परीक्षा	24,40,491	6,22,13,825
– प्रयोगशाला परीक्षण और ऑडिटिंग एजेंसी	2,45,000	1,71,300
– पुराने अखबारों/रद्दी की बिक्री	9,75,000	21,723
– निविदा फार्मों की बिक्री/आवेदन शुल्क	15,95,000	4,500
– प्रायोजन एसबीवाई	-	15,00,000
– प्रायोजन ईट राइट मेला	-	17,50,000
– एफएफआरसी शेर	94,49,811	-
– आरटीआई शुल्क	3,448	5,718
– विविध आय	1,37,562	55,125
– सीपीएफ प्राप्तियां	-	6,25,500
– एसबीवाई साइकिल नीलामी	-	2,67,010
– कोलकाता में नीलामी	-	1,72,000
– राफ्ट प्रमाणन	1,13,500	-
– रॉकफेलर फाउंडेशन न्यूयॉर्क (पुरस्कार राशि)	1,46,62,098	-
– पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 (रिकवर्ड)	-	2,86,54,938
योग	2,96,21,910	9,54,41,639

अनुसूची 19- तैयार माल के स्टॉक और चालू कार्य में वृद्धि/(कमी)	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क) अंतिम स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– चालू कार्य	-	-
ख) घटाएं: आरम्भिक स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– चालू कार्य	-	-
निवल वृद्धि/(कमी) (क-ख)	-	-

अनुसूची 20- स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	22,40,41,922	17,75,60,733
ख) एचआर डिवीजन संविदा कर्मचारी	-	-
ग) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	1,82,07,608	1,97,26,350
घ) अन्य	-	-
– चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति	18,47,491	7,53,397
योग	24,40,97,021	19,80,40,480

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 21 – प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1 बिजली और पावर	66,71,020	41,93,080
2 जल प्रभार	1,80,302	8,80,869
3 किराया, दरें और कर	6,08,01,638	5,15,31,720
4 डाक और संप्रेषण प्रभार	2,53,039	4,16,341
5 आपूर्ति और सामग्री	3,76,19,693	1,02,04,890
6 यात्रा और वाहन व्यय	1,90,67,723	3,89,54,709
7 सेमिनारों/कार्यशालाओं (सीएमएंडएस) पर व्यय	-	2,87,81,541
8 सदस्यता शुल्क पर व्यय(कोडेक्स ट्रस्ट फंड को अंशदान)	18,30,885	18,66,997
9 ऑडिटर्स को पारिश्रमिक	4,64,300	1,27,200
10 विधिक और पेशेवर प्रभार	14,50,16,197	20,75,16,891
11 आईईसी और प्रचार पर व्यय	7,22,17,311	6,84,27,350
12 कार्यालय व्यय	2,18,01,014	2,48,87,495
13 प्रशिक्षण प्रभार	19,13,42,291	83,90,735
14 निगरानी	17,700	1,31,95,708
15 प्रवर्तन गतिविधियां	31,62,298	-
16 टेलीफोन और मोबाइलों पर व्यय	25,82,998	24,82,086
17 मनोरंजन पर व्यय	1,38,033	1,22,934
18 मोटर वाहन व्यय	1,87,06,340	1,47,81,457
19 पुस्तकालय व्यय	1,66,106	4,00,452
20 लिपिकीय व्यय	62,100	3,65,956
21 जनशक्ति नियोजन	-	1,33,74,112
22 नन्हे कदम एफडीए	-	(1,76,575)
23 स्वस्थ भारत यात्रा पर व्यय	11,04,949	2,33,667
24 परीक्षण शुल्क	2,69,80,577	18,251
25 इवेंट मैनेजमेंट	-	1,26,39,306
26 सम्मेलन, बैठक और संगोष्ठी खर्च	17,48,658	-
27 ईट राइट इंडिया चैलेंज	7,48,000	-
28 अग्रदाय व्यय	2,48,164	-
29 समाचार पत्र और पत्रिकाएं	1,93,443	-
30 आयात प्रभाग व्यय	55,100	-
31 अन्य प्रशासनिक व्यय		
– बैंक प्रभार	6,62,635	10,16,484
– इंटरनेट प्रभार	-	6,104
– सूचना प्रौद्योगिकी पर व्यय	3,23,95,772	1,36,93,358
– सेवा कर	13,93,73,847	-
– अन्य खर्चों	28,35,588	-
योग	78,84,47,721	51,83,33,117

अनुसूची 22 – मरम्मत और रख-रखाव पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
मरम्मत और रख-रखाव		
i) ए.सी संयंत्र, कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों की मरम्मत और उनका रख-रखाव	7,17,99,928	5,70,96,512
ii) वाहनों की मरम्मत, उनका प्रचालन और रख-रखाव	-	-
iii) भवन की मरम्मत और उसका रख-रखाव	-	19,13,831
योग	7,17,99,928	5,90,10,343

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 23 – अनुदानों, सब्सिडि इत्यादि पर व्यय		
क) संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	4,64,595	2,30,23,420
ख) राज्यों को सोफ्टेल योजना के तहत दिए गए अनुदान	-	1,08,04,31,858
ग) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडियां	-	-
योग	4,64,595	1,10,34,55,278

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 24 – मूल्यह्रास		
अचल परिसंपत्तियों पर	3,59,56,198	3,24,09,141
योग	3,59,56,198	3,24,09,141
घटाएं : अचल परिसंपत्ति निधि को अंतरित	-	-
योग	3,59,56,198	3,24,09,141

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 25 – दिया गया ब्याज		
क) अन्य मियादी ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर	-	-
ग) अन्य – अनुदान पर प्राप्त ब्याज की मंत्रालय को वापसी	9,76,41,290	-
कुल	9,76,41,290	-

दिनांक 31.03.2021 के तुलन-पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

अव्ययित अनुदानों का नकदी आधार पर निरूपण

	2020-21	2019-20
यथा अंतिम दिन को नकदी और बैंक शेष	1,15,50,74,101	1,04,88,92,200
क्षेत्रीय कार्यालयों के पास शेष	11,05,15,311	10,17,61,853
जोड़ें: मियादी जमा में निवेश	3,83,17,67,463	3,05,77,85,586
जोड़ें: मियादी जमा से वापसी योग्य टीडीएस	5,89,65,759	4,16,43,304
जोड़ें: प्राप्ति योग्य लेनदारियां	11,01,18,779	2,98,58,560
घटाएं: अचुकता देनदारियां	11,04,58,635	21,32,973
घटाएं: वित्तीय वर्ष 2020-21 में एफएसएसएआई की आंतरिक आय	1,18,38,60,258	-
घटाएं: वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2019-20 में एफएसएसएआई की आंतरिक आय	3,91,33,52,433	3,91,33,52,433
वर्ष के लिए अव्ययित अनुदान (वर्तमान देयता)	5,87,70,088	30,47,38,976
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	1,73,92,00,000	3,01,22,00,000
जोड़ें: वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि	30,47,38,976	3,45,32,477
घटाएं: वर्ष के अंत में अनुदान की अव्यक्त शेष राशि	(5,87,70,088)	(30,47,38,976)
घटाएं: वर्ष के दौरान पूंजीकृत अनुदान	-	-
घटाएं: मंत्रालय को लौटाया गया अनुदान	-	-
मंत्रालय से आय के रूप में दिखाया जाने वाला अनुदान	1,98,51,68,888	2,74,19,93,501
क्र.सं. वर्ष के दौरान एफएसएसएआई को अनुदान से इतर अन्य निधियां	2020-21	2019-20
1 लाइसेंस फीस	35,02,89,237	45,25,73,103
2 उत्पाद अनुमोदन	36,50,000	56,00,000
3 नमूना परीक्षण	2,10,25,164	3,42,68,953
4 आयात चाक्षुष निरीक्षण	10,88,54,930	9,24,01,050
5 बैंक ब्याज	17,27,70,433	23,40,42,842
6 ऑटो स्वीप ब्याज/मियादी जमा से ब्याज	3,24,14,280	4,66,19,136
7 आरटीआई शुल्क	3,465	5,718
8 समाचार पत्र/रद्दी की बिक्री	9,77,092	21,423
9 निविदा की लागत/आवेदन शुल्क	24,69,891	4,500
10 अध्यक्ष की सीपीएफ प्राप्तियाँ	6,31,800	6,25,500
11 विविध प्राप्तियां	1,37,559	23,974
12 सिक्योरिटी डिपोजिट/बयाना राशि	2,70,000	6,54,000
13 पुराने चेक	3,50,319	1,87,333
14 वेतन से वैधानिक कटौती	1,05,60,971	37,15,808
15 सीधी भर्ती शुल्क/खाद्य विश्लेषक परीक्षा शुल्क	24,40,491	6,22,13,825
16 वर्ष के दौरान योजित प्रारंभिक बैंक शेष	-	2,34,65,151
17 एफएओ संयुक्त राष्ट्र संघ	-	12,42,262
18 बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्चुअल खाते	44,44,96,919	8,26,34,267
19 सीएससी से प्राप्तियां	1,86,92,600	9,68,50,700
21 बैंक द्वारा गलत तरीके से क्रेडिट किया गया	7,05,000	-
22 रॉकफेलर फाउंडेशन न्यूयॉर्क (पुरस्कार राशि)	36,69,297	-
23 एफएफआरसी शेयर 1/3	94,49,811	-
24 पुनरुद्धार	1,000	-
	1,18,38,60,258	1,13,71,49,545

01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि की प्राप्तियां और भुगतान

क्र.सं.	प्राप्तियां	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	क्र.सं.	भुगतान	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	(राशि रुपये में)
I	आदि शेष क) हाथ में नकदी ख) बैंक शेष i) सेविंग बैंक खाते		90,884	90,884	I	व्यय क) ख्यापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुसार) ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुसार) मरम्मत और रख-रखाव पर व्यय (अनुसूची 22 के अनुसार) घ) अन्य व्यय	34	20,15,73,836.00	6,84,93,497.00	
II	वर्ष के दौरान योजित प्रारंभिक शेष		1,15,05,63,171	75,37,29,414	II	दिए गए अनुदान लेखानुदान ईट राइट इंडिया चैलेज	35	42,82,24,998.41	75,48,29,195.00	
III	प्राप्त अनुदान क) भारत सरकार से - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ख) अन्य से	27	1,87,35,043	2,34,65,151	III	क्रिए गए निवेश और डिपॉजिट क) अपनी निधियों से (निवेश - मियादी जमा) ख) अपनी निधियों से (ऑटोस्वीप)	36	8,05,51,640.00	7,01,26,939.00	
IV	प्राप्त ब्याज बैंक जमा राशियों पर (ऑटोस्वीप) बैंक मियादी जमा राशियों (एफडीआर) पर बैंक जमा राशियों पर (सेविंग्स) बैंक जमा राशियों पर (एसबीआई) टांड़िक ब्याज (सिकवर की हुई)	28	2,08,65,00,000	4,69,13,617	IV	पूँजीगत परिसंपत्तियों और चालू पूँजीगत कार्यों पर क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद	37	1,25,74,83,521.00	37,69,88,830.00	
V	लाइसेंसधारियों से हुई आय - लाइसेंस शुल्क - पहली समीक्षा का शुल्क - दूसरी समीक्षा का शुल्क - नमूना परीक्षण शुल्क - नमूना परीक्षण शुल्क (बीओबी 7549 मुम्बई) - उत्पाद अनुमोदन - आयात चार्ज पर निरीक्षण - भर्ती शुल्क - एफएआरसी शेर 1 / 3	29	1,37,16,001	45,25,73,102	V	आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को अग्रिम	38	1,68,41,236	5,30,82,647	
VI	निवेश नकदीकरण	30	70,000	1,04,06,047	VI	शुल्क और कर - ठेकेदारों पर टीडीएस - किराए पर टीडीएस - पेशेवर (कार्मिकों) पर टीडीएस - पेशेवरों पर टीडीएस - वेतन पर टीडीएस - अचल परिसंपत्तियों पर टीडीएस - सेवा कर - जीएसटी (रिवर्स चार्ज) - जीएसटी (सीजीएसटी और एसजीएसटी) - जीएसटी-टीडीएस @2%		45,45,738	-	
VII	प्राप्त टीडीएस: - अनुबंधों से - किराये से - प्रोफेशनल से - वेतन से - एफडी से		8,37,618	56,00,000	VII	अनुबंधकर्ताओं की ईएमडी/प्रतिभूति राशि		30,000	20,000	
VIII	समायोजित अग्रिम राशियाँ - आपूर्तिकर्ता/अन्य - निर्यात निरीक्षण परिसद मुम्बई		3,39,48,000	6,94,35,504	VIII	वेतन से कटौती		2,62,764	2,21,41,117	
			2,89,27,533	6,22,13,825	IX	प्रत्यायित प्रयोगशालाएं		1,00,35,367	33,20,00,841	
			94,49,811	1,24,85,01,319	X	शाखा/प्रयोगशालाएं	39	41,41,47,610	21,36,49,359	
			2,96,11,71,651	57,64,307						
			3,57,917	-						
			-	-						
			807	-						
			31,46,517	1,96,90,602						
			56,85,425	-						

01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि की प्राप्तियां और भुगतान

क्र. सं.	प्राप्तियां	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	क्र. सं.	भुगतान	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
IX	अन्य कोई प्राप्ति : आरटीआई शुल्क समाचार-पत्रों/रद्दी की बिक्री निविदा फार्म की बिक्री/ आवेदन विविध प्राप्तियां वाहनों की बिक्री अध्यक्ष के सीपीएफ की प्राप्ति राफट प्रमाणन प्री पैकिंग सामग्री डेबिट/ क्रेडिट कार्ड एल/एफ विदेश से प्राप्त राशि खाद्य विश्लेषक आवेदन रॉकफेलर फाउन्डेशन न्यूरॉक वचुअल खाता बीओबी 39 रखरखाव के खर्चे रीवाइजल बैंक द्वारा गलत क्रेडिट		3,448 9,77,092 1,400 1,37,559 - 6,31,800 1,13,500 5,04,000 1,22,78,698 1,09,92,801 24,40,491 36,69,297 44,44,96,919 6,58,204 1,000 7,05,000 3,00,000	5,718 21,423 4,500 23,974 2,67,010 6,25,500 - - - - - - - - - - - - 6,74,000	XI XII	राज्य लाइसेंस और पंजीकरण शुल्क विविध मंत्रालय को ब्याज का भुगतान एफएओ संयुक्त राष्ट्र संघ शुल्क और कर विविध लेनदारों को प्रदत्त (प्रारंभिक शेष) विविध देनदार आईटी से रीकवर हो सकने वाला टीडीएस राहत निधि भर्ती शुल्क नियत निरीक्षण अभिकरण		9,76,41,290 - - 9,06,44,771 - - 13,38,120 5,32,750 27,104 90,884 1,26,54,98,528	6,15,57,264 2,94,481 3,24,578 5,08,13,734 3,97,55,498 2,84,528 1,73,69,625 - - 90,884 1,15,05,63,168
X	अनुबंधकर्ताओं की बयाना राशि/प्रतिभूति राशि		1,05,60,971	37,15,809	XIII	अंत शेष क) हाथ में नकदी ख) बैंक शेष i) सेविंग बैंक खाते	40	90,884	1,15,05,63,168
XI	वेतन से कटौती		3,50,319	1,87,333	XIV	सीएससी राज्य		8,38,23,400	-
XII	पुराने चेक		29,81,16,601	35,29,67,197	XV	स्टेल चेक		35,493	-
XIII	प्रत्याशित प्रयोगशालाएं		33,89,26,410	3,07,68,489	XVI	उपाजित ब्याज केनेरा 976		5,782	-
XIV	शाखा/प्रयोगशालाएं डीओ कोचीन से प्राप्त राशि डीओ बैनई से प्राप्त राशि	31	10,93,105 4,09,06,574	-					
XV	राज्य लाइसेंस और पंजीकरण शुल्क	32	-	24,10,42,231					
XVI	विविध आवेदन पर कार्रवाई शुल्क/ऑडिटिंग एजेंसी शुल्क और कर विविध लेनदारियां	33	2,73,000 - -	1,71,300 31,57,849 98,259					
	योग		8,05,34,18,296	6,56,68,10,998				8,05,34,18,296	6,56,68,10,998

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसआई

निदेशक (वित्त)

सहायक निदेशक (वित्त)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक :

वर्ष 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय लेखों के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 26 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन रीति

वित्तीय विवरणियां, जब तक कि अन्य प्रकार से कोई उल्लेख न किया गया हो, ऐतिहासिक लागत रीति और लेखांकन की प्रोदभूत पद्धति के आधार पर तैयार की जाती हैं।

2. राजस्व मान्यता

लाइसेंस शुल्क, उत्पाद अनुमोदन शुल्क और नमूना परीक्षण शुल्क इत्यादि को प्राप्ति होने पर लिया जाता है। अन्य आय को प्राप्ति के आधार पर लिया जाता है। बचत खातों पर ब्याज को प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

3. विनियोग

“दीर्घकालीन विनियोग” के रूप में वर्गीकृत विनियोग को लागत आधार पर वहन किया जाता है। अस्थायी विनियोग से भिन्न अन्य ह्रास के लिए प्रावधान इस प्रकार के विनियोगों की लागत में किया जाता है। “चालू” के रूप में वर्गीकृत विनियोगों को लागत और उचित मूल्य के निम्नतर पर रखा जाता है। इस प्रकार के अलग-अलग विनियोगों के मूल्य पर कमी के लिए प्रावधान प्रत्येक विनियोग के लिए अलग से किया जाता है न कि व्यापक आधार पर। लागत में दलाली, अंतरण स्टाम्प जैसे अधिग्रहण व्यय सम्मिलित होते हैं।

4. अचल संपत्तियां

अचल संपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और करों और आनुषंगिक व्यय तथा अधिग्रहण से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं तथा सूचित मूल्यह्रास घटाकर किया जाता है निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में, संबंधित पूर्व-संचालन व्यय (इसके पूरा होने से पहले विशिष्ट परियोजना के लिए ऋण पर ब्याज सहित), पूंजीकृत संपत्ति के मूल्य का हिस्सा बनते हैं।

गैर-मौद्रिक अनुदानों के माध्यम से प्राप्त अचल संपत्ति, कॉर्पस फंड के अलावा अन्य, पूंजी रिजर्व में संबंधित क्रेडिट किए जाने के द्वारा उल्लिखित मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।

5. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर और उसमें निर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों में वृद्धि/कमी के संबंध में, मूल्यह्रास पर को तदनुसार विचार किया जाता है।

6. इन्वेंटरी का मूल्यांकन

स्टेशनरी, उपभोज्य, प्रकाशन और अन्य स्टोर सामग्री की खरीद पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय के रूप में लेखांकन किया जाता है।

7. विविध व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय को उसके खर्च किए जाने के वर्ष से 5 वर्ष से अधिक की अवधि होने पर बड़े खाते में डाल दिया जाता है।

8. सरकारी अनुदान

- 8.1 सरकारी अनुदानों का लेखाकन वसूली के आधार पर किया जाता है। हालांकि, जहां वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जारी करने की मंजूरी 31 मार्च से पहले प्राप्त होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है, अनुदान को प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखाकित किया जाता है और एक समान राशि को वसूली योग्य के रूप में दिखाया जाता है।
- 8.2 पूंजीगत प्रकृति के सरकारी अनुदानों को प्राप्तियों के आधार पर मान्यता दी जाती है और निधि आधारित लेखाकन के अनुरूप निर्धारित/अक्षयनिधि के तहत पूंजीगत अनुदान के रूप में दिखाया जाता है।
- 8.3 राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए सरकारी अनुदानों को उपयोग की सीमा तक उस वर्ष की आय के रूप में माना जाता है, जिस वर्ष उन्हें प्राप्त किया जाता है।
- 8.4 नकद आधार पर आकलित अप्रयुक्त अनुदान को आगे ले जाया जाता है और उन्हें तुलन पत्र में देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन

- 9.1 विदेशी मुद्रा में के लेनदेनों का लेखाकन लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।
- 9.2 चालू परिसंपत्तियां, विदेशी मुद्रा ऋण और चालू देनदारियां वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को अचल संपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है, यदि विदेशी मुद्रा देयता अचल संपत्तियों से संबंधित है, और अन्य मामलों में राजस्व माना जाता है।

अनुसूची 27 – आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणी
क. आकस्मिक देयताएं
1. आकस्मिक देयताएं

- 1.1 प्राधिकरण के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं – (गत वर्ष रुपये शून्य)
रुपये शून्य
- 1.2 निम्नलिखित के संदर्भ में:
– प्राधिकरण द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी – रुपये शून्य (गत वर्ष रुपये शून्य)
– बैंक के साथ डिस्काउंट किए गए बिल – रुपये शून्य (गत वर्ष रुपये शून्य)
- 1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांगे:
– आय कर – रुपये 9.66 करोड़ (गत वर्ष रुपये 9.66 करोड़)
– बिक्री कर– रुपये शून्य (गत वर्ष रुपये शून्य)
– नगर निगम कर– रुपये शून्य (गत वर्ष रुपये शून्य)
- 1.4 आदेशों के गैर-कार्यान्वयन के लिए पार्टियों से प्राप्त दावों के संबंध (गत वर्ष रुपये शून्य) में, लेकिन प्रविष्टि द्वारा विवादित माना गया प्राप्त करने का दावा किया गया रुपये शून्य

2. पूँजी प्रतिबद्धता

पूँजीगत लेखा में निष्पादन हेतु शेष और गैर प्रावधान वाले अनुबंधों का अनुमानित मूल्य— रुपये शून्य (गत वर्ष रुपये शून्य)

ख. लेखाओं पर टिप्पणियां

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई है। यह भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त-पोषित है। इसलिए, इसकी लेखांकन नीतियां अधिकतर जीएफआर और आर एंड पी नियमों पर आधारित होती हैं। प्राधिकरण के लेखांकन सिद्धांत और नीतियां संक्षेप में इस प्रकार हैं:

1. वर्तमान सम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में वर्तमान सम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम का मूल्य सामान्य कार्य व्यवहार में वसूली पर होता है जो कम से कम तुलन पत्र में दर्शायी गई कुल राशि के बराबर होती है। वर्ष के दौरान अग्रिम में वृद्धि का प्रमुख कारण कर्मचारियों/पार्टियों को दिए गए अग्रिम की राशि के कारण है।

कराधान

वित्तीय वर्ष 2014-15 में, प्राधिकरण ने पेन नं. अर्थात AAAGF0023K प्राप्त किया है।

फॉर्म जीएसटी 06 के बारे में

वित्तीय वर्ष 2017-18 में, प्राधिकरण ने जीएसटी संख्या अर्थात 07AAAGF0023K1ZV प्राप्त किया है।

2. विदेशी मुद्रा लेनदेन

2.1	सी.आई.एफ. आधार पर आकलित आयात का मूल्य :	
	क्रय किया गया तैयार माल	शून्य
	कच्ची सामग्री और संघटक (मार्गस्थ सहित)	शून्य
	पूँजीगत वस्तुएं	शून्य
	भंडार, अतिरिक्त पुर्जे, उपभोज्य पदार्थ	शून्य
2.2	विदेशी मुद्रा में व्यय:	
	क) यात्रा	शून्य
	ख) वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में दी गई राशि और ब्याज का भुगतान	शून्य
	ग) अन्य व्यय :	
	बिक्री पर कमीशन	शून्य
	कानूनी और व्यावसायिक व्यय	शून्य
	विविध व्यय	शून्य
2.3	अर्जन:	
	एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य	शून्य
	सेवाओं का मूल्य	शून्य

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति प्राधिकरण पर लागू सीएजी द्वारा दिए गए निर्धारित प्रारूप पर आधारित है
4. **निधियों के स्रोत**
प्राधिकरण के बजट में प्राप्त हुई निधियाँ निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत हैं:-
 - 1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निवल अनुदान
 - 2) विविध माध्यमों से प्राप्त निधियाँ जैसे अनुज्ञप्ति शुल्क, बचत बैंक खातों पर ब्याज, मीयादी जमा पर ब्याज और अन्य विविध प्राप्तियाँ, आदि।
5. **अचल संपत्ति निधि और भवन निधि**
सहायता अनुदान से अर्जित पूंजीगत संपत्ति को कॉर्पस फंड के अंतर्गत अनुदान को पूंजीकृत करके, अचल संपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकृत किया गया है जिसके लिए वर्ष में प्राप्त सहायता अनुदान को कम कर किया गया है और तदनुसार, अचल संपत्तियों पर लगाया गया मूल्यहास संबंधित निधि पर निधि आधारित लेखांकन और मिलान अवधारणा के अनुसार लगाया गया है।
6. आँकड़ों को निकटतम रूपों में पूर्णांकित किया गया है।
7. पिछले वर्ष के आँकड़ों को प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए एजीसीआर द्वारा निर्धारित और सुझाए गए प्रारूप के अनुसार जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित और पुनर्निर्मित किया गया है।
8. अनुसूची 1 से 27 दिनांक 31.03.2021 तक के तुलन पत्र और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के आय और व्यय खाते के साथ अनुबंधित है इनका अभिन्न अंग है।

वर्ष 2020-21 के लिए पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	स्टफ एंड स्टॉक	158,591
2	पीबीटीआई मोहाली	625,000
3	कार्यालय स्टाफ	685,500
4	निपटेम	1,848,570
5	निपट	111,864
6	एनआईसीएसआई	18,357,846
7	एनडीडीबी	5,563,601
8	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	1,439,600
9	एमओयू – उत्तर प्रदेश	173,425,000
10	एमओयू – पंजाब	13,743,000
11	एमओयू – कर्नाटक	21,118,000
12	एमओयू – गोवा	6,599,000
13	एमओयू – छत्तीसगढ़	18,290,000
14	एमओयू – राज्य को अनुदान	32,669,000
15	एमओयू – राज्य को अनुदान	39,829,000
16	एमओयू – हैदराबाद	5,000,000
17	एमओयू – असम	31,268,700
18	एमओयू – तिरुवनन्तपुरम	816,740
19	एमओयू – अनुदान के रूप में राज्य	500,000
20	एमओयू – राजस्थान	10,469,000
21	एमओयू – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5,845,000
22	एमओयू – राज्यों को अनुदान झारखण्ड	20,585,500
23	एमओयू – राज्य को अनुदान जम्मू और कश्मीर	22,563,500
24	एमओयू – चंडीगढ़ को अनुदान	3,324,500
25	एमओयू – बिहार को अनुदान	24,108,000
26	एमओयू – त्रिपुरा	3,790,350
27	एमओयू – त्रिपुरा	12,804,500
28	एमओयू – हिमाचल प्रदेश	21,919,500
29	एमओयू – तिरुवनन्तपुरम	34,305,000
30	एमओयू – मेघालय	19,465,000
31	एमओयू – राज्य अंडमान एवं निकोबार	17,239,000
32	एमओयू – मध्य प्रदेश	92,682,000
33	एमओयू – ओडिशा	10,344,000
34	एमओयू – नागालैंड को अनुदान	5,995,000

क्र.सं.	विवरण	राशि
35	एमओयू – अरुणाचल प्रदेश	4,259,500
36	ईट राइट चुनौती अनुदान 135 शहर/जिले	93,000,000
37	राज्य को अनुदान खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं	132,000,000
38	राज्य को अनुदान खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं	54,000,000
39	राज्य को अनुदान खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं	6,800,000
40	सूक्ष्मजीव विज्ञानीय प्रयोगशाला सोलन	5,000,000
41	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी	938,493
42	कामिनी कंस्ट्रक्शन	48,08,0271
43	आईआईएफपीटी बाह्य परियोजना	8,120,588
44	आईआईसीटी/एनआईएफटीएम/सीएसआईआर मैसूर/आईसीएआर कोचीन/आईसीएआर मीट	2,288,829
45	आईसीएआर – एनआरसीएम हैदराबाद	4,023,500
46	आईसीएआर कोचीन	8,821,295
47	आईसीएआर – राष्ट्रीय रैंफ्रेंस प्रयोगशाला	2,500,000
48	आईसीएआर	400,000
49	एचएसएसपीएचएल पूणे	6,288,624
50	जीएनवीएफसी लि.	19,420
51	एफडीए गुजरात	49,560
52	अभिहित अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई	1,000,000
53	जिला ड्यूअल हेल्थ सोसायटी	6,400,000
54	निदेशक राष्ट्रीय खाद्य सूक्ष्मजीव विज्ञानीय विश्लेषण प्रयोगशाला	81,317
55	सीएसआईआर – सीएफटीआरआई (मैसूर)	269,889
56	सीएसआईआर – सीएफटीआरआई (लखनऊ)	625,000
57	प्रकाशन नियंत्रक	1,032,756
58	नियंत्रक खाद्य तथा औषध प्रशासन नया रायपुर	6,000,000
59	सीएफएल/आरएफएल प्रयोगशाला	34,936,798
60	सीएफडीए रायपुर	2,000,000
61	विकास केन्द्र	997,808
62	सीएएलएफ – एनडीडीबी	625,000
63	बीएसईएस यमुना पॉवर	354,000
64	बीआईएस	23,541
65	एशियन वैज्ञानिक	13,500,000
66	अहमदाबाद नगर निगम	6,800,000
67	आईटीसी – एफएसएसएआई मुंबई	1,000,000
	योग	1,12,97,25,051

2019-2020 के लिए पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र.सं.	पार्टियों के नाम	राशि
1	स्टाफ को अग्रिम	913,498
2	एएफएसटी (आई) मैसूर	200,000
3	बालमेर एंड लारी कं. लि.	2,500,000
4	बीएसईएस	119,000
5	केन्द्रीय न्यूज एजेंसी	6,860
6	सेंटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग	1,243,164
7	सीएफएल कोलकाता	6,212,447
8	सीएफटीआरआई – मैसूर	556,750
9	सीआईएफटी कोच्चि	374,400
10	सीएसआईआर – सीएफटीआरआई	377886
11	सीएसआईआर इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टॉक्सीलॉजी	96750
12	निदेशक एनएफएल गाजियाबाद	389,500
13	एडवर्ड फूड रिसर्च एंड एनालीसिस सेंटर	1,000,000
14	ईआईए कोच्चि	146,900
15	एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी चैन्नई	400,000
16	एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी कोलकाता	400,000
17	फेयर लैब्स	1,000,000
18	आईसीएआर सीआईएफटी केरल	1,000,000
19	आईसीएआर = सीआईबीए	147,463
20	आईटीसी एफएसएएन मुंबई	1,496,725
22	कामिनी कंस्ट्रक्शन	56170139
23	नेशनल कोलेट्रल मेनेजमेंट सर्विस	34,524
24	नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्डस	506693
25	नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फूड टेक्नोलौजी	100,000
26	नेशनल रिसर्च सेंटर फार ग्रेप्स	1,000,000
27	एनबीसीसी	97,500,000
28	एनबीसीसी लि.	128,054,212
29	नियोजन फूड एंड एनीमल सेक्यूरिटी इंडिया	1,000,000
30	न्यू मोतीबाग लेडीज क्लब	43,000
31	एनआईसीएसआई	11,014,312
32	एनआईएफटीएम हरियाणा	178,000
33	श्रीराम इंस्टीच्यूट	284,450
34	ट्रीलॉजी एनालीटिकल लैब	1,000,000
35	यूनिवर्सिटी आफ कोलकाता	140,600
36	विम्टा लैब्स	1,000,000
37	डब्ल्यू एच ओ	14,651
	कुल	31,66,21,924

2018-19 के लिए पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र. सं.	पार्टियों का नाम	राशि
1	सेंटर फार एनालीसिस एंड लिव स्टॉक	50,000
2	सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग	53,900
3	डाटा सेंटर एनडीसी	3,859,818
4	डीडीओ	11,800
5	आईसीएआर यूनिट सीआईएफटी कोचीन	126845
6	इंडियन इंस्टीच्यूट आफ हैदरबाद	125,143
7	इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टोक्सीलॉजी रिसर्च	200,000
8	आईटीपीओ	414,180
9	मिराकी स्पोर्ट्स एंड एंटरमेंट प्रा. लि.	50,000
10	एनबीसीसी लि.	15,000,000
11	एनआईएफटीईएम कुण्डली हरियाणा	170,000
12	ऑयल लेबोरेट्री डिपार्टमेंट, कोलकाता	214,113
13	क्वालिटी इवैल्यूएशन लैब	186,098
	कुल	2,04,61,897

वर्ष 2017-18 के लिए पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र. सं.	पार्टियों का नाम	शेष
1	अग्रिम (हिंदी डिविजन)	1,000
2	स्टाफ को अग्रिम	825,859
3	अल्पकोर्ड नेटवर्क	10,114
4	अपीडा	157,500
5	बालमेर एंड लारी	3,000,000
6	बीआईएस निट्स	5849
7	सेट्रल इंस्टीच्यूट आफ फिशरीज टैक	247,500
8	प्रकाशन नियंत्रक	224,400
9	रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला	176,500
10	डिप्टी जनरल इंडियन काउंसिल	10,982
11	दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय	58,374
12	एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, मुंबई	117,500
13	आईसीएआर	199,881
14	इंडियन ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन	1538546
15	इंस्टीच्यूट आफ इकोनोमिक ग्रोथ	235,000
16	मनुपात्र इंफोरमेशन सॉल्यूशंस	48,300
17	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	7,650
18	एनएबीएल नई दिल्ली	94,400
19	नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फूड टेक	160,000
20	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	7,080
21	नेशनल रिसर्च सेंटर फार ग्रेप्स	414,000
22	एनएनएस इवेंटस एंड एक्जीबीशन	725,417
23	पीसीआईएम	2,000
24	स्कॉच कंसल्टेंसी	153,400
25	भारतीय खेल प्राधिकरण	1,999,939
26	भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद	796,500
	योग	1,12,17,691

वर्ष 2016-17 के लिए पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र. सं.	पार्टियों के नाम	शेष
1	स्टाफ को अग्रिम	436,824
2	सहायक निदेशक संपदा (रोकड़)	150,000
3	बालमेर एंड लॉरी	129,906
4	विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र	550
5	चिल्डन बुक ट्रस्ट	2,292
6	कंफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री	8,000
7	नियंत्रक खाद्य और औषध प्रशासन	112,000
8	सीपीडब्ल्यूडी	162,104
9	अभिहित अधिकारी मुम्बई एनएबीएल के लिए	65,510
10	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	1,100,121
11	डायरेक्टोरेट आफ जनरल इंडिया काउंसिल आफ मेडीसिन	638
12	आईआईसीए	25,000
13	इंडियन फूड पैकर	5,000
14	इंस्टीच्यूट आफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ	235,000
15	मनुपात्रा इंफोरमेशन सॉल्यूशन प्रा. लि.	47,081
16	नेशनल बुक ट्रस्ट	2,156
17	एनआईसीएसआई	13,479
18	एनआईपीएचएम	199,308
19	प्रगति इंडियन ऑयल	22,576
20	राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स	49,328
21	संचालक आरसीवीपी नोरोन्हा प्रशासन एकादमी, भोपाल	68,950
22	एसएचएसबी एनआरएचएम-बी	64,400
23	स्कॉच कंसल्टेंसी सर्विसिस प्रा. लि.	138,000
24	भारतीय खेल प्राधिकरण	1,265,000
	कुल	43,03,223

वर्ष 2015-2016 के लिए पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र.सं.	पार्टियों के नाम	शेष
1	स्टाफ को अग्रिम	358170
2	सैंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज वैंल्फेयर एसोसिएशन	35000
3	दीनदयाल उपाध्याय इंस्टी.	57000
4	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	5472119
5	एफसीआई, मुंबई	100000
6	एफसीआई, मुंबई	100000
7	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवाएं	18583
8	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवाएं	144786
	योग	62,85,658

वर्ष 2014-15 के लिए पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र.सं.	पार्टियों के नाम	शेष
1	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	4647
2	सुश्री के.के. जीथा, बर्लिन	76523
3	बी.एस. आचार्य	26966
4	प्रगति इंडियन ऑयल	21840
5	सैंट्रल इंस्टीच्यूट आफ फिशरीज टैक.	150000
6	स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय (लक्षद्वीप)	62750
7	ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनन्द	35955
8	एफडीए छत्तीसगढ़	67250
	योग	445,931

वर्ष 2013-14 के लिए पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र.सं.	पार्टियों के नाम	शेष
1	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	47,575
2	मनुपात्रा	46,000
3	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	1,000
4	सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान	2,000
	योग	96,575

वित्तीय वर्ष 2008-2009 से 2012-2013 तक पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र. सं.	पार्टियों के नाम	शेष
1	एबीपी प्रा. लि.	14,134
2	अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण एसोसिएशन	2,167
3	प्राधिकृत अधिकारी चैन्नई	10,000
4	प्राधिकृत अधिकारी जेएनपीटी नहावाशेवा	10,000
5	प्राधिकृत अधिकारी सी-पोर्ट चैन्नई	10,000
6	बैग फुल	1,200
7	आयुक्त खाद्य सुरक्षा, जम्मू और कश्मीर	245,073
8	कंफेडरेशन आफ इंडियन इंस्टीच्यूट	1,850,000
11	दक्ष एज्युकेशन एंड सोसायटी	264,900
12	दीन दयाल उपाध्याय	227,802
13	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी)	4,456,977
14	उप निदेशक, एसपीआईपीए, अहमदाबाद	1,002
15	फिक्की	79,750
16	महासचिव दिल्ली टेलीग्राफ अकादमी	50,000
17	एच.एस.सी.सी. इंडिया लि.	16,414
18	इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन	200,000
19	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर	437,698
20	नेशनल इंस्टीच्यूट न्यूट्रीशन	4,743,444
21	एस.एस. बिल्डकोन प्रा. लि. गाजियाबाद	200,000
22	स्टेट हैल्थ सोसायटी (आईडीएसएल) जयपुर	456,400
23	यूएचएफडब्ल्यूएस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स देहरादून	161,600
24	उपनिदेशक चैन्नई	110,000
25	उपनिदेशक (एफ एंड वीपी) एनबीसीसी	44,394
26	उपनिदेशक गुवाहाटी	10,000
27	उपनिदेशक - कोलकाता	62,336
28	उपनिदेशक मुम्बई	90,000
29	छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	196,363
30	पीताम्बर सिंह	5,625
31	आर.बी. खोतकर	4,237
32	एस. खालदार	10,000
33	एस.एस. तोमर	86,400
	योग	1,40,57,916



कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा(स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
Office of the Principal Director of Audit (Health, Welfare and Rural Development)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली- 110 002
Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002

संख्या: ए.एम.जी./ एफ.एस.एस.आइ./7-17/2021-22/

दिनांक:

सेवामें,

सचिव, भारत सरकार,
स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001.

विषय : वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124, को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2020-21 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इस में कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

भवदीय,

अनुलग्नक: यथोपरि

(प्रवीण कुमार सक्सेना)
निदेशक (ए.एम.जी-1)

संख्या: ए.एम.जी./ एफ.एस.एस.आइ./7-17/2021-22/ 890

दिनांक: 03/03/2022

भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति, श्री राजेश भूषण, IAS, अध्यक्ष,, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एफ डी ए भवन, कोटला रोड़, नई दिल्ली, -110029, को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124 को भेजी जाए।

अनुलग्नक:यथोपरि

प्रवीण कुमार सक्सेना
03/03/2022
(प्रवीण कुमार सक्सेना)
निदेशक (ए.एम.जी-1)

संख्या: ए.एम.जी./ एफ.एस.एस.आइ./7-17/2021-22/

दिनांक:

भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित महानिदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह पत्र महानिदेशक लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य कल्याण एवं ग्रामीण विकास) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक:यथोपरि

हस्ता -
(प्रवीण कुमार सक्सेना)
निदेशक (ए.एम.जी-1)

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक का भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखों पर
पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (प्राधिकरण) के तुलन पत्र, और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियाँ का उत्तरदायित्व भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, उत्तम लेखांकन रीतियों, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण इत्यादि के मानदंडों से अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां विनिर्दिष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमनिष्ठता) के अनुपालन में वित्तीय लेन-देनों और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं इत्यादि पर लेखा अवलोकन, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी ऑडिट रिपोर्टों के माध्यम से अलग से दी जाती है।

3. हमने यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में अपेक्षा है कि हम अपने ऑडिट की योजना इस प्रकार बनाएँ और उसे इस प्रकार सम्पन्न करें कि हमें तार्किक आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणियाँ वस्तुपरक अशुद्ध वर्णन से मुक्त हैं। ऑडिट में वित्तीय विवरणियों में राशि के समर्थन में साक्ष्यों और प्रकटनों का परीक्षण के आधार पर जाँच करना शामिल होता है। ऑडिट में प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए प्रयुक्त सिद्धांतों और सार्थक अनुमानों के आकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें इस बात पर विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा में हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार हैं।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:-

i) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थीं।

ii) इस प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित लेखों के समान प्ररूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।

iii) हमारी राय में प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त लेखाबहियाँ और अन्य संबंधित रिकार्ड रखे गए हैं, जो ऐसी बहियों की हमारी जाँच से देखने में आया है।

iv) हम यह भी सूचित करते हैं कि:-

क. बैलेंस शीट

क.1. परिसम्पत्तियां

क.1.1 स्थायी परिसम्पत्तियां (अनुसूची-8): रुपये 23.07 करोड़

क.1.1.1 प्राधिकरण द्वारा 48.84 लाख रुपये के अंकित मूल्य के मरम्मत न हो सकने वाले फर्नीचर मद/एयर कंडीशनर/कुर्सियाँ आदि का निपटान किया गया है और उन्हें स्थायी परिसम्पत्तियों (अनुसूची 8) में से घटाया नहीं गया है। इससे लेखों में स्थायी परिसम्पत्तियों और पूँजी 48.84 लाख रुपये अधिक हो गई।

क.1.2 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि (अनुसूची 11) – 720.05 करोड़ रुपये

क.1.2.1 अनुसूची-11ख (ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां) में, प्राधिकरण ने 'अग्रिम किराया चैन्स' पत्तन न्यास' और 'अग्रिम किराया जेएनपीटी मुम्बई' शीर्षक के अंतर्गत क्रमशः 15.34 करोड़ रुपये और 2.28 करोड़ रुपये दर्शाए हैं।

तथापि, वास्तव में प्राधिकरण ने चैन्स के लिए 17.09 करोड़ रुपये और नवी मुम्बई के लिए 2.53 करोड़ रुपये की एक मुश्त राशि का भुगतान करके 29.01.2020 से 28.01.2050 तक 30 वर्षों के लिए अपने कार्यालय स्थान के लिए पट्टा आधार पर भूमि क्षेत्र (क्रमशः 1306 वर्ग मीटर और 11873 वर्ग फुट) किराए पर लिया है। चूँकि, प्राधिकरण ने पट्टे पर भूमि अधिगृहित की है, इसलिए यह राशि अनुसूची 8 (स्थायी परिसम्पत्तियां) के अंतर्गत शीर्ष 'पट्टा पर भवन/भूमि' के अंतर्गत परिलक्षित होनी चाहिए और राशि पट्टा की अवधि के दौरान परिशोधित होनी चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान परिसम्पत्तियों में परिलक्षित 19.62 करोड़ रुपये

की राशि (चैन्नई के लिए 17.09 करोड़ रुपये और नवी मुम्बई के लिए 2.53 करोड़ रुपये) वर्तमान सम्पत्तियों (अग्रिम) में 19.62 करोड़ रुपये अधिक दर्शायी गयी है और स्थायी परिसम्पत्तियों में इतनी ही राशि कम दर्शायी गई है।

क.1.2.2 प्राधिकरण ने इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को 24.05 करोड़ रुपये की राशि का अग्रिम प्रदान की है जिसमें से एनबीसीसी ने 18.58 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर लिया है। उपयोग की गई इस राशि को अनुसूची-8 (स्थायी परिसम्पत्तियां) के अंतर्गत निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था और अग्रिमों को तदनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकरण ने यह राशि अभी भी अग्रिमों के अधीन दर्शायी है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान सम्पत्तियां (अग्रिम) 18.58 करोड़ रुपये से अधिक दर्शायी गई है और इतनी ही राशि स्थायी परिसम्पत्तियां (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य) में कम दर्शायी गई है।

क.1.2.3 निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य स्थायी परिसम्पत्तियां (अनुसूची-8) का एक भाग है और उसीके साथ ही दर्शाया जाना चाहिए। तथापि, अनुसूची-8 (स्थायी परिसम्पत्तियां) के स्थान पर अनुसूची 11 (वर्तमान परिसम्पत्तियां) के अंतर्गत शीर्ष 'स्टॉक इन ट्रेड' - प्रगतिधीन कार्य - उत्तरपूर्वी क्षेत्र (सीएचईबी) के अंतर्गत प्राधिकरण ने 45.90 लाख रुपये की राशि दर्शायी है। इससे चालू परिसम्पत्तियों को 45.90 लाख रुपये अधिक दर्शाया गया है और स्थायी सम्पत्तियां (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य) इतनी ही राशि से कम दर्शाए गए हैं।

क.1.2.4 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, प्राधिकरण को फूड फोर्टीफिकेशन रिसोर्स सेंटर (एफएफआरसी) परियोजना के लिए सर दोराबजी टाटा न्यास से 2.01 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई हैं। प्राप्त अनुदान की राशि/अनुदान में से व्यय की गई राशि और शेष बची राशि का लेखों में कोई प्रकटन/सम्मिलित नहीं किया गया है। अनुदान/बैंक खातों में शेष के गैर प्रकटीकरण के कारण चालू परिसम्पत्तियां और चालू देयताएं/आरक्षित निधियां कम दर्शाई गयी हैं। गत वर्ष लेखा परीक्षा के दौरान भी इसी प्रकार की टिप्पणी की गई थी, तथापि, प्राधिकरण द्वारा कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए।

ख. आय और व्यय लेखा

ख.1 प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-21): 6.63 लाख रुपये

प्राधिकरण ने विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों/लैपटाप/साफ्टवेयर/विडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम/एप्पल मेक बुक की खरीदारी पर 1.12 करोड़ रुपये का व्यय वहन किया है और इन व्ययों को राजस्व व्यय अर्थात् अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में अंकित किया गया है जबकि इन्हें स्थायी परिसम्पत्ति के रूप में अंकित किया जाना था। इस प्रकार, इन पूंजीगत वस्तुओं को गलत रूप से अंकित करने से स्थायी परिसंपत्तियां 1.12 करोड़ रुपये कम दर्शाये गए और व्यय इतनी ही राशि से अधिक दर्शाया गया है।

ग. सामान्य

ग.1 आई.सी.ए.आई द्वारा जारी लेखांकन मानक-15 के उल्लंघन में लेखों में सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

ग.2 प्राधिकरण ने रॉकफिलर फाउण्डेशन न्यूयार्क से यूएस डॉलर में पुरस्कार राशि अर्थात् 1.47 करोड़ रुपये जीते और इस राशि को अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया। तथापि, "विदेशी मुद्रा लेनदेन" के अंतर्गत लेखों में इसका प्रकटन नहीं किया गया है।

ग.3 प्राधिकरण ने अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में घोषित किया है कि उसे आय कर से छूट प्राप्त है। तथापि, इसने आयकर विभाग द्वारा टीडीएस आधार पर अपनी आय से कटौती की गई 6.05 करोड़ रुपये की राशि को वापिस प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में आयकर विभाग से मामला उठाया जाना चाहिए।

ग.4 प्राधिकरण ने 2012-13 से रख-रखाव, विद्युत व्यय और पानी के प्रभारों के संबंध में सीडीएससीओ की ओर से 11.01 करोड़ रुपये की राशि के संबंध में विभिन्न भुगतान किए हैं जिन्हें अनुसूची 11 (ऋण, अग्रिम और वर्तमान परिसम्पत्तियां) में दर्शाया गया था। चूंकि यह संचित राशि वर्ष 2012-13 से वसूली योग्य है, इसलिए यह राशि सीडीएससीओ से वसूल की जाए।

ग.5 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकरण के पास 2008-13 तक 1.41 करोड़ रुपये और 2013 से 2021 तक 148.92 करोड़ रुपये के अग्रिम बकाया थे। कुछ ही समायोजनों को छोड़कर 2013 से 2016 तक की अवधि के लिए कोई समायोजन नहीं किए गए। अग्रिमों के समायोजन के लिए विशेष रूप से ध्यान देने और इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

ग.6 जब विभाग द्वारा कोई चैक जारी किया जाता है और ऐसे चैक के संबंध में यदि प्राप्तकर्ता द्वारा तीन महीनों की वैधता की अवधि के दौरान भुनाया नहीं जाता है तो ऐसे चैक को रद्द कर दिया जाएगा और राशि कैश बुक में वापिस प्राप्त की जानी चाहिए। तथापि, 2012 से 2020 के दौरान 26.14 लाख रुपये मूल्य के चैक जारी किए गए थे लेकिन अभी तक इन्हें

भुनाया नहीं गया है और इस प्रकार, ये चैक अब गतावधि हो गए हैं। इसलिए, प्राधिकरण को ये चैक रद्द करने चाहिए और केशबुक में राशि वापिस की जानी चाहिए।

ग.7 अनुसूची 11 (वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि) में “बैंक बैलेंस दृ अनुसूचित बैंकों के साथ दृ क्षेत्रीय कार्यालय—सेविगज” शीर्ष के अंतर्गत रु. 11.05 करोड़ की राशि को दर्शाया गया है, जिसमें प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों के शेष शामिल थे। रिकॉर्ड की जाँच से पता चलता है कि निम्नलिखित खातों का बैंक शेष प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक समाशोधन विवरण से मेल नहीं खाते हैं:

(राशि रुपये में)

क्रं. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	खाता संख्या	वार्षिक लेखा के अनुसार अंतिम शेष	बैंक समाशोधन विवरण के अनुसार बैंक शेष
1.	कोचीन	3,247	77,97,159.70	68,58,740.80
2.	गुवाहाटी	7,292	15,10,147	15,03,121.65

उपर्युक्त दर्शाए गए अंतर का समाशोधन करने की आवश्यकता है।

घ. अनुदान सहायता

प्राधिकरण को वर्ष 2020–21 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से 208.65 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई थी। वर्ष के प्रारम्भ में इसके पास पिछले वर्ष खर्च न की गई रु. 30.47 करोड़ की राशि अव्ययित शेष थी। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण 233.25 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा सका और अव्ययित अनुदान राशि 5.87 करोड़ रुपये शेष थी।

ङ. प्रबंधन—पत्र

लेखापरीक्षा में शामिल न की गई कमियाँ प्राधिकरण के प्रबंधन को अलग से जारी किए गए प्रबंधन—पत्र के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सूचित कर दी गई हैं।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारे अवलोकनों के अध्यक्षीन हम सूचित करते हैं कि इस प्रतिवेदन में तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा लेखाबहियों के अनुसार हैं।


vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर कथित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यक्षीन लेखांकन नीतियाँ और लेखा—टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणियाँ भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त के अनुरूप सही और निष्पक्ष स्वरूप दर्शाते हैं।

क. जहां तक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के मामलों के तुलन पत्र से संबंधित है; और

ख. जहां तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के अधिशेष आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है। हमारी राय में भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य और निष्कपट हैं।

अस्वीकरण : प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के लिए और की ओर से
(अशोक सिन्हा)



स्थान: नई दिल्ली

दिनांक :

महानिदेशक, लेखापरीक्षक

(स्वास्थ्य कल्याण और ग्रामीण विकास)

अनुबंध

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 तक प्राधिकरण की आंतरिक लेखापरीक्षा की। इसके अलावा, नवम्बर, 2019 में प्राधिकरण में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग की स्थापना की गई।

2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता

रोकड़ बही का रख-रखाव इलैक्ट्रानिक प्ररूप में किया जाता है।

3. अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की पद्धति

शाखा कार्यालयों और प्राधिकरण के मुख्यालय के संबंध में स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2020-21 तक ही किया गया।

4. वस्तुओं के भौतिक सत्यापन की पद्धति

वर्ष 2020-21 के लिए लेखन-सामग्रियों और अन्य उपभोज्य सामग्रियों जैसी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया गया था। यद्यपि बहियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2017-18 में किया गया था। शाखा कार्यालयों की सामग्रियों का भौतिक सत्यापन प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. परिसम्पत्ति रजिस्टर

परिसम्पत्ति रजिस्टर में विभिन्न परिसम्पत्तियों का प्रगामी योग नहीं दर्शाया गया और यह अनुसूची-8 दृस्थायी परिसम्पत्तियां के अंतर्गत दर्शाए गए निर्धारित प्ररूप में नहीं रखा जा रहा है।

6. वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

यथा 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकरण की कोई वैधानिक देयताएं शेष नहीं हैं।



भारतीय खाद्य सुरक्षा और
मानक प्राधिकरण
FOOD SAFETY AND STANDARDS
AUTHORITY OF INDIA

Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2020-21

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India



डॉ. मनसुख मांडविया
Dr. Mansukh Mandaviya
माननीय केंद्रीय मंत्री
Hon'ble Union Minister
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare



डॉ. भारती प्रविण पवार
Dr. Bharati Pravin Pawar
माननीय राज्य मंत्री
Hon'ble Minister of State
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare

Table of Contents

Chaper No.	Subject	Page No.
1.	Overview	1
2.	Duties, Governance Structure and Human Resource	8
3.	Standards and Regulations	18
4.	Food Safety Compliance	37
5.	Food Testing & Surveillance	53
6.	Food Imports	68
7.	Food Safety Training and Capacity Building	74
8.	Social and Behavioural Change and Eat Right Initiative	78
9.	Codex	93
10.	International Cooperation	95
11.	Digitalisation, Leveraging Technology and e-Governance at FSSAI	98
12.	Rajbhasha	106
13.	RTI Matters	108
14.	Financial Statements, Separate Audit Report	109

List of Tables

Table No.	Subject	Page No.
Table 1	Progress on enforcement metrics for 2020-21	4
Table 2	Overview of duties & functions of the Food Authority	9
Table 3	Members, other than the Chairperson, of the Food Authority(Section 5)	10
Table 4	Ex-officio members of the Food Authority during 2020-21 under Section 5 (1) (a)	11
Table 5	Post-wise sanctioned strength of FSSAI	13
Table 6	List of Final Regulations notified during the year 2020-21	27
Table 7	List of Draft Regulations notified during the year 2020-21	30
Table 8	List of Principal Regulations notified by FSSAI currently in force	32
Table 9	List of Ongoing Research Projects	33
Table 10	List of Completed Research Projects reviewed by the National Steering Committee (NSC) & recommended for final closure	34
Table 11	List of Completed/Closed Research Projects	36
Table 12	Year-wise progress in issuance of Central/State License and Registration	38
Table 13	Administrative Setup of enforcement machinery in States/UTs under FSS Act, 2006 (as on 31.03.2021)	49
Table 14	State-wise details of samples analysed, found non-conforming to the prescribed standards and norms and action taken during the year 2020-21	51
Table 15	Sector-wise composition of Notified Primary and Referral Food Testing Laboratories	55
Table 16	State-wise number of Food Testing Laboratories in the Country	66
Table 17	Data of Food Import Clearance for the period 1 st April, 2020 to 31 st March, 2021 through FICS	72
Table 18	List of FSSAI's websites/portals and other Digital Initiatives	104

List of Figures

Figure No.	Subject	Page No.
Figure 1	Composition of the Food Authority, 2020-21	11
Figure 2	Organisational Structure of the Food Authority	12
Figure 3	Scientific work at FSSAI vis-à-vis its statutory and non-statutory bodies	18
Figure 4	Launch of SPAN-COM	25
Figure 5	Signing of MoU between FSSAI with CSIR in presence of Hon'ble HFM and Hon'ble MoS	26
Figure 6	Diagrams reflecting change in numbers of license and registration over the years	38
Figure 7	Internal View of FSW	59
Figure 8	External View of FSW	59
Figure 9	Glimpses of online training programmes	60
Figure 10	SMS components	61
Figure 11	Top 10 Food Categories, Products and Country of Origin	70
Figure 12	Few glimpses of online induction training of FSOs of Telangana and Himachal Pradesh	76
Figure 13	First batch of newly recruited FSSAI officials	76
Figure 14	Second batch of newly recruited FSSAI officials	77
Figure 15	Inauguration of Induction training of newly recruited FSSAI officials in Batch 1	77
Figure 16	Launch of Challenges/Competitions	87

Figure No.	Subject	Page No.
Figure 17	Glimpses of Food Fiesta and Flowers Show	88
Figure 18	Glimpses of Indus Food, 2021	89
Figure 19	Release of Resource Books by Hon'ble HFM	90
Figure 20	Highlights of awareness through social media	92

Overview

- 1.1** The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI in short), also referred to as the “Food Authority”, was established in September, 2008 under the Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006 (Act No. 34 of 2006), primarily for laying down science-based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. Its detailed mandate is given in Section 16 of the FSS Act, 2006. The Act was operationalised with the notification of Food Safety and Standards Rules, 2011 and six Principal Regulations with effect from the 5th August, 2011. Since then, FSSAI has traversed a long way in meeting its mandate under the Act.
- 1.2** In line with the motto of ‘inspiring trust, assuring safe and nutritious food’, the Food Authority has worked relentlessly to fulfil its mandate through the following approach:
- setting globally benchmarked regulations, standards and guidelines;
 - facilitating compliance through licensing, registration, inspection, audit and improved laboratory network;
 - regulating imports for ensuring safety of imported food products;
 - building capacity of regulatory staff, laboratory personnel as well as food business operators and food handlers;
 - promoting eat right initiatives in the true spirit of convergence;
 - leveraging IEC (Information, Education & Communication) and BCC (Behaviour change communication) techniques to build a food safety culture;
 - embracing technology to streamline processes;
 - forging strategic partnerships to generate and exchange knowledge and best practices;
 - actively participating in Codex meetings and forging bilateral agreements with foreign governments and international organisations to promote co-ordination of work on food standards and other food safety related issues

This chapter highlights an overview of the activities and achievements of FSSAI for the reporting year 2020-21 in alignment with the approach described above. The details are given in the relevant chapters.

- 1.3** The Food Authority met on four occasions in the year under report and took several important decisions. However, it continued to function with a truncated strength in the absence of appointment of Members against available vacancies under clauses (b), (c), (d), (e), (f) & (g) of sub-section (1) of Section 5 of FSS Act, 2006. Special invitees were, however, invited to ensure that deliberations in the Authority were broad based.
- 1.4** Central Advisory Committee (CAC) advises the Food Authority on a number of issues and ensures close co-operation with various stakeholders such as food industry, consumer organizations, research institutions and State food authorities. The CAC met on four occasions during the year and discussed several important issues.
- 1.5** The Scientific Committee (SC), which is primarily responsible for providing scientific opinion to the Food Authority, held three meetings (35th, 36th and 37th) during the year and made various recommendations to the Food Authority.
- 1.6** During the year, 21 subject specific Scientific Panels (SPs) were functional. These 21 Scientific Panels held a total of 62 meetings and made recommendations on formulation of standards and other related matters relating to the respective subjects.
- 1.7** The Scientific Committee commissioned a number of Working Groups to deal with specific issues.
- 1.8** In view of CoVID 19 pandemic, the Food Authority as well as other statutory and non-statutory bodies held meetings during the year in virtual mode.
- 1.9** Considerable progress has been made towards framing of regulations covering new standards as well as amendments of existing standards for various articles of food. The regulations are constantly reviewed and necessary amendments are carried out as required. During the year 2020-21, 30 final notifications and 19 draft notifications were issued. Final notifications included three Principal Regulations namely, Food Safety and Standards (Safe food and balanced diets for children in school) Regulations, 2020; Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2020; and Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020.
- 1.10** Final notifications also included a number of Amendment Regulations relating to new / revised standards of food products. Besides, some amendments have been carried out to place restriction on use of certain ingredients/products. Amendments relating to reduction of trans-fats limits to not more than 2% by weight in all oils, fats and not more than 2% by weight of oil and fats present in processed food products to achieve the target of a 'Trans-fat Free India by 2022' are among the key amendment regulations finally notified during the year.
- 1.11** Three Guidance Notes were issued by FSSAI during the year to create awareness and better understanding among the public on issues of concern around food safety. FAQs were also issued in respect of certain regulations to clarify the scope and provisions of the regulations.

- 1.12** Under the Scheme for support to R&D projects having relevance to the FSSAI mandate and other emerging issues related to food safety, FSSAI has so far funded 21 joint projects out of which six have been completed; ten other completed projects were reviewed by National Steering Committee and recommended for final closure; and five projects are ongoing at different stages of progression.
- 1.13** FSSAI has a sanctioned strength of 824 posts now. A majority of these posts were sanctioned in 2018 only. Also, the Recruitment Regulations for various posts were notified on 01 October, 2018. The process of recruitment against sanctioned posts on regular basis as per the provisions of the Recruitment Regulations was initiated thereafter. During the year, final results of direct recruitment process initiated in the year 2019 covered under 3 advertisements namely DR 01/2019, DR-02/2019 and DR-03/2019 were declared on completion of recruitment process and a total of 185 selected candidates out of 275 posts covered under DR-02/2019 have already joined the organization while the other successful candidates are in process of joining. A few officers have also joined at higher levels based on results of DR-2/2019 and DR-03/2019. 37 officers have also joined FSSAI on deputation during the year. Consequently, manpower availability has increased considerably and will make the working of FSSAI more robust.
- 1.14** States/UTs are an important partner and primarily responsible for ensuring compliance of the provisions of the FSS Act, 2006 and Rules and Regulations made thereunder. States/UTs continued to strengthen their administrative set up for enforcement. As on 31st March, 2021 there are a total of 725 Adjudicating Officers, 660 Designated Officers and 2,531 Food Safety Officers.
- 1.15** Due to concerted efforts made in this regard, considerable progress was made in respect of licensing and registration of Food Business Operators (FBOs) under FSS Act, 2006. As on 31st March, 2021, a total of 84,970 Central licenses were issued by the Central Licensing Authorities (CLAs) while the Licensing authorities of States/UTs had issued 17,07,190 licenses and 74,65,125 registrations marking an increase of 45% in respect of Central licenses and 31% and 21% in respect of State licenses and registrations respectively over the previous year.
- 1.16** The Food Authority continued to support State/UTs authorities through meetings of CAC, Video Conferences (VC) and participation in State level steering committee meetings for effective enforcement of the provisions of FSS Act. During the year, FSSAI conducted 27 VC sessions with various States/UTs.
- 1.17** Regular surveillance, monitoring, inspection and random sampling of food products continued to be undertaken by the food safety officials of respective States/UTs to check for compliance against the provisions of FSS Act, Rules and Regulations made thereunder. The details of samples of food analysed, found non-conforming and penal action taken against the defaulting Food Business Operators during the year 2020-21 is given in Table 1.

Table 1 - Progress on enforcement metrics for 2020-21

S.No.	Enforcement Metric	Numbers
1	food samples analysed	1,07,829
2	total samples found non- conforming	28,347
	<i>non-conforming samples-unsafe</i>	5,220
	<i>non-conforming samples-sub standard</i>	13,394
	<i>non-conforming samples-labelling defects/misleading/miscellaneous</i>	9,733
3	number of civil cases launched	24,195
4	number of civil cases decided	15,532
5	amount of penalty imposed in civil cases	49,92,23,333
6	number of criminal cases launched	3,869
7	number of criminal cases decided	520
8	amount of penalty imposed in criminal cases (in rupees)	83,23,601
9	total amount of penalty imposed (civil & criminal) (in rupees)	50,75,46,934

- 1.18** FSSAI has developed and introduced from 01 November, 2020 across India a more efficient online portal called Food Safety and Compliance System (FoSCoS) to replace Food Licensing and Registration System (FLRS). This has addressed the complaints of slowness of the earlier system and rationalised and simplified the process of licensing and registration. Further, FoSCoS is envisaged to be a 'One-Stop Compliance Portal' for food safety. Already, payment gateways, FoSCoRIS, audit module, online return filing module and hygiene rating module have been integrated with the System. This has facilitated the Food Business Operators in submission of applications, making payment, submission of annual returns etc.
- 1.19** FSSAI has developed a web based mobile app called 'Food Safety Compliance through Regular Inspection and Sampling' system (FoSCoRIS) for inspections and sampling for monitoring, data collection and data analysis in real time basis. States have been advised to conduct inspection only through FoSCoRIS. During the year, 60,222 inspections of food businesses were carried out through FoSCoRIS. This system has also been integrated with FoSCoS for bringing transparency in inspections.
- 1.20** FSSAI has launched a State Food Safety Index to measure the performance of States on food safety and nudge them to perform better. This index is based on performance of States/UTs on five significant parameters, namely-Human Resource and Institutional Data; Compliance; Food Testing Infrastructure and Surveillance; Training and Capacity Building; and Consumer Empowerment. On the occasion of Second World Food Safety Day on 7th June, 2020, appreciation was given to States/UTs with better rank in the State Food Safety Index, 2019-20.
- 1.21** To strengthen food safety ecosystem in States/UTs under MoU framework, FSSAI approved work proposals of 24 States/UTs and released an amount of Rs. 64.66 crore.
- 1.22** Under Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018, FSSAI has recognised 29 food safety auditing agencies for carrying out food safety audit with regard to compliance to the hygiene and sanitary requirements specified in Schedule IV of Food Safety and Standards (Licensing and Registration) Regulations, 2011. It has been decided that

the food businesses holding Central License and falling in identified six high-risk categories/ kind of businesses will be subjected to mandatory auditing by the Food Authority. FSSAI also completed audit of 157 slaughter houses as well as 396 meat shops and 429 sweet shops regarding compliance of hygiene and sanitary requirements. Gaps identified during audit would help improve FSMS compliance at these places.

- 1.23** To strengthen the food testing infrastructure, a number of steps were taken during the year 2020-21. 39 State Food Testing labs, which were continuing under transition provision of Section 98 of the Act and had not taken any steps to seek NABL accreditation have been discontinued from the ambit of FSS Act. This coercive action has forced such labs to initiate steps to obtain NABL accreditation. During the year, 2 State Food Testing Lab which obtained NABL accreditation and 4 other labs were notified for primary testing. Contract was awarded to successful PPP partners for establishing and operationalising FSSAI's two more Referral labs at Chennai Port Trust and JNPT, Mumbai under PPP mode and these Referral labs are expected to become functional soon. During the period, 54 applications for approval of Rapid Testing Kits/equipments under RAFT Scheme, 2019 were scrutinized of which 33 were finally approved, one was provisionally approved and remaining 20 were rejected.
- 1.24** Under the Central Sector Scheme for "Strengthening of the Food Testing System in the Country including provision for Mobile Food Testing Labs" (SOFTeL) rolled out during 2016-17 for three years with an outlay of Rs. 481.95 crore (Rs.400.40 crore:non-recurring, and Rs. 81.55 crore:recurring), pending approval of the Government for further extension of the tenure of the Scheme, a grant of Rs. 1.00 crore was sanctioned/released towards strengthening of State Food Testing Laboratories (SFTLs) during the year. With this, 39 SFTLs in 29 States/UTs have been strengthened with a total sanctioned/ released grant of Rs. 313.98 crore. A grant of Rs. 4.12 crore was also released to Central/Referral Food Laboratories, Pune for upgradation raising the total approved grant for Referral labs to Rs. 32.20 crore. Further, during the year, 2 more modified mobile food testing labs (Food Safety on Wheels) were delivered to States raising the total FSWs provided to States/UTs to 90 (60 FSWs to 32 States/UTs and 30 modified FSWs to 11 States/UTs).
- 1.25** To create an effective network of Sample Management System (SMS) with cold chain facilities across all States/UTs to ensure that the samples collected reach the laboratories without deterioration, sample collection devices have been provided to various States/UTs. These have already been delivered and installed in 22 States/UTs while these are in the process of being installed in another 8 States/UTs.
- 1.26** A number of manuals & methods of analysis were finalised during the year.
- 1.27** FSSAI conducted Edible Oil, Milk Products and Honey Survey to assess the quality and safety of these products in respect of which concerns regarding their quality and safety have been repeatedly highlighted. The Survey would help identify hotspots of adulteration for taking remedial action.
- 1.28** In the context of COVID-19 pandemic, FSSAI took special steps to ensure uninterrupted food services/supply. Import clearances of food items and food testing laboratories (National Food labs at NCR and Kolkata and FSSAI accredited private labs) were classified as essential

services during the lockdown. Several compliance requirements by FBOs in matter of licensing/registrations, submission of half yearly/yearly annual returns etc. were deferred till 31st December, 2020.

- 1.29** It is the responsibility of Food Authority to ensure safety of food imported into India. The Food Authority was earlier directly regulating food import at 22 points of entry at six locations viz. Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Tuticorin and Kochi through its own Authorised Officers. It has begun directly regulating food import at an additional 22 points of entry at 9 locations including at Mundra, Kandla and Krishnapatnam Ports w.e.f. 10th March, 2021 by posting its own Authorised Officers at these points. During the year, a total of 52,932 imported food items weighing 37,05,016 Metric Tonnes (MTs) were handled by FSSAI. Of these, NOCs were issued to 51,913 items, weighting 36, 72,065 MTs.
- 1.30** To ensure uninterrupted supply of imported crude oil (edible grade) and food grains in the country during the period of lock down, Authorised Officers were instructed to carry out visual inspection on the very same day the consignment arrived and upon satisfactory visual inspection, draw samples and issue provisional NOC without waiting for the analysis report from the laboratories. Directions were also given for prioritizing clearance of pulses.
- 1.31** FSSAI has made it mandatory the requirement of Non-GM-cum-GM free certificate accompanied with imported food consignment of 24 crops w.e.f. 01 March, 2021 in order to ensure that only Non-GM food crops are imported.
- 1.32** FSSAI's flagship Food Safety Training and Certification (FSTaC) programme for training food handlers in good hygiene and manufacturing practices, hitherto being run on physical mode, switched to online platform due to CoVID 19. FSSAI started online awareness course on COVID-19 preventive measures under FoSTaC for food handlers in April, 2020. In this context, nearly 2600 trainings were conducted and more than 78,452 food handlers were trained. Regular trainings for Food Safety Supervisors under FoSTaC for all the 19 training modules were started in online mode in October, 2020. Awareness course on CoVID 19 measures was integrated with the 19 training modules. During 2020-21, 7,477 regular FoSTaC trainings under online mode were conducted and 2,24,729 food handlers were trained.
- 1.33** For regulatory officials viz. Food Safety Officers and Designated Officers, FSSAI conducted training on CoVID 19 related food safety guidelines during April-June, 2020 through online mode in which 850 regulatory personnel participated. Regular induction trainings programme for 116 newly recruited Food Safety Officers of various States/UTs were also conducted in online mode. Further, 160 newly recruited officers in FSSAI were also given two weeks' classroom training followed by one week 'on-the-job' training in two batches.
- 1.34** FSSAI continued with its activities under Eat Right India movement to provide people safe food, healthy and sustainable diets. The Eat Right India adopts a judicious mix of regulatory, capacity building, collaborative and empowerment approaches to ensure that food is good both for people and the planet. Important initiatives include food fortification, Hygiene Rating Scheme, Blissful Offering to God (BHOG), Eat Right Home, Eat Right School, Eat Right Campus, Eat Right Station, Clean Street Food Hub, Clean Vegetable and Fruit Market, Repurpose Used Cooking Oil (RUCO) etc.

- 1.35** Social and Behavioural Change (SBC) approach of FSSAI is associated with creation of an ecosystem of trust and cooperation with all stakeholders to share equal responsibility of food safety. With this collaborative approach, FSSAI has partnered with multiple stakeholders viz. Government/Private Institutions, Professional Associations, Organisations etc. for creating mass awareness around food safety and eating right and empower people to make decisions and modify behaviours regarding food choices. During the year, various Information, Education and Communication (IEC) activities were undertaken to educate stakeholders and consumers about Eat Right initiatives, food safety and essential elements of the FSS Act, Rules & Regulations. Several competitions and challenges were undertaken to create awareness around Eat Right Initiatives. Information was also disseminated to various target groups by using online channels of communication including print, electronic & social media as well as offline mediums including events/ exhibitions, melas and trade fairs etc. Many resource books and communication materials were launched. The e-Books were made available on the website for easy access by general public.
- 1.36** During the year, India continued to participate actively in the Codex work for development of international standards. India participated in 43rd session of Codex Alimentarius Commission as well as meetings of its Executive Committee, other Committees, Sub-Committees and Working Groups all of which were held in virtual mode. CAC in its 43rd session adopted standards for Chilli sauce, Mango Chutney and Ware Potato as proposed by India as Approved Codex standards.
- 1.37** Further follow up action was taken in respect of existing signed cooperation agreements with New Zealand, European Food Safety Authority and France. Several meetings, mostly in virtual mode, were held between officials of FSSAI and representatives of other countries/ international organisations to discuss issues around food safety.
- 1.38** Given the critical importance of technology for a regulatory body with a mandate as broad and overarching as the Food Authority, Food Authority is leveraging Information Technology (IT) to the maximum extent. FSSAI launched Pan India, a revamped Licensing and Registration System called FoSCoS to replace Food Licensing and Registration System (FLRS). Further, many of its flagship portals such as FICS, FoSTaC Training Portal, InFoLNeT etc. were strengthened with new features. All principal activities of FSSAI are being fully supported by systems and portals developed by the IT Division.
- 1.39** FSSAI continued to take steps to support increased use of Hindi in its working. Meetings of Official Language Implementation Committee are being held quarterly. Four workshops were held and newly recruited officials as also other officials were encouraged to use Hindi in official work. Divisions with best performance in use of Hindi were given Shield in recognition of their efforts. Hindi Pakhwara was celebrated with competitions on Noting and drafting, Essay, Debate and Translation which attracted great interest. 1st, Second, Third winners were given Cash prizes. Consolation prizes were also given.

Duties, Governance Structure and Human Resource





2.1 Enactment of Act

- 2.1.1** The work on consolidation of food laws into a single statute had been on the anvil for some time, especially after the Central Government declared its intent in the budget speech of then Hon'ble Finance Minister in 2002. The work pertaining to consolidation of various Acts and Orders governing food was entrusted to the Ministry of Food Processing Industries. The Food Safety and Standards Bill, 2005 was enacted as the Food Safety and Standards Act, 2006 (Act No. 34 of 2006) once it received the assent of the President of India on 23rd August 2006. Subsequently, the Act was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part I, Section 1 on 24th August, 2006. Various provisions of the Act came into force on various dates through several notifications in this regard viz. notifications dated 15th October, 2007, 28th May, 2008, 18th November, 2008, 9th March, 2009, 31st July, 2009, 29th July, 2010 and 18th August, 2010.
- 2.1.2** Vide Cabinet Secretariat's notification under Govt. of India (Allocation of Business) Rules, 1961 dated 17th Sept, 2007, the subject "Food Safety and Standards Act, 2006" was shifted to the Ministry of Health & Family Welfare from the Ministry of Food Processing Industries. Vide the Ministry of Health and Family Welfare 'The Food Safety and Standards (Removal of Difficulties) Order, 2007 dated 15th October, 2007, in sub-section (1), in clause (c) of Section 6 of the Food Safety and Standards Act, 2006 relating to Selection Committee for selection of Chairperson and Members of the Food Authority, for the word 'Health', the words "Food Processing Industries" were substituted.
- 2.1.3** The Act has been amended vide the Food Safety and Standards (Amendment) Ordinance, 2008 dated 7th February, 2008, which was replaced by the Food Safety and Standards (Amendment) Act, 2008 dated 28th March, 2008 amending Sections 3, 5 and 6 thereof.
- 2.1.4** The passing of the Food Safety and Standards Act, 2006 (FSS Act) led to the establishment of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) on 5th September, 2008. This decision marked a paradigm shift from a fragmented to a unified food regulatory ecosystem with a more holistic approach of ensuring safe and wholesome food as opposed to just prevention of adulteration.

2.2 Mandate of FSSAI

The Food Authority’s mandate as envisaged in the FSS Act is to regulate manufacture, storage, distribution, sale and import of food to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for matters connected therewith. The duties and functions of the Food Authority have been prescribed under Section 16 of the Act. An overview of the same is presented in Table 2.

Table 2 -Overview of duties & functions of the Food Authority

	Set Direction		Science Based		Strengthen Capacities		Consumer Focused
	<ul style="list-style-type: none"> • Set standards of identity for articles of food • Set standards for labelling and claims • Set limits for additives, contaminants, residues etc. • Develop guidelines for methods of sampling & analysis • Implement appropriate border controls for imported food items • Conduct risk analysis including assessment, management and communication of risks • Develop guidelines for laboratory accreditation & notification • Develop guidelines for accreditation of certification bodies • Conduct survey of enforcement and implementation of FSS Act 		<ul style="list-style-type: none"> • Provide scientific advice and technical support for framing policies • Lead R&D activities in areas such as consumption and risk exposure, incidence and prevalence of biological risks, contaminants, rapid alert system etc. • Develop crisis management protocols for food safety • Develop framework for scientific cooperation, exchange of information and expertise, implementation of global best practices • Provide scientific advice and technical support to improve relations with international organizations 		<ul style="list-style-type: none"> • Provide training to strengthen capacities of staff of food authorities at national and state levels, food business operators and other stakeholders within the food safety ecosystem 		<ul style="list-style-type: none"> • Provide appropriate, simple, timely information to consumers and relevant stakeholders • Communicate about opinions of scientific committees and panels in a timely manner • Share results of scientific studies • Disclose annual declarations of interest by members of Food Authority, advisory committee, scientific committee and scientific panels etc. in relation to meeting agendas

Set Direction	Science Based	Strengthen Capacities	Consumer Focused
<ul style="list-style-type: none"> • Guide state level authorities on matters related to food safety & standards 	<ul style="list-style-type: none"> • Develop risk assessment methodologies • Promote consistency between international and domestic standards • Contribute to the development of international technical standards 		

2.3 Composition of the Food Authority and its meetings during the year

2.3.1 As per Section 5 of the FSS Act, 2006, the Food Authority shall consist of a Chairperson and the following twenty-two members out of which one-third shall be women, namely-

Table 3 -Members, other than the Chairperson, of the Food Authority (Section 5)

Members from the Ministries and Departments of Central Government	7 members not below the rank of Joint Secretary to represent Ministries or Departments of Central Government dealing with Agriculture, Commerce, Consumer Affairs, Food Processing, Health, Legislative Affairs, Small scale industries who shall be members <i>ex-officio</i>
Representation from consumer, farmers' and retailers' organizations	2 representatives each from consumer organizations and farmers' organizations and 1 from retailers' organizations
Representation from States and UTs	5 members to be appointed every three years on rotation; one each in-seriatim from the zones specified in first schedule of the Act
Representation from Food Industry and Independent SMEs and Food Technologists or Scientists	a) 2 representatives from food industry including one from small scale industry b) 3 eminent food technologists or scientists

2.3.2 In addition, as per Section 9 of the Act, Chief Executive Officer of the FSSAI is the Member-Secretary of the Food Authority.

2.3.3 The Chairperson, the Chief Executive Officer and Members of the Food Authority are appointed by the Central Government. The Head quarter of the Authority is located at FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002.

2.3.4 The composition of the Food Authority during the year 2020-21 was as follows:

Figure 1 - Composition of the Food Authority, 2020-21



Table 4 - Ex-officio members of the Food Authority during 2020-21 under Section 5 (1) (a)

S.No.	Name	Designation	Ministry
1	Dr. Reeta Vasishta	<i>Additional Secretary</i>	Legislative Department, Ministry of Law & Justice
2	Dr. Mandeep Kumar Bhandari	<i>Joint Secretary</i>	Ministry of Health and Family Welfare
3	Shri Atish Chandra	<i>Joint Secretary</i>	Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
4	Shri Diwakar Nath Misra	<i>Joint Secretary</i>	Ministry of Commerce & Industry
5	Shri Anupam Mishra	<i>Joint Secretary</i>	Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
6	Ms. Reema Prakash	<i>Joint Secretary</i>	Ministry of Food Processing Industries
7	Smt. Alka Nangia Arora	<i>Joint Secretary</i>	Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises

2.3.5 4 meetings of the Food Authority were held during the year 2020-21 on 29th May, 2020 (30th), 20th October, 2020 (31st), 22nd December, 2020 (32nd) and 23rd March, 2021 (33rd) respectively. Due to COVID-19 pandemic, all the four meetings were held in virtual mode. As no members were appointed by the Central Government during 2020-21 under clauses (b), (c), (d), (e), (f) & (g) of sub-section (1) of Section 5 of FSS Act, 2006 consequent upon expiry of the term of the members in previous year(s), these meetings of the Food Authority were held with a truncated strength. There were, however,

special invitees from Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), Confederation of Indian Industry (CII) and All India Food Processors' Association (AIFPA) in all the 4 meetings. Commissioners of Food Safety Gujarat, J&K, Karnataka, Manipur, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu were also invited as special invitees in 32nd and 33rd Meetings of the Authority.

2.4 Central Advisory Committee (CAC)


2.4.1 Section 11 of the FSS Act, 2006 provides for establishment of the Central Advisory Committee (CAC) and Section 12 delineates its functions. The primary mandate of the Committee is to advise the Authority on the work programme, prioritization of work, identification of potential risks and knowledge management. The CAC ensures close co-operation and co-ordination among the Food Authority, the State enforcement agencies and the organizations operating in the field of food.

2.4.2 Central Advisory Committee was re-constituted vide Notification dated 5th July, 2019 for 3 years under Section 11 of Food Safety and Standards Act, 2006. During the year 2020-21, four meetings of CAC were conducted wherein Food Safety Commissioners and other officials of States/UTs, representatives of various Ministries and Departments, besides officials from FSSAI, participated and discussed food safety related issues.

2.5 Organizational Structure of the Food Authority

2.5.1 Besides its headquarters at New Delhi, the Authority also has regional offices located in Ghaziabad, Mumbai, Kolkata and Chennai. Further, FSSAI has branch offices at Guwahati and Kochi and import offices at Tuticorin, Krishnapatnam and Mundra. There are two National Food laboratories at Ghaziabad and Kolkata with their extension counters at Sonauli and Raxaul respectively.

Figure 2 - Organisational structure of the Food Authority



2.5.2 During the year, the Food Authority approved opening of new branch offices at Delhi, Chandigarh, Bhopal, Mumbai, Ahmedabad, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Visakhapatnam and Kolkata as well as import offices at Attari, Kandla, and Raxaul. The Authority also approved the opening of National Food Laboratories at Mumbai and Chennai. These offices/laboratories will become operational in near future.

2.6 Divisions of Food Authority at Headquarter

FSSAI has following Divisions at the Headquarter:

- Human Resources & Finance Division
- General Administration and Policy Coordination Division (also comprising Parliament, Legal, Official Language and RTI Branches)
- Social and Behavioural Change Division
- Information Technology Division
- Science & Standard Division-I
- Science & Standard Division-II
- Quality Assurance Division-I
- Quality Assurance Division-II
- Regulatory Compliance Division
- Lab Training & Surveillance Division
- Training Division
- Trade and International Co-operation Division

2.7 Human Resource

FSSAI has a sanctioned strength of 824 posts at various levels. Post-wise details of all the sanctioned posts in FSSAI are given in Table 5.

Table 5 - Post-wise sanctioned strength of FSSAI

S. No.	Name of Post	Pay Level	Sanctioned Strength
1	Chairperson	17	1
2	CEO	15	1
3	Executive Director	14	2
4	Advisor	14	2
5	Director	13	16
6	Chief Technology Officer	13	1

S. No.	Name of Post	Pay Level	Sanctioned Strength
7	Principal Manager	13	1
8	Joint Director	12	32
9	Deputy Director	11	44
10	Assistant Director	10	22
11	Assistant Director (Tech.)	10	60
12	Food Analyst	10	10
13	Technical Officer	7	255
14	Central Food Safety Officer	7	74
15	Assistant Director (OL)	10	1
16	Hindi Translator	6	3
17	Administrative Officer	8	25
18	Assistant	6	76
19	Junior Assistant Grade - I	4	12
20	Senior Private Secretary	8	7
21	Personal Secretary	7	17
22	Personal Assistant	6	39
23	Senior Manager (IT)	12	2
24	Manager (IT)	11	2
25	Deputy Manager (IT)	10	4
26	Assistant Manager (IT)	7	10
27	IT Assistant	6	6
28	Senior Manager	12	2
29	Manager	11	8
30	Deputy Manager	10	16
31	Assistant Manager	7	8
32	Junior Assistant Grade - II	2	12
33	Staff Car Driver (Ordinary Grade)	2	3
34	Multi Tasking Staff (MTS)	1	50
	Total		824

2.8 Recruitment Status in FSSAI

2.8.1 Direct Recruitment-The Recruitment Regulations for various posts were notified on 1st October, 2018 and the process of recruitment as per provision of the Recruitment Regulations was initiated. Accordingly, applications for direct recruitment against various posts were invited *vide* Advertisement Nos. DR-01/2019 dated 25th January, 2019, DR-02/2019 dated 26th March, 2019 and DR-03/2019 dated 16th October, 2019. All the stages of selection process of these advertisements viz. document scrutiny/ Computer Based Test (CBT)/written examination/skill test/interview (as applicable) have been completed. A total of 185 successful candidates out of 275 posts covered under DR-2/2019 have already joined the organization and the remaining candidates are expected to join shortly. Further, based on the final results of few posts covered under DR-01/2019 and DR-03/2019, two candidates for the posts of Director (Pay Level-13), one candidate for the post of Chief Technology Officer (Pay Level-13) and five candidates for the post of Food Analyst (Pay Level-10) have since joined on direct recruitment basis.

2.8.2 Deputation- Applications were also invited for filling up of 73 posts on deputation basis *vide* advertisements dated 03th June, 2020, 28th September, 2020 and 16th December, 2020. Consequent upon their selection, 37 officers have joined FSSAI on deputation basis during 2020-21.

2.9 Internal Complaints Committee for women employees

In accordance with the Hon'ble Supreme Court Judgement in the *Vishakha and others v State of Rajasthan* (1997) case and the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, an Internal Complaints Committee (ICC) has been constituted in FSSAI and it is ensured that the same is effective and functional at all times. The Committee did not receive any complaint during the year 2020-21. However, there were correspondence in a sub-judice case which were promptly attended by the Committee. Training on the Sexual Harassment Act and gender sensitization has been provided to the newly recruited employees.

2.10 Vigilance matters

2.10.1 Vigilance Unit of FSSAI deals with complaints received through various sources against the employees of FSSAI at the Headquarter, Regional Offices and Laboratories under the guidelines issued by Central Vigilance Commission (CVC). If, *prima-facie*, irregularities are attributed to an official(s), then further appropriate action regarding initiation of disciplinary proceedings is taken. CVC is also consulted, wherever required as per guidelines. During the period 2020-21, 37 complaints were processed/ disposed of.

2.10.2 Vigilance Awareness Week, 2020 was observed from 27th October, 2020 to 2nd November, 2020 at FSSAI (HQ) and all the Regional Offices and Laboratories. This year, the theme of Vigilance Awareness Week was “Satark Bharat, Samariddh Bharat (Vigilant India, Prosperous India). On this occasion, a pledge to maintain honesty, transparency and integrity in all spheres of life was administered to all officers and staff on 27 October, 2020. This was followed by a written quiz competition to test the knowledge of employees on vigilance. A workshop/sensitization program was organized on 2nd November, 2020 in which an external expert was invited for a talk on the theme of the Week. On this occasion, cash prizes of Rs.2,000/-, Rs.1,000/- and Rs.500/- were distributed by the Chief Executive Officer to the contestants who stood first, second and third respectively in the quiz competition.

2.11 FSSAI’s Day-Care Centre

FSSAI’s Day Care Centre for kids- “Nanhe Kadam” is functioning at FSSAI Headquarter, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi for facility of women employees working in FDA Bhawan and in other government offices in the neighbourhood.

2.12 Gym

A modern air-conditioned Gym is functional at FDA Bhawan premises to cater to the need of fitness conscious staff working in FSSAI HQ and CDSCO and for the benefit of fitness enthusiasts of nearby area.

2.13 Medical facility

2.13.1 For benefit of staff working at FSSAI’s Headquarters, a Specialist Medical Consultant has been engaged on a part-time basis (for two hours,twice in a week). Employees get free medical consultation from the Specialist. Some basic essential medicines, as prescribed by the Consultant Doctor, are also provided to the staff free of cost.

2.13.2 A number of camps were organised during the period for conducting both Rapid Antigen and RTPCR tests of staff working in FDA Bhawan for detection of COVID-19.

2.14 Steps taken during 2020-21 for acquiring additional space for FSSAI’s requirements.

2.14.1 Chennai Port Trust had allotted a space of 1306 sq mtr. at 2nd and 3rd Floors of Central Documentation Complex Building to FSSAI on long term lease of 30 years for which a lump sum payment of Rs. 17,09,04,516/- was made to the Chennai Port Trust. The lease agreement for 30 year lease was executed on 17th August, 2020 for the period 29.01.2020 to 28.01.2050. The space is being utilised for establishing a National Food Testing Laboratory under PPP mode, for which contract to the selected partner has been awarded, as well as for housing Southern Regional Office, Chennai.

- 2.14.2** JNPT allotted space measuring 11,873 sq ft (8,116 sq ft at Ground floor and 3,757 sq ft at first floor) in Trainee's Hostel building at JNPT Township, Navi Mumbai on long term lease basis of 30 years. Lump-sum payment of Rs. 2,52,95,102/- was made to JNPT and possession taken. The lease agreement for 30 years lease was executed on 26th August, 2020 covering the period 29.01.2020 to 28.01.2050. The space is being utilised for establishing a National Food Testing Laboratory under PPP mode, for which contract has been awarded to the selected partner, as well as for housing import office of Western Regional Office, Mumbai. The plot of land measuring 2, 500 sq meters earlier allotted by JNPT has been surrendered.
- 2.14.3** A multi-storeyed building (2 levels basement +Ground Floor+2 Floors) is being constructed at NFL, Ghaziabad complex creating space of approx. 60,000 sq ft at an estimated cost of Rs. 46.26 crores. M/s NBCC India Limited is the Project Management Consultant for the project. The construction is in progress and is likely to be completed by March, 2022.
- 2.14.4** In an effort to meet the continuous growing demand for office and lab space at various places, FSSAI has occupied 1,333 sq. ft. area at 1st floor, BSNL, Erragadda CSC Building, Hyderabad @ Rs. 60/- per sq.ft. allotted by the BSNL on lease basis for nine years. The lease agreement was executed on 26th March, 2021.
- 2.14.5** Northern Regional office, Ghaziabad has taken over the office accommodation at LPAI Attari, Cargo Terminal, Punjab having approx. 21.60 sq.mtr. on monthly rental basis area @ Rs. 938/- per sq.mtr.
- 2.14.6** FSSAI has opened new import office at Mundra Port, Gujarat having office space of 2425 sq.ft @ Rs. 25.25/- per sq.ft. for three years. The leave & license agreement was executed on 15th December, 2020 and is upto 14th December, 2023.
- 2.14.7** FSSAI has opened a new import office at Krishnapatnam Port, Andhra Pradesh having office space of 1,421 sq.ft. @ Rs. 25.25/- per sq.ft for three years. Leave & license agreement was executed on 12th January, 2021 for three years covering the period 14.01.2021 to 13.01.2024.
- 2.14.8** FSSAI has taken initiative to acquire premises on hiring basis at Visakhapatnam, Bengaluru and Ahmedabad to open its offices at these places. ````
- 2.14.9** To cater to the increased strength at its Headquarter consequent upon joining of new recruits, the Ministry of Health and Family Welfare has allotted appx. 17,000 sq feet space at MMU Building, adjacent to FDA Bhawan, New Delhi. Possession of same was taken in August, 2020. Space is being renovated and the same will be occupied soon for office.

Standards and Regulations

3.1 Overview of Scientific structure of FSSAI

The FSSAI’s major scientific arms are the Scientific Committee (SC) and Scientific Panels (SPs). Both these bodies provide necessary scientific opinion and assist in development of standards through a well-defined process. In addition to these two statutory scientific entities, the Food Authority has also established some non-statutory bodies which interface with the Scientific Committee and Scientific Panels. The overall structure of science related works and the bodies associated with it are schematically indicated below:




Figure 3 - Scientific work at FSSAI vis-à-vis its statutory and non-statutory bodies

3.2 Scientific Committee

3.2.1 Section 14 of the FSS Act, 2006 provides for the constitution of the Scientific Committee comprising the Chairpersons of the Scientific Panels and six independent scientific experts not belonging to any of the Scientific Panels. The Committee is responsible for providing scientific opinion to the Food Authority, general co-ordination necessary to ensure consistency of the scientific opinion and, in particular, with regards to the adoption of working procedures and harmonisation of working methods of the

Scientific Panels. The Scientific Committee provides opinion on multi-sectoral issues falling within the competence of more than one Scientific Panel and sets up working groups on issues which do not fall within the competence of any of the Scientific Panels. The Scientific Committee chooses a Chairperson from amongst its members.

3.2.2 During the year 2020-21, Scientific Committee held three meetings. These meetings were held on 11th August, 2020 (35th meeting), 25th November, 2020 (36th) and 18th February, 2021 (37th).

3.3 Scientific Panels

3.3.1 Section 13 of the FSS Act, 2006 provides for establishment of subject specific Scientific Panels which consist of independent scientific experts to act as the risk assessment bodies and give their considered scientific opinion.

3.3.2 The Food Authority has been empowered to reconstitute the Scientific Panels by adding new members or by omitting the existing members or by changing the name of the Panel as the case may be. The Scientific Panels choose a Chairperson from amongst its members.

3.3.3 The list of 21 subject specific Scientific Panels functional during the year is as under-

- Functional foods, Nutraceuticals, Dietetic Products and Other Similar Products.
- Method of Sampling and Analysis.
- Food additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food.
- Contaminants in Food Chain.
- Biological Hazards.
- Pesticide Residues.
- Labelling and Claims/Advertisements.
- Genetically Modified Organisms and Foods.
- Fish and Fisheries Products.
- Nutrition and Fortification.
- Sweets, Confectionery, Sweeteners, Sugar & Honey.
- Water (including flavoured water) & Beverages (non-alcoholic).
- Oils & Fats.
- Milk and Milk Products.
- Meat and Meat Products, including Poultry.

- Cereals, Pulses & Legume and their Products (Including Bakery).
- Fruits & Vegetables and their Products (Including Dried Fruits and Nuts).
- Antibiotic Residues.
- Spices and Culinary Herbs.
- Packaging.
- Alcoholic Beverages.

3.3.4 During the year, these Scientific Panels met on more than one occasion and cumulatively held 62 meetings to discuss the issues under their consideration.

3.4 Expert Committees

3.4.1 An Expert Committee on organic foods constituted to make recommendations on various issues arising out of implementation of the Organic Foods Regulations held three meetings (6th to 8th) during the year.

3.4.2 An Expert Committee was constituted *vide* Order dated 14th September, 2020 to develop mechanism for issuing no objection/pre-regulatory clearance to Food Business Operators for conducting human intervention studies for generating efficacy and safety data in food. It held two meetings (1st and 2nd) on 23rd November, 2020 and 26th March, 2021 respectively.

3.5 Working Groups

3.5.1 Working Groups (WGs) are commissioned by the Scientific Committee (SC), after approval of CEO, FSSAI to deal with specific matters or matters which do not fall within the competence of any of the Scientific Panels (SP); and/or to provide opinions on multi-sectoral issues falling within the competence of more than one SP. The SC, while commissioning a WG, defines the terms of reference (ToRs), including the time-frame within which a task is to be accomplished, and also coordinates functioning of such WGs. The membership of WG is drawn from among the members of the Scientific Panels (SP) and Scientific Committee (SC) but it may also include relevant external experts who are not part of any of the SPs or SC. However, number of such external experts in a WG shall not exceed 50% of the total members of the WG. Chairperson of the WG is appointed by the SC from those who are either a member of SC or SP.

3.5.2 Following Working Groups have been constituted :

- ❖ Working Group to review issues related to vitamins and minerals under FSSR and other nutrition related issues. It looked into the standards where vitamins and minerals have been mentioned in FSSR.

- ✪ Working Group to review the safety and efficacy of use of vitamins and minerals from natural and/or synthetic source under Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018. It looked into the representation of AMUL based on SC recommendation.
- ✪ Working Group on Methods of analysis for ingredients and products covered under Nutraceutical Regulations. It was constituted to address concerns regarding methods of analysis related to ingredients/products falling under scope of the FSS (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special medical purpose, Functional Food and Novel Food) Regulations, 2016.
- ✪ Working group on Processing Aids to identify and recommend processing aids being used and likely to be used by the industries, recommend residue levels; to examine and recommend enzymes derived from genetically modified sources to be used as processing aids.
- ✪ Working Group on Food Colours for Risk assessment of food colours, review of nomenclature, current permissible limits and existing standards of food colours
- ✪ Working Group on Sajji Khar for onsite examination of the manufacturing of Sajji Khar, risk analysis of ingredients and preparation of a monograph with recommendation of a proposed standard.
- ✪ Working Group on Cell based meat (Cultured meat) to understand the possible regulatory pathways for cultured meat in India.
- ✪ Working Group regarding Front of Pack Labelling to review the threshold values of fat, sugar and salt for all food categories and sub-categories.
- ✪ Working Group regarding formaldehyde to study and review formaldehyde related issues in fish and fisheries products.
- ✪ Working Group to undertake review of flavouring substances for its safety and recommend a positive list of flavours.
- ✪ Working Group (electronic WG) on “Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in food contact and packaging materials. It will collect available scientific information/data on the PFAS, prepare a position paper based on collated information and to provide recommendations on usage of food contact materials containing PFAS.
- ✪ Working Group on ‘Development of standards for food additives and processing aids’.
- ✪ Working Group for discussion on comments received on project proposals under NetsCoFan-SPG

3.5.3 Some of these working groups met on more than one occasion during the year 2020-21 to consider the issues before them, while few others are still to commence their work.

3.6 Approval of Non-specified Food/ Food Ingredients

3.6.1 The Food Safety and Standards (Approval for Non-Specified Food and Food Ingredients) Regulations, 2017 enable the Food Authority to approve any non-specified food (other than proprietary food) and food ingredients including novel foods, new food additives, and new processing aids and food ingredients consisting of or isolated from microorganisms, bacteria, yeast, fungi or algae. The Regulations provide for constituting an Expert Committee (EC) to examine the applications (complete with scientific inputs about the product under consideration which shall be provided by the applicant).

3.6.2 Initially, one Expert Committee was constituted. However, to speed up the process of approval of non specified food, three Expert Committees were constituted *vide* order dated 14th December, 2020. The Expert Committees met frequently to consider the applications. During the year 2020-21, 87 applications were received for approval of non specified foods and 12 products were given approval.

3.7 Approval of Claims

3.7.1 The Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018 are notified to establish fairness in claims and advertisements of food products and make food businesses accountable for such claims/advertisements in order to protect consumer interests. The Regulations, under its various schedules, lists specific claims that are permitted to be made by FBOs without seeking prior approval of the Food Authority. For approval of non-standardised claims, Expert Committee for approval of Claims examines the applications (and scientific evidence provided therein) that seek prior approval of a non-standardized claim either related to health and/or nutritional benefit.

3.7.2 During the year 2020-21, 13 applications were received seeking approval of a non-standardized claim either related to health and/or nutritional benefit. The Expert Committee met on two occasions during the year to consider the applications.


3.8 New Regulations/Amendment notifications/draft amendment notifications published during the year 2020-21

- 3.8.1** During the year 2020-2021, following three final Principal Regulations were notified:
- Food Safety and Standards (Safe food and balanced diets for children in school) Regulations, 2020.
 - Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2020.
 - Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020.

3.8.2 In all, 30 final notifications and 19 draft notifications have been issued during the period. List of final notifications notified during the year is at Table 6. List of draft notifications notified during the year is at Table 7. A complete list of Principal Regulations notified by FSSAI so far is at Table 8.

3.9 Network for Scientific Cooperation for Food Safety and Applied Nutrition “(NetSCoFAN)”

3.9.1 Section 16(3)(e) of the FSS Act, 2006 mandates the Authority to build and promote scientific cooperation, exchange of information, development and implementation of joint projects, exchange of expertise and best practices in the area of the responsibility of the Food Authority. Pursuant to this mandate, FSSAI has established a network of research and academic institutions working in the area of food and nutrition. This network is referred as “Network for Scientific Cooperation for Food Safety and Applied Nutrition (NetSCoFAN)”. The Network comprises of eight groups of institutions working in different areas as under:



3.9.2 The major objectives of NetSCoFAN are summarized below:-

- o Build a scientific network for knowledge collation and its use in standard development.
- o Disseminating research knowledge among stakeholders.
- o Providing common platform for research convergence to avoid duplication of work.
- o Create risk assessment capacity in the country, especially to prevent risks/outbreaks.

3.9.3 The major areas of activities/functioning of NetSCoFAN groups are:

- Identify research gaps in respective areas, formulate/evaluate research proposals for funding and also review the projects funded by the Food Authority.
- Carry out and facilitate research work, conduct surveys and other related activities through collaboration and sharing of testing facilities & instrumentation, electronic resources, research methodology, sample collection methods, testing protocols and so on.
- Collect, collate and develop a data base on food safety issues for risk assessment activities to facilitate the work related to development of standards.
- Conduct horizon-scanning by collating, analyzing information/data on existing and emerging food safety risks and issues in the respective areas.

3.10 Research Projects

3.10.1 Existing Scheme of Research & Development projects relevant to the mandate of FSSAI and other emerging issues related to food safety/ Surveys for Food Quality and Safety is now merged with the NetSCoFAN (Network for Scientific Cooperation for Food Safety and Applied Nutrition) as per the approval of the Food Authority at its 30th Authority meeting. The Evaluation and Monitoring Committee (EMC) in the said Scheme is also substituted by the NetSCoFAN Group Steering Committee for the 1st level screening of the new proposals and review and monitor of the ongoing research projects, whereas, NetSCoFAN, National Steering Committee (NSC) will be the approving Authority for commissioning of projects and survey studies. The FSKAN Portal, which is an online mechanism for submission of new proposals as well as review and monitoring of the ongoing project is also merged with NetSCoFAN webpage.

3.10.2 Till now, FSSAI has funded twenty one joint research projects, out of which six have been completed, ten completed project were reviewed and recommended for final closure by NSC and five are ongoing at different stages of progression.

3.10.3 List of five ongoing research projects is at Table 9. List of ten completed research projects reviewed by National Steering Committee and recommended for final closure is at Table 10. List of six completed/closed research projects is at Table 11.

3.10.4 The Second meeting of the National Steering Committee was held on 19th & 20th January 2021 to review activities of Groups under NetSCoFAN and also to review the progress of ongoing research projects as well as to review the new project proposals.

3.11 Launch of SPAN-COM

SPAN-COM draws its name from the Scientific Panels (SPAN) and the Committee (COM) which will serve as a useful guide to the experts who join the Scientific Committee, the Scientific Panels and other Committees as they are new to the systems and procedures at FSSAI. The document will provide a glimpse of FSSAI activities to the new expert members and also to provide clarity on their roles and responsibilities.



Figure 4 - Launch of SPAN-COM

3.12 MoU between FSSAI and CSIR

On 7th August, 2020, FSSAI signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) for collaborative research and information dissemination regarding food and nutrition. This MoU will enable identification of technologies and programs to be developed in the area of food safety and nutrition research, along with recognition of innovative technologies available with CSIR for deployment by the Indian businesses and/or for regulating compliances. It will also seek collection of data regarding food consumption, incidence and prevalence of biological risk, contaminants in food, identification of emerging risks, their mitigation strategies and introduction of rapid alert system. The two organisations will collaborate towards strengthening the quality assurance of laboratory network across the country aimed at development and validation of methods for reliable reporting on quality and safety of food products.



Figure 5 - Signing of MoU between FSSAI with CSIR in presence of Hon'ble HFM and Hon'ble MoS

3.13 Guidance Notes

3.13.1 During 2020-21, following Guidance Notes were prepared and uploaded on FSSAI's website:

- ✧ Guidance note on Food for Special Medical Purpose.
- ✧ Guidance Note on Safety and Quality of Meat and Poultry.
- ✧ Guidance Note on Safe handling, processing & consumption of poultry meat and eggs during bird flu outbreak.

3.13.2 All the Guidance Notes issued so far are available at <https://www.fssai.gov.in/cms/guidance-notes.php>

3.14 Frequently Asked Questions (FAQs)

Frequently Asked Questions (FAQs) on different regulations as indicated below were prepared and uploaded on FSSAI's website during 2020-21.

- ✧ Food Safety and Standards (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose, Functional Food and Novel Food) Regulations, 2016

- ✧ Organic Food
- ✧ Advertising & Claims on Food Products
- ✧ Food Safety and Standards (Approval of non-specified food and food ingredients) Regulations, 2017

3.15 Mapping of food products with corresponding testing parameters as per Food Safety and Standards Regulations for functioning of InFoLNet Version. 2

3.15.1 FSSAI has piloted InFoLNet (Indian Food Laboratory Network) which is primarily a Track & Trace National Lab Network, which targets all aspects on details of samples allocated to the Labs and integrate process of sample testing at different stages, thereby simplifying overall process of sampling and testing of food commodities.

3.15.2 For the purpose of testing of food commodities through InFoLNet version 2, FSSAI mapped food products under the mandate of FSSAI with its corresponding regulatory requirements with respect to quality and safety parameters in accordance with the provisions of Food Safety and Standard Regulations. The data has been uploaded in the system and InFoLNet version 2 has been made operational.

Table 6 - List of Final Regulations notified during the year 2020-21

S. No.	Final Regulations	Notified on
1.	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) First Amendment Regulations, 2020 relating to microbiological standards for meat, milk and fruits and vegetables and the requirement for Salmonella in poultry (Chicken) meat.	23.06.2020
2.	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Fourth Amendment Regulations, 2020 relating to Canned or Retort Pouch Meat Products, Comminuted or Restructured Meat Products, Cured or Pickled and Cooked or Smoked Meat Products, or both, Dried or Dehydrated Meat Products, Cooked or Semi-Cooked Meat Products, Fresh or Chilled or Frozen Rabbit meat, Marinated Meat Products, Fermented Meat Products.	09.07.2020
3.	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Second Amendment Regulations, 2020 relating to Wheat Bran, Non Fermented Soybean Products.	09.07.2020
4.	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Third Amendment Regulations, 2020 relating to standards of Rice, Chia Seeds, Gari (Cassava product), Edible Cassava Flour, Roasted Bengal Gram Flour -Chana Sattu, Ragi Flour, Almond Kernels, Coconut Milk Powder (Non Dairy), Mixed Masala Powder, Spice Oleoresins, Tejpat, Star Anise and Phytostanol.	09.07.2020

S. No.	Final Regulations	Notified on
5.	Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) First Amendment Regulations, 2020 related to sale of beverages containing artificial sweeteners through vending machines.	21.07.2020
6.	Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) First Amendment Regulations, 2020 w.r.t. Rapid Analytical Food Testing Kit, Equipment or Method.	21.07.2020
7.	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Fifth Amendment Regulations, 2020 prescribing standards for frozen beans, frozen cauliflower, frozen peas and frozen spinach.	23.07.2020
8.	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) First Amendment Regulations, 2020 related to limit of Metal Contaminant, Aflatoxin and Mycotoxin.	07.08.2020
9.	Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) First Amendment Regulations, 2020 relating to Display of Information in food service establishment.	21.08.2020
10.	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Sixth Amendment Regulations, 2020 related to new standards for low lactose / lactose free milk and dairy permeate powder and definition of mozzarella cheese.	02.09.2020
11.	Food Safety and Standards (Safe food and balanced diets for children in school) Regulations, 2020.	04.09.2020
12.	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Seventh Amendment Regulations, 2020 to amend regulations 3.1 and Appendix A.	16.09.2020
13.	Food Safety and Standards (Advertising and Claims) First Amendment Regulations, 2020 w.r.t. claims for edible vegetable oils.	09.10.2020
14.	Food Safety and Standards Food Products Standards and Food Additives) Eighth Amendment Regulations, 2020 related to the provision of additional additives (sorbitan monostearate) and microbiological requirements for spices.	09.10.2020
15.	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Ninth Amendment Regulations, 2020 related to the insertion of Appendix 'C' w.r.t. Processing Aids.	09.10.2020
16.	Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Second Amendment Regulations, 2020 related to removal of inconsistency regarding two sets of laboratories mentioned in the regulation and those notified from time to time and the clause regarding the analysis fees for the food samples.	15.10.2020

S. No.	Final Regulations	Notified on
17.	Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Second Amendment Regulations, 2020 related to removal of the clause regarding mandatory certification of Agmark for certain food products.	20.10.2020
18.	Food Safety and Standards (Import) First Amendment Regulations, 2020.	20.10.2020
19.	Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Third Amendment Regulations, 2020 related to limit of Total Polar Compounds in unused/fresh vegetable oil/fat.	26.10.2020
20.	Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020.	17.11.2020
21.	Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2020.	04.12.2020
22.	Food Safety and Standards (Fortification of Foods) First Amendment Regulations, 2020.	18.12.2020
23.	Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) First Amendment Regulations, 2020.	18.12.2020
24.	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Tenth Amendment Regulations, 2020 related to: (i) Deletion of Bellier Test; (ii) Reduction in trans fat; (iii) Cherries with stem; (iv) Processed fruit juice; (v) Processed vegetable juice; (vi) Cashew Kernel; (vii) Colouring Foods; (viii) Definition in 2.5.1; (ix) Animal Casings; (x) Frozen Egg Products; (xi) Egg Powder; (xii) Liquid Egg Products; (xiii) Pickled Eggs; (xiv) Pasteurized Fish Sausage; (xv) Pasteurised Crab Meat; (xvi) Gelatin from fish processing waste; (xvii) Baking Powder; (xviii) Water Chestnut Flour (Singhare ka atta); (xx) TSS content in the fruits and vegetables.	29.12.2020
25.	Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) First Amendment Regulations 2021 w.r.t. incidental occurring of Khesari Dal in gram/pulses	12.01.2021
26.	Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business and Procedures for the Scientific Committee and Scientific Panels) First Amendment Regulations, 2021 related to revision of quorum of meeting of the Scientific Committee or Scientific Panel or Working Group and drawing up of agenda in consultation with Chairperson of the concerned Scientific Panel or Scientific Committee.	13.01.2021
27.	Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Second Amendment Regulations 2021 relating to limits of trans fats in Food Products.	02.02.2021

S. No.	Final Regulations	Notified on
28.	Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) First Amendment Regulations, 2021 relating to Amendment to Regulation 2.3, Fruit and Vegetable Products: (a) Inclusion of standard of Monk fruit under 2.3.6 "Processed Fruit Juices";(ii) Amendment to Regulation 2.4 Cereal and Cereal Products: (a) Biscuits (b) Bread and Bread-Type Products (c) Jowar (Sorghum grains) (d)Maida (Refined Wheat flour) (e)Semolina (Suji or Rawa) (f) Breakfast Cereal (g)Pearl Millet Flour (h)Sorghum flour;(iii) Amendment to Regulation 2.8 Sweetening agents including Honey (a) Sucralose;(iv) Amendment to Regulation 2.9 Salt, Spices, Condiments and Related Products (a) Cumin (Whole & Powder)(b) Iron Fortified Common Salt (c)Dried Thyme (v) Amendment to Regulation 2.14 and 2.15 Gluten free food and Foods specially processed to reduce gluten content to a level 20-100 mg/kg (a) Review of Gluten free and Low gluten product standard(vi)Amendment to Chapter 3: Substances added to Food	04.03.2021
29.	Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales)Third Amendment Regulations, 2021 to prohibit blending in Mustard Oil.	08.03.2021
30.	FSS (Food Product Standards and Food Additives) Second Amendment Regulations, 2021 related to Standards of Shea Butter and Borneo Tallow.	18.03.2021

Table 7 - List of Draft Regulations notified during the year 2020-21

S. No	Draft Regulations	Notified on
1.	Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2020 w.r.t. new standards of Dairy Analogue and revision of standards of Ghee and other Milk Fat Products.	21.07.2020
2.	Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2020 related to incidental occurring of Khesari dal in grams/pulses.	23.07.2020
3.	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2020 relating to standards of Shea Butter and Borneo Tallow/Illipe butter.	27.07.2020
4.	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2020 related to MRLs of pesticide, Tolerance Limit of Antibiotic and Toxins.	20.08.2020
5.	Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business and Procedures for the Scientific Committee and Scientific Panels) Amendment Regulations, 2020 related to revision of quorum of meeting of the Scientific Committee or Scientific Panel or Working Group and drawing up of agenda in consultation with Chairperson of the concerned Scientific Panel or Scientific Committee.	27.08.2020

S. No	Draft Regulations	Notified on
6.	Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Amendment Regulations, 2020 prescribing addition of Indigo Carmine or Brilliant Blue up to 10ppm in non-edible ice.	27.08.2020
7.	Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 with respect to Soya sauce, walnut kernel, grape seed oil, exemption of imported expelled oil from refining, black pepper, dried sage, fermented soya products, oat products etc.	27.08.2020
8.	Food Safety and Standards (Organic Foods) Amendment Regulations, 2020.	27.08.2020
9.	Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Amendment Regulations, 2020 prescribing the revision of label declaration on the package of food which is permitted to contain the sweetener.	16.09.2020
10.	Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2020 w.r.t the standards of raw edible oil, multi-source edible vegetable oil, dehydrated vegetables, protein rich atta, multigrain atta, mixed millet flour, revised standards of honey, requirements for animal feed, dry sweet basil, hemp seed, use of food additives in iced tea, microbiological standards for food grain etc.	26.10.2020
11.	Food Safety and Standards (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose, Functional Foods and Novel Foods) Amendment Regulations, 2020.	29.10.2020
12.	Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Amendment Regulations, 2020 w.r.t the standards of fortified milk powder.	10.11.2020
13.	Food Safety and Standards (Import) Amendment Regulation, 2020 related to inclusion of registration and inspection of foreign food manufacturing facilities.	10.11.2020
14.	Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Amendment Regulations, 2020 w.r.t labelling of multi-sourced edible vegetable oils.	10.11.2020
15.	Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2020 to prohibit blending in Mustard Oil.	10.11.2020
16.	Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Amendment Regulations, 2020.	17.11.2020
17.	Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Amendment Regulations, 2020 for making fortification of edible oil and milk mandatory in India.	04.12.2020
18.	Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2021 w.r.t. non-transparent packaging material for water.	18.01.2021
19.	Food Safety and Standards (Import) Amendment Regulations, 2021 related to sampling of food imported for captive use or production of value added products for hundred percent exports.	04.03.2021

Table 8 - List of Principal Regulations notified by FSSAI currently in force

S. No.	Principal Regulations currently in force
I.	Food Safety and Standards Regulations
1.	Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011.
2.	Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011.
3.	Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011.
4.	Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011
5.	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011.
6.	Food Safety and Standards (Laboratory and Sampling Analysis) Regulations, 2011.
7.	Food Safety and Standards (Food or Health Supplements, Nutraceuticals, Foods for Special Dietary Uses, Foods for Special Medical Purpose, Functional Foods and Novel Food) Regulations, 2016.
8.	Food Safety and Standards (Food Recall Procedure) Regulations, 2017.
9.	Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017.
10.	Food Safety and Standards (Approval for Non-specified Food & Food Ingredient) Regulations, 2017.
11.	Food Safety and Standards (Organic Food) Regulations, 2017.
12.	Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018.
13.	Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018.
14.	Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018.
15.	Food Safety and Standards (Recognition and Notification of Laboratories) Regulations, 2018.
16.	Food Safety and Standards (Advertising & Claims) Regulations, 2018.
17.	Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018.
18.	Food Safety and Standards (Recovery and Distribution of Surplus Foods) Regulations, 2019.
19.	Food Safety and Standards (Safe food and balanced diet for children in school) Regulations 2020.
20.	FSS (Labelling and Display) Regulations, 2020.
21.	FSS (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2020.

S. No.	Principal Regulations currently in force
II.	Transaction of Business Regulations
1.	Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business at its Meetings) Regulations, 2010.
2.	Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of Central Advisory Committee) Regulations, 2010.
3.	Food Safety and Standards Authority of India (Procedure of Scientific Committee and Scientific Panels) Regulations, 2010.
III.	Administrative Regulations
1.	Food Safety and Standards Authority of India (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2013
2.	Food Safety and Standards Authority of India (Recruitment and Appointment) Regulations, 2018
IV.	Rules
1.	The Food Safety and Standards Rules, 2011.
2.	Food Safety and Standards Authority of India (Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2008

Table 9 - List of Ongoing Research Projects

Sl. No.	Project Title	Name of the Organisation	Sanctioned Budget in Rupees in lakhs and duration
1.	Development of standard protocols and molecular tools for fish food authentication for food safety and quality assurance.	ICAR-Central Inland Fisheries Research Institute, Kochi	29.12 02 years
2.	Nutritional quality and safety evaluation of common processed products of grapes.	ICAR- National Research Centre for Grapes, Pune	30.74 02 years
3.	Estimation of Carcinogenic and Mutagenic compounds in processed meat.	National research Centre on Meat, Hyderabad	50.00 02 years

Sl. No.	Project Title	Name of the Organisation	Sanctioned Budget in Rupees in lakhs and duration
4.	Monitoring of heavy metal in finfish and shellfish species along the Indian Coast and possible mitigation measures.	ICAR-Central Inland Fisheries Research Institute, Kochi	50.00 02 Years
5.	Short term study for generation of the occurrence data of heavy metals in chocolate and cocoa products.	National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM), Sonipat.	36.97 40 days

Table 10 - List of Completed Research Projects reviewed by the National Steering Committee (NSC) & recommended for final closure

Sl. No	Project Title	Name of the Organisation	Sanctioned Budget in Rupees in lakhs
1.	Occurrence of acrylamide, a heat induced food toxicant, in processed food products of India; Mitigation strategies and health risks.	CSIR- National Institute for interdisciplinary Science and Technology (NIIST)	27.68
2.	Kunitz Trypsin Inhibitor & Phytic Acid in Soybean: Assessment of various methods of estimation & profiling of commercial varieties, promising Germ plasm and Soy-based products in India.	ICAR- Indian Institute of Soybean Research, Indore.	37.80
3.	Functional components and antioxidants analysis of citrus fruit for its potential application in food industry.	ICAR- Central Citrus Research Institute, Nagpur	35.84
4.	Assessment of the Quality of Vegetable Oils while frying and formulation of safety guidelines for fried oils for repeated frying.	CSIR- Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad.	22.92

Sl. No	Project Title	Name of the Organisation	Sanctioned Budget in Rupees in lakhs
5.	Comparative studies of artificially ripened fruits ripened with various artificial ripeners for identification of changes in chemical composition and the residues of artificial ripeners.	CSIR- Indian Institute of Chemical Technology (IICT), Hyderabad.	37.16
6.	Species identification to check adulteration of cheaper quality meat in meat.	ICAR- National Research Centre on Meat, Hyderabad.	40.50
7.	Generation of Data on Pesticide Residues and Metal Contaminants in Edible Vegetable oils of different regions.	CSIR- Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad.	29.12
8.	Development of novel methodologies for the identification and quantification of oils in blended, interesterified and adulterated oils based on triglyceride structure, fatty acid composition and minor constituents.	Centre for Lipid Research, CSIR- Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad	26.16
9.	Application of DNA bar coding to detect contamination and substitution form different herbal products available in the market.	CSIR- North East Institute of Science and Technology, Assam	50.00
10.	Validation and Standardization of the GC analysis method given in ISO 17678:2010 for determination of milk fat purity in bovine milk other than cow's milk	National Dairy Research Institute, Karnal	31.64

Table 11 - List of Completed/Closed Research Projects

Sl. No	Project Title	Name of the Organisation	Sanctioned Budget in Rupees in lakhs
1.	Assessment of total implication of khesari dal on human health	National Institute of Nutrition, Hyderabad	03.50
2.	Experimental Neurolathyrism in Goats	National Institute of Nutrition, Hyderabad.	45.21
3.	Assessment of consumption of Processed & Non processed foods in India	National Institute of Nutrition, Hyderabad	01.73
4.	Pesticide and Antibiotic Residues in fish and fisheries projects: Evolving framework for fixation of MRLs	ICAR- Central Institutes of Fisheries Technology, Kochi	01.50
5.	Assessment of chemical contaminants in fresh/packageged/ bottled tender coconut water	Food and Drug Toxicology Research Centre, National Institute on Nutrition (ICMR), Hyderabad	14.09
6.	Study to generate baseline data on the occurrence of metals contaminants (Iron, Lead, Copper, Cadmium, Chromium, Manganese, Nickel and Zinc) in vegetables.	Collaborative project: i. Export Inspection Agency, New Delhi ii. Punjab Biotechnology Incubator, Mohali iii. Export Inspection Agency (EIA) -Kolkata Laboratory iv. EIA- Mumbai Laboratory v. EIA- Chennai Laboratory vi. University of Agricultural Sciences, Raichur.	99.00


Food Safety Compliance



4.1 Licensing/Registration

- 4.1.1** All Food Business Operators (FBOs) in the country are required to be registered or licensed under Section 31 of the Food Safety & Standards Act, 2006 to commence or carry on any food business. The Food Safety and Standards (Licensing and Registration) Regulations, 2011 regulate the procedure for grant of licence and registration to FBOs. The licence /registration are issued as per the prescribed eligibility criteria for Central Licence, State Licence and Registration. In case of Central/State Licence, a Unique License Number is granted for different kinds of businesses for carrying out food business at a particular premise for which licence has been granted. The FBOs are required to buy and sell food products only from, or to, licensed/registered vendors and maintain record thereof.
- 4.1.2** Eligibility Criteria for Central or State Licence/Registration is available at FSSAI web link <https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/KindofBusinessEligibility.pdf>
- 4.1.3** The number of FBOs applying for registration and license under the Food Safety and Standards Act, 2006 has increased significantly in the last few years as a result of concerted efforts made in this regard. Till 31st March, 2021, 84,970 Central licences have been issued to the Food Business Operators by the Central Licensing Authorities (CLAs), which is an increase of about 45% compared to the previous year. Similarly, as on 31.03.2021, 17, 07,190 licences and 74, 65,125 registrations have been issued by Licensing Authorities of States/Union Territories which is an increase of about 31% in State license and 21% in registrations as compared to the previous year. Year-wise progress in issuance of Central/State licenses and registrations is given in Table 12.

Table 12 - Year-wise progress in issuance of Central/State License and Registration

Year	Central License	State License	Registration
2013-2014	14,610	4,66,057	20,73,405
2014-2015	19,250	5,52,113	23,78,082
2015-2016	24,917	7,08,664	27,64,600
2016-2017	30,413	7,92,780	30,39,762
2017-2018	37,405	7,83,832	31,90,371
2018-2019	46,851	10,44,992	47,97,997
2019-2020	58,538	12,99,887	61,46,239
2020-2021	84,970	17,07,190	74,65,125

Figure 6 - Diagrams reflecting change in numbers of license and registration over the years




4.1.4 Digital Mitra Scheme under Food Safety Mitra Scheme seeks to create an ecosystem of facilitators assisting Food Business Operators(FBOs) in filing their application for FSSAI Registration/License by offering standardized door-step services at low cost. Out of 12,640 persons registered for training and assessment, 761 Digital Mitra successfully completed the process and were certified till 31st March, 2021.

4.2 FoSCoS

4.2.1 Food Licensing and Registration System(FLRS), introduced in 2012, was one of the main software applications for licensing and registration of FBOs and was in operation in all States/UTs. Further, FLRS had been rolled out in all the 16 zones of Indian Railways. On the basis of inputs and feedback from FBOs and regulatory staff, several gaps were identified both in the Regulations relating to licensing and registration and in the IT platform. Taking into consideration the feedback and Government's emphasis on ease of doing business without, however, compromising food safety, comprehensive changes in the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 were proposed and draft FSS (Licensing and Registration of Food Businesses) Amendment Regulations, 2011 were notified on 17th November, 2020. Comments received from Stakeholders have been compiled. Simultaneously, FLRS online system has been replaced with revamped Food Safety and Compliance System (FoSCoS) across the country from 1st November, 2020.

4.2.2 FoSCoS functions on cloud based server with upgraded software and hardware and aims to resolve the often reported issue of slowness of existing FLRS portal. FoSCoS essentially has the same flows as FLRS, so that users have convenience in using FoSCoS. The cardinal change is the methodology of licensing for manufacturers which now shall be based on standardised product list. Mandatory documents have been rationalised with reference to Kinds of Business and many paper based declarations have been replaced with online declaration which would promote ease of doing business for the food business operators. FoSCoS is envisaged to be the one-stop 'Compliance Portal' for food safety and, in future, will be escalated to have more modules for functional needs. Some of the modules such as audit module, online Return filing module, Hygiene Rating etc. have already been integrated with FoSCoS. New version of FoSCoRIS App 2.0 has also been fully integrated with FoSCoS bringing efficiency and transparency in inspections.

4.3 Administrative setup of enforcement machinery in States/UTs

4.3.1 Chapter VII of the FSS Act, 2006 contains provisions relating to enforcement of the Act. The State/UT Governments are primarily responsible for the enforcement

of the FSS Act, 2006 in their respective jurisdictions through the institution of the Commissioner of Food Safety. The team under the Commissioner of Food Safety includes Designated Officers (DOs) and Food Safety Officers (FSOs). Food Safety Commissioners (FSCs) have been appointed by all States/UTs. They undertake the task of licensing /registration and enforcement through DOs and FSOs. Adjudicating machinery includes Adjudicating Officers (AOs) and Appellate Tribunals, besides Special Courts and Ordinary Civil Court. The details of the administrative set-up of enforcement machinery in various States/UTs are given in Table 13.

4.4 Enforcement of the FSS Act

- 4.4.1** The implementation and enforcement of FSS Act, 2006 and Rules and Regulations made thereunder primarily rests with the State/UT Governments. Regular surveillance, monitoring, inspection and random sampling of food products are undertaken by the officials of Food Safety Departments of the respective States/ UTs to check that the food products comply with the laid down standards. In cases where the food samples are found to be non-conforming, recourse is taken to penal provisions under Chapter IX of the FSS Act, 2006. Details of samples analysed, found non-conforming to the prescribed standards and norms and penal action taken during the year 2020-21 is at Table 14.
- 4.4.2** To bring transparency in food safety inspection and sampling, FSSAI has introduced digital inspection by developing web based mobile App called Food Safety Compliance through Regular Inspection and Sampling System (FoSCoRIS). It can be used with hand held device like Mobile phones, Tablets and Desktops as well. FoSCoRIS replaces manual Inspection and serve as an empowering tool not only for Inspection but also for monitoring, data collection and data analysis in real time basis. FoSCoRIS enables senior officials to view details of the officers conducting inspections, their geographical location, food premises being inspected etc. The Inspecting Officers are able to capture the images and upload the same in the system. All State Authorities have been advised to conduct inspections only through FoSCoRIS App. Any inspection conducted without FoSCoRIS app shall be fed into the system within 48 hours of completion of inspection. This would help in building national database of the inspections conducted and would lay foundation for risk based inspection scheduling in the time to come.
- 4.4.3** During the year 2020-21, 60,222 inspections of food businesses have been carried out through FoSCoRIS which is about 11 times more than FoSCoRIS based inspections carried out in the previous year.

- 4.4.4** In order to improve interface with the States/UTs, FSSAI is conducting Video Conferencing (VC) Sessions with the officers of Food Safety Departments of States/UTs. Normally, a video conference session is organised on a weekly basis with one State/UT at a time. State specific issues and workable solutions to these issues are discussed in these interactions. During the year 2020-21, FSSAI conducted 27 Video Conference Sessions with various States/UTs.
- 4.4.5** FSSAI has also increased interaction with States by participating in the State Level Advisory Committee meetings and through highest level visit to discuss food safety issues and to take stock of implementation of various initiatives of FSSAI for improving the Food Safety eco-system.
- 4.4.6** During the year 2020-21, four meetings of Central Advisory Committee were held wherein Food Safety Commissioners and other officials of States/UTs, various Ministries and Departments besides FSSAI, participated and discussed food safety related issues.
- 4.4.7** Surveillance is an integral part of Regulatory Compliance and States/UTs regularly conduct surveillance activities and carry out intensive surveillance drives as per their surveillance plans. FSSAI has shared an Annual Surveillance Plan with States/UTs with flexibility to chalk out their annual surveillance plan taking into account certain factors like geographical location, availability of food items, active/specific surveillance drives during festivals or specific occasions, degree of risk associated with food commodities etc. Based on the activities done in their respective areas, States and UTs are submitting surveillance reports to FSSAI from time to time. This plan and surveillance reports have subsequently been followed up in various Central Advisory Committee meetings, Video Conferences, and other meetings with Food Safety Commissioners of States and UTs.

4.5 COVID19- related steps

- 4.5.1** To ensure uninterrupted food services/supply and to facilitate food business operators in logistic supply chains during the lockdown period, FSSAI reiterated and clarified that import clearances of food items and testing services by FSSAI's notified laboratories (including both public and private laboratories) are essential services.
- 4.5.2** Further, FBOs, other than manufacturers, were temporarily allowed to operate their businesses on the basis of application having 17-digit Application Reference Number (ARN) generated upon online application and fee payment. FBOs, whose FSSAI license/

registrations were expiring were allowed to continue their food businesses with their existing license/registration without any late fee. Compliance regarding filing of statutory Half-yearly/Annual Returns was also deferred. No routine inspections were to be done except in case of high risk food products etc. Where feasible, inspections could be done by e-inspection. Various reliefs to FBOs were extended upto 31st December, 2020.

4.6 Guidelines for collection of Used Cooking Oil (UCO)

Repurposed Used Cooking Oil (RUCO) is an initiative to ensure that unhealthy used cooking oil does not re-enter the food value chain and is converted into bio-diesel. FSSAI has issued guidelines for collection of Used Cooking Oil (UCO) by Biodiesel Manufacturers from Food Business Operators. The guidelines provide terms and conditions for enrolment of Biodiesel Manufacturers for collection of Used Cooking Oil (UCO) from Food Business Operators (FBOs) through its authorised collection agencies. During the year 2020-21, 14 more Biodiesel Manufacturers across the country were enrolled for collection of Used Cooking Oil (UCO) from Food Business Operators raising the number of enrolled Biodiesel Manufacturers to 29.


4.7 Food Safety Smart Jacket

Food Safety Smart Jacket has been conceptualized and designed by FSSAI in collaboration with National Institute of Fashion Technology (NIFT), as a mark of professional identity for all the Food Safety Officers across the country. It will usher in enhanced *efficiency, professionalism & transparency* in the system of Food Safety Ecosystem, apart from bringing *visibility* of FSOs in the country. Food Safety Smart Jacket have proviso of RFID Tag, Camera, QR Code to make system more transparent. Till 31st March, 2021 orders were placed by FSSAI with vendors for supply of 3160 smart jackets to 12 States for being provided to FSOs (2 for each FSO).

4.8 State Food Safety Index (SFSI)

4.8.1 FSSAI has developed State Food Safety Index to measure the performance of states on various parameters of Food Safety. The Index is a dynamic quantitative and qualitative benchmarking model that provides an objective framework for evaluating food safety across all States/UTs. This index is based on performance of a State/UT on five significant parameters, namely; Human Resource and Institutional Data; Compliance; Food Testing Infrastructure & Surveillance; Training and Capacity Building; and Consumer Empowerment. Weightage pattern of these parameters are as under:

4.8.2 FSSAI released the Second State Food Safety Index 2019-20 on 7th June, 2020 on the occasion of 2nd World Food Safety Day. For the year 2019-20, among the larger States,



Gujarat was the top ranking State, followed by Tamil Nadu and Maharashtra. Among the smaller States, Goa came first followed by Manipur and Meghalaya. Among UTs, Chandigarh, Delhi and Andaman Islands secured top ranks. The Index is available on FSSAI web link https://fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Report_State_Food_Safety_Index_08_06_2020.pdf

4.9 MoU between FSSAI and States/UTs for Strengthening of Food Safety Eco-system in the Country

FSSAI has signed Memorandum of Understanding (MoU) with States/UTs for strengthening of food safety eco-system in the country by way of assisting States/UTs in having necessary infrastructure for enforcement and compliance, equipping labs with testing equipments and in mobilizing resources for carrying out special camps, inspections, awareness drives, etc.. Under the MoU frame work, financial and technical assistance is provided to the States/UTs as per approved work-plan proposals. During the financial year 2020-21, work plan proposals highlighting the areas where both technical and financial support is required were finalised with 24 States/UTs and an amount to the tune of Rs 64.66 crore was released

4.10 Third Party Audit for FSMS compliance

4.10.1 Section 44 of the Food Safety and Standards Act, 2006 empowers Food Authority to recognize an organization or an agency for carrying out food safety audit and checking compliance with the Food Safety Management Systems. Section 16(2)(c) of

the FSS Act empowers Food Authority to frame regulations to specify the mechanisms and guidelines for accreditation of certification bodies engaged in certification of Food Safety Management Systems (FSMS) for food businesses. Accordingly, FSSAI has notified Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018 on 28th August, 2018 and has recognized 29 food safety auditing agencies upto 31st March, 2021 under various scopes of auditing.

- 4.10.2** In pursuance of Part III, Section 8(1) of the FSS (Food Safety Audit) Regulations 2018, the food businesses holding Central Licenses and falling in six high-risk categories/ kind of businesses namely (i) Dairy products and analogues, excluding products of food category 2.0;(ii) Meat and meat products including poultry;(iii) Fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms; (iv) Eggs and egg products; (v) Foodstuffs intended for particular nutritional uses (e.g. Food for infant nutrition etc); and (vi) Prepared Foods (catering etc) have been mandated for auditing by the food authority *vide* order dated 13th August, 2019. However, keeping in view the situation arising due to COVID-19 pandemic, the last date for mandatory audit of premises of FBOs was extended up to 31st December, 2020.
- 4.10.3** Considering the role of slaughter houses in ensuring supply of clean and safe meat, FSSAI is conducting food safety audit of all Central and State licensed slaughter houses (approx 300 FBOs) through an agency M/S RIR Certification Pvt. Ltd, recognised by FSSAI. Till 31st March, 2021, audits were completed in 157 slaughter houses and audit report of these slaughter houses have been shared with the States/ UTs. This will help the States/ UTs to get an insight into the functioning of these slaughter houses and take appropriate steps in ensuring food safety and hygiene at these establishments.
- 4.10.4** A lot of hygiene and sanitary issues are reported with regard to sweet (halwai/ mithai) shops, meat shops etc. In view of this, each State/ UT was requested to nominate a city wherein FSSAI would reimburse the cost of audits conducted for 20/50 shops each of sweet/ meat shops depending on the area of State. The audit would help ascertain the compliance of standards of food safety and hygiene prescribed under Schedule IV of the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Business) Regulations, 2011 by sweet/meat shop owners. Gaps identified in audit would enable these shops to improve on their hygiene practices and provide safe food to general public at large. Based on the audit score, the agencies also provide hygiene rating to these shops. Till end of the year 2020-21, audits were conducted in 396 meat shops and 429 sweet shops.

4.11 Hygiene Rating Scheme

- 4.11.1** Under Hygiene Rating Scheme, food establishments are given a rating on a scale of 1-5 (in smiley symbols) for their hygiene and food safety compliance. This scheme encourages food businesses to ensure high standards of hygiene and sanitation and allows consumers to make informed food choices. This scheme is currently applicable to Food Service Establishments (such as restaurants, cafes, diners and other eating places); Sweet Shops; Bakeries; and Meat Shops.
- 4.11.2** Comprehensive checklists have been created based on the criteria a food business needs to meet hygiene and sanitation standards as per Schedule - IV of FSS (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011. The food business is then audited based on this checklist and awarded a rating by a Hygiene Rating Audit Agency. A certificate is generated based on this rating which may be displayed for consumers at the premises. This helps consumers identify if the place is hygienic or not. A rating of 3 and above is considered a 'Good Rating'.
- 4.11.3** FSSAI has recognised 29 Third Party Audit Agencies and over 12 other agencies for conducting Hygiene Rating Audits. There are more than 200+ trained hygiene rating auditors conducting hygiene rating audits across the country. Quality Council of India (QCI) has developed a scheme for recognising Hygiene Rating Audit Agencies who will be specifically involved in conducting Hygiene Rating Audits in the country and scale up the process.
- 4.11.4** In the year 2020-21, 2995 food establishments enrolled for the Hygiene Rating Scheme out of which 1790 successfully completed the Hygiene Rating Process.

4.12 Grievance Redressal Mechanism- "Food Safety Connect"

- 4.12.1** FSSAI has an online grievance portal namely 'Food Safety Connect' where a consumer can register complaint relating to the food articles, including presence of harmful chemicals in food items. The portal to register complaint can be accessed at <https://foscoss.fssai.gov.in/consumergrievance>. Complaints/Concerns of consumers and FBOs received by FSSAI through various other channels (Web Portal & Mobile App, Help desk, Emails, WhatsApp, Twitter, Facebook, INGRAM – National Consumer Helpline portal, PMOPG, posts etc.) are also consolidated by FSSAI into a single portal i.e. Food Safety Connect Portal. A unique code is generated against each lodged complaint/concern, prioritized according to their risks and then forwarded to concerned State Designated Officers and FBOs for necessary action as per provisions of FSS Act, 2006, Rules and Regulations made thereunder. Proper disposal of concerns are regularly monitored and taken up with Commissioners of Food Safety, States/UTs through Quarterly Reports, performance review of States/UTs and periodical Central Advisory Committee Meetings.

- 4.12.2** During the year 2020-21, 3,182 grievances were registered on the 'Food Safety Connect' Consumer Grievance Portal and taken up with concerned authorities for necessary action.
- 4.12.3** To address the queries of consumers, Food Business Operators and other stakeholders, FSSAI has a dedicated helpline (Toll Free No. 1800112100). During the year 2020-21, 2,95,679 customer calls were attended at the Helpdesk.

4.13 Initiatives undertaken during the year towards Ease of Doing Business

4.13.1 *Discontinuation of submission of Annual Return in physical form-*

Food Business Operators engaged in manufacturing and import kind of businesses were required to submit Annual Returns in physical mode which quite often resulted in loss of these Returns during transit and/or late receipt of Returns to concerned Licensing Authority. Non-receipt of Annual Return/Half Yearly Return on due date attracts penalty even though FBO may have filed it earlier and sent it by speed post/courier. Keeping the same into account, FSSAI has completely done away with physical submission of Annual Return/Half Yearly Return by making provision for their online submission.

4.13.2 *Operationalization of online license/registration fee payment mode for States/UTs –*

It was noted that Food Business Operators(FBOs) were facing difficulties in making payment for State food license/registration because most of the States/UTs were accepting fee only through Treasury Challan for which FBOs had to visit different Bank Branches that accept Treasury Challan. Considering the difficulties faced by FBOs, FSSAI opened a Central Pool Account wherein the FBOs applying for State License and State Registration were able to submit their fee online in Central Account which transfers the amount to the respective States/UTs in the account provided by them on regular basis (T+1).

4.13.3 *Integration of Second Payment Gateway-*

At present, only one Payment Gateway i.e. RazorPay payment gateway has been implemented nationally, in the FoSCoS. Since October 2020, the payment gateway has been working with minimal issues. To provide redundancy in the payment system and a choice to user, integration of 2nd Payment Gateway has been proposed. PayUBiz payment gateway has been identified as the 2nd Payment Gateway which is already engaged with FSSAI and integrated in FLRS and FoSCoS for collection of Central License fee. Now, it will be integrated as per the methodology similar to RazorPay where the funds pertaining to State License and Registration will be centrally pooled in FSSAI's Bank of Baroda Account and then remitted to respective States' Account on T+1 basis.

4.13.4 *Closure of State Specific payment gateways in Delhi, UP, MP, Tamil Nadu, West Bengal and Kerala-*

Multiple payment gateways not only create the problem of managing numerous codes in a national system but also clutter the system in communicating with several payment gateways and implementing schedulers for updating payments as per the requirement of individual payment gateway. Any change also becomes difficult to implement and is prone to errors. These States have been requested to accord their consent for closure of State-specific payment gateways and completely switch to uniform payment gateway implemented nationally.

4.13.5 *Mandatory Inspections through FoSCoS/FoSCoRIS App-*

All State Authorities have been advised to conduct inspections only through FoSCoRIS App. Any inspection conducted without FoSCoRIS app shall be fed into the system within 48 hours of completion of inspection. This would help in building national database of the inspections conducted and would lay foundation for risk based inspection scheduling in the time to come.

4.13.6 *Availability of Customised reports for enforcement agencies*

With the launch of FoSCoS, a comprehensive search tool has been provided to authorities through which they can search for status of applications at any stage, issued licenses and registrations. They also have easy access to database of expired licenses and registrations for initiating enforcement activities.

4.13.7 *Availability of Audit Reports on FoSCoS*

Audit Management System (AMS) has been developed by FSSAI for submission of Audit Reports of audits conducted by FSSAI recognized Third Party Auditing Agencies. To make the availability of these audit reports to the enforcement authorities for further action (if any), AMS has been integrated with FoSCoS. All audit agencies were asked to feed the reports of audit conducted in 2019-20 and 20-21 in the portal by end of January, 2021. Thus, now onwards the audit reports of third party audit agencies will be available to FBOs and Regulator instantly and seamlessly through FoSCoS interface.

4.13.8 *Time window for renewal of License/Registration*

Earlier, 120 days window were given to food business operators to renew their license/registration prior to date of renewal which is now increased to 180.

4.14 Going ahead

- (a) A comprehensive revision of Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 through amendment is under process. Draft

Amendment of FSS (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 have been notified on 17.11.2020. Stakeholders' comments have been compiled. These Amendment Regulations are expected to be finalised and notified shortly.

- (b) Addition of further functionalities in FoSCoS for strengthening of compliance by Food Businesses.
- (c) To establish a wide network of accreditation and certification agencies for audit and checking compliances with FSMS.
- (d) Increase in Licensing and Registration coverage.
- (e) Focussed sampling, inspection and enforcement activities.

Table 13 - Administrative Setup of enforcement machinery in States/UTs under FSS Act, 2006 (as on 31.03.2021)

S. No.	Name of State	FSC	No. of AOs	No. of FSOs		No. of DOs		Status of Appellate Tribunal
				Full Time	Part Time	Full Time	Part Time	
1	Andaman & Nicobar Islands	1	3	3	0	14	0	Yes
2	Andhra Pradesh	1	13	13	0	44	4	Yes
3	Arunachal Pradesh	1	25	1	24	3	0	Yes
4	Assam	1	33	0	4	32	0	Yes
5	Bihar	1	38	0	14	14	0	No
6	Chandigarh	1	1	1	0	5	0	Yes
7	Chhattisgarh	1	27	0	28	57	0	Yes
8	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	1	3	3	0	3	0	Yes
9	Delhi	1	11	8	0	15	0	Yes
10	Goa	1	2	2	0	20	0	Yes
11	Gujarat	1	33	24	14	192	0	Yes
12	Haryana	1	22	6	0	15	0	Yes
13	Himachal Pradesh	1	11	12	0	16	0	Yes
14	Jammu & Kashmir	1	20	20	0	63	0	Yes

S. No.	Name of State	FSC	No. of AOs	No. of FSOs		No. of DOs		Status of Appellate Tribunal
				Full Time	Part Time	Full Time	Part Time	
15	Jharkhand	1	24	45	0	21	0	No
16	Karnataka	1	30	23	13	44	186	No
17	Kerala	1	27	14	0	127	0	Yes
18	Ladakh	1	2	1	0	1	0	No
19	Lakshadweep	1	1	0	0	0	13	No
20	Madhya Pradesh	1	52	0	51	160	0	Yes
21	Maharashtra	1	7	50	0	215	0	Yes
22	Manipur	1	16	11	0	22	0	Yes
23	Meghalaya	1	11	3	8	8	3	Yes
24	Mizoram	1	8	0	3	2	7	No
25	Nagaland	1	11	3	0	7	0	No
26	Odisha	1	36	3	34	30	0	Yes
27	Puducherry	1	2	1	0	2	0	Yes
28	Punjab	1	25	11	11	51	0	Yes
29	Rajasthan	1	40	0	34	0	58	Yes
30	Sikkim	1	4	3	0	4	0	No
31	Tamil Nadu	1	37	32	0	271	0	Yes
32	Telangana	1	31	8	0	37	0	Yes
33	Tripura	1	8	0	9	3	0	Yes
34	Uttarakhand	1	13	11	0	29	0	Yes
35	Uttar Pradesh	1	75	73	0	574	0	Yes
36	West Bengal	1	23	28	0	160	0	Yes
Total			725	413	247	2,261	271	

Note: FSC=Food Safety Commissioner, AO=Adjudicating Officer, DO=Designated Officer, FSO=Food Safety Officer.

Table 14 - State-wise details of samples analysed, found non-conforming to the prescribed standards and norms and action taken during the year 2020-21

S. No.	Name of State/UT	No. of Samples Analysed	Total number of Samples found non-conforming	Break up of Non Conforming Samples			Civil Cases			Criminal Cases		
				Unsafe	Sub Standard	Labelling defects/ Misleading/ Miscellaneous	No. of cases launched	No. of cases decided	Penalties Raised (Rs.)	No. of cases launched	No. of cases decided	Penalties Raised (Rs.)
1	Andaman & Nicobar Island	700	0	0	0	0	16	16	321500	0	0	0
2	Andhra Pradesh	2329	383	45	168	170	223	291	2173000	31	8	75000
3	Arunachal Pradesh	169	15	1	4	10	1	15	173000	1	0	0
4	Assam	672	109	19	77	13	39	11	682000	2		0
5	Bihar	1224	144	66	26	52	100	55	615000	12	0	0
6	Chandigarh	292	32	6	18	8	42	54	740000	15	0	0
7	Chhattisgarh	834	165	32	92	41	246	163	3844000	28	0	0
8	Dadara & Nagar Haveli and Daman & Diu	75	1	0	1	0	11	11	38500	0	0	0
9	Delhi	1509	214	46	49	119	243	30	1294000	66	58	1470000
10	Goa	329	31	8	22	1	1	2	1742000	0	0	0
11	Gujarat	13284	1056	71	688	297	899	543	40041000	41	11	30001
12	Haryana	2596	696	97	363	236	651	481	5040028	103	1	500
13	Himachal Pradesh	1568	420	17	99	304	204	34	1068025	14	5	0
14	Jammu & Kashmir	4094	871	48	443	380	1554	330	4595800	32	2	0
15	Jharkhand	581	216	97	43	76	204	54	1350200	65	0	0
16	Karnataka	5217	319	77	101	141	151	21	168200	47	4	61100
17	Kerala	6971	1020	543	216	261	422	445	5914800	274	7	55000
18	Ladakh	0	0	0	0	0	18	18	174100	0	0	0
19	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Madhya Pradesh	10886	2162	92	1124	946	2228	1896	84565980	126	29	1150000
21	Maharashtra	4733	874	227	527	120	911	307	9213800	795	80	26000

S. No.	Name of State/UT	No. of Samples Analysed	Total number of Samples found non-conforming	Break up of Non Conforming Samples			Civil Cases			Criminal Cases		
				Unsafe	Sub Standard	Labelling defects/ Misleading/ Miscellaneous	No. of cases launched	No. of cases decided	Penalties Raised (Rs.)	No. of cases launched	No. of cases decided	Penalties Raised (Rs.)
22	Manipur	235	19	17	1	1	4	5	240000	0	0	0
23	Meghalaya	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Mizoram	23	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
25	Nagaland	60	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
26	Odisha	1037	272	53	164	55	131	96	679500	33	0	0
27	Puducherry	5	1	1	0	0	22	20	142000	0	0	0
28	Punjab	6721	873	77	582	214	966	972	15220500	64	7	103000
29	Rajasthan	7343	2054	339	1100	615	584	337	6963600	56	0	0
30	Sikkim	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Tamil Nadu	10766	3443	1221	651	1571	1463	1368	16273500	557	235	4769500
32	Telangana	894	98	16	47	35	44	22	205000	14		
33	Tripura	17	6	1	4	1	0	0	0	0	0	0
34	Uttar Pradesh	20613	12479	1921	6513	4045	12514	7810	291410300	1486	72	483500
35	Uttarakhand	905	255	9	239	7	285	118	4101000	6	0	0
36	West Bengal	1067	116	73	30	13	18	7	233000	1	1	100000
Total		107829	28347	5220	13394	9733	24195	15532	499223333	3869	520	8323601
										Total penalty-		507546934

Food Testing and Surveillance

5.1 Notification of Food Testing Laboratories

5.1.1 As per Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006, FSSAI is to foster an ecosystem for testing of food at food laboratories for compliance with the food safety standards. Food testing ecosystem serves the following major functions:

- Analyse and test foods/food commodities (domestic as well as imported) against the prescribed quality and safety parameters and enable enforcement of food laws/regulations.
- Assist in market surveillance activities to ensure that the food products being sold are standardized and are sold in compliance with the standards prescribed.
- Be a part of the risk assessment framework including those during food related incidences and in turn aid in development of food standards or guidance documents.
- Be an integral part of the network to harmonize, develop or validate testing methods.
- Create awareness about food testing and food standards, especially among the consumers.

The food testing laboratories can be used by the regulators, consumers and food business operators to ensure compliance of food laws at all levels.

5.1.2 As per Section 43 (1) of FSS Act, 2006, the Food Authority may notify food laboratories and research institutions accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or any other accreditation agency for the purposes of carrying out analysis of samples by the Food Analysts under this Act.

5.1.3 As per Section 43 (2) of FSS Act, 2006, the Food Authority shall establish or recognize by notification referral food laboratories to carry out the functions entrusted to the referral food laboratory by the Act or any rules and regulations made thereunder.

5.1.4 In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 16 read with Section 43 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India notified the Food Safety and Standards (Recognition and Notification of Laboratories)

Regulations, 2018 in November, 2018. The *ibid* Regulations cover all the procedural requirements for the recognition and notification for laboratories such as types of laboratories, criteria for recognition and notification, renewal, audit & investigation, obligations of the laboratories, suspension, de-recognition, audits, etc.

- 5.1.5** In order to foster ease of doing business; to bring about transparency; and, to have a proper system for reviewing and monitoring the activities of food laboratories on a single platform and thereby improving the quality of food testing in the country, the Food Authority is now recognizing food laboratories only through the unified approach of laboratory accreditation/recognition/ approval system of National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), which also has other regulators viz. Export Inspection Council (EIC), The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Tea Board, Indian Oilseed and Produce Export Promotion Council (IOPEPC).
- 5.1.6** State Food Testing Laboratories (SFTLs) were continuing under transition provision of Section 98 of FSS Act, 2006 for more than 10 years without having NABL accreditation, which is the primary criteria to be a food laboratory under FSS Act, 2006. However, after repeated requests, when even the process for obtaining NABL accreditation was not started by some labs, it was decided to discontinue such labs. Accordingly, 39 SFTLs have been discontinued from the ambit of Section 98 of FSS Act, 2006, with effect from 31st December, 2020. These will be re-instated as and when these obtain NABL Accreditation. However, those non-accredited SFTLs which had initiated process for NABL accreditation have been allowed to continue under Section 98 of the Act.
- 5.1.7** During the year 2020-21, 2 SFTLs viz. State Public Health Laboratory, Guwahati and State Central Public Health Laboratory, Jaipur, which were continuing under Section 98 of FSS Act 2006, obtained NABL accreditation, and therefore, these 2 labs have been notified by FSSAI u/s 43 (1) of FSS Act, 2006. During the year, following 4 new laboratories have also been notified as food testing laboratory u/s 43 (1) of FSS Act, 2006 for primary testing of food samples–

S. No.	Name & location of laboratories
1	Vimta Labs Ltd, Noida
2	Eureka Analytical Service Pvt. Ltd., Kundli, Haryana
3	ProComm Laboratory, Vashi, Mumbai
4	Centre fo Food Research and Analysis (CFRA), NIFTEM, Kundli, Haryana

- 5.1.8** Further, Centre for Food Research and Analysis (CFRA), NIFTEM, Kundli, Haryana has also been notified as a Referral Laboratory under Section 43 (2) of FSS Act, 2006.
- 5.1.9** As on 31st March, 2021, the Food Authority had a network of 231 laboratories comprising of 212 laboratories for primary testing, recognized & notified under Section 43(1) of FSS Act, 2006 and 19 laboratories for appellate (referral) testing recognized & notified under Section 43(2) of FSS Act 2006. The sector-wise composition of all the laboratories recognized and notified by FSSAI is given at Table 15.

Table 15 - Sector-wise composition of Notified Primary and Referral Food Testing Laboratories

	Primary Food Testing Laboratories (under Section 43(1) of FSS Act 2006)	Numbers
1	State Food Testing Laboratories	17
2	Labs of Central Government Institutes/Autonomous Bodies	25
3	Private Food Testing Laboratories	151
4	State Government Laboratories under Transition Provision*	19
	Total Primary Food Testing Laboratories	212
	Referral Food Testing Laboratories (under Section 43(2) of FSS Act 2006)	
1	Labs under Central Government Institutes/Autonomous Bodies	17
2	Food Authority's Own Laboratories	02
	Total Referral Laboratories	19

(* SFTLs under the transition provision under section 98 of FSS Act 2006)

- 5.1.10** Notification of food testing laboratories by the Food Authority is a continuous process based on voluntary application of the laboratories. However, the Food Authority proposes to encourage and notify private food testing laboratories in States where none is presently available as well as increase the number of state food laboratories or notified laboratories where their number is less. State-wise number of FSSAI notified laboratories, State/Public Food Laboratories, Referral laboratories is at Table 16.

5.2 Food laboratories directly under the Food Authority

- 5.2.1** Two of the 19 Referral laboratories are under the direct control of FSSAI viz., National Food Laboratory-Ghaziabad (NFL-G) and National Food Laboratory-Kolkata (NFL-K). NFL-G has been developed as state-of-the-art model food testing laboratory on public-private-partnership (PPP) mode. Likewise, NFL-K is also being renovated and

upgraded as state-of-the-art model food laboratory.

5.2.2 FSSAI is also coming up with two more National Food Laboratories, one each at Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), Mumbai and Chennai Port Trust (CPT), Chennai on PPP mode. For this, a tender was floated and after following due procedures, the work related to setting up and operationalization of NFL, JNPT was awarded to M/s Vimta Labs Ltd., Hyderabad and that of NFL, CPT was awarded to M/s National Collateral Management Services Ltd., Mumbai. These PPP partners are in the process of establishing these NFLs at respective locations shortly.

5.3 National Reference Laboratory

5.3.1 As per Regulation 3 of Food Safety and Standards (Recognition and Notification of Laboratories) Regulations, 2018, the Food Authority may recognize any notified food laboratory or referral food laboratory as National Reference Laboratory (NRL) for the purpose of developing methods of testing, validation, proficiency testing and Training.

5.3.2 FSSAI has recognized 12 notified food laboratories as National Reference Laboratory (NRL) under Regulation 3 of Food Safety and Standards (Recognition and Notification of Laboratories) Regulations, 2018 for the functions as specified in the regulations for a period of three years from 8th August, 2019. Also, two notified food laboratories have been recognized as Ancillary National Reference Laboratory (ANRL) for acting as a support facility to all the NRLs for a period of three years from 8th August, 2019. MoU has been signed with all these 14 NRLs/ANRLs. The Handbook of Guidelines for NRLs and ANRLs containing the background, obligations, financial regulations, etc. as a part of MoU has also been shared with the laboratories. An annual grant of Rs. 25 lakh to each of NRLs and Rs. 10 lakh to each of ANRLs has been earmarked for undertaking various activities. During the year, 40% of total grant i.e. a grant of Rs. 10 lakh each to 11 NRLs (except 1 NRL i.e. EIA-Kochi for GMO analysis as FSSAI is awaiting GMO Regulations) and Rs. 4 lakh each to ANRLs was released.

5.4 Central Sector Scheme for Strengthening of the Food Testing System in the country including provision for Mobile Food Testing Laboratories

5.4.1 A Central Sector Scheme for “Strengthening of the Food Testing System in the Country including provision for Mobile Food Testing Laboratories” was approved on 31st August, 2016 by the Ministry of Health and Family Welfare with an outlay of Rs. 481.95 Crore (Rs.400.40 Crore – Non-recurring, Rs. 81.55 Crore – Recurring) for implementation during the period 2016-17 to 2018-19. The proposal for further extension of the Scheme was referred to the Government. However, pending formal

approval of the Government, some funds were released for strengthening of State/ UT primary food testing labs/referral labs. Important components of the Scheme include:

- (i) Strengthening of State Food Testing Labs;
- (ii) Strengthening of Referral labs;
- (iii) Provision of mobile food testing labs to States/UTs; and
- (iv) Capacity Building of lab personnel.

The relevant details are given in succeeding paragraphs.

5.4.2 Strengthening of State Food Testing laboratories

5.4.2.1 Under this component of the Scheme, nearly 45 State Food Testing Laboratories (SFTLs) are to be strengthened at an estimated cost of more than Rs. 12 crore per SFTL, subject to the readiness of the State/UT governments. This cost includes Rs.50 lakh towards creation/renovation of physical infrastructure for installation of three high-end equipments (HEEs) viz. GC-MSMS, ICPMS and LC-MSMS, Rs.8.50 crore for procurement of HEEs (including 7 years' manpower and 5 years' Comprehensive AMC), Rs. 60 lakh towards consumables and contingencies and Rs. 3.00 crore for setting up of a microbiology laboratory. The estimated cost for establishment of a new laboratory in North Eastern State is Rs. 3 crore.

5.4.2.2 During the period 2020-21, due to COVID 19, only a grant of Rs. 1.00 crore was released towards strengthening of SFTLs. With this, 39 SFTLs in 29 States/UTs have till now been taken up for strengthening with total released grant of Rs. 313.98 crore.

5.4.3 Strengthening of Referral Food Testing Laboratories

5.4.3.1 This component of the Scheme envisions strengthening of Referral Food Testing laboratories with high end testing facilities as per Food Safety and Standards Regulations (FSSRs). The estimated grant for upgradation of each referral laboratory is Rs. 3 crore for bridging the gap in the existing and required test facilities as per FSSRs for a few major equipment facilities.

5.4.3.2 During the period 2020-21, one more referral laboratory viz. Central/ Referral Food Laboratories, Pune was taken up for upgradation with a few high end equipments for which a grant of Rs. 4.12 crore was released. With this, a total grant of Rs. 32.20 crore have been approved till now to 11 referral laboratories for procurement of high end equipments out of which Rs. 27.66 crore has been released.

5.4.4 Provision for Mobile Food Laboratories

5.4.4.1 Under the Scheme, nearly 60 Mobile Food Testing Laboratories (MFTL) referred to as Food Safety on Wheels (FSW) [one in every 20 districts, with at least one in each State/UT] were to be provided to States/UTs across the country to address the issue of lack of food testing infrastructure in the remote areas and also cater to the basic analytical needs of consumers. These mobile laboratories are operated by the respective State/UT Governments or their agencies/NGOs etc. The estimated cost of creation of one MFTL, its refurbishment and laboratory equipment is Rs. 38.5 lakh approximately, including GST. Besides this, a recurring grant of Rs. 5 lakh/year is also being provided to States/UTs towards POL (petrol, oil and lubricants) and consumables.

5.4.4.2 FSWs are utilized for various functions such as (i) surveillance and creating awareness regarding the food safety in remote areas in the State, large public congregations, schools and consumer organizations; (ii) transporting samples picked up from remote areas to the nearest food testing laboratory; (iii) education of the consumers in various aspects of food safety laws and common hygiene practices; (iv) on the spot test facilities for qualitative adulteration of common food items like ghee, milk, khoya, sweets, edible oil, non-permitted food colours in various foods like namkeens, spices, prepared foods etc. Each FSW can test >54 parameters qualitatively across 7 different food categories. In addition, each FSW has a provision for performing simple microbiological tests if the States so desire.

5.4.4.3 Since inception of the scheme, a total of 60 FSWs were sanctioned and delivered to 32 States/UTs FSWs. Almost all the FSWs already delivered have been operationalized by the States/UTs during the period.

5.4.5 Modified Food Safety on Wheels (FSW) with more testing facilities

5.4.5.1 Towards scaling up of food testing, awareness and capacity building as per the vision document, a new version of FSW called modified FSW has been designed. A fully fabricated modified FSW (alongwith equipment, a few hand-held devices/rapid kits and microbiological testing) costing ~Rs.37 lakh (approx.) excluding GST, is being provided to States/UTs. Besides, a recurring grant of Rs.5 lakh/year for three years towards operational expenses is also being provided.

5.4.5.2 During the period, two more modified FSWs were delivered to States raising the total number of modified FSWs delivered to 30. The States to which these 30 modified FSWs have been delivered are: Arunachal Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Kerala, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Punjab and Rajasthan.

Figure 7 - Internal view of the FSW



Figure 8 - External view of the FSW



5.4.6 Capacity Building on Food Testing


5.4.6.1 Capacity building is an essential component of strengthening and up-gradation of food testing laboratories eco-system in the country. The ultimate objective of this activity is to ensure that all the state food testing laboratories attain the NABL accreditation and bring them at par with best of the laboratories in the country. All the notified laboratories, state food laboratories and referral laboratories are eligible to participate in this programme.

5.4.6.2 The COVID-19 pandemic has triggered new ways of learning. During 2020-21, total 410 online training programs were organized by FSSAI in coordination with three training centres viz. Food Safety Solution Centre (FSC); Centre for Microbiological Analysis Training (C-MAT) NFL Ghaziabad; and International Training Centre on Food Safety and Applied Nutrition (ITC-FSAN), Mumbai for various target groups where 67,285 persons participated. These included laboratory personnel of Government/private food testing laboratories, officials of Bhutan Food Regulatory Authority, Food Safety Officers of various States/UTs, food business operators, personnel from manufacturing and export industry, Students, Consumers, Chefs, Research Associates, APEDA Officials, etc.

5.4.6.3 The main objective of these online training programs was to give knowledge and information about potential chemical and microbiological hazards in the laboratory. The training included subjects like handling of common microbiological lab equipment & calibration, Standard method validation and quality control procedures, references and resources, safety data sheets (SDS), personal protective equipment, fume hoods, chemical spill response, chemical waste disposal, flammable liquids, and compressed gases, additional information about the laboratory safety management,

analysis of vitamins using LC-MS/ MS in nutraceuticals and dietary supplements and live training ICP-MS (Trace Elemental Analysis). Besides technical subjects, the training programmes also included general topics like safety of food additives and its regulation, label checks in imported foods, myth buster with regard to CoVid 19, food safety at home, training on INFoLNeT, PCQI training, Eat Right Challenges.

Figure 9 - Glimpses of online training programmes



5.5 Implementation of Sample Management System in States/UTs at district level

5.5.1 FSSAI is in the process of creating an effective network of Sample Management System (SMS) with cold chain facilities across all States/UTs of India. Under this scheme, sample collection devices are being provided to the food safety machinery at district level. The SMS has following components-

- Portable Chill Boxes and Backpack-style Sampling Bags to be utilized by the Food Safety Officers. These boxes/bags would aid in proper collection and storage of perishables that need low temperature for transportation and maintain the sample integrity as well.
- Vehicle Mountable Cold-chain enabled Boxes to be utilized by Designated Officers or Food Safety Officers. These boxes would further ensure that the samples picked-up from the fields reach the laboratory or food safety machinery as quickly as possible.

- Deep Freezers and normal storage cabinets of sufficiently large capacity (~1500 litres) to be utilized by Designated Officers for storing counter-parts of the regulatory food samples.

5.5.2 Till 31st March, 2021 SMS components have been delivered and installed in 22 States/UTs as per their readiness for implementation of the scheme and the requisitions received. These States/UTs include Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, Kerala, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal. Another eight (08) States/UTs viz. Andaman and Nicobar Islands, Odisha, Ladakh, Mizoram, Punjab, Rajasthan, Sikkim and Uttarakhand have also received the SMS components and are in the process of installation.

Figure 10 – SMS components



Compact cabinet chiller, Freezer, Ambient	Vehicle mounted freezer unit	Portable chill box	Back pack
---	------------------------------	--------------------	-----------

5.6 Manuals /Methods of Sampling and Analysis

Based on the recommendations of the Scientific Panel on Methods of Sampling & Analysis and Scientific Committee, following Manuals & methods of analysis have been approved by the Food Authority during the year:

- Revised Manual of Method of Analysis of Foods - Mycotoxins.
- Revised Manual of Method of Analysis of Foods - Oils and Fats.
- Revised Manual of Method of Analysis of Foods - Spices, Herbs and Condiments.
- Method for detection of 2-Acetylfuran-3-Glucopyranoside (AFGP)/ 3-O- α -D-Glucosyl Isomaltol, in honey by LC-MS/MS.
- Method for the estimation of $\Delta\delta^{13}\text{C}_{\text{fru-glu}}$, $\Delta\delta^{13}\text{C}_{\text{max}}$, and Foreign Oligosaccharides in Honey by Elemental Analysis (EA)/Liquid Chromatography (LC) - Isotopic Ratio Mass Spectrometry (EA/LC-IRMS).

- (vi) Method for analysis of Fortificants in Foods (Pyridoxine, Folic Acid and Zinc).
- (vii) Methods for analysis of Formulated Supplements for Children.
- (viii) Method for determination of Total Count of Pollen and Plant Elements in Honey.
- (ix) Method for determination of Iron Filings in Tea.

5.7 Surveillance Activities

5.7.1 Edible Oil Survey (BOOST-SAFE)-2020

5.7.1.1 It has often been reported that edible oils are being adulterated and sold across the country. To address this concern, FSSAI conducted a PAN-India Edible Oil Quality Survey during 25-27 August, 2020 to assess the quality of edible vegetable oils in the country and to identify the hotspots of adulteration.

5.7.1.2 The Survey was carried out in 16 different oil-types across various States/ UTs simultaneously and covered areas up to district level. The samples were picked up by the Food Safety Officers (FSOs) of the respective districts of the States/UTs. The number of samples picked up from metro cities was approximately 50 while that from other regions ranged from 6-8. A total of 4,461 oil samples were picked up from all over India covering 584 districts in 27 States and 5 UTs. 43 FSSAI recognized laboratories were involved in analysis of the samples on 161 parameters.

5.7.1.3 Key findings of the Edible Oil Survey-2020

- Out of 4,461 samples analysed, 1,371 samples (almost 30%) failed in one or more of the parameters. 5 States with maximum sample failures are Uttar Pradesh (289), Tamil Nadu (174), Telangana (115), Chhattisgarh (88) and Karnataka (84).
- The top five oil-types that failed were Mustard Oil (379) followed by Soybean Oil (168), Blended Oil (134), Groundnut Oil (132) and Palm Oil (118).
- In majority of the oils, it was also found that maximum number of samples (irrespective of States) failed in the chemical tests, followed by fatty acid profiles and erroneous labels.

5.7.1.4 Results and Discussion

- Almost 30% of the total samples analysed failed in one or more of the 161 parameters tested. In Uttar Pradesh almost 50% i.e. 289 out of 533 samples failed. Further, out of the 16 different types of edible oils analysed, all except Flaxseed oil (in which only two samples were picked up) failed in most of the

parameters. The locally available brands of Mustard Oil recorded the maximum number of failed samples which is quite alarming.

- Apart from this, prominent brands also failed in some parameters in this oil survey.

5.7.2 Milk Products Survey-2020

Food Safety and Standards Authority of India conducted a PAN-India Milk Products Survey-2020 during 12-13 November, 2020 to assess the quality and safety of milk products sold during the festival period across all States and Union Territories of India and to identify hotspots of adulteration.

5.7.2.1 Scope of Sampling and Analysis

The survey was carried out across various States/ UTs of India simultaneously and covered areas up to district level. The milk products covered in the survey were Khoya, Paneer, Chhena, Paneer/Chhena based dessert and Khoya based dessert. State Food Safety Officers (FSOs) were involved in the collection of milk product samples. A total 2,807 samples were collected from 535 districts across 27 States/UTs. The samples were analysed at National Collateral Management Services Limited (NCML) for chemical, biological and safety parameters (heavy metals, contaminants and pesticide residues) as mandated by Food Safety and Standards Regulations (FSSRs), 2011.

5.7.2.2 Key findings of the Milk Products Survey-2020

- Of all the samples tested, 56% were compliant to FSSR, 2011 requirements.
- Manipur showed highest compliance at 91% followed by Himachal Pradesh and Meghalaya at 78% each. Goa and Daman & Diu showed compliance at 30% compliance each. Andaman and Nicobar Islands showed the least at 0% (i.e. none of the samples being compliant).
- In microbiological parameters, maximum failures are observed for hygiene indicators (93%) which include Aerobic plate count, Yeasts & Molds, Coliforms, E. coli, and S. aureus.
- Amongst chemical parameters, adulterants are a major cause of worry. Of the non-compliant samples, adulterants accounted for 57% of failures. However, type of adulterants was beyond the scope of this survey.

5.7.2.3 Results and Discussion

- Compliance with the general hygiene and sanitary requirements as specified under Schedule IV of FSS (Licensing and Registration of Food Businesses)

Regulations 2011 and FSS (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 for packaged products were lacking in most samples and required to be adhered to by FBOs. There are no limits specified for Aflatoxin M1 for milk-products. Considering that the maximum limit for milk is 0.5 ppb, it is worth considering setting limits for milk-based products.

- In the current survey, about 16% of the Chhena, Paneer, and Khoya samples were found to be containing Aflatoxin M1 above 0.5 ppb.
- Stricter monitoring through food safety officers must be implemented especially in States/UTs where the percentage of non-compliant samples is higher.

5.7.3 Honey Surveillance, 2021

5.7.3.1 Honey is the natural sweet substance produced by honey bees from the nectar of plants or from secretions of living parts of plants or excretions of plant sucking insects on the living parts of plants, which the bees collect, transform by combining with specific substances of their own, deposit, dehydrate, store and leave in the honey comb to ripen and mature.

5.7.3.2 However, the adulteration in honey with Golden Syrup/ Invert Sugar/ Rice Syrup is a concern. To address the said concern and to generate analytical data on the same, FSSAI decided to conduct surveillance on honey. It was decided that samples would be obtained from the market. Samples of pure honey would be obtained from Central Beekeeping Research & Training Institute (CBRTI), Pune.

5.7.3.3 Scope of Sampling and Analysis

- Food Safety and Standards Authority of India had given approval to CALF-NDDB to conduct honey surveillance, which conducted it on 11th January, 2021 across the country, for generating analytical data on the honey available in the market as well as samples of pure honey.
- In this survey, 675 samples of honey, in total were collected, which included 150 honey samples collected from each of the 4 zones of India (in total 600 samples) and 25 pure honey samples each obtained from monofloral, multifloral and honey blends (25x3=75 in total).
- Testing of the samples is being done as per standards prescribed in FSSR 2011 for all quality and safety parameters together with Arsenic (ICP-MS) and TMR analysis. The major focus would be on SMR, SCIRA, pollen count, diastase activity, proline content and fructose glucose ratio.

5.7.3.4 Analysis of collected honey samples are currently underway.

5.8 Rapid Analytical Food Testing (RAFT) Kit/Equipment/Method

- 5.8.1** Regulation 2.4 of Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) First Amendment Regulations, 2020 mandates FSSAI to approve Rapid Analytical Food Testing Kit, Equipment or Method. The purpose is to facilitate carrying out on the spot field testing by Food Safety Officers (FSOs) or Mobile Testing Labs or to improve speed and reduce testing costs in food laboratories. The rapid food testing kit/equipment/method ensures “faster, better, cheaper” real-time testing of food. The rapid food testing kit/equipment/ method are better in terms of their size, faster in terms of their total run time and cheaper in terms of cost effectiveness as compared to conventional methods. The rapid food testing kits/equipment approved by FSSAI are intended to be used for screening and surveillance purposes only. The guidelines mentioning the procedure for approval of rapid kit/equipment/method are in place.
- 5.8.2** FSSAI has constituted a Committee for scrutinizing of applications received for approval of Rapid Analytical Food Testing (RAFT) Kit/ Equipment/ Method under RAFT Scheme. The recommendations of the Committee are ratified by the Scientific Panel on Methods of Sampling and Analysis and approved by the Competent Authority before adoption/implementation.
- 5.8.3** During the period, 54 such applications were scrutinized of which 33 were finally approved, one was provisionally approved and remaining 20 were rejected. Since inception of RAFT Scheme in 2019, a total of 124 applications have been scrutinized of which 65 were given final approval, 11 were given provisional approval and remaining 48 were rejected. The complete information related to RAFT Scheme is available on the website of FSSAI at link: <https://fssai.gov.in/cms/raft.php>.

5.9 Food Safety Magic Box

- 5.9.1** FSSAI has developed a Food Safety Magic Box (FSMB) which is a ‘Do-it-yourself’ food safety testing kit and aims to be a pedagogical tool to educate school children. This initiative would enhance engagement, build a scientific temper and unleash creative potential amongst students through simple and fun experiments around food. It is a small sized, light weight portable box that contains few basic chemicals, small instruments and safety gadgets. It also has a companion guidance book that illustrates testing across various food products in a very simple way through pictures. It can perform tests to determine adulterants like water, urea, detergents, starch, pulverised soap etc. in milk; starch and artificial colours in spices and condiments; mineral acid in beverages, adulteration in sugar and honey. In all, more than 100 super easy tests, including sensory tests, can be performed. These are hands on science experiments which can be done at school using materials available readily in their laboratories. During the period, a total of 618 boxes were delivered to various schools that were selected through Eat Right Challenge across the country.

Table 16 - State-wise number of Food Testing Laboratories in the Country

S. No.	State/UT	Food Testing labs notified under Section 43(1) of FSS Act, 2006			State Food Laboratories under Section 98 of FSS Act	State Food Laboratories discontinued from the ambit of Section 98 w.e.f. 31.12.2020	Referral Laboratories notified under Section 43(2) of FSS Act, 2006
		Government		Private			
		State	Other Institutions				
1	Andaman & Nicobar Islands	-	-	-	-	-	-
2	Andhra Pradesh	-	1	5	-	1	1
3	Arunachal Pradesh	-	-	-	-	-	-
4	Assam	1	-	-	-	-	-
5	Bihar	-	-	-	-	1	-
6	Chandigarh	-	-	-	-	-	-
7	Chhattisgarh	-	-	-	-	1	-
8	Dadar & Nagar Haveli and Daman & Diu	-	-	1	-	-	-
9	GNCT of Delhi	1	-	20	-	-	-
10	Goa	-	-	1	-	1	-
11	Gujarat	4	-	10	-	1	1
12	Haryana	-	1	15	-	2	1
13	Himachal Pradesh	-	-	1	-	1	-
14	Jammu & Kashmir	-	1	-	1	1	-
15	Jharkhand	-	-	1	-	1	-
16	Karnataka	-	-	13	-	5	2
17	Kerala	3	6	7	-	-	2
18	Ladakh	-	-	-	-	-	-
19	Lakshadweep	-	-	-	-	-	-
20	Madhya Pradesh	-	-	8	1	-	-

S. No.	State/UT	Food Testing labs notified under Section 43(1) of FSS Act, 2006			State Food Laboratories under Section 98 of FSS Act	State Food Laboratories discontinued from the ambit of Section 98 w.e.f. 31.12.2020	Referral Laboratories notified under Section 43(2) of FSS Act, 2006
		Government		Private			
		State	Other Institutions				
21	Maharashtra	2	3	25	2	13	3
22	Manipur	-	-	-	-	1	-
23	Meghalaya	-	-	-	1	-	-
24	Mizoram	-	-	-	-	-	-
25	Nagaland	-	-	-	1	-	-
26	Odisha	-	-	1	1	-	-
27	Puducherry	-	-	-	-	1	-
28	Punjab	-	1	2	1	-	1
29	Rajasthan	1	1	5	7	-	-
30	Sikkim	-	-	-	-	1	-
31	Tamil Nadu	-	1	17	1	6	2
32	Telangana	1	-	9	-	-	3
33	Tripura	-	1	-	-	1	-
34	Uttar Pradesh	3	4	5	2	1	2
35	Uttarakhand	-	-	1	1	-	-
36	West Bengal	1	5	4	-	-	1
	Total	17	25	151	19	39	19

Food Imports

6.1 Food Import in a nutshell

- 6.1.1** The import of food products is one of the mandates of Food Authority prescribed under Section 25 of the Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006. The Act defines that no person shall import into India any article of food in contravention of the Act or any rules and regulations made thereunder, i.e., any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter and also if there is no import licence for importing food products. It also provides that the Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of articles of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and Rules and regulations made thereunder.
- 6.1.2** For regulating the imported food products into India, Food Authority had notified the FSS (Import) Regulations, 2017 on 9th March, 2017, wherein the detailed procedure of food import has been encapsulated, thus making the food import clearance easier to comprehend. Also, FSSAI has its own Authorized officers present at 9 locations namely Chennai, Kolkata, Mumbai, Delhi, Kochi, Tuticorin, Mundra, Kandla & Krishnapatnam covering 44 Points of Entry (PoEs). The Food Import Clearance System (FICS) of FSSAI is an online system which is integrated with the Customs' ICE-GATE (Indian Customs Electronic Commerce/Electronic Data interchange (EC/EDI) Gateway) under SWIFT (Single window interface for facilitating trade). Customs Department implements the Risk Management System (RMS) under SWIFT. The FSS (Import) Regulations, 2017 provides for selective sampling & testing of food article on the basis of risk profiles which is assessed on a combination of factors & accordingly, FSSAI has set the parameters for Risk Management System (RMS) to be applicable in Food Items.
- 6.1.3** RMS has already been implemented by Customs through Customs' ICEGATE in consultation with FSSAI based on the certain criteria like risk category of the food items, compliance history of the importers and country of origin etc. In case of high risk food items from the same country of origin and same importer, 100% sampling and testing is done for first five commercial consignments. If all the samples are in conformance to the standards laid down under relevant FSS Regulations, then 25% sampling for next 20 consignments is done. If all the samples are cleared then, in all subsequent consignments 5% sampling is done. In case of sample failure at any

stage, the complete history of the importer becomes zero and the consignments are then again subjected to 100% sampling and testing.



- 6.1.4** In case of low risk food items from the same country of origin and same importer, 100% sampling and testing is done for first five commercial consignments. If all the samples are in conformance to the standards laid down under relevant FSS Regulations, then for all subsequent consignments 5% sampling is done. In case of sample failure at any stage, the complete history of the importer becomes zero and the consignments are then again subjected to 100% sampling and testing.
- 6.1.5** The Food Import Clearance System (FICS) of FSSAI is a paperless process, wherein the Food Importer/CHA upon arrival of the imported food articles at the point of import and after receiving examination order from the Customs Authorities concerned, files an Integrated Declaration form as specified by Customs and the form is forwarded in FICS. Submission of mandatory documents (Ingredients List, Specimen copy of label, End Use Declaration, Bill of Entry, Country of Origin Certificate, FSSAI License) and other essential documents in FICS by the importer is also through online mode. All the documents submitted by the Importer/CHA are scrutinized by Authorised Officer (AO) and visual inspection, sampling and testing is done to determine whether the imported food products conform to the safety and quality standards established and laid down under various Food Safety and Standards Regulations. If the sample is found conforming, then 'No Objection Certificate' (NOC) is generated failing which 'Non-Conforming Report' (NCR) is generated and conveyed online to the Customs.
- 6.1.6** To ensure the safety of imported food products, FSSAI has notified FSSAI Officials as Authorised Officers (AOs) at additional 22 food import entry points (at Airports/Ports/ICDs/SEZs/LCSs), including Mundra, Kandla and Krishnapatnam, w.e.f. 10th March, 2021 which were earlier manned by Customs' Officials. The FSSAI's officials at these Airports/ Ports/ICD/SEZ/LCS have been notified as Authorised Officer under Section 25 read with Section 47(5) of FSS Act 2006 and Regulation 13(1) of FSS (Import) Regulations, 2017.
- 6.1.7** In view of the Covid-19 pandemic, FSSAI has taken certain measures in order to ensure un-interrupted food service/supply and to further facilitate trade during lockdown, which includes the issue of Provisional No Objection Certificate (P-NOC) to the consignments of imported crude-oil (edible grade) and food grains.

6.2 Food Import Trade summary


- 6.2.1** As per data for the year 2020-21 available in Food Import Clearance System (FICS), major food categories being imported in India are animal or vegetable fats and oil; prepared edible fat; edible vegetables; edible fruit and nuts; peels of citrus

fruits or melons; oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains seeds and fruits, coffee, tea, mate and spices; dairy produce; birds eggs; natural honey; edible products of animal origin; preparations of vegetables, fruits, nuts or other parts of plants; beverages, vinegar and spirits; sugars and sugar confectionery; fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, etc. Top countries exporting food commodities to India, in terms of quantity, are Indonesia, Myanmar, Malaysia, Ukraine, Canada, Argentina, Tanzania, USA, Mozambique & Iran.

Figure11 – Top 10 Food Categories, Products and Country of Origin



TOP 10 COUNTRIES OF ORIGIN(QUANTITY-WISE)



6.2.2 The details regarding the number of samples drawn & NOCs issued by FSSAI for the period April, 2020 to March, 2021 is at Table 17. During this period, a total of 52,932 items containing 37,05,016 Metric Tonne (MT) of imported food products, were handled by FSSAI. With regard to NOC, 51,913 items, weighing 36, 72,065 MTs of food were issued No-objection certificate.

6.3 Food Import- Important decisions for facilitation of smooth trade taken during the year 2020-21

- a. In order to ensure un-interrupted food service/supply and facilitate trade during the lockdown, directions under Section 16 (5) of Food Safety and Standards Act, 2006 dated 3rd & 16th April, 2020 (valid till 30th May, 2020) were issued regarding the issue of Provisional No Objection Certificate (P-NOC) to the consignments of imported crude-oil (edible grade) and food grains by instructing the Authorised Officers to carry out visual inspection on same day the consignment has arrived and upon satisfactory visual inspection, draw samples and issue provisional NOC without waiting for the analysis report from the laboratories.
- b. To ensure uninterrupted supply of pulses in the country, FSSAI vide order dated 9th November, 2020, informed that importer of pulses may carry out advance filing of Bills of Entry in the FICS Portal of FSSAI, and the Authorized Officers were directed to facilitate and carry out Food Import Clearance process on priority without delay for the consignments of imported pulses.
- c. In order to ensure the quality of honey and prevent misuse of imported Golden Syrup/ Invert Sugar Syrup/ Rice Syrup in production of honey, FSSAI issued directions dated 20th May, 2020 to all the importers/ FBOs importing

the said products into India to submit necessary documents at scrutiny stage before clearance to concerned Authorised Officers regarding details of the manufacturer(s) with end use to whom the aforesaid imported food items will be supplied. Further, AOs were directed to carry out clearance of aforesaid products only after ensuring the necessary documents and fulfilment of other requirements of FSSAI and also they would share the details of the cleared imported consignments of the aforesaid products with the concerned Central Designated Officers.

- d. Vide orders dated 20th April, 2020 & 28th October, 2020, it was decided to allow the import of Food for Special Medical Purposes i.e. Food for Inborn Errors of Metabolism and hypoallergenic conditions till 1st May, 2021 or till their standards are notified, whichever is earlier and such imports shall continue to be permitted through Delhi and Mumbai Ports only.
- e. Vide orders dated 21st August, 2020 & 3rd December, 2020, FSSAI made mandatory the requirement of Non-GM-cum-GM free certificate accompanied with imported food consignment of 24 crops, w.e.f. 1st March, 2021, in order to ensure that only Non-GM food crops are imported into India.
- f. In order to put in place a robust regulatory framework at the Points of Entry to ensure safe food imports in India, FSSAI notified FSSAI Officials as Authorised Officers (AO) at 22 more food import entry points (at Airports/Ports/ICD/SEZ/LCS) which were earlier manned by Customs' Officials. This was pursuant to opening up of new FSSAI import offices at Mundra, Kandla and Krishnapatnam, w.e.f. 10th March, 2021.

Table 17 - Data of Food Import Clearance for the period 1st April, 2020 to 31st March, 2021 through FICS

Port	No. of Food Item Imported	Total Quantity (MT*)	Number of issued NOC	Quantity Belonging to NOC issued (MT)
Chennai	7,860	11,00,204	7,748	10,98,237
Kochi Sea & Air Port	2,038	32,733	1,927	31,451
Delhi	5,279	41,079	5,162	40,431
Delhi NCR	45	1,219	44	1,215
Kandla*	30	13,768	30	13,768

Port	No. of Food Item Imported	Total Quantity (MT*)	Number of issued NOC	Quantity Belonging to NOC issued (MT)
Kolkata	1,933	7,19,916	1,903	7,01,669
Kolkata Air	107	160	102	160
Krishnapatnam*	27	57,024	26	57,006
Mumbai Air Cargo	2,097	989	2,058	982
Mumbai Sea Port	14	9,577	14	9,577
Mumbai-JNPT Nhava Sheva	31,784	14,38,605	31,216	14,29,009
Mundra*	360	10,765	355	10,694
Tuticorin	1,358	2,78,976	1,328	2,77,865
Total	52,932	37,05,016	51,913	36,72,065

Data for (*) marked places is for the period 10.03.2021 to 31.03.2021

Food Safety Training and Capacity Building

7.1 Training of Food handlers-Food Safety Training & Certification (FoSTaC)

7.1.1 Section 16 (3) (h) of FSS Act 2006 mandates FSSAI to provide, whether within or outside their area, training programmes in food safety and standards for persons who are or intend to become involved in food businesses, whether as food business operators or employees or otherwise. In terms of this mandate, FSSAI launched its flagship 'Food Safety Training & Certification' programme on 17th May, 2017 to train food handlers in the country. It is a large scale training programme for food business operators on good hygiene and manufacturing practices based on Schedule IV of Food Safety & Standards (Licensing and Registration) Regulations, 2011. Objective of this initiative is to inculcate a culture of self compliance among the FBOs through this capacity building initiative. The programme started growing organically and till March, 2020 nearly three lakh food handlers were trained. The trainings are being managed by Training Partners and being delivered by the trained trainers. More than 200 training partners and 2,100 trainers are part of the FoSTaC ecosystem. Food handlers were being trained physically and their connection to the food safety experts became helpful for them to comply with the food safety regulations. However, during March, 2020, due to the outbreak of COVID pandemic, physical trainings were restricted and entire FoSTaC ecosystem switched to the online platforms.

7.1.2 Following two major steps were taken by FSSAI following outbreak of COVID 19 Pandemic:

- (a) FSSAI started online awareness course on COVID -19 preventive measures under FoSTaC programme especially for the food handlers in April, 2020. Experts volunteered to train food handlers irrespective of their kind of business. Special classes were conducted for the street food vendors. Nearly, 2600 trainings were conducted and more than 78,000 food handlers were trained on COVID-19 preventive measures.
- (b) Regular trainings for Food Safety Supervisors under FoSTaC programme in physical mode had to be stopped initially during the lockdown period. Online Food Safety Supervisor trainings on the 19 training modules were started in October, 2020. Awareness course on COVID 19 measures was integrated

with the 19 training modules. During the year, 7,477 regular FoSTaC trainings were conducted and 2,24,729 food handlers were trained. Overall, since the commencement of FoSTaC programme in May, 2017 till 31st March, 2021, FSSAI conducted 20,160 FoSTaC trainings in which more than 5 lakh food handlers have been trained.

7.2 Training of Regulatory Staff

7.2.1 Clauses 2.1.2 and 2.1.3 of Chapter 2, Food Safety and Standards Rules, 2011 provide for training for Food Safety Officers and Designated Officers. Considering this mandate, FSSAI devised a Training Policy for these officials in the year 2016 according to which Induction as well as refresher trainings are being provided to them. This policy also covers the newly recruited FSSAI officials.

7.2.2 Following the guidelines laid down in the training policy mentioned above, several trainings have been organised in the year 2020-21 as per details below:

April-June, 2020- More than 850 regulatory officials including Food Safety Officers, Designated Officers etc. of 17 States /UTs, namely, Andhra Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Kerala, Manipur, Nagaland, Odisha, Punjab, Tripura, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Jammu & Kashmir and NCT of Delhi were trained on COVID -19 guidelines in respect of food safety through online mode.

July, 2020- 6 days' Induction Training of Food Safety Officers (FSOs) of West Bengal (18), Odisha (12), Punjab (18) and Haryana (3) was conducted through online mode from 6th July, 2020 to 11th July, 2020. Total 51 FSOs were provided training.

November-December, 2020- 8 days' Induction Training of FSOs of Andhra Pradesh (26), Sikkim (4) and West Bengal (2) was conducted through online mode from 23rd November, 2020 to 2nd December, 2020. Total 32 FSOs were provided training.

January, 2021- 8 days' Induction Training of FSOs of Telangana (28) and Himachal Pradesh (5) was conducted from 11th January, 2021 to 20th January, 2021 through online mode. Total 33 FSOs were trained.




Figure 12 - Few glimpses of online induction training of FSOs of Telangana and Himachal Pradesh

7.3 Training of internal employees of FSSAI

Induction training of 160 newly recruited FSSAI officials on all India basis was held in two batches. Two weeks' classroom training of both the batches was conducted at National Institute of Health and Family Welfare (NIHFW), New Delhi. Classroom sessions of first batch having 80 participants were held from 2nd February, 2021 to 12th February, 2021 and that of second batch having 80 participants were held from 16th February, 2021 to 26th February, 2021. The class-room training was followed by one-week field exposure/on the job training for both the batches.



Figure 13 - First Batch of newly recruited FSSAI officials



Figure 14 - Second Batch of newly recruited FSSAI officials



Figure 15 - Inauguration of Induction training of newly recruited FSSAI officials in Batch 1

Social and Behavioural Change & Eat Right India initiative

- 8.1** Safe foods and healthy diets are critical in the context of India's high burden of food borne diseases, under-nutrition, micro-nutrient deficiencies and growing incidence of obesity and non-communicable diseases (NCDs) like hypertension, diabetes, heart related diseases etc. In view of this and to bring about social and behavioural change among citizens around food safety, hygiene and healthy diets in all spheres of life- at 'Home', 'School', 'Workplace', Places of Worship or while 'Eating Out', Project SNF (Safe and Nutritious Food) was initiated by FSSAI in 2016-17. To scale up these initiatives thereby making a healthy food environment across the country, and educating people on getting good health with right nutrition, the Project SNF was extended and transformed into the 'Eat Right India' Movement covering a wide spectrum of activities, both regulatory and non-regulatory on food safety and nutrition. This movement was launched on 10th July, 2018 by engaging with key stakeholders and citizens. This initiative aligns with Government's focus on public health through its three key programmes, namely, Swachh Bharat Mission, Ayushman Bharat and Poshan Abhiyaan. Eat Right India has three pillars namely: Eat Safe, Eat Healthy and Eat Sustainably.
- 8.2** FSSAI constituted an Inter-Ministerial Steering Committee to create convergence and consensus on various Eat Right India initiatives; monitoring & impact evaluation and extending necessary guidance for effective implementation and scaling-up of various programmes to be undertaken under the Eat Right India initiative. The first meeting was organised on 15th January, 2021. To facilitate action, several inter-ministerial (one-to-one meetings) with various Ministries/ aligned Department(s) have also been convened. The purpose of these meetings is to brainstorm collectively on how areas of convergence can be identified and new ideas to align goals and decide on the actions required to be taken.
- 8.3** A few regulatory measures taken during the year to promote safe food and healthy diets include :
- i) Notification of Regulations prescribing a limit for Total Polar Compounds (TPC) in cooking oil at a maximum of 25% to avoid the harmful effects of used cooking oil.
 - ii) Notification of Regulations on labelling and display providing, inter-alia, for general and specific labelling requirements such as ingredients list, nutrition

information, energy, total fat, trans fat, total sugar and salt along with their contribution to Recommended Dietary Allowance (RDA) etc.

- iii) Notification of Regulations to reduce trans-fats to not more than 2% by weight in oils and fats and not more than 2% by weight of oil and fat present in food products by 1st January, 2022 to achieve the target of a 'Trans-fat Free India' by 2022.
- iv) Notification of Food Safety and Standards (Safe food and balanced diet for children in school) Regulations 2020 for ensuring safe food and healthy diet in and around school premises.

8.4 Progress in respect of some Eat Right Initiatives during the year 2020-21

Considerable progress was made in respect of many of the important initiatives for safe, healthy and sustainable food under Eat Right Initiative as discussed below:

8.4.1 Hygiene Rating

Hygiene Rating Scheme is aimed at improving the standards of food hygiene in food businesses and to enable the consumers to make informed choices while eating out. This scheme is being implemented in food service establishments (hotels, restaurants, cafes, etc.), bakeries, mithai (sweet) shops and meat retail shops. Food Businesses opting for 'Hygiene Rating' after complying with the regulatory requirements can go for self-assessment which would be verified by the Hygiene Rating Audit Agencies. FSSAI has recognised 29 Third Party Audit Agencies and over 12 other agencies for conducting Hygiene Rating Audits. There are more than 200+ trained hygiene rating auditors conducting hygiene rating audits across the country. Further, Quality Council of India (QCI) has developed a scheme for recognising Hygiene Rating Audit Agencies to scale up the process. During 2020-21, 2,995 Food Establishments enrolled for Hygiene Rating Scheme of which 1,790 successfully completed the process.

8.4.2 BHOG (Blissful Hygienic Offering to God)

BHOG is an initiative to encourage Places of Worship to ensure the health and welfare of the pilgrims, by educating food handlers in the premises and vendors in the surrounding area about proper food safety and hygiene. Under this initiative, places of worship where offerings are cooked/ handled are identified, audited, and basic training is imparted to the food handlers. After successful completion of all the steps, the identified place of worship is recognized/ certified. During the year, 9 places, namely Shri Dighambar Jain Sidhi Shetra Kundal giri Mandir, Damoh &

Shri Omkareshwar Jyotirling Mandir, Khandwa (Madhya Pradesh); Tara Devi Temple (Himachal Pradesh); Arulmigu Papanasanathar Temple, Papanasam; Melmaruvathur Swayambu Arulmigu Adhiparasakthi Siddhar Peedam, Kanchipuram & Arulmigu Kalyana Venkataramanaswamy Temple, Karur (Tamil Nadu); Swaminarayan Akshardham Temple (New Delhi); Shri Mahavir Sthan Nyas Samiti, Patna (Bihar); and Sankat Mochan Mandir, Lanka, Varanasi (Uttar Pradesh) were certified. Overall, till 31st March, 2021, 39 Places of Worship have been certified.

8.4.3 Clean Street Food Hub

Clean Street Food Hub aims to upgrade the existing and upcoming street food eateries and provide consumers with safe and hygienic local eating experiences by raising the quality of street food vending to the level of food courts and established hotels and restaurants. A Clean Street Food Hub is a hub or cluster of vendors/shops/ stalls selling popular street foods, 80 per cent or more of which represent local and regional cuisines and meet the basic hygiene and sanitary requirements. These clusters of street food vendors are certified through a process of initial audit to identify gaps, improvement through hand holding and training of vendors, final audit for verification and thereafter sustenance through routine inspections and testing. During the year, 5 more Street Food Hubs were certified as Clean Street Food Hub and overall as on 31st March, 2021 25 Clean Street Food Hubs have been certified and another 22 are under process.

8.4.4 Clean and Fresh Fruit and Vegetable Market

8.4.4.1 Aim of this initiative is to address the safety and hygiene issues in the unorganized fresh fruits and vegetables markets via cluster approach across the country and ensure safe fruit and vegetables to the consumers. Detailed Scheme Document for 'Clean and Fresh Fruit and Vegetable Market' initiative has been developed and shared with States/UTs for implementation. FSSAI has also released following Guidance Notes relating to fruits and vegetables:

- Guidance Note No. 04/2018 on 'Artificial Ripening of Fruits Ethylene gas –A Safe Fruit Ripener'
- Guidance Note No. 05/2018 on 'Stickers on Fruits & Vegetables'
- Guidance Note No. 13/2020 on 'Pesticides: Food Safety Concerns, Precautions and Safety Measures'

8.4.4.2 This is a new initiative. Final audit before certification in respect of 5 fruit and vegetable market in Delhi, one in Uttarakhand and one in Goa is pending.

8.4.5 Eat Right Campus

The 'Eat Right Campus' initiative aims to promote safe, healthy and sustainable food in campuses such as schools, universities, colleges, workplaces, hospitals, tea estates etc. across the country. Benchmarks have been created on four different parameters based on which campuses are evaluated and certified as 'Eat Right Campus'. These parameters include food safety measures, steps to ensure provision of healthy and environmentally sustainable food and building awareness among the individuals in the campus to make the right food choices. During 2020-21, a total of 53 Campuses have been certified as 'Eat Right Campus'. These include Taj Hotel & Convention Centre, Goa; ITC Limited, Foods Division, Ranjangaon Factory, Mumbai; Apollo Hospitals, Tamil Nadu; Wipro Limited, Karnataka; IIT Gandhinagar, Gujarat; Jawahar Navodaya Vidyalaya, Himachal Pradesh. For the first time, new campuses in the form of Anganwadi Centres and Jails were certified as Eat Right Campuses.

8.4.6 Eat Right School (ERS)

8.4.6.1 Eat Right School program aims at creating awareness about food safety, nutrition & hygiene among school children, and through them among the community at large. Since, food habits are developed early in life, adequate coverage of food and nutrition both in curriculum and extracurricular activities at the school level is essential. 53,043 schools have been registered under ERS program so far.

8.4.6.2 Food Safety and Standards (Safe Food and Balanced diets for children in school) Regulations, 2020 were notified during the year to ensure safe food and healthy diets in schools. The main elements are as under:

- Responsibilities of School Authority to ensure safe food and healthy diets on school premises;
- Promotion of safe and healthy foods in and around the school premises;
- Restriction on marketing and advertisement of food high in fat, salt and sugar to school children in school premise or within range of 50 meters;
- Monitoring and Surveillance.

8.4.7 Eat Right Station

8.4.7.1 The 'Eat Right Station' initiative is designed to ensure that safe and wholesome food is served to passengers, visitors and railway officials. Railway Stations that fulfil benchmark criteria are recognized as 'Eat Right Stations' through plaques and/or certificates of excellence.

8.4.7.2 This initiative was started in July, 2019 and 3 stations were certified during 2019-20 through the active involvement of the concerned Railway Authorities. The first railway station to be certified was Mumbai Central Railway Station. Subsequently, Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Railway Station, Mumbai and Anand Vihar Terminal Railway Station, Delhi were certified. During 2020-21, Vadodara Railway Station was also certified.

8.4.8 Eat Right Tool Kit

8.4.8.1 Eat Right Toolkit developed by FSSAI is an easy to use comprehensive package with a simple training manual and interactive tools (Infotainment Videos, activity cards flyers, posters, games etc.) to inculcate key messages of eating safe, eating healthy and eating sustainably which can be used by the front line health workers and other grass-root functionaries.

8.4.8.2 To create a pool of National and State trainers (Training of the Trainers) to smoothly conduct ASHA training on the Eat Right Toolkit, an online platform was organised. In view of the COVID-19 pandemic, virtual training sessions were planned for:

- (i) The National Trainers -a total of six national level resource personnel from FSSAI, National Health Systems Resource Centre (NHSRC) and Voluntary Health Association of India (VHAI) trained the National Trainers (38) from Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Delhi, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. The trainings were conducted on virtual platform, in two batches in June and July, 2020.
- (ii) The State Trainers Training was organised by the National Trainers with the help of national level resource personnel from FSSAI, NHSRC and VHAI in collaboration with the States. Till 31st March, 2021, 09 sessions of online training of State Trainers were conducted covering 252 State Trainers and 45 State Observers.

8.4.9 Food Fortification

8.4.9.1 Food Fortification Resource Centre (FFRC), since its inception, has been making continuous efforts to promote large-scale food fortification across the country in the open market as well as the government safety net programs. During the year 2020-21, in view of COVID-19 pandemic FFRC adapted its efforts by conducting webinars, workshops and awareness online.

8.4.9.2 National Level Webinars on Milk, Oil, Rice, Maida and Double Fortified Salt (DFS) were conducted with multiple stakeholders from the industry, development partners

and the Government to promote fortification on the supply side. Multiple state level webinars were done to scale up Rice Fortification. A training workshop for dairies was conducted online for Manipur.

8.4.9.3 On the demand side, to create awareness among consumers, articles in leading magazines in India were published

- Outlook magazine (Fortifying Food, Fortifying India)
- India Today magazine (Article on Fortification and CEO interview)
- Grah Lakshmi magazine
- The Aware Consumer magazine -<http://www.theawareconsumer.in/magazines/>
[December 2020 - CEO interview, Jan and Feb 2021 - full page advertisement on fortification]
- One-month digital advertisement on Dynamite news in English and Hindi.
- Showcase on channel Zee Zest in show The Grand Trunk Rasoi with Chef Harpal Singh Sokhi using fortified staples and telling its benefits.

8.4.9.4 Short films on Rice fortification in all regional languages were created and disseminated to state officials and Department of Food and Public Distribution for consumer awareness. IEC activities on collecting community feedback on consumption of fortified rice in three districts of Madhya Pradesh under ICDS scheme were done. Short films on DFS were also made and disseminated to dispel myths and promote consumer awareness.

8.4.9.5 In order to align demand and supply, sensitization workshops were conducted with NAFED and Kendriya Bhandar to ensure availability of fortified staples in their retail stores. Multiple training workshops were also conducted with their sales staff to enable them to promote fortified staples and inform consumers about their health benefits. Posters and danglers on Rice Fortification were created and supplied to the state of Karnataka, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh to display on fair price shops.

8.4.9.6 On the advocacy front, FSSAI had a State visit to Assam and Mizoram where the delegation met the Chief Minister and Health Minister of Mizoram. In addition to this, a webinar was conducted with the State of Meghalaya for adoption of fortified staples in the government run programs.

8.4.9.7 Capacity building program on implementation of Staple Food Fortification in Anganwadi Centres for the State of Delhi was done.

Information, Education and Communication (IEC) Activities

8.5 As per the Food Safety and Standards Act, 2006 the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is mandated to ensure safe and wholesome food across the country. Section 16(g) of the Act mandates FSSAI to take all such steps to ensure that the public, consumers, interested parties and all levels of panchayats receive rapid, reliable, objective and comprehensive information through appropriate methods and means. During the year, various IEC activities were undertaken to promote Eat Right Initiatives and facilitate and educate stakeholders about safe food and healthy diets amid Covid-19 through competitions and by utilizing different channels of communication using both online modes including print, electronic & social media and offline mediums including events/exhibitions

8.6 Centres for Food Planet and Health

FSSAI in collaboration with The Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) has set up 'Centre for Food, Planet and Health' (CFPF) at LBSNAA, Mussoorie, with an objective to inculcate among the officers from the Indian Administrative Services, the competence to think and act in a holistic manner and promote policies and actions on food that are healthy for both people and the planet. The Course team of 95th Foundation Course and Centre for Food, Planet, and Health organized a guest talk by Ms Rujuta Diwekar, one of the top nutritionists of India on 16th December, 2020. She spoke on the topic 'Eat Right India' to raise awareness amongst the 428 Officer Trainees of 95th Foundation Course about 'Eat Right India' campaign, the essence of proper nutrition in our day-to-day lives and to promote policies and actions on food that are healthy for both people and planet.

8.7 Engagement with professionals in Food Safety & Nutrition (NetProFaN)

NetProFaN is a network of professionals working in the field of food safety and nutrition. Currently, members from the following seven associations are a part of this network – Association of Analytical Chemists (AoAC)India Chapter; Association of Food Technologists-India [AFST(I)]; Indian Dietetic Association (IDA); Indian Federation of Culinary Associations (IFCA); Indian Medical Association (IMA); Indian Public Health Association (IPHA); and Nutrition Society of India (NSI). The membership was also extended to any individual such as students, food critics etc. who wish to join the network but are not members of any of the seven Associations. They can support the Eat Right India movement as an ambassador. During 2020-21, many activities and monthly challenges on the theme of Eat Right India were conducted.

As many as 10 new chapters were launched and currently 30 city chapters are functional across 18 States/UTs.

- First newsletter was released which provided an insight to all the activities conducted by various chapters so far and also a learning experience for other chapters to adopt from readily available templates of activities which can be replicated in their region.
- To ensure uniform messaging a monthly theme was promoted through all the chapters such as food safety during monsoon, food fortification, reducing HFSS, eliminating trans fats to name a few.
- A template for different activities was circulated at the beginning of the month and the best performing chapter was recognised. These activities ensured participation from all stakeholders and specially student ambassadors of the chapter.

8.8 Challenges/Competitions conducted to promote Eat Right India

- 8.8.1** The FSSAI also conducted a number of online challenges/competitions for consumer awareness about safe and healthy eating. The details are as under:
- 8.8.2** FSSAI participated in the *Food System Vision Competition* and was adjudged among top ten finalists for the Food System Vision Prize by the Rockefeller Foundation, United States for its Eat Right India initiative and vision 2050, among a pool of over 1,300 applicants from 110 countries. It aims to ensure a future in India where everyone can have access to safe and sustainable foods through a multi-disciplinary 'Food Systems Approach' to improve their health and well-being.
- 8.8.3** *Eat Right Challenge (ERC)*- This Challenge is envisioned as a competition among States/UTs to recognize their efforts in adopting and scaling up various initiatives under Eat Right India and promoting regulations and enforcement. Further, it is meant to motivate States/UTs to improve performance and encourage others to join. A total of 186 Cities/ Districts were enrolled in the Eat Right Challenge. Grant of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakh Only) to each district/city has also been released.
- 8.8.4** *Eat Right Creativity Challenge II (ERC II)*- This Challenge aimed to tap the creative talent of students and engage, excite and enable them to inculcate healthy dietary habits, starting young and encourages schools to create an environment of healthy and safe food. ERC II was a poster and photography competition from 16th October, 2020 to 20th January, 2021. A total of 4,987 schools participated in this Challenge.

- 8.8.5** *21 Day Challenge to reduce Salt, Sugar & Fat in Diet-* To motivate the public at large, a 21 day challenge series was conducted, wherein each day easy and quick tips on reducing Salt, Sugar and Fat were shared.
- 8.8.6** *Ghar ki Rasoi- A Healthy Recipe Competition-* As a part of FSSAI's effort to become an 'Eat Right Campus', employees were engaged and encouraged to incorporate healthy eating habits. A healthy recipe competition called 'Ghar ki Rasoi: Tasty Bhi, Healthy Bhi' was organised on World Food Day, 16th October, 2020. The winning recipes were featured in a book designed in house by FSSAI.
- 8.8.7** *National Low Salt Cooking Challenge- A step towards creating healthy eating:* Excess salt consumption has adverse impact on health. Hence, to increase awareness among people on the importance and ways to cook commonly consumed foods using less salt, "National Low Salt Cooking Challenge" was organized from 27th January-15th February, 2021 virtually. The challenge invited submission from teams consisting of the nutrition and culinary community to prepare a complete nutritious meal from one of the six regions of India using less salt without compromising the taste and flavour of the food. More than 200 participants competed in a team size of 4 or 2 from different regions. Top five winners/ teams will be awarded a cash prize and a certificate.
- 8.8.8** *Plant Protein Rich Breakfast Recipe Competition-* It was launched in March, 2021 on the occasion of protein day to promote innovation and healthy cooking among Indian citizens while preparing healthy breakfasts to kick-start their day. This competition was open for all cooking enthusiasts from all communities. The best 60 entries will be awarded a cash prize of Rs.1000/- along with their name printed in the Plant Protein Rich Recipe Book.
- 8.8.9** *Food History Competition-* Indian cooking derives from a 5000-year-old timeline. Indian cooking has however evolved significantly over time and by varying influences brought into the country by the foreign rulers and travellers. There are various food items that are associated with historical events. To document the same, an online Food History Competition was organized virtually this year by FSSAI. The best 50 entries will be awarded a cash prize of Rs. 1000/- each.

Eat Right Challenge
An annual Challenge for cities and districts to adopt and implement Eat Right initiatives.

Expected Outcomes

- To strengthen food safety through the food regulatory environment.
- To provide for safe and healthier food options by enabling the supply side.
- To engage with citizens for adoption and demanding healthier diets.

Registration open from 1st - 31st of July, 2020 on www.fssai.gov.in/EatRightChallenge/home

#EatRightIndia #EatRightChallenge

Plant Protein Rich Breakfast

Recipe Competition
Share innovative and tasty regional breakfast recipes using plant protein and win exciting prizes.

60 Best Entries will be awarded a cash prize of Rs. 1000 each

Submit your recipe by **31st March, 2021**
at: <https://bit.ly/3dC67rR>

NATIONAL Low Salt COOKING CHALLENGE

STARTS ON 27th JAN!

EAT RIGHT Creativity Challenge
POSTER / PHOTOGRAPHY ONLINE COMPETITION
16 October to 16 December 2020

Theme: 'Eat Safe, Eat Healthy' / 'Food safety during COVID 19'

Categories:
1) Eat Right Poster Competition
2) Eat Right Photography Competition

1) Poster- Competition to be held in 2 levels, level 1: class 3-5 level 2: class 6-8
2) Photography Level- Class 9-12

How to participate:
School will conduct the competition and will upload their best 3 entries per level for poster and best 5 photographs on the website fssai.gov.in/CreativityChallenge by 16th December, 2020.

Rewards and recognition:
Win cash rewards worth Rs. 10,000 400+ cash prizes and participation certificate for all

For more details & Registration visit:
fssai.gov.in/CreativityChallenge creativity-challenge@fssai.gov.in
011-25217402

Logos of FSSAI, Eat Right India, NetProFaN, and MyGov.

HURRY UP!

Eat Right Quiz

Extended till **31st January 2021**

Play the Quiz & Win Cash Prize*

TAKE THE QUIZ

Participate on www.quiz.mygov.in

Figure 16 - Launch of Challenges/Competitions

8.9 Events/ Trade Shows/ Exhibition

- 8.9.1** *World Food Safety Day-* In alignment with the year 2020 theme, “Food Safety is everyone’s business”, the World Food Safety Day was celebrated virtually on 07th June, 2020. It was dedicated to all those in the supply chain who have ensured the uninterrupted availability of safe food for everyone during this COVID-19 pandemic. On the occasion, a guidance note ‘Food Hygiene and Safety Guidelines for Food Businesses during Coronavirus (COVID-19) Pandemic’; e-handbook on “Eat Right during COVID-19” for citizens and rankings of the State Food Safety Index for States/ UTs were released by the Chief Guest, Dr Harsh Vardhan, Union Minister for Health and Family Welfare. Shri Ashwini Kumar Choubey, Minister of State for Health and Family Welfare was also present on the occasion.
- 8.9.2** *World Food Day-* On 16th October, 2020, World Food Day was celebrated virtually. Dr Harsh Vardhan, Hon’ble Union Minister for Health and Family Welfare presided over the event on the theme “Grow, Nourish, Sustain - Together.” He also launched the “Eat Right Creativity Challenge” for schools, the “Eat Smart City” (challenge) by the FSSAI in partnership with Smart City Mission and The Food Foundation, UK and a number of books/guidelines on the occasion. Shri Ashwini Kumar Choubey, Minister of State for Health and Family Welfare was also present.
- 8.9.3** *Food Fiesta and Flowers Show-* FSSAI organized a Fusion and Food Fiesta event on 20th -21st February, 2021 at New Moti Bagh, New Delhi showcasing healthy recipes while mainstreaming safety and hygiene practices. An awareness campaign on usage of Fortified Foods with +F symbol to reduce micronutrient deficiencies etc. was also initiated. Winners were given fortified *food hampers*.



Figure 17 - Glimpses of Food Fiesta and Flowers Show

- 8.9.4** *Indus Food 2021*- FSSAI participated in Indus Food 2021, organized by Ministry of Commerce & Industry and Trade Promotion Council of India (TPCI) on 20th -21st March, 2021 at India Exposition Mart, Greater Noida demonstrating various online platforms like Food Safety Compliance System (FoSCoS), Food Imports Clearance System (FICS), Food Safety Training and Certification (FoSTaC), Food Testing and other programs to ensure compliance of food safety standards in the country.



Figure 18 - Glimpses of Indus Food 2021

8.10 Development of resource books and communication materials

During the year, various resource materials, viz. *'Eat Right India Handbook'*, a comprehensive guide for States/UTs to adopt and scale-up Eat Right India (ERI) initiatives; *'Food Safety and Hygiene Guidelines for Safe Reopening of School Canteen/Mess'* for food businesses; *'Do you Eat Right?'* an e-Book which translates technical concepts on food and nutrition and Eat Right initiatives into simple conventional style for the general public; *'Orange Book'* for Eat Right Campus like workplaces, colleges, universities, jails, hospitals etc. across the country; *Daily Recommendations and Food Fortification*, a handbook for States/UTs; *Food Hygiene and Safety guidelines for food businesses during Corona virus Pandemic'*, a guidance document describing guidelines for employee's/food handler working in food establishments; *'Food Safety Guidebook'* for Teachers were launched. The eBooks were made available on the website for easy access by the general public.



Figure19 – Release of Resource Books by Hon'ble HFM

8.11 Awareness through MyGov, Social Media and other Sources

8.11.1 Social Media Outreach- FSSAI extensively used its public awareness material including COVID precaution messages, tips on food safety and healthy eating habits and other regular updates through different social media platforms like Facebook, Instagram & Twitter. In addition to every day's posts for citizen engagement, a special online series via social media, *Recipe Ravivaar*, was organised covering recipes from local & seasonal vegetables.

- 8.11.2** *COVID Awareness Series-* FSSAI had been using its social media extensively to help guide communities with an appropriate course of action in the unprecedented times of COVID-19 pandemic. Two posts, in Hindi and English from the official handle of FSSAI incorporating key messages of food safety, personal hygiene practices, healthy eating habits, social distancing and other valuable tips for citizens were taken out on various social media platforms since the beginning of March, 2020 for a period of 5 months. These tweets/posters are accessible at <https://fssai.gov.in/cms/coronavirus.php>
- 8.11.3** *Awareness Videos through MyGov collaboration-* Short videos of 30 seconds or 60 seconds were developed with celebrity endorsements on tips and precautions to stay safe and healthy during COVID times for mass awareness via MyGov platform.
- 8.11.4** Further, a set of videos on various awareness topics including simple tips to check adulteration in food; benefits of food fortification to address micro nutrient deficiencies; awareness on Trans fats; adulteration tests for school children etc. were also developed by FSSAI for mass awareness. These videos are circulated via different modes including whatsapp for wider outreach.
- 8.11.5** *Awareness via TV-* Various Scroll Messages on Eat Right India and other necessary requirements related to licensing/ registration of food businesses were telecast on DD News, DD Kisan and DD Regional Kendras. A 60 second video campaign 'Aaj se Thoda Kam' starring Shri Rajkummar Rao (Actor) was also released on Doordarshan to educate consumers.
- 8.11.6** *Featured Articles-*A total of 28 articles were featured in various online magazines.
- 8.11.7** *Online Eat Right Quiz on MyGov-* "Eat Right Quiz" is an initiative by the FSSAI to create awareness among people across the country regarding food safety, nutrition, healthy eating habits and sustainable food practices. This activity aims to engage, excite and enable citizens to improve their food habits and consequently their health and wellbeing through an interactive learning process. The quiz took place from 1st December, 2020- 31st Jan, 2021. Top 100 performers were awarded a cash prize of Rs. 1000/-. A total of 86,988 contestants participated in the quiz.
- 8.11.8** *Health and Wellness Online Awareness Series-* A series of lectures on "Eat Right, Eat Sustainably" were organized for the employees of FSSAI Headquarter as well as Regional Offices. It included a talk by Prof. Dr. Harald Stossier, Founder of VIVAMAYR, the Centre for Modern Mayr Medicine in Austria; Mr Sangram Singh, Olympic Winner & Motivational speaker & Fitness Expert; Dr Shikha Sharma, Nutritionist, through video conferencing on the importance of mindful eating, fasting and right nutrition as part of the awareness series.

FSSAI PRESENTS

#Recipe Ravivaar

Relish and Revamp Your Meals Using Fresh Local and Seasonal Fruits & Vegetables Produced in India.
STAY TUNED FOR DELICIOUS RECIPES, TIPS AND MORE.

Follow Us: @fssaiindia @fssai @fssai_safefood FoodSafetyIndia

EAT LOCAL SEASONAL

This February, learn about locally available seasonal fruits and vegetables and their benefits!

Stay Tuned!
 EVERY MONDAY, WEDNESDAY AND FRIDAY

Ministry of Health & Family Welfare Government of India

Eat Right To Stay Fit For Life

#HealthyAtHome #StayAtHome #HealthForAll #SwasthaBharat

Figure 20 - Highlights of awareness through social media

Codex

- 9.1** The Codex Alimentarius Commission (CAC) is a joint inter-governmental body of the Food and Agriculture Organization (FAO) and World Health Organisation (WHO) of the United Nations with 189 Members [188 Member countries and one Member Organization (EU)]. Codex has worked since 1963 to create harmonized international food standards to protect the health of consumers and ensure fair trade practices. India is a member of Codex Alimentarius Commission since 1964 and continues to be a partner in the international food standards development process. India actively participates in the Codex meetings and cooperates in hosting and co-hosting Codex Committee meetings to ensure that India's concerns/issues are taken into consideration while developing international standards.
- 9.2** FSSAI continued to function as the National Codex Contact Point (NCCP) of India, and participated actively in the Codex work for development of international standards that are fundamental to ensuring safety and fair practices in international trade of food products. The meetings of the Codex Alimentarius Commission and its subsidiary bodies took place virtually after a gap of almost a year. Various Codex related activities were undertaken during the period 2020-21.
- 9.3 Participation in Codex meetings**
- 9.3.1** The Indian delegation attended the following virtual meetings held during the period April 2020–March 2021 where the delegations ensured that India's concerns were largely addressed.
- 43rd session of Codex Alimentarius Commission (CAC43).
 - 79th and 80th sessions of the Executive Committee of the CAC (CCEXEC).
 - 32nd session of Codex Committee on General Principles (CCGP32).
 - Subcommittee of CCEXEC on Codex and pandemic.
 - 29th session of Codex Committee on Processed Fruits and vegetables (CCPFV29)-working by correspondence.

Standards for Chili sauce, Mango Chutney and Ware Potato as proposed and chaired by India were adopted as Approved Codex standards by CAC43.

9.4 Working groups including sub-committee and workshops

9.4.1 India actively participated in the following meetings in addition to the main Codex sessions, providing inputs and appropriately presenting India's concerns and interests:

- a. CCEXEC sub-committee on "Codex and pandemic".
- b. CCEXEC sub-committee on the Application of the Statements of Principle concerning the Role of Science.
- c. Incoming and Outgoing Regional coordinators workshop-India participated in the capacity of former Regional coordinator for FAO/WHO Coordinating Committee for Asia (CCASIA).
- d. Working group meetings corresponding to the main Codex meetings scheduled ahead in 2021.
- e. CCASIA-US Colloquium regarding the 32nd session of CCGP (CCGP32).

9.5 Revised Guidelines for working of National Codex Contact Point, India (NCCP)

9.5.1 Working guidelines for NCCP have been revised. The main features of the revised guidelines include establishment of Codex coordination groups with merging of the statutory and non statutory bodies of FSSAI and inclusion of wider range of stakeholders.

9.6 Food Safety Emergency Response System

During the year, a framework for Food Safety Emergency Response System was developed, which aims at managing a potential or confirmed risk to public health through a timely and coordinated response. Such a system also enables food authorities to focus on prevention and preparedness, rather than only reacting to individual events, and therefore, has a greater long-term sustainability

International Cooperation

10.1 In line with the FSS Act, 2006 the Food Authority is required to provide scientific and technical assistance to the Central Government and the State Governments for improving cooperation with international organizations. The Food Authority shall also promote co-ordination of work on food standards undertaken by international governmental and non-governmental organizations and promote consistency between international technical standards and domestic food standards. As a part of this activity, FSSAI has been a part of the following during the year 2020-2021.

10.2 Activities carried out under existing signed cooperation agreements

A. New Zealand

10.2.1 A virtual meeting with the High Commissioner of New Zealand in India and Chairperson, FSSAI was held on 11 August, 2020 to discuss modalities regarding implementing the Food Safety Cooperation Arrangement (FSCA) between Ministry of Primary Industries (MPI) and FSSAI.

10.2.2 Follow up actions:

- a. A preparatory virtual meeting with various Ministries/Departments was held on 10th September 2020 to finalise activities under the cooperation agreement with Ministry of Primary Industries. Discussions included areas of provisions for the port of entry inspection/expedited border clearance process, identification of focus on respective National Food Control System (NFCS), mutual acceptance for electronic certification, Mutual Recognition Agreement for organic products and trade issues in products such as buffalo meat and tropical fruits.
- b. Subsequently, the first Consultation Forum meeting with New Zealand side was held in September, 2020 wherein discussions were held in specific areas as identified by both sides. Broad areas included discussion regarding electronic certification, issues regarding organic certification, non-GM assurance etc.
- c. A second consultative forum meeting with New Zealand side was held on 25th February, 2021 to discuss next steps for signing of Implementing Provision for Port of Entry, Inspection and Expedited Border Clearance Process, update on FSSAI's review of BIS mark certification scheme requirements, cooperation on electronic certification, update on India's proposed requirements for non-

GM assurances and registration of foreign manufacturing premises laboratory cooperation on milk quality testing.

- d. A virtual meeting between H.E. Brent Rapson, Acting High Commissioner, New Zealand, and Ms. Rita Teatota, Chairperson, FSSAI was held on 3rd February, 2021 to discuss the Non-GMO Certificates issue and future activities under the aegis of MoU between FSSAI and MPI, New Zealand.

10.2.3 European Food Safety Authority (EFSA)

Under the aegis of the MOU with EFSA, a “EFSA-FSSAI discussion on data collection and Risk Assessment capacity building” was held on 25 September, 2020 wherein senior officials from FSSAI and delegates from EFSA and Embassy of India to the EU, Belgium and Luxembourg participated.

10.2.4 France

A meeting was held between the Counsellor for Agricultural Affairs, Embassy of France in India, and Director (Trade & IC), FSSAI on 2nd March, 2021 to formulate a work plan for cooperation under the aegis of MoU with ANSES (French Agency for Food, Environment and Occupational Health & Safety) for this year.

10.3 Trade Facilitation through meetings with Trade Partners

- i. CEO, FSSAI participated in the virtual meeting with USFDA on 25th August, 2020 to discuss about the possibilities of signing MoU between USFDA and FSSAI, training opportunities and knowledge sharing on Import Alert System of USA and detailed analysis of PREDICT system.
- ii. Officials from FSSAI contributed their inputs in the “Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) – World Bank Group (WBG) virtual event on “Food Safety: Improving Food Safety, Levelling the Playing Field in the COVID Era” held on 11th November 2020.
- iii. FSSAI’s Officials and Mr. Tomasz Janczak, Second Secretary of Poland, discussed the requirements of Non-GM cum GM-Free certificates to accompany imported food consignments in the virtual meeting held on 2nd December, 2020.
- iv. Officials from FSSAI participated in 11th JWG between India and EU held on 9th December, 2020 on Web to Review of action points of last meeting i.e. 10th India-EU JWG Meeting, EU policy developments (“farm to fork” strategy–state of play), Requirement for non GM-cum-GM free certification for food.
- v. Officials from FSSAI contributed in the 3rd Joint Working Group (JWG) meeting on Food Processing between India and Denmark held on 18th December, 2020 on issue related to food safety.

- vi. Officials from FSSAI participated in the WHO information session on Food Safety Summit held on 12th January, 2021 and informed the participants in the session about the Eat Right Initiatives taken by FSSAI.
- vii. Officials from FSSAI contributed in the 4th virtual conference with Bhutan officials on 13 January, 2021 to discuss the action points arising out of the visit of Hon'ble Minister for Commerce and Industry to Bhutan.
- viii. Meeting with Australian High Commission Counsellor Dr. Yuke Lork with FSSAI's Officials was held on 2nd February, 2021 to discuss change in Australia export certification, GM-free certification food import, foreign food manufacturing (registration/Inspections).
- ix. A meeting between Mr Juan Rolando Angulo Monsalve, Ambassador, Embassy of Chile, with CEO, FSSAI to discuss bilateral issues was held on 11th February, 2021.
- x. Officials from FSSAI participated in the 13th meeting of the Joint Working Group (JWG) on Trade between India and Bangladesh held on 16-17th February, 2021 to discuss issues in recognition of food testing laboratories.
- xi. Officials from FSSAI discussed the FSSAI–U.S. Food and Drug Administration Regulatory Partnership on Shrimp in the virtual meeting with USFDA on February 27, 2021.
- xii. Officials from FSSAI participated in the “2nd Heads of Food Agencies Forum Meeting” held virtually on 1st March, 2021.
- xiii. Officials from FSSAI participated in the 7th JWG meeting on Agriculture between India-Germany held virtually on 02nd March, 2021 to discuss about the upcoming capacity building programmes and cooperation in the area of food safety.
- xiv. Officials from FSSAI contributed in the meeting of Coordination Committee on Agriculture and Agro-processing under India–Russia Strategic Economic Dialogue (IRSED) through VC, held on 10th March, 2021 on the matters pertaining to food safety.
- xv. Officials from FSSAI participated in 9th India-France JWG meeting on Agriculture at New Delhi in March, 2021 to discuss cooperation in the fisheries sector through Agence Francecaise de Development. Discussions were also held on organic products, re-certification of French products imported into India, Non-GM Certification for 24 imported products, Phytosanitary Certificates for transformed products, Draft FSS (Import) Notification dated 16th November, 2020 on registration and inspection of foreign food manufacturing facilities. road map for MoU between ICAR-INRA-CIRAD.

Digitalisation, Leveraging Technology & e-Governance at FSSAI

11.1 Role and Responsibilities of the IT Division of the FSSAI

11.1.1 During past several years, FSSAI has been leveraging technology to enable a series of reforms, bringing food safety and nutrition together, focusing on consumer empowerment, while rapidly working through partnerships and convergence. With altering paradigms of Information and Communication Technology (ICT), the three years old Information Technology (IT) Division of the FSSAI is on a constant endeavour to cater to the most of its diverse requirements to provide all kinds of ICT support to various stakeholders and all divisions of the FSSAI in infrastructural support, hardware support and in development of software application/portal support.

11.1.2 The main task of the IT Division is to develop, deploy and support IT infrastructure that ensures ease of access for internal staff of all divisions of the FSSAI, partner organizations, food businesses, consumers and other stakeholders of the authority. The presently established IT Division, in-housed at FSSAI, comprises of about 36 personnel that includes Project Coordinators, domain expertise at various levels and with a variety of skill-sets etc.

11.2 Strengthening of IT Infrastructure in FSSAI

11.2.1 IT infrastructure has been significantly strengthened both at New Delhi headquarters and at Regional Offices:

- (i) Bandwidth for the Internet connectivity at all offices has been enhanced and as on date it is 300 MBPS at FSSAI Headquarter at Delhi through PGCL, 100 MBPS through NIC dedicated for E-office and 12 MBPS at all other Regional Offices. At NIC Data Centre, there are six Servers for FLRS (now FoSCoS), with total allocated resource: 292 Core CPU, 224GB RAM and 20.252TB HDD.
- (ii) Cloud Adoption: Various website, micro-sites and other application portals are now running from BSNL cloud. FSSAI has adopted "Cloud First" strategy for hosting all its new applications on Internet which helped in reducing the time and cost required.
 - (a) At BSNL Cloud, for FICS, there are now three VMs with total Allocated Resource: 14vCPU; 40GB RAM; 2240GB HDD. In addition, services of BSNL Cloud for all

other 40+ websites/portals (11VMs) with total Allocated Resource: 16vCPU; 28GB RAM 1040GB HDD for all Websites have been taken.

- (b) At National Cloud Services 'Meghraj' of NIC, the Food Safety Compliance System (FoSCoS) application is already hosted. It provides a reliable, cost-effective and robust infrastructure with proper disaster recovery functionalities. It has eight VMs with total allocated resource: 112vCPU; 224 GB RAM and 3620 GB HDD.
- (iii) FSSAI Headquarter and Regional Offices are now equipped with Video-conferencing facility and regular video conferencing is being conducted internally and with officials of the State Governments, as and when required resulting in better co-ordination among these cutting travel and other costs drastically.

11.2.2 With this, all applications will adopt to very secure Cloud Architecture ensuring Speed, Security, Greater Accessibility, Lower Costs, Scalability and Flexibility.

11.3 System/ Software Applications / Portals

11.3.1 Digitalization in FSSAI has stepped up its focus — from concept to commission, resulting in creation of various new application ecosystems, new data ecosystem which, in turn, will spur new products, services, channels and portals to create ecosystem for consumers to adapt its models. Key digital initiatives include introduction of following Software Applications, Portals and Micro-sites –

- a. Food Safety Compliance System (FoSCoS)
- b. Food Import Clearance System (FICS)
- c. Indian Food Laboratories Network (INFoLNET)
- d. Food Safety Training and Certification (FoSTaC)
- e. Food Safety Compliance through Regular Inspection & Sampling System (FoSCoRIS) APP
- f. Eat Right India and other Micro-Sites Digitalization Initiatives

Besides sustaining above mentioned major applications, several new tasks rolled out during the year 2020-21 are described below in brief.

11.4 A. Food Safety Compliance System (FoSCoS)

- (a) Food Safety Compliance System (FoSCoS) is operational Pan-India w.e.f 1st November, 2020 which has replaced existing Food Licensing and Registration System (FLRS) (operational since 2011) | FoSCoS (earlier FLRS) is one of the major software applications of online licensing platform that facilitates Licensing and Registration System of the FSSAI and is operational Pan India including all 16

zones of the Railways of the Country. FoSCoS was launched successfully and is running smoothly. It is available at <https://foscoss.fssai.gov.in/>. It has additional functionalities with the intent to make it simpler, faster and comprehensive so that FBO is able to get food license or can get registration certificate with ease. The system architecture of FoSCoS is based on state-of-the-art technology and uses Microservices that allows it to break into number of independent collaborating components.

- (b) Some of the important developments in respect of FoSCoS completed in the year 2020-2021 include -
1. The FoSCoS application has implemented Pan India RazorPay Payment Gateway and fee is collected centrally and is transferred to bank account details of States.
 2. Migration of active licence and registration data from FLRS system.
 3. Fortification application module in FoSCoS.
 4. Kind of Business (KOB) wise document list generation.
 5. Launch of FoSCoS for Railways FBOs Pan India.
 6. Integration of Audit Management System and Hygiene Rating System with FoSCoS.
 7. Launch of FoSCoRIS App for conducting inspections with various new functionalities.
 8. Auto-generation and auto-rejection of licence and registration applications for all stages except inspection.
 9. AxisBillDesk Treasury Payment integration for State of West Bengal.
 10. MP Online Payment integration for State of Madhya Pradesh.
 11. E-Challan and SBI E-PAY Payment integration with State of Delhi.
 12. Migration Activity from FLRS to FOSCOS completed in the month of December 2020.
 13. PayUBizz implementation for All India Central/State/Registration.
 14. New Districts Mapping in FoSCoS being taken as a continuous process.
 15. Auto Refund and Auto Reconciliation in RazorPay and PayUBizz.

B. Food Import Clearance System (FICS)

- (a) The Food Import Clearance System (FICS) is an Integrated Web based System for the Process of Clearance of Imported Food into India and is also integrated with Customs' ICEGATE system. The Food Import Alert System (FIAS) has also been

embedded into FICS, available at <https://fics.fssai.gov.in/> that enables Custom Officers for food rejection at Ports.

(b) Some of the important developments in respect of FICS completed in the year 2020-21 include:

1. *FICS-FoSCoS integration*- An API is developed by FoSCoS and consumed by FICS to authenticate and capture the details of FSSAI License (importer) in FICS.
2. *Message exchange for Provisional NOC*- Earlier there was no message exchange for Provisional NOC for perishable & pre packaged retail items. The clearance at ports was happening by issuing physical copy of PNOC. Now from 1st January, 2021 automatic message service has started between FSSAI & Customs.
3. *Reporting Server*- A separate reporting server is provided to FSSAI ports for the purpose of search & reporting to divert the traffic load from production server. The link is shared with concerned officers.
4. *Training Server*- A separate training server is provided to stakeholders for creating awareness about the application process flow.
5. *Addition of new ports & point of entries*- 2 new Ports (Mundra & Krishnapatnam) and 22 new Points of Entry are added in FICS. All are operational from 10th March, 2021.
6. *Single window Bill of Entry Count*- A provision has been made in Director(Import) login to check the count & status of bills of entry received through single window.
7. *AO Clarification Provision*- Authorised Officer can seek independent/subsequent queries after scrutinize by Technical Officer.
8. *End Usage Declaration*- Provision for uploading document is disabled and new fields are introduced to capture the End Use information.

(c) Ongoing developments:

1. SEZ Integration
2. DGFT Integration
3. Optimization of dashboards

C. **Indian Food Laboratory Network (INFoLNET)**

Indian Food Laboratory Network (INFoLNET) is an IT solution for integrating all categories of Labs which are involved in any type of food sample testing. This system helps in planning and execution of surveillance activities by the States. Some of the

new features introduced in INFoLNeT in the year 2020-21 are:

1. Provision for Digital Signature of test reports.
2. Product vs parameter database updated according to the standards.
3. Lab Equipments list included.
4. Data analysis on testing samples.
5. Make easier for Lab to update their Profile.
6. Dynamic listing of Labs in FSSAI Lab Admin login and provision to enable/disable a Lab.
7. Product Survey feature
8. Third party LIMS integration with InFoLNeT.

D Food Safety Training and Certification (FoSTaC) Training Portal

FoSTaC is the food safety training and certification portal for all Food Business Operators (FBOs) across the food value chain. Training and Certification has now become a key function of FSSAI. In addition to the online resources, it has three type of training modules viz. Basic, Advance and Special.

Some of the important developments completed in the year 2020-21 in respect of FoSTaC Portal include-

1. COVID registration Link.
2. COVID courses created.
3. Dashboard modified according to COVID courses.
4. Assessment status updated: inclusion of ABSENT field.
5. Trainee registration: Form updated with multiple checks.
6. Matrix for minimum time and maximum seat capacity developed for automatic approval of training calendars.
7. Links created for online modules of study material of ppts, pdfs and text documents
8. Check on trainers and assessor availability has been incorporated.
9. Offline and online module of training calendar created with links of training.
10. Check on assessment date and time and end date and time incorporated.
11. Mapping of all existing trainers to new COVID courses.
12. Trainee registration from TP module updated as per new form requirement.

E. Hygiene Rating Portal

Developments during the year 2020-21 include :

1. Incorporation of FoSCoS with Hygiene Rating.
2. All modules updated of DO/FSO/Commissioner according to FoSCoS.
3. License numbers corresponding FBO IDs have been updated.
4. 6 APIs incorporated as per new FoSCoS.
5. API made by FSSAI which gets reflected in FoSCoS corresponding to hygiene ratings done.

F. Audit Management System

Developments during the year include:

1. Whole project has gone live in the defined period.
2. Auditor/Agency module synced according to FoSCoS modules.
3. License details made according to FoSCoS requirements.
4. API made by FSSAI which gets reflected in FoSCoS corresponding to AMS audits done.

11.5 Collaboration with MyGov Platform

FSSAI has undertaken collaboration with MyGov team to increase the reach of food safety programme and other initiatives through MyGov platform which has a wider reach. Under Eat Right India Programme, an online Eat Right Quiz campaign covering areas like healthy eating, safe food, consumer empowerment, food regulatory ecosystem, etc. was started on the MyGov Platform viz. <https://quiz.mygov.in/quiz/eatright-quiz>. After the successful event of Eat Right Quiz Programme, another campaign 'Expert Speaks' has been initiated where a small duration video tip by Experts on eating right is made available on the MyGov Platform.

11.6 Social Outreach/Digital Connect

11.6.1 As in the past, many new communication channels have been introduced to reach end- consumers directly, which act as a direct link between consumer and the FSSAI. Now, FSSAI has a considerable presence on Facebook, Twitter, YouTube and Instagram - four of the most widely used social media platforms.

11.6.2 FSSAI has also toll-free helpline desk and its helpline number has been circulated through the connect mediums. All the complaints/queries coming from the above mentioned multiple channels are being auto-redirected to web portal/ mobile APP- Food Safety Connect.

11.6.3 A Portal on Eat Right India has been developed that aims to ensure health and well-

being of people by promoting safe food and healthy diets through coordinated multi-sectoral approach. All independent Eat Right initiatives portals will be brought under this integrated Portal of the FSSAI.

- 11.6.4** Provision for online exam for trainers for Digital Mitra is in progress.
- 11.6.5** A new look integrated website of the FSSAI has been designed and developed looking into latest trends in the website design. Information has been structured in a more convenient way so that citizens can search for data in effective way. All applications and initiatives of the FSSAI can be easily accessed through this integrated website available at <https://fssai.gov.in>.
- 11.6.6** An online training program created for the FSOs will ensure that the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) regulations are understood well which will help in assuring quality of the fortified products. Website available at <https://ffrc.fssai.gov.in/training/>

Table 18- List of FSSAI's websites/portals and other Digital Initiatives

S. N.	Name	URL
1	FSSAI Integrated website main (Bilingual)	https://fssai.gov.in
2	Food Safety Compliance System (FoSCoS)	https://foscoss.fssai.gov.in/
3	Food Imports Clearance System (FICS)	https://fics.fssai.gov.in
4	Food Safety Training and Certification (FoSTaC)	https://fostac.fssai.gov.in
5	Food Fortification Resource Centre (FFRC)	https://ffrc.fssai.gov.in
6	Indian Food Laboratory Network (InfolNET)	https://infolnet.fssai.gov.in/
7	Food Product Identity Verification System (FPIVS)	https://fssai.gov.in/fpivs
8	Food Culture	https://fssai.gov.in/foodculture
9	IFS Quick Access	https://fssai.gov.in/IFSquickaccess
10	Hygiene Rating	https://eatrightindia.gov.in/hygieneRating
11	Food Safety Knowledge Assimilation Network (FSKAN)	https://fssai.gov.in/fskan
12	FSSAI Internship Portal	https://fssai.gov.in/internship
13	FSSAI Recruitment Portal	https://fssai.gov.in/recruitment
14	FSSAI Trainers Portal	https://fssai.gov.in/trainers
15	FSSAI Scientific Panels Portal	https://fssai.gov.in/scientificpanels
16	Diet4Life	https://diet4life.fssai.gov.in
17	Detect Adulterations with Rapid Test: DART	https://fssai.gov.in/dart
18	Food Safety Compliance through Regular Inspection and Sampling System (FoSCoRIS)	https://foodregulatory.fssai.gov.in/foscoris

S. N.	Name	URL
19	Food Regulatory Portal	https://foodregulatory.fssai.gov.in/
20	Jaivik Bharat: Organic Integrity Database	https://jaivikbharat.fssai.gov.in/
21	Save Food Share Food Portal	https://sharefood.fssai.gov.in/
22	FSSAI e-Comments Portal	https://fssai.gov.in/comments
23	Eat Right Movement	https://fssai.gov.in/EatRightMovement and several micro-portals for individual initiatives.
24	Repurpose Used Cooling Oil (RUCO)	https://fssai.gov.in/ruco/
25	Frequently Asked Question Mentor (FAQS)	https://fssai.gov.in/faqs
26	FSSAI Eat Right India Initiative Website	https://eatrightindia.gov.in/ and several micro-portals for individual initiatives.
27	Network of Professionals in Food & Nutrition (NetProFaN)	https://fssai.gov.in/NetProFaN
28	State Food Safety Index (SFSI)	https://fssai.gov.in/sfsi
29	Food Import Clearance Training of Authorised Custom Officers	https://fssai.gov.in/fictac
30	Audit Management System	https://fssai.gov.in/AMS/
31	Food Safety Connect	https://foscos.fssai.govin/consumergrievance/
32	FSSAI Covid Portal	https://fssai.gov.in/fscovidportal/
33	Food Analyst Exam Portal	https://fssai.gov.in/cms/fae-jae.php

11.7 Way Forward: FSSAI has started many new initiatives

1. The new Food Safety Compliance System (FoSCoS) is launched with various new features and the application will have some new features soon.
2. New Food Imports Clearance System (FICS) application will be developed and launched by the end of 2021-22.
3. INFoLNeT 2.0 launched with various new features. More features to come. Surveillance portal and Integration of INFoLNeT with LIMS.
4. Aadhaar authentication will be integrated to FoSCoS and FICS.
5. Integration with PAN, Aadhaar, CIN & GSTN.
6. Portal for Recognition of Laboratory to be developed.

Rajbhasha

- 12.1** भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अपने सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी इसी प्रतिबद्धता को निभाने में खाद्य प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसरण में राजभाषा का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- 12.2 वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति**
- (i) प्राधिकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। सभी प्रभागाध्यक्ष इस समिति के सदस्य हैं।
 - (ii) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। वर्ष के दौरान इन बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया गया और निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती रही।
 - (iii) प्राधिकरण में हिंदी जानने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मूल रूप से हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। वर्ष के दौरान इस प्रकार की 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में प्राधिकरण में नव-नियुक्त कर्मचारियों और अधिकारियों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए हिंदी में सरकारी कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया।
 - (iv) प्राधिकरण में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए हिंदी के प्रयोग प्रयोग से संबंधित प्रत्येक तिमाही में तैयार की गई तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में गई और यह रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी गई।
 - (v) राजभाषा अनुदेशों के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 14-29 सितम्बर, 2020 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े का शुभारंभ 14 सितम्बर को हिंदी दिवस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक समारोह के आयोजन से हुई। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया:
 1. टिप्पण और आलेखन
 2. निबंध
 3. वाद-विवाद
 4. अनुवाद

उपर्युक्त प्रतियोगिताओं के लिए प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार और सांत्वना पुरस्कार के रूप में क्रमशः 4000/-रुपये, 2500/-रुपये, 1500/-रुपये और 750/- रुपये की राशि रखी गई थी। इसके अलावा वर्ष के दौरान सर्वाधिक कार्य करने वाले अनुभागों को सम्मानित करने के लिए रखी गई शील्ड योजना के अंतर्गत प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन प्रभाग को यह शील्ड प्रदान की गई। इसके अलावा, तकनीकी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आइडियार्थॉन1-फूड फार थाट के अंतर्गत में सर्वश्रेष्ठ हिंदी प्रविष्टि को 5000/- रुपयेकी नकद राशि से पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में अध्यक्ष महोदय ने सभी विजेताओं को नकद राशि और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया।

- (vi) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यालय सहायिका का प्रकाशन किया गया है।
- (vii) वर्ष के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में खाद्य प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया गया।
- (viii) सभी प्रभागों और अनुभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों से परस्पर संपर्क अभियान जारी रखा गया।

12.3 अनुवाद कार्य

सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन कराने के लिए प्राधिकरण के महत्वपूर्ण दस्तावेज का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना जारी रहा।

Chapter-13
RTI Matters
Details for the Year 2020-21 (01.04.2020-31.03.2021)

1	Summary of handling of RTI applications during the period	Opening Balance	No. of applications received as transfer from other public authorities u/s 6(3)	Applications received during the period (including cases transferred to other PAs)	No. of cases transferred to other public authorities u/s 6(3)	Decisions where requests/appeals rejected	Decisions where requests/appeals accepted							
	Requests	117	290	1150	184	8	1236							
	First Appeals	7	0	133	0	0	98							
2	Disciplinary cases	No. of cases where disciplinary action taken against any officer					One							
3	No. of officials designated as CAPIOs/CPIOs/AAs	Total No. of CAPIOs designated			Total No. of CPIOs designated		Total No. of AAs designated							
		Nil			27		27							
4	No. of times various provisions were invoked while rejecting requests Relevant Sections of RTI Act 2005													
	Section 8 (1)										Sections			
	a	b	c	d	e	f	g	H	i	j	9	11	24	others
	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5	Registration Fee Collected (in Rs.) u/s 7 (1)				Addl. Fee collected in Rs. u/s 7(3)				Penalty Amount Recovered (in Rs.) as directed by CIC u/s 20 (1)					
	₹ 2380				₹ 2024				0					
6	If the Public Authority made any changes in regard to its rules/regulations/procedures as a result of requested information by the citizens, please provide the summarized details of the changes (max. 500 chars) - NIL													
7	Block V (Details regarding Mandatory Disclosures)													
A	Is the Mandatory Disclosure under Section 4 (1) (b) posted on the website of public Authority?				If Answer of (A) is No- Is there any other medium of dissemination? Provide details below.				If Answer of (A) is Yes- Provide the details/URL of webpage, where the disclosure is posted.					
	Yes				N.A				https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/RTI_Information_Section_22_01_2020.pdf					
B	Last date of updating of Mandatory disclosure under section 4 (1) (b)										22.01.2020			
C	Has the mandatory disclosure been audited by third party as per DOPT OM No. 1/6/20011-R dated 15.05.2013?										If Answer of (C) is Yes- Provide the details/ URL of webpage, where the Audit report is posted.			
	No										-			



FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL YEAR 2020-21

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

(A Statutory Authority established under the Food Safety & Standards Act, 2006)

FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110 002

Contents

1.	Balance Sheet	113
2.	Income & Expenditure Account	114
3.	Schedules to the above Financial Statements	115
4.	Receipts and Payment Account	133
5.	Schedule 26 – Significant Accounting Policies, Schedule 27 – Contingent Liabilities and Notes on Accounts	135
6.	Annexure I	139
7.	Separate Audit Report of Comptroller & Auditor General of India	147

BALANCE SHEET AS ON 31-03-2021

(Amount in Rs.)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
Corpus/Capital Fund	1	6,67,66,83,748	4,80,37,34,124
Reserves And Surplus	2	-	2,34,65,151
Earmarked/Endowment Funds	3	-	-
Secured Loans And Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans And Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities & Provisions	7	75,45,45,201	59,95,13,590
TOTAL		7,43,12,28,949	5,42,67,12,865
ASSETS			
Fixed Assets	8	23,07,31,708	24,54,63,809
Investments-From Earmarked/Endowment Funds	9	-	-
Investments-Others	10	-	-
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	7,20,04,97,241	5,18,12,49,056
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		7,43,12,28,949	5,42,67,12,865

AD (F)

DIR (F)

CEO, FSSAI

PLACE : NEW DELHI

DATE : 10.11.2021

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2021

(Amount in Rs.)

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Services	12	46,61,86,539	56,38,76,750
Grants/Subsidies from Ministry of Health & Family Welfare	13	1,75,11,59,341	2,74,19,93,501
Grants/Subsidies from Other Agencies	13.1	-	16,97,272
Fees/ Subscriptions	14	-	-
Income from Investments (Income on Invest. from earmarked/ endow. funds transferred to funds)	15	1,688	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	-	-
Interest Earned	17	31,83,96,692	28,06,61,979
Other Income	18	2,96,21,910	9,54,41,639
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and work in progress	19	-	-
TOTAL (A)		2,56,53,66,169	3,68,36,71,141
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	24,40,97,021	19,80,40,480
Administrative Expenses etc.	21	78,84,47,721	51,83,33,117
Repair & Maintenance Expenses	22	7,17,99,928	5,90,10,343
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	23	4,64,595	1,10,34,55,278
Depreciation	24	3,59,56,198	3,24,09,141
Interest	25	9,76,41,290	-
TOTAL (B)		1,23,84,06,753	1,91,12,48,359
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		1,32,69,59,416	1,77,24,22,782
Transfer to Special Reserve		-	-
Transfer to/from General Reserve		-	-
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND		1,32,69,59,416	1,77,24,22,782
Significant Accounting Policies	26		
Contingent Liabilities and Notes On Accounts	27		

AD (F)

DIR (F)

CEO, FSSAI

PLACE : NEW DELHI

DATE : 10.11.2021

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2021

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND:	Current Year	Previous Year
Balance as at the beginning of the year	4,80,37,34,124	3,03,13,11,342
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund		
Add/(Deduct): Balance of net income/(expenditure) transferred from the		
Income and Expenditure Account	1,32,69,59,416	1,77,24,22,782
Add: Capitalization of Capital Fund	52,25,25,057	-
Add: Amount transferred from Endowment fund	2,34,65,151	-
BALANCE AS AT THE YEAR - END	6,67,66,83,748	4,80,37,34,124

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS:	Current Year	Previous Year
1. Capital Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
2. Revaluation Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
3. Special Reserves:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
4. Opening Bank Balance added during the year:		
ICICI Bank 2194 (SBY)	-	98,444
ICICI Bank 2456 (CSC)	-	2,33,66,707
	-	-
TOTAL	-	2,34,65,151

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2021

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS		
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
	Fixed Asset Fund	Fixed Asset Fund
a) Opening balance of the funds	-	-
b) Additions to the Funds:		
i. Donations/Grants	-	-
ii. Income from Investments made on account of funds	-	-
iii. Other additions (specify nature)		
a) Capital Expenditure - Plan	-	-
b) Capital Expenditure - Non Plan	-	-
c) Gifted Capital	-	-
e) Staff Subscription to GPF	-	-
f) Interest credited in GPF Account	-	-
g) Refund of Advance	-	-
iv. Accumulated Reserve	-	-
v. Transfer to Corpus fund	-	-
Total (b)	-	-
TOTAL (a+b)	-	-
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
i. Capital Expenditure	-	-
- Fixed Assets	-	-
- Others	-	-
- Disposal of unserviceable material	-	-
- Depreciation during the year	-	-
Total	-	-
ii. Revenue Expenditure		
- Salaries, Wages and allowances etc.	-	-
- Rent	-	-
- Other Administrative expenses	-	-
- Advance to staff	-	-
- Final Payment to Staff and Artists	-	-
- Transferred to Unclaimed Balances	-	-
- Final Withdrawals by staff	-	-
Total	-	-
TOTAL (c)	-	-
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)	-	-

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2021

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS		
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions		
a) Term Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks		
a) Term Loans	-	-
- Interest accrued and due	-	-
b) Other Loans (specify)	-	-
- Interest accrued and due	-	-
5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2021

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS		
1. Central Government		
2. State Government (Specify)		
3. Financial Institutions		
4. Banks:		
a) Term Loans		
b) Other Loans(specify)		
5. OtherInstitutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Fixed Deposits		
8. Others (Specify)		
TOTAL	-	-

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	Current Year	Previous Year
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b) Others	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2021

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors		
a) For Goods/Services (as per Schedule-7.1)	11,04,58,635	8,63,98,188
b) Others (as per Schedule-7.2)	-	-
3. Earnest Money Deposits	11,39,910	6,60,910
4. Interest accrued but not due on:		
a) Secured Loans/borrowings		
b) Unsecured Loans/borrowings		
5. Statutory Liabilities:		
a) Overdue	-	-
b) Others (Duties & Taxes for the Month payable in next F.Y)	49,68,601	70,39,731
6. Other current Liabilities:		
a) Deductions from Salaries	63,98,284	8,06,131
b) Stale Cheques	26,14,074	22,99,199
c) Security Deposits Received	1,78,95,914	1,79,95,914
d) FRSL Old Pending Payments	-	(7,095)
e) Wrong Credits by Bank	7,05,000	-
f) GST Reverse Charges & Relief Fund Payable	4,249	96,669
g) Superintendent of Tax Guwahati	832	
7. State License and Registration Fund :	-	
a) 39 Virtual Accounts at BOB	52,71,31,186	8,26,34,267
b) Receipts from CSC	2,44,58,428	9,68,50,700
c) Designated Officer	-	
8. Unspent balance of the grant at the end of the year:		
a) Unspent Grant at the end of the year	5,87,70,088	30,47,38,976
	-	
TOTAL (A)	75,45,45,201	59,95,13,590

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2021
(Amount in Rs.)

B. PROVISIONS		
1. For Taxation		-
2. Gratuity	-	-
3. Superannuation/Pension	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	-	-
5. Trade Warranties/Claims	-	-
6. Others (Specify)	-	-
a) Rent Rate & Taxes Expenses	-	-
b) Office Expenses	-	-
c) Supply & Material Expenses	-	-
d) Travelling Expenses	-	-
e) TDS Payable	-	-
f) Relief Fund	-	-
g) Suspense	-	-
TOTAL (B)	-	-
TOTAL (A+B)	75,45,45,201	59,95,13,590

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 7.1 - SUNDRY CREDITORS FOR GOODS/SERVICES		
1 Leave salary and pension contribution	-	4,85,456
2 Member of scientific panel	-	2,21,394
3 Accredited private laboratories claims	10,19,53,111	8,42,65,215
4 Arbro pharmaceuticals limited	2,19,233	2,19,233
5 Asian scientific industries (Delhi)	2,56,409	2,56,409
6 Drawing & distribution officers	-	11,800
7 Export inspection agency Kochi	-	27,104
8 ICAR unit CIFT Kochi	-	977
9 University of kolkata	-	1,40,600
10 Lal Bahadur Shastri	-	7,70,000
11 135 cities and district	35,00,000	-
12 CSC State funds	44,88,500	-
13 Gurusons Communication Pvt Ltd	35,382	-
14 Online eat right quiz	5,000	-
15 Revival	1,000	-
TOTAL	11,04,58,635	8,63,98,188

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 7.2 - SUNDRY CREDITORS FOR OTHERS		
1 Interest Expenses Payable	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2021
(Amount in Rs.)

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified) {FDR with Banks}	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2021

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 11 CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS:		
1. Inventories		
a) Stores and Spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in-trade		
Work-in-progress - Northern Region (CHEB)	45,90,000	45,90,000
2. Sundry Debtors		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	-	-
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)	90,884	90,884
4. Bank Balances:		
a) With Scheduled Banks:		
- On Deposit Accounts	3,83,17,67,463	3,05,77,85,586
- On Regional Offices Saving Accounts	11,05,15,311	10,17,61,853
- On Saving Accounts with Headquarter & Others	1,13,24,47,826	1,03,38,37,935
- TDS Deducted on F.D's	5,89,65,759	4,16,43,304
- TDS Deducted on (other than FD)	14,98,088	-
- Saving Bank Account (SBY)	2,24,21,523	1,33,48,731
- Saving Bank Account (CSC)	1,13,868	16,14,650
b) With non-scheduled Banks:		
- On Current Accounts	-	-
- On Deposit Accounts	-	-
- On Saving Accounts	-	-
5. Post Office-Savings Accounts	-	-
TOTAL (A)	5,16,24,10,723	4,25,46,72,943

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2021
(Amount in Rs.)

SCHEDULE 11 CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)	Current Year	Previous Year
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. Loans		
a) Staff	-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity	-	-
c) Other(specify)	-	-
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received		
a) On Capital Account	-	-
b) Prepayments	-	-
c) Others	-	-
- Security Deposits	3,04,65,650	3,04,65,650
- Central Drugs Standards Control Organisation (60% Share)	11,01,18,779	9,33,83,062
- Export Inspection Council (Mumbai)	-	11,76,473
- Advance given in the F.Y 2020-2021 (Annexure I)	1,12,97,25,051	-
- Advance given in the F.Y 2019-2020 (Annexure I)	31,66,21,924	42,40,03,023
- Advance given in the F.Y 2018-2019 (Annexure I)	2,04,61,897	2,11,32,015
- Advance given in the F.Y 2017-2018 (Annexure I)	1,12,17,691	1,17,68,020
- Advance given in the F.Y 2016-2017 (Annexure I)	43,03,223	56,20,186
- Advance given in the F.Y 2015-2016 (Annexure I)	62,85,658	62,85,658
- Advance given in the F.Y 2014-2015 (Annexure I)	4,45,931	4,45,931
- Advance given in the F.Y 2013-2014 (Annexure I)	96,575	96,575
- Advance given during F.Y 2008-2009 to F.Y 2012-2013 (Annexure I)	1,40,57,916	1,40,57,916
- Advance Rent Chennai Port Trust	15,34,02,084	15,87,30,084
- Advance Rent JNPT Mumbai	2,27,88,466	2,50,90,122
- Advance Income Tax (Appeal)	2,26,97,685	2,26,97,685
3. Income Accrued		
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds		
b) On Investments - FD	2,59,505	86,55,738
c) On Loans & Advances		-
d) Others		
4. GST Adjustable	19,51,38,484	10,29,67,975
TOTAL(B)	2,03,80,86,519	92,65,76,113
TOTAL(A+B)	7,20,04,97,241	5,18,12,49,056

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2021

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES		
1) Income from Sales		
a) Sale of Finished Goods		
b) Sale of Raw Material	-	-
c) Sale of Scraps	-	-
2) Income from Services		
a) Licence Fee		
i) Licence Fee	31,64,73,377	39,33,06,366
ii) Licence Fees (Annual Return)	3,15,65,760	5,87,73,237
iii) Penalty (Annual Return)	17,46,100	-
iv) Pre-Printed Packaging Material Fees	5,04,000	4,93,500
b) Sample Testing Fee	33,37,268	1,33,02,597
c) Product Approval Fee	36,50,000	56,00,000
d) Import Fees Visual Inspection etc	-	
i) Visual Inspection Fees	9,50,96,033	7,80,86,046
ii) First Review Fees	1,37,16,001	1,36,30,004
iii) Second Review Fees	70,000	6,85,000
e) Application Processing Fees	28,000	-
TOTAL	46,61,86,539	56,38,76,750

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2021
(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 13 - GRANTS/SUBSIDIES		
1) Central Government (Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)	1,73,92,00,000	3,01,22,00,000
2) State Government		
3) Government Agencies		
4) Institutions/ Welfare Bodies		
5) International Organisations		
6) Others :		
Add: Unspent balance at the beginning of the year	7,04,80,274	3,45,32,477
Less: Grants Refunded to Ministry	-	-
Less: Unspent balance of grant at the end of the year	(5,85,20,933)	(30,47,38,976)
Less: Grants Capitalised during the year	-	-
TOTAL	1,75,11,59,341	2,74,19,93,501

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 13.1 - GRANTS/SUBSIDIES FROM OTHER AGENCIES		
1) WHO Joint Codex Trust Fund 2 Project	-	4,55,010
2) FAO United Nations	-	12,42,262
TOTAL	-	16,97,272

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2021

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTION		
1) Entrance Fees	-	-
2) Annual Fees/ Subscription		
3) Seminar/Program Fees		
4) Consultancy Fees		
5) RTI Fees	-	
TOTAL	-	-

(Amount Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS		
1) Interest		
a) On Govt. Securities	-	-
b) Other Bonds/Debentures	-	-
2) Others:		
- Penal Interest Recovered	1,688	
- Interest from investments	-	-
TOTAL	1,688	-
TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	1,688	-

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2021

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC.		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1	Income from Royalty	-	-
2	Income from Publication	-	-
3	Others (Specify)	-	-
TOTAL		-	-

		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED			
1	On Term Deposits		
	a) With Scheduled Banks		
	I ICICI Bank	1,48,53,684	63,894
	II AU Small Finance Bank	10,03,00,656	18,79,92,681
	III Indusind Bank	7,72,22,670	3,84,492
	IV ICICI Bank	7,27,930	4,44,952
	V CSC Bank Account	-	28,86,974
	VI Equitas Bank	84,30,144	-
	VII Union Bank	3,20,40,883	-
	IX Bank of Baroda	2,11,16,326	-
	b) Earned from Autosweep	4,42,63,375	4,66,19,136
	c) With Institutions		-
	d) Others		-
2	On Savings Accounts:		
	a) With Scheduled Banks (HQ)	82,35,558	4,22,69,850
	b) With Scheduled Banks (RO)	1,12,05,466	
	c) With Non-Scheduled Banks		-
	d) Post Office Saving Accounts		-
	e) Others: Interest refunded to Ministry		-
3	On Loans:		
	a) Employees/Staff		-
	b) Others		-
TOTAL		31,83,96,692	28,06,61,979

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2021

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 18 - OTHER INCOME		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1	Profit on Sale/disposal of Assets		
	a) Owned Assets	-	-
	b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	-
2	Miscellaneous Income		
	- Direct Recruitment Fees/ Food Analyst Exam Fees	24,40,491	6,22,13,825
	- Lab Testing & Auditing Agency	2,45,000	1,71,300
	- Sale of old Newspapers/Scrap	9,75,000	21,723
	- Sale of Tender Form/Application Fees	15,95,000	4,500
	- Sponsorship SBY	-	15,00,000
	- Sponsorship Eat Right Mela	-	17,50,000
	- FFRC Share	94,49,811	-
	- RTI Fees	3,448	5,718
	- Misc Income	1,37,562	55,125
	- CPF Receipts	-	6,25,500
	- SBY Cycle Auction	-	2,67,010
	- Auction in Kolkata	-	1,72,000
	- RAFT Certification	1,13,500	-
	- Rockefeller Foundation Newyork (Prize Money)	1,46,62,098	-
	- Capital Expenditure F.Y. 2018-19 (Recovered)	-	2,86,54,938
TOTAL		2,96,21,910	9,54,41,639

SCHEDULE 19 - INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a)	Closing Stock		
	- Finished Goods	-	-
	- Work in Progress	-	-
b)	Less: Opening Stock		
	- Finished Goods	-	-
	- Work in Progress	-	-
NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)		-	-

SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a)	Salaries and Wages	22,40,41,922	17,75,60,733
b)	HR Division Contractual Staff	-	-
c)	Leave Salary and Pension Contribution	1,82,07,608	1,97,26,350
d)	Others:	-	-
	- Reimbursement of Medical Claims	18,47,491	7,53,397
TOTAL		24,40,97,021	19,80,40,480

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2021
(Amount in Rs.)

SCHEDULE 21 - ADMINISTRATIVE EXPENSES		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1	Electricity and Power	66,71,020	41,93,080
2	Water charges	1,80,302	8,80,869
3	Rent, Rates and Taxes	6,08,01,638	5,15,31,720
4	Postage and Communication Charges	2,53,039	4,16,341
5	Supply and Material	3,76,19,693	1,02,04,890
6	Travelling and Conveyance Expenses	1,90,67,723	3,89,54,709
7	Expenses on Seminar/Workshops	-	2,87,81,541
8	Subscription Expenses (Contribution to Codex Trust Fund)	18,30,885	18,66,997
9	Auditors Remuneration	4,64,300	1,27,200
10	Legal & Professional Charges	14,50,16,197	20,75,16,891
11	IEC & Publicity Expenses	7,22,17,311	6,84,27,350
12	Office Expenses	2,18,01,014	2,48,87,495
13	Training Charges	19,13,42,291	83,90,735
14	Surveillance	17,700	1,31,95,708
15	Enforcement Activities	31,62,298	-
16	Telephone & Mobile Expenses	25,82,998	24,82,086
17	Entertainment Exp	1,38,033	1,22,934
18	Motor Vehicle Expenses	1,87,06,340	1,47,81,457
19	Library Expenses	1,66,106	4,00,452
20	Clerkage Expenses	62,100	3,65,956
21	Manpower Hiring	-	1,33,74,112
22	Nanhe Kadam FDA	-	(1,76,575)
23	Swasth Bharat Yarta Expenses	11,04,949	2,33,667
24	Testing Fees	2,69,80,577	18,251
25	Event Management	-	1,26,39,306
26	Conference, Meeting & Seminar Exp.	17,48,658	-
27	EAT Right India Challenge	7,48,000	-
28	Imprest Expenses	2,48,164	-
29	Newspaper & Magazines	1,93,443	-
30	Import Division Expenses	55,100	-
31	Other Administrative Expenses		
	- Bank Charges	6,62,635	10,16,484
	- Internet Charges	-	6,104
	- Information Tech Expenses	3,23,95,772	1,36,93,358
	- Service Tax	13,93,73,847	-
	- Other Expenses	28,35,588	-
TOTAL		78,84,47,721	51,83,33,117

SCHEDULE 22 -Repair & Maintenance Expenses		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Repair & Maintenance			
i)	Repair and Maintenance of AC Plant, Computers & Other Equipments	7,17,99,928	5,70,96,512
ii)	Repair, Running and Maintenance of Vehicles	-	-
iii)	Repair & Maintenance of Building	-	19,13,831
TOTAL		7,17,99,928	5,90,10,343

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2021

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 23 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.		
a) Grants Given to Institutions/Organisation	4,64,595	2,30,23,420
b) Grants Given to States under SoFTel Scheme	-	1,08,04,31,858
c) Subsidies given to Institutions/Organisations	-	-
TOTAL	4,64,595	1,10,34,55,278

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 24 - DEPRECIATION		
On Fixed Assets	3,59,56,198	3,24,09,141
TOTAL	3,59,56,198	3,24,09,141
Less: Transferred to Fixed Asset Fund	-	-
TOTAL	3,59,56,198	3,24,09,141

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 25 - INTEREST PAID		
a) On Fixed Loans	-	-
b) On Other Loans	-	-
c) Interest on Grants Refunded to Ministry	9,76,41,290	-
TOTAL	9,76,41,290	-

FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021
Treatment of Unspent Grants on CASH BASIS

	2020-21	2019-20
Cash & Bank Balance as on last day	1,15,50,74,101	1,04,88,92,200
Balance with Regional Offices	11,05,15,311	10,17,61,853
ADD: Investments in FD	3,83,17,67,463	3,05,77,85,586
ADD: TDS Refundable on FD	5,89,65,759	4,16,43,304
ADD: Debtors Receivable	11,01,18,779	2,98,58,560
Less: Unpaid Creditors	11,04,58,635	21,32,973
Less: Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2020-21	1,18,38,60,258	-
Less: Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2008-09 to 2019-20	3,91,33,52,433	3,91,33,52,433
Unspent Grant for the year (Current Liability)	5,87,70,088	30,47,38,976
Grant received during the year	1,73,92,00,000	3,01,22,00,000
Add: Unspent balance at the beginning of the year	30,47,38,976	3,45,32,477
Less: Unspent balance of grant at the end of the year	(5,87,70,088)	(30,47,38,976)
Less: Grants Capitalised during the year	-	-
Less: Grant Refunded to Ministry	-	-
Grants to be shown as Income from Ministry	1,98,51,68,888	2,74,19,93,501
S.NO. Funds Received other than Grant of FSSAI for the Financial Year	2020-21	2019-20
1 License Fee	35,02,89,237	45,25,73,103
2 Product Approval	36,50,000	56,00,000
3 Sample Testing	2,10,25,164	3,42,68,953
4 Import Visual Inspection	10,88,54,930	9,24,01,050
5 Bank Interest	17,27,70,433	23,40,42,842
6 Auto Sweep Interest/ FD Interest	3,24,14,280	4,66,19,136
7 RTI Fees	3,465	5,718
8 Sale of Newspaper/Scrap	9,77,092	21,423
9 Cost of Tender/Application Fees	24,69,891	4,500
10 CPF Receipts of Chairperson	6,31,800	6,25,500
11 Misc Receipts	1,37,559	23,974
12 Security Deposit/Earnest Money	2,70,000	6,54,000
13 Stale Cheques	3,50,319	1,87,333
14 Statutory Deduction from Salary	1,05,60,971	37,15,808
15 Direct Recruitment Fees/Food Analyst Exam Fees	24,40,491	6,22,13,825
16 Opening Bank Balance Added during the year	-	2,34,65,151
17 FAO United Nations	-	12,42,262
18 Virtual Accounts at BOB	44,44,96,919	8,26,34,267
19 Receipts from CSC	1,86,92,600	9,68,50,700
21 Wrongly Credited by Bank	7,05,000	-
22 -Rockefeller Foundation Newyork (Prize Money)	36,69,297	-
23 FFRC SHARE 1/3	94,49,811	-
24 Revival	1,000	-
	1,18,38,60,258	1,13,71,49,545

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD 01.04.2020 TO 31.03.2021

(Amount in Rs.)

S.N.	RECEIPTS	Schedule	Current Year	Previous Year	S.N.	Payments	Schedule	Current Year	Previous Year
I	Opening Balance a) Cash in hand b) Bank Balances i) Saving Bank Accounts		90,884	90,884	I	Expenses a) Establishment Expenses (Corresponding to Schedule 20) b) Administrative Expenses (Corresponding to Schedule 21) c) Repair & Maintenance Expenses (Corresponding to Schedule 22) d) Other Expenses	34	20,15,73,836.00	6,84,93,497.00
II	Opening Balance added during the year	27	1,15,05,63,171	75,37,29,414			35	42,82,24,998.41	75,48,29,195.00
III	Grants Received a) From Government of India - Ministry of Health & Family Welfare b) From Others	28	2,08,65,00,000 1,87,35,043	2,34,65,151 3,01,22,00,000	II	Grants Given Grant in Aid EAT Right India Challenge	36	8,05,51,640.00	7,01,26,939.00
IV	Interest Received On Bank Deposits (Autosweep) On Bank Deposits (FDR) On Bank Deposits (Savings) On Bank Deposits (SBY) Penal Interest (Recovered)	30	4,42,63,375 16,28,64,823 91,77,680 7,27,930 1,688	4,69,13,617 17,84,71,369 3,76,42,909 4,44,952	III	Investments and deposits made a) Out of Own Funds (Investments - FD) b) Out of Own Funds (Autosweep)	37	1,25,74,83,521.00	37,69,88,830.00
V	Income received from Licencee's - Licence Fees - 1st Review Fees - 2st Review Fees - Sample Testing Fees - Sample Testing Fees (BOB 7549 Mumbai) - Product Approval - Import Visual Inspection - Recruitment Fees FFRC SHARE 1/3		35,13,94,233 1,37,16,001 70,000 8,37,618 3,39,48,000 36,50,000 2,89,27,533 - 94,49,811	45,25,73,102 - 1,04,06,047 - 56,00,000 6,94,35,504 6,22,13,825	IV	Expenditure on Fixed Assets & Capital Work in Progress a) Purchase of Fixed Assets	38	1,68,41,236	5,30,82,647
VI	Encashment of Investment		2,96,11,71,651	1,24,85,01,319	V	Advances to Suppliers/Others		-	2,26,97,685
VII	TDS Received: -on Contractors -on Rent -on Professional -on Salary -TDS on FD		3,57,917 - - - - - 807	57,64,307 - - - - - - - - - - - - - - - - -	VI	Duties & Taxes -TDS on Contractors -TDS on Rent -TDS on Professional (Staff) -TDS on Professional -TDS on Salary -TDS on Fixed Deposits -Service Tax -GST (Reverse Charge) -GST (CGST and SGST) -GST-TDS @2%		45,45,738 1,87,989 69,23,265 40,41,641 1,39,33,675 1,18,43,312 13,93,73,847 2,62,764 29 1,00,35,367	-
VIII	Advances Adjusted -Suppliers/Others -Export Inspection Council Mumbai		31,46,517 56,85,425	1,96,90,602	VII	Contractor's EMD/ Security Deposits		30,000	20,000
					VIII	Deductions from salary		-	2,21,41,117
					IX	Accredited Laboratories		28,04,28,705	33,20,00,841
					X	Branch/Laboratories	39	41,41,47,610	21,36,49,359

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD 01.04.2020 TO 31.03.2021

S.N.	RECEIPTS	Schedule	Current Year	Previous Year	S.N.	Payments	Schedule	Current Year	Previous Year
IX	Any other receipts :								
	RTI fees		3,448	5,718	XI	Stale License & Registration Fees		-	6,15,57,264
	Sale of Newspaper/Scrap		9,77,092	21,423		Miscellaneous			
	Sale of Tender Form/ Application		1,400	4,500	XII	Interest Paid to Ministry		9,76,41,290	2,94,481
	Misc. receipts		1,37,559	23,974		FAO United Nations		-	3,24,578
	Sale of Vehicle		-	2,67,010		Duties & Taxes		-	5,08,13,734
	CPF Chair Person Receipt		6,31,800	6,25,500		Paid to Sundry Creditors (Opening Balance)		9,06,44,771	3,97,55,498
	RAFT Certification		1,13,500	-		Sundry Debtors		-	2,84,528
	Pre Packing Material		5,04,000	-		TDS Recoverable from IT		-	1,73,69,625
	Debit/Credit Card L/F		1,22,78,698	-		Relief Fund		13,38,120	-
	Foreign Remittance		1,09,92,801	-		Recruitment Fees		5,32,750	-
	Food Analyst Application		24,40,491	-		Export Inspection Agency		27,104	-
	Rockefeller Foundation Newyork		36,69,297	-		Closing Balances			
	Virtual Account BOB 39		44,44,96,919	-	XIII	a) Cash in hand		90,884	90,884
	Maintenance Expenses		6,58,204	-		b) Bank Balances			
	Revival		1,000	-		i) Saving Bank Accounts	40	1,26,54,98,528	1,15,05,63,168
	Wrongly Credit by Bank		7,05,000	6,74,000		CSC State			
X	Contractor's EMD/ Security Deposits		3,00,000	-	XIV	Stale Cheque		8,38,23,400	-
XI	Deduction from salary		1,05,60,971	37,15,809	XV	Interest Accrued Canara 976		35,493	-
XII	Stale Cheques		3,50,319	1,87,333	XVI			5,782	-
XIII	Accredited Laboratories		29,81,16,601	35,29,67,197					
XIV	Branch/Laboratories	31	33,89,26,410	3,07,68,489					
	Amount Received From DO Cochin		10,93,105	-					
	Amount Received From DO Chennai		4,09,06,574	-					
XV	State License & Registration Fees	32	-	24,10,42,231					
XVI	Miscellaneous								
	Application Processing Fees /Auditing Agency		2,73,000	1,71,300					
	Duties & Taxes		-	31,57,849					
	Sundry Creditors	33	-	98,259					
	TOTAL		8,05,34,18,296	6,56,68,10,998				8,05,34,18,296	6,56,68,10,998

CEO, FSSAI

DIR (F)

AD (F)

PLACE : NEW DELHI

DATE :

SCHEDULES FORMING PART OF THE FINANCIAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31-03-2021

SCHEDULE 26 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. REVENUE RECOGNITION

License Fees, Product Approval Fees and Sample Testing Fees etc. are recognized as and when received. Other Income is recognized on receipts basis. Interest on saving bank accounts is accounted on accrual basis.

3. INVESTMENTS

Investment classified as “long term investments” are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments. Investments classified as “Current” are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis. Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

4. FIXED ASSETS

Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to the acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), forming part of the value of the assets capitalized.

Fixed Assets received by way of non-monetary grants, other than towards the Corpus fund, are capitalized at values stated, by corresponding credit to capital Reserve.

5. DEPRECIATION

Depreciation is provided as per the provisions of Income Tax Act and based upon written down value method & as per rates specified therein.

In respect of additions to / deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered accordingly.

6. VALUATION OF INVENTORIES

Expenditure on purchase of stationary, consumables, publication, and other stores is accounted as revenue expenditure.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

8. GOVERNMENT GRANTS

- 8.1** Government Grants are accounted on realization basis. However, where a sanction for release of grant pertaining to the financial year is received before 31st March and the grant is actually received in the next financial year, the grant is accounted on accrual basis and an equal amount is shown as recoverable.
- 8.2** Government Grants of capital nature are recognized on receipts basis and shown as capital grants under Earmarked/ Endowment fund in consistent with fund based accounting.
- 8.3** Government grants for meeting revenue expenditure are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.
- 8.4** Unutilized grants computed on Cash Basis are carried forward and= exhibited as a liability in the balance sheet.

9. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 9.1** Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.
- 9.2** Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

SCHEDULE 27 – CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS
A. CONTINGENT LIABILITIES
1. CONTINGENT LIABILITIES

- 1.1 Claims against the Authority not acknowledged as (Previous year Rs. NIL)
debts – Rs. NIL
- 1.2 In respect of:
- Bank guarantees given by /on behalf of the Authority (Previous year Rs. NIL)
– Rs. NIL
 - Bills discounted with banks– Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- 1.3 Disputed demands in respect of:
- Income-tax – Rs. Rs. 9.66 Crore (Previous year Rs. 9.66 Crore)
 - Sales-Tax – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Municipal Tax – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- 1.4 In respect of claims from parties for non-execution of (Previous year Rs. NIL)
orders, but contested by the Entry Rs. NIL

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

B. NOTES TO ACCOUNTS

Food Safety and Standards Authority of India is a Statutory Authority established under Food Safety & Standards Act, 2006 under the Administrative control of the Ministry of Health & Family Welfare and is fully financed by Govt. of India, therefore, its accounting policies are mostly based on GFR's & R&P Rules. The accounting principles and policies of the authority in brief are as under:

1. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet. Increase in advances during the year is mainly on account of advances given to employees/ outside parties.

TAXATION

In the F.Y 2014-15 the Authority has obtained the PAN number i.e AAAGF0023K.

FORM GST REG-06

In the F.Y 2017-18 the Authority has obtained the GST number i.e07AAAGF0023K1ZV.

2. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

2.1	Value of imports calculated on C.I.F. Basis:	
	Purchase of finished goods	NIL
	Raw Materials & Components (Including in transit)	NIL
	Capital Goods	NIL
	Stores, Spares and Consumables	NIL
2.2	Expenditure in foreign Currency:	
	a) Travel	NIL
	b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/ Bank in Foreign Currency	NIL
	c) Other expenditure:	
	Commission on sales	NIL
	Legal and Professional Expenses	NIL
	Miscellaneous Expenses	NIL
2.3	Earnings:	
	Value of exports on FOB basis	NIL
	Value of Services	NIL

3. The presentation of the financial statements is based upon the prescribed format given by CAG applicable to the Authority.

4. SOURCE OF FUNDS

The receipts of funds in the budget of the authority are classified as under: -

- i) Net grant from Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
- ii) Misc. Receipts like License Fee, Sample Testing Fee, Interest on saving bank accounts, Interest on Fixed Deposits and other miscellaneous receipts, etc.

5. FIXED ASSET FUND & BUILDING FUND

The capital assets acquired out of grant-in-aid has been capitalized under fixed assets by capitalizing grant under Corpus Fund by simultaneously reducing the grant in aid received for the year and accordingly, the depreciation charged on the fixed assets has been charged to the corresponding fund in accordance with fund based accounting and matching concept.

6. Figures are rounded off to the nearest rupees.

7. Figures of the previous year have been regrouped/rearranged and recasted wherever considered necessary in lines with format prescribed and suggested by AGCR adopted by the Authority.

8. Schedule 1 to 27 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31-03-2021 and the Income and Expenditure account for the year ended on that date.

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FOR THE YEAR 2020-21

S. No.	Particulars	Amount
1	STUFF & STOCK	158,591
2	PBTI MOHALI	625,000
3	OFFICE STAFF	685,500
4	NIFTEM	1,848,570
5	NIFT	111,864
6	NICSI	18,357,846
7	NDDDB	5,563,601
8	NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL	1,439,600
9	MOU- UTTAR PRADESH	173,425,000
10	MOU- PUNJAB	13,743,000
11	MOU- KARNATAKA	21,118,000
12	MOU- GOA	6,599,000
13	MOU- CHHATISGARH	18,290,000
14	MOU- GRANT TO STATE	32,669,000
15	MOU- GRANT TO STATE	39,829,000
16	MOU- HYDERABAD	5,000,000
17	MOU – ASSAM	31,268,700
18	MOU -THIRUVANANTPURAM	816,740
19	MOU - STATE AS GRANT	500,000
20	MOU - RAJASTHAN	10,469,000
21	MOU - NCT OF DELHI	5,845,000
22	MOU - GRANT TO STATE JHARKHAND	20,585,500
23	MOU - GRANT TO STATE JAMMU & KASHMIR	22,563,500
24	MOU - GRANT TO CHANDIGARH	3,324,500
25	MOU - GRANT TO BIHAR	24,108,000
26	MOU - TRIPURA	3,790,350
27	MOU- TRIPURA	12,804,500
28	MOU – HIMACHAL PRADESH	21,919,500
29	MOU - THIRUVANANTPURAM	34,305,000
30	MOU - MEGHALAYA	19,465,000
31	MOU - STATE ANDAMAN & NICOBAR	17,239,000
32	MOU - MADHYA PRADESH	92,682,000
33	MOU - ODISHA	10,344,000
34	MOU- GRANT TO NAGALAND	5,995,000

S. No.	Particulars	Amount
35	MOU - ARUNACHAL PRADESH	4,259,500
36	EAT RIGHT CHALLENGE GRANTS 135 CITIES/DISTRICTS	93,000,000
37	GRANTS TO STATE FOOD TESTING LABORATORIES	132,000,000
38	GRANTS TO STATE FOOD TESTING LABORATORIES	54,000,000
39	GRANTS TO STATE FOOD TESTING LABORATORIES	6,800,000
40	MICROBIOLOGICAL LAB SOLAN	5,000,000
41	LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL ACADEMY	938,493
42	KAMINI CONSTRUCTION	48,08,0271
43	IIFPT EXTERNAL PROJECT	8,120,588
44	IICT/NIFTM/CSIR MYSUR/ICAR COCHIN/ICAR MEAT	2,288,829
45	ICAR-NRCM HYDERABAD	4,023,500
46	ICAR COCHIN	8,821,295
47	ICAR - NATIONAL REFERENCE LABORATORY	2,500,000
48	ICAR	400,000
49	HSSPHL PUNE	6,288,624
50	GNVFC LTD	19,420
51	FDA GUJRAT	49,560
52	DO REGIONAL OFFICE MUMBAI	1,000,000
53	DISTRICT DUAL HEALTH SOCIETY	6,400,000
54	DIRECTOR NATIONAL FOOD LAB FOR MICROBIOLOGICAL ANALYSIS	81,317
55	CSIR-CFTRI (MYSORE)	269,889
56	CSIR-CFTRI (LUCKNOW)	625,000
57	CONTROLLER OF PUBLICATION	1,032,756
58	CONTROLLER FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION NAYA RAIPUR	6,000,000
59	CFL/RFL LAB	34,936,798
60	CFDA RAIPUR	2,000,000
61	CENTRE FOR DEVELOPMENT	997,808
62	CALF-NDDB	625,000
63	BSES YAMUNA POWER	354,000
64	BIS	23,541
65	ASIAN SCIENTIFIC	13,500,000
66	AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION	6,800,000
67	ITC- FSSAI, MUMBAI	1,000,000
TOTAL		1,12,97,25,051

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FOR THE YEAR 2019-2020

S No	NAME OF PARTIES	AMOUNT
1	ADVANCE TO STAFF	913,498
2	AFST(I) MYSURU	200,000
3	BALMER &LAWRIE CO LTD	2,500,000
4	BSES	119,000
5	CENTRAL NEWA AGENCY	6,860
6	CENTRE DEVELOPMENT ADVANCE COMPUTING	1,243,164
7	CFL KOLKATA	6,212,447
8	CFTRI-MYSORE	556,750
9	CIFT KOCHI	374,400
10	CSIR -CFTRI	377886
11	CSIR INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY	96750
12	DIRECTOR NFL GHAZIABAD	389,500
13	EDWARDS FOOD RESEARCH & ANALYSIS CENTRE	1,000,000
14	EIA KOCHI	146,900
15	EXPORT INSPECTION AGENCY CHENNAI	400,000
16	EXPORT INSPECTION AGENCY KOLKATA	400,000
17	FARE LABS	1,000,000
18	ICAR CIFT KERELA	1,000,000
19	ICAR= CIBA	147,463
20	ITC FSAN MUMBAI	1,496,725
22	KAMINI CONSTRUCTION	56170139
23	NATIONAL COLLATERAL MANAGEMENT SERVICE	34,524
24	NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARDS	506693
25	NATIONAL INSTT. OF FOOD TECHNOLOGY	100,000
26	NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR GRAPES	1,000,000
27	NBCC	97,500,000
28	NBCC LTD	128,054,212
29	NEOGEN FOOD & ANIMAL SECURITY INDIA	1,000,000
30	NEW MOTIBAGH LADIES CLUB	43,000
31	NICSI	11,014,312
32	NIFTM HARYANA	178,000
33	SHRIRAM INSTITUTE	284,450
34	TRILOGY ANALYTICAL LAB	1,000,000
35	UNIVERSITY OF KOLKATA	140,600
36	VIMTA LABS	1,000,000
37	WHO	14,651
TOTAL		31,66,21,924

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FOR THE YEAR 2018-2019

S. NO.	NAME OF PARTIES	AMOUNT
1	CENTRE FOR ANALYSIS AND LIVE STOCK	50,000
2	CENTRE FOR DEVELOPMENT OF ADVANCED COMPUTING	53,900
3	DATA CENTRE NDC	3,859,818
4	DDO	11,800
5	ICAR UNIT CIFT COCHIN	126845
6	INDIAN INSTITUTE OF HYDERABAD	125,143
7	INDIAN INSTITUTE OF TOXIXILOGY RESEARCH	200,000
8	ITPO	414,180
9	MERAKI SPORTS & ENTERTAINMENT PVT. LTD	50,000
10	NBCC LTD	15,000,000
11	NIFTEM KUNDLI HARYANA	170,000
12	OIL LABORATORY DEPTT, KOLKATTA	214,113
13	QUALITY EVALUATION LAB	186,098
TOTAL		2,04,61,897

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FOR THE YEAR 2017-2018

S. No.	NAME OF PARTIES	Balance
1	ADVANCE (HINDI DIVISION)	1,000
2	ADVANCE TO STAFF	825,859
3	ALPCORD NETWORK	10,114
4	APEDA	157,500
5	BALMER & LAWRIE	3,000,000
6	BIS NITS	5849
7	CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES TECH.	247,500
8	CONTROLLER OF PUBLICATION	224,400
9	DEFENCE FOOD RESEARCH LABORATORY	176,500
10	DEPUTY GENERAL INDIAN COUNCIL	10,982
11	DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY	58,374
12	EXPORT INSPECTION AGENCY, MUMBAI	117,500
13	ICAR	199,881
14	INDIAN TRADE PROMOTION ORGANIZATION	1538546
15	INSTITUTE OF ECONOMIC GROWTH	235,000
16	MANUPATRA INFORMATION SOLUTIONS	48,300
17	MOHFW	7,650
18	NABL NEW DELHI	94,400
19	NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECH	160,000
20	NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL	7,080
21	NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR GRAPS	414,000
22	NNS EVENTS & EXHIBITION	725,417
23	PCIM	2,000
24	SKOTCH CONSULTANCY	153,400
25	SPORTS AUTHORITY OF INDIA	1,999,939
26	TRADE PROMOTION COUNCIL OF INDIA	796,500
TOTAL		1,12,17,691

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FOR THE YEAR 2016-2017

S. No.	NAME OF PARTIES	Balance
1	ADVANCE TO STAFF	436,824
2	ASSISTANT DIRECTOR ESTATES (CASH)	150,000
3	BALMER & LAWRIE	129,906
4	CENTRE FOR SCIENCE AND ENVIRONMENT	550
5	CHILDREN BOOKS TRUST	2,292
6	CONFEDERATION OF INDIAN INDUSTRY	8,000
7	CONTROLLER FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION	112,000
8	CPWD	162,104
9	D O MUMBAI FOR NABL	65,510
10	DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY	1,100,121
11	DIRECTORATE OF GENERAL INDIA COUNCIL OF MEDICAL	638
12	IICA	25,000
13	INDIAN FOOD PACKER	5,000
14	INSTITUTE OF ECONOMICS GROWTH	235,000
15	MANUPATRA INFORMATION SOLUTION PVT. LTD	47,081
16	NATIONAL BOOKS TRUST	2,156
17	NICSI	13,479
18	NIPHM	199,308
19	PRAGATI INDIAN OIL	22,576
20	RAJASTHAN ELECTRONICS	49,328
21	SANCHALAK RCVP NORONHA PRASHASAN ACADEMY, BHAOPAL	68,950
22	SHSB NRHM –B	64,400
23	SKOTCH CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD	138,000
24	SPORTS AUTHORITY OF INDIA	1,265,000
	TOTAL	43,03,223

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FOR THE YEAR 2015-2016

S. No.	NAME OF PARTIES	Balance
1	ADVANCE TO STAFF	358170
2	CENTRAL GOVT. EMPLOYEES WELFARE ASSOCIATION	35000
3	DEENDAYALUPADHYAYA INST.	57000
4	DIRECTORATE OF ADVERTISEMENT AND VISUAL PUBLICITY	5472119
5	FCI, MUMBAI	100000
6	FCI, MUMBAI	100000
7	NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES	18583
8	NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES	144786
TOTAL		62,85,658

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FOR THE YEAR 2014-2015

S. No	NAME OF PARTIES	Balance
1	DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY	4647
2	MS. K.K JITHA, BERLIN	76523
3	B.S ACHARYA	26966
4	PRAGATI INDIAN OIL	21840
5	CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES TECH	150000
6	DIRECTOR OF HEALTH SERVICES (LAKSHYADEEP)	62750
7	INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT ANNAD	35955
8	FDA CHATTISGARH	67250
TOTAL		445,931

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FROM F.Y 2008-2009 TO 2012-2013

S. No.	NAME OF PARTIES	Balance
1	ABP PVT LTD.	14,134
2	ALL INDIA FOOD PROCESSING ASSOCIATION	2,167
3	AUTHORISED OFFICER CHENNAI	10,000
4	AUTHORISED OFFICER JNPT NHAVASHEVA.	10,000
5	AUTHORISED OFFICER SEA PORT CHENNAI.	10,000
6	BAG FULL	1,200
7	COMMISSIONER OF FOOD SAFETY, J&K	245,073
8	CONFEDERATION OF INDIAN INSTT	1,850,000
11	DAKSH EDUCATION & WELFARE SOCIETY	264,900
12	DEEN DYAL UPADHYAY	227,802
13	DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY (DAVP)	4,456,977
14	DY DIRECTOR SPIPA, AHMEDABAD	1,002
15	FICCI	79,750
16	GENERAL SECRETARY DELHI TELEGRAPH ACADEMY	50,000
17	H.S.C.C. INDIA LTD	16,414
18	INDIA TRADE PROMOTION ORGANISATION	200,000
19	INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT BANGALORE.	437,698
20	NATIONAL INSTITUTE NUTRITION	4,743,444
21	S.S. BUILDCON PVT LTD GHAZIABAD	200,000
22	STATE HEALTH SOCIETY (IDSL) JAIPUR	456,400
23	UAHFWS FOOD SAFETY& STANDARDS DEHRADUN	161,600
24	DEPUTY DIRECTOR CHENNAI	110,000
25	DEPUTY DIRECTOR (F&VP) NBCC	44,394
26	DEPUTY DIRECTOR GUWAHATI	10,000
27	DEPUTY DIRECTOR - KOLKATA	62,336
28	DEPUTY DIRECTOR MUMBAI	90,000
29	LTC ADVANCE	196,363
30	PITAMBER SINGH	5,625
31	R. B. KHOTKAR	4,237
32	S.KHALDAR	10,000
33	S.S. TOMAR	86,400
	TOTAL	1,40,57,916



कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा(स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
Office of the Principal Director of Audit (Health, Welfare and Rural Development)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली- 110 002
Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002

संख्या: ए.एम.जी./एफ.एस.एस.आइ./7-17/2021-22/

दिनांक:

सेवामें,

सचिव, भारत सरकार,
स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001.

विषय : वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124, को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2020-21 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इस में कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

भवदीय,

अनुलग्नक: यथोपरि

(प्रवीण कुमार सक्सेना)
निदेशक (ए.एम.जी-1)

संख्या: ए.एम.जी./ एफ.एस.एस.आइ./7-17/2021-22/ 890

दिनांक: 03/03/2022

भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति, श्री राजेश भूषण, IAS, अध्यक्ष,, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एफ डी ए भवन, कोटला रोड़, नई दिल्ली, -110029, को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124 को भेजी जाए।

अनुलग्नक:यथोपरि

प्रवीण कुमार सक्सेना
03/03/2022

(प्रवीण कुमार सक्सेना)
निदेशक (ए.एम.जी-1)

संख्या: ए.एम.जी./ एफ.एस.एस.आइ./7-17/2021-22/

दिनांक:

भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित महानिदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह पत्र महानिदेशक लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य कल्याण एवं ग्रामीण विकास) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक:यथोपरि

हस्ता -

(प्रवीण कुमार सक्सेना)
निदेशक (ए.एम.जी-1)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of the Food Safety & Standards Authority of India for the year ended 31st March 2021.

We have audited the attached Balance Sheet of the Food Safety & Standards Authority of India (Authority) as at 31st March 2021, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. These financial statements are the responsibility of the management of Food Safety & Standards Authority of India. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum- performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Report separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amount and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the uniform format of accounts approved by the Ministry of Finance, Government of India;
- iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Authority in so far as it appears from our examination of such books;
- iv. We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Assets

A.1.1 Fixed Assets (Schedule-8) - ₹23.07 crore

A.1.1.1 The Authority disposed off the unserviceable furniture items/ air conditioners/ chairs etc. of the book value worth ₹48.84 lakh and same has not been reduced from the Fixed Assets (Schedule 8). This has resulted in overstatement of Fixed Assets as well as Capital by 248.84 lakh.

A.1.2 Current Assets, Loans, Advances etc. (Schedule-11) - ₹720.05 crore

A.1.2.1 In Schedule – 11B (Loans, Advances and Other Assets), the Authority has shown amount of ₹15.34 crore and ₹2.28 crore under the head 'Advance Rent Chennai Port Trust' and 'Advance Rent JNPT Mumbai', respectively.

However, in actual, the Authority has hired land area (1306 sq. mtr. and 11873 sq. ft. respectively) on lease basis for their office space for 30 years w.e.f. 29.01.2020 to 28.01.2050 by paying the lump sum amount of ₹17.09 crore for Chennai and ₹2.53 crore for Navi Mumbai. As the Authority has acquired land on lease, this amount should be reflected under Schedule – 8 (Fixed Assets) under the head 'Lease hold building/Land' and amount should be amortised over the period of lease. Thus, reflection of the amount ₹19.62 crore (₹17.09 crore for Chennai and ₹2.53

crore for Navi Mumbai) in Current Assets (Advances) resulted in overstatement of Current Assets (Advances) and understatement of Fixed Assets by ₹19.62 crore.

A.1.2.2 The Authority has given advances to M/s NBCC (India) Limited amounting to ₹24.05 crore for construction of office building at Indirapuram, Ghaziabad (Uttar Pradesh) out of which NBCC has utilised ₹18.58 crore. This utilised amount was required to be shown under Capital work in Progress under Schedule - 8 (Fixed Assets) and advances should be adjusted accordingly. However, the Authority has shown this amount still under Advances which has resulted in overstatement of Current Assets (Advances) and understatement of Fixed Assets (Capital work in Progress) ₹18.58 crore.

A.1.2.3 Capital work-in-progress is the part of the Fixed Assets (Schedule-8) and should be reflected therewith. However, the Authority reflected an amount of ₹45.90 lakh under the head 'Stock-in-trade - Work-in-progress - Northern Region (CHEB)' in Schedule - 11 (Current Assets) instead of Schedule - 8 (Fixed Assets). This has resulted in overstatement of Current Assets and understatement of Fixed Assets (Capital work-in-progress) by ₹45.90 lakh.

A.1.2.4 During the financial year 2020-21, Authority has received funds amounting to ₹2.01 crore as grant from SIRDORABJI TATA Trusts towards the project Food Fortification Resource Centre (FFRC). The amount of grant received/expenditure out of the grant incurred and balances therewith have not been disclosed / included in the account. Non-inclusion of the funds/ bank accounts balance resulted in understatement of Current Assets and Current Liabilities/Earmarked Fund by ₹2.01 crore. Similar comment was issued during the audit of previous year accounts, however, no remedial action was taken by the Authority.

B. Income & Expenditure Account

B.1 Administrative Expenses (Schedule-21): ₹6.63 lakh

B.1.1 The Authority incurred an expenditure of ₹1.12 crore on procurement of various types of Computers/ Laptops/Software/Video Conferencing System/Apple Mac Book and booked these expenses as revenue expenses i.e. other Administrative Expenses instead of Fixed Assets. Thus, incorrect booking of these capital items resulting in understatement of Fixed Assets and overstatement of Expenditure by ₹1.12 crore.

C. General

C.1 No provision for retirement benefits has been made in the accounts in contravention of Accounting Standard - 15 issued by 'CAI.

C.2 The Authority won prize money from Rockefeller Foundation New York in USD i.e. ₹1.47 crore and shown under other receipts. However, disclosure of the same has not been made in the accounts under "Foreign Currency Transactions".

C.3 The Authority declared in its significant accounting policies that it was exempt from income tax, however, it did not take action to recover the TDS amounting to ₹6.05 crore deducted from its income by income tax department. The same may be pursued with the Income Tax Department.

C.4 The Authority had made various payments on behalf of CDSCO on account of maintenance, electricity expenses and water charges amounting to ₹11.01 crore since 2012-13 which were shown in Schedule-11 (Loan, Advances and Current Assets). As this accumulated amount is recoverable since 2012-13, the same amount may be recovered from CDSCO.

C.5 As on 31.03.2021, the Authority had outstanding advances of ₹1.41 crore since 2008-13 and ₹148.92 crore since 2013-21. Except few adjustments, no adjustment of advances pertained for the period 2013 to 2016 were made. This needs special attention and efforts for adjustment of advances.

C.6 When a cheque issued by the department is not encashed by the receiver within the validity period of three months the same shall be cancelled and amount should be taken back in the cash book. However, there were cheques worth ₹26.14 lakh which were issued during 2012 to 2020 but not yet encashed and thus have become stale. Therefore, Authority shall cancel these cheques and take the amount back in the cashbook.

C.7 In Schedule 11 (Current Assets, Loan, Advance etc.) an amount of ₹11.05 crore was shown under the head "Bank Balances-with Schedule Bank-Regional Offices Saving" which included balances of the regional offices of the Authority. Scrutiny of records revealed that the bank balances of following Accounts were not matching with the Bank Reconciliation statement provided by the Authority.

(Amount in ₹)

S. No.	Regional Office	Account No.	Closing Balance as per Annual Account	Bank Balance as per Bank reconciliation statement
1.	Cochin	3,247	77,97,159.70	68,58,740.80
2.	Guwahati	7,292	15,10,147	15,03,121.65

The differences pointed above needed to be reconciled.

D. Grants-in-aid:

The Authority received Grants-in-Aid of 2208.65 crore from Ministry of Health and Family Welfare during the year 2020-21. It had unspent balance of 230.47 crore at the beginning of the year. The Authority could utilise a sum of ₹233.25 crore, leaving an unspent balance of 25.87 crore as unutilised grant, as on 31 March 2021.

E. Management Letter:

Deficiencies which have not been included in the audit report have been brought to the notice of the management of the Authority through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Authority as at 31 March 2021 and

b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of C&AG of India

(Ashok Sinha)



Director General of Audit

(Health Welfare & Rural Development)

Place: New Delhi

Date:

Annexure**1. Adequacy to Internal Audit System**

Ministry of Health and Family Welfare conducted the internal audit of Authority up to the year 2020-21. Further, internal audit wing was setup in Authority in November 2019.

2. Adequacy of Internal Control System

Cash book is maintained in electronic format.

3. System of Physical verification of fixed assets

Physical verification of fixed assets in respect of branch offices and Authority's headquarter was conducted up to the year 2020-21.

4. System of physical verification of inventory

Physical verification of inventory like stationery and other consumables was conducted for the year 2020-21. However, the last Physical Verification of Books was conducted for the year 2017-2018. Physical Verification of inventory in respect of branch offices was not furnished.

5. Maintenance of Asset Register

The assets register did not show the progressive total of the various Assets and not maintained in the prescribed formats shown under Schedule 8 — Fixed Assets.

6. Regularity in payment of statutory dues

No statutory liability of the Authority is outstanding as on 31.03.2021